अष्टम माला, खंड 15, अंक 25

मंगलवार, 1 अप्रैल, 1986
11 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 25, मंगलवार, 1 अप्रैल, 1986/ 1 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 493 से 498	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—221
*तारांकित प्रश्न संख्या : 499, से 505 और 507 से 513	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4626 से 4658, 4660 से 4696 और 4698 से 4839	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	221—223
पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण की योजना के विस्तार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	223—224
नियम 377 के अधीन मामले	224—228
(एक) वित्तीय वर्ष 1 सितम्बर से आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	224

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(दो) अनारक्षित खानों से निकाले जाने वाले लौह अयस्क की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ... ... 224—225

(तीन) उरान, महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए सप्लाई की जाने वाली गैस का मूल्य कोयले के समतुल्य आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री एस०जी० घोलप 225

(चार) माप्पिला खाड़ी, कन्नानोर, को एक पूर्ण पत्तन के रूप में विकसित करने हेतु केरल को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 225

(पांच) पंजाब में जमा खाद्यानों के भारी भण्डारों को उठाने के के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 226

(छ:) कलकत्ता की टेलीफोन प्रणाली

श्री सोमनाथ चटर्जी ... ... 226—227

(सात) जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला और बदायूं में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के कार्य में तेजी लेने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे 227

(आठ) किसानों के कल्याण लिये राज्य सरकारों को निदेश देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी .... 227—228

(नौ) अलवर रेलवे स्टेशन के निकट एक उपरि-पुल का निर्माण

श्री रामसिंह यादव 228

विषय	पृष्ठ

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 229—334

वाणिज्य मन्त्रालय

श्री थम्पन थामस	229—233
डा० गौरीशंकर राजहंस	233—237
श्री राम सिंह यादव	237—239
श्री पी० कुलनदईवेलू	240—243
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	243—244
डा० के०जी० अदियोडी	244—246
श्री के० मोहनदास	247—248
श्री दिनेश गोस्वामी	248—251
श्री शांति धारीवाल	251—253
श्री गिरधारी लाल व्यास	253—256
श्री अब्दुल रशीद काबुली	257—268
श्री आर० जीवरत्नम	269—271
श्री सी०के० कुप्पु स्वामी	271—274
श्री सी० जंगा रेड्डी	274—277
श्री जी०एल० डोगरा	277—280
श्री जी०एस० बसवराजू	280—282
श्रीमती गीता मुखर्जी	283—285
श्री के०एस० राव	286—288
श्री पीयूष तिरकी	288—291
श्री पी० पेंचलैय्या	291—293

विषय	पृष्ठ
श्री पी० शिव शंकर	293—310
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87	
इस्पात और खान मंत्रालय	
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	313—319
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	324—330
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक	331—334
वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों (सामान्य), 1986-87 पर हुई चर्चा के संबंध में पहले दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्री पी० शिव शंकर	330—331

लोक सभा

मंगलवार, 1 अप्रैल, 1986/11 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नाथपा झाकड़ी परियोजना

*493. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा झाकड़ी परियोजना को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नाथपा झाकड़ी परियोजना (1020 मेगावाट) तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से 1980 में अनुमोदित कर दी थी । तथापि, कुछ अन्य इष्टतम समुपयोजन सम्बन्धी अध्ययनों के आधार पर हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके 1500 मेगावाट क्षमता के लिए एक संशोधित रिपोर्ट तैयार कर रहा है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए अपेक्षित वन भूमि के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिया है । अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना पर निवेश संबंधी निर्णय के लिए विचार किया जायेगा ।

(ख) निवेश संबंधी निर्णय के लिए जाने और निधियों की व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण हो जाने के बाद ही पूरा करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा सकता है ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मंत्री महोदय ने इस सभा को यह बताया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नाथपा झाकड़ी परियोजना तकनीकी आर्थिक दृष्टि से 1980 में अनुमोदित कर दी थी । क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि इस परियोजना को शुरू करने का विचार कब उठा था । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से यह अनुमोदन 6 वर्ष पहले मिल गया था, तब इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन ने वस्तुत: इस परियोजना की आधारशिला रखी थी तथा इस परियोजना के साथ श्री संजय गांधी का नाम भी जुड़ा है तथा यह परियोजना संजय गांधी विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती है ?

यदि हां, तो क्या इसकी आधारशिला जंगल साफ किए बिना रखी गई थी।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : एक-एक प्रोजेक्ट के लिए 10, 10 फाउन्डेशन क्यों डाले हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका : आप के यहां तो और भी ज्यादा गड़बड़ हुई थी।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : जहां तक संजय विद्युत परियोजना का संबंध है, यह एक अलग जगह पर, अलग परियोजना है, जो 100 मेगावाट क्षमता की है जिस पर पहले से काम चल रहा है। इसका नाथपा झाकरी परियोजना, जो कि एक प्रमुख परियोजना है, से कोई संबंध नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1979 में 254 करोड़ रु० की लागत से 1020 मेगावाट क्षमता की परियोजना बनाने का विचार किया था।

मूलत: यह राज्य सरकार की परियोजना थी। परन्तु बाद में ऐसा हुआ कि वह बार-बार परियोजना में संशोधन करते रहे तथा मंजूरी मांगते रहे। उन्होंने 1979 में स्वयं बताया कि इसमें 533,88 करोड़ रु० लगेंगे। और फिर 1984 में उन्होंने कहा कि इस में 1,139 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसलिए राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतना धन प्राप्त कर सके तथा उन्होंने केन्द्र सरकार से अपने अभिकरण, राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम के माध्यम से इस परियोजना को पूरा करने का अनुरोध किया। इसलिए अब हम रा० ज० वि० नि० तथा हिमाचल सरकार की संयुक्त परियोजना के रूप में इसकी जांच कर रहे हैं और इस प्रकार कार्यवाही की जा रही है तथा इसकी आज की लागत लगभग 2,000 करोड़ रु० आएगी। किसी भी राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी मात्रा में धन जुटा पाना संभव नहीं है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या यह सही है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता किया था और वे इस बात पर पूर्णतया सहमत थे उनके हिस्से में कितनी लागत और कितनी विद्युत आए ? यदि हां तो, क्या वे समझौते पर टिके हुए हैं ?

श्री वसन्त साठे : दोनों सरकारों के बीच मूलत: एक समझौता हुआ था कि वे इस परियोजना को एक संयुक्त परियोजना के रूप में बनायेंगे क्योंकि बिजली का मुख्य हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार उपयोग में नहीं लायेगी—उनकी आवश्यकता बहुत थोड़ी-सी है—परन्तु वे इसको हरियाणा और उत्तरी ग्रिड को बेचते रहेंगे।

परन्तु बाद में जब हरियाणा सरकार ने इस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता

प्रकट की तथा हिमाचल सरकार ने देखा कि वह भी धन नहीं लगा सकता, तो हरियाणा सरकार पीछे हट गई तथा हिमाचल प्रदेश ने पूरी परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी ।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट के बारे में जो जिक्र किया गया, और यह कहा गया कि इस पर दो हजार करोड़ रुपया खर्च होगा, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो एग्रीमेन्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को रोयल्टी के रूप में कितने परसेंट रुपया या बिजली देंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पर मेगावट के हिसाब से कितनी बिजली या पैसा देंगे ? जैसा कि आपने कहा कि नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा से एग्रीमेन्ट हुआ था लेकिन अब उसने भी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी यह माना है कि वे राज्य सरकारें इतनी सक्षम नहीं हैं कि इस प्रोजेक्ट को चला सकें, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश को और हरियाणा को क्यों नहीं पैसा देते हैं जिससे कि वे बिजली का पूरा लाभ उठा सकें ।

श्री वसन्त साठे : यह तो कामन फारमूला है कि किसी भी स्टेट में जहां इस तरह का प्रोजेक्ट है, उस स्टेट को 12 परसेंट बिजली प्रोजेक्ट में से फ्री मिलती है । अब उसमें सारी वे खुद इस्तेमाल कर लें, या दो परसेंट खुद इस्तेमाल कर लें और दस परसेंट बेच दें और उस पर इनकम अर्न करें । पहले यह सोचा गया था कि सारा का सारा प्रोजेक्ट वे खुद बनायेंगे और बिजली दूसरों को बेचेंगे और खुद कमायेंगे । बात बहुत अच्छी होती अगर वे ऐसा कर सकते लेकिन कहावत है कि न……

अध्यक्ष महोदय : न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी ।

श्री वसंत साठे : यह तेल कब और कहां से आयेगा ?

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : इसके लिए प्लान में कितना पैसा रखा गया है ?

श्री वसंत साठे : हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लान में कोई पैसा नहीं रखा है । हमने 90 करोड़ रुपया नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट के लिए रखा है ।

[अनुवाद]

अपरम्परागत ऊर्जा आदर्श एकक

*494. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विविध जलवायु और पारिस्थितिक पृष्ठ भूमि और स्थितियों वाले विभिन्न भागों में और ऊर्जा एककों तथा बायोमास एककों सहित अपरम्परागत ऊर्जा आदर्श

एकक स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे एकक तमिलनाडु में सेलम जैसे स्थानों में भी, जो कि विशेष आवश्यकताओं और पर्यावरण वाला एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, स्थापित किये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में सौर तापीय ऊर्जा, सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन ऊर्जा, सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस, बायोमास, लघु जलीय एककों आदि जैसी युक्तियां और प्रणालियां देश भर में स्थापित की जा रही हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर आधारित इन कार्यक्रमों को विस्तृत किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। सेलम जिले के 12 गांवों को सौर चालित गली रोशनियां पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं; आठ और गांवों के लिए सौर रोशनी कार्यान्वयन के अधीन है। इस जिले में सौर तापीय और पवन पंप कार्यक्रमों को भी शुरू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी प्रयोजनों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम में सेलम जिले के कुछ गांवों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को चरणबद्ध रूप में उपयोग में ला रही है।

परन्तु फिर भी भुगतान संतुलन की स्थिति तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कमी को देखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि पैट्रोल और डीजल के साथ पेट्रोल की खपत को बचाने के उद्देश्य से ऊर्जा के अन्य अपारंपरिक स्रोतों जैसे मिथाइल तथा इथाइल का प्रयोग किया जाए ? महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा किया गया था। वह कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं है। इसे अपनाना संभव है। आखिरकार हम पेट्रोल तथा विदेशी मुद्रा बचाने की बात कर रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह केवल शीरे से ही बने, सेलूलोज चुकंदर तथा कसावे (टैपियोका) से भी इसे बनाया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय इसको अपारंपरिक ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्त्रोत मानेंगे तथा क्या इसके विकास के लिए कुछ धन आवंटित किया जाएगा ?

श्री वसंत साठे : महोदय, ऊर्जा के किसी भी स्त्रोत का स्वागत है। यदि यह प्रौद्योगिकी सिद्ध है तथा कच्चे-माल के स्रोत पर्याप्त मात्रा में हैं जो कि इस परियोजना को व्यवहार्य बना सकते हैं तो, हम अवश्य इस पर विचार करेंगे और इससे हमें खुशी होगी।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : महोदय, सलेम में केवल पानी की कमी ही नहीं है वहां पर सूखा है, तथा ऊर्जा की कमी उस जिले में स्थायी रूप से है विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में।

क्या मंत्री महोदय मुझे ही नहीं वरन सलेम की जनता को यह आश्वासन देंगे कि वह इसे

बेकार के तकनीकी विचारणों पर छोड़ने के बजाय सेलम में एक गांव को ऊर्जा गांव के रूप में अपनाएंगे ?

श्री बसंत साठे : मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सेलम में एक गांव में नहीं वरन् 12 गांवों में प्रकाशवोल्टीय प्रणाली है तथा उन्हें बहुत शीघ्र ही ऊर्जा की दृष्टि से स्वावलंबी गांव बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रतापभानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों के विकास में प्रयोगशाला से ऊर्जा ग्राम तक पहुंचने में उल्लेखनीय कार्य हुआ है और मुझे भी दुर्ग जिले के अंजोरा ग्राम में कृषि विज्ञान मेले में ऊर्जा ग्राम देखने का मौका मिला। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश के विभिन्न भागों में कितने ऊर्जाग्राम विकसित करने का लक्ष्य है और क्या उसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर लिया गया है ?

श्री बसंत साठे : यही झगड़ा है। आवश्यक धनराशि का प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यही एक झगड़ा है, बाकी सब कुछ ठीक है।

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष जी, अगर मुझसे ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो मेरा इरादा तो देश में······।

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो आपसे ही पूछा गया है।

श्री बसंत साठे : देश के हरएक ब्लाक में, 5000 ब्लाक देश में हैं तो हर एक ब्लाक में कम-से-कम एक ऊर्जा ग्राम होना चाहिए, लेकिन एक ऊर्जा ग्राम बनाने के लिए कम-से-कम अंदाजन 10 लाख रुपये लगते हैं, यह राशि अगर प्राप्त हो सके तो साधन हमारे पास हैं, हमारे पास तकनीक है, बाकी सब कुछ है, यदि पैसा उपलब्ध हो जाए तो यह संभव है।

अध्यक्ष महोदय : जैसे सास बहू से कहती है कि सब कुछ तेरा ही है, सिर्फ चाबी पर मेरा हक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां अब गृह-पावर आनी चाहिए, गीताजी पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इस प्रश्न से मेरा संबंध तो श्री कुमारमंगलम के कारण है। मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या ऊर्जा मंत्री केवल श्री कुमारमंगलम पर ही कृपा करेंगे या

हमारे चुनाव क्षेत्र के लिए भी हमें भी कुछ मिलेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुखर्जी और चटर्जी······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वसन्त जी, अगर गीता जी का ध्यान करते हो तो गीता लिखने वाले का बड़ा भाई मुझे भी कहते हैं । (व्यवधान)

···(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं, यहां तो नहीं कह सकता हूं कि गीता पर हाथ रखकर कहता हूं ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप गीता की कसम खाते हैं । (व्यवधान)

हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : बस अब अंत हो गया ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आप अनुमति दे सकते हैं······

[हिन्दी]

प्रो० के० के० तिवारी : ऐसा न करें नहीं तो महाभारत हो जायेगा ।

श्री वसंत साठे : मुझे सबके लिए उतनी ही बराबरी का आदर है चाहे चटर्जी हों, मुखर्जी हों, या बनर्जी हों ।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर के लिए कोई खास लिहाज नहीं है ।

श्री वसंत साठे : आप जितने "जी" में आ जाएं तो जाखड़ जी में भी आ जाएं ।

···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : देश के गांवों का ऊर्जा के मामले में हल सही इन्हीं माध्यम से हो सकता है, जहां हम बिजली कन्वेन्शनल पहुंचा नहीं सकते । वहां ये जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके द्वारा बायोगैस, बायोमास और सोलर खासकर इस देश में इतनी सौर ऊर्जा है, वह हम उपयोग में लाकर गांवों को बिजली के मामले में स्वयं पूर्ण कर सकते हैं और वही हमारा इरादा है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह तापीय युग्मों पर सौर ऊर्जा से ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने की संभावना पर अन्वेषण कर रहे हैं। तथा यह एक अपारंपरिक स्रोत है जिसके लिए इंधन की जरूरत नहीं है। ऊर्जा उत्पादन की लागत भी काफी कम हो जाएगी तथा विशेषकर वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग काफी लाभ कर होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर अन्वेषण करके इसका आगे उपयोग किया जाएगा।

श्री वसंत साठे : जहां भी संभव होगा 'अवश्य'।

प्रो० मधु दण्डवते : यह घिसा-पिटा उत्तर है। वह कह रहे हैं जहां भी जब भी, संभव होगा और जहां जरूरी है.........

श्री वसंत साठे : जहां भी तापीय ऊर्जा उपलब्ध होगी हम उसका प्रयोग करेंगे।

पश्चिम बंगाल में तेल के भंडारों का सर्वेक्षण

*495. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी†**
श्री अजय विश्वास } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल में इस समय किन-किन स्थानों पर छिद्रण और सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उत्तरी बंगाल में और मिदनापुर में कंटाई में गैस और तेल के भारी भण्डार मिले हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का ऐसी संभावनाओं का पता लगाने के लिए हावड़ा गंगा नदी क्षेत्र सांकरेल में और पश्चिमी दिनाजपुर जिले में सर्वेक्षण कार्य कराने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय पश्चिमी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में 3 कुएं खोदे जा रहे हैं तथा 7 भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पार्टियां काम कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हावड़ा जिले के सांकरेल क्षेत्र के आस-पास पहले ही सर्वेक्षण किए गये हैं। इस समय भू-गर्भीय अन्वेषणों के अनुसार दिनाजपुर जिले में सर्वेक्षण की कार्यावधि को बढ़ाना उचित नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : महोदय, जहां हम सब भारत सरकार तेल एवं प्राकृतिक

गैस आयोग और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वहां नियमित तेल अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं वहीं यह भी सच है कि पहले तथा आज भी भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और विशेषज्ञों में भी परस्पर उचित समन्वय न होने के कारण बहुत-सी संभावनाओं को नजरंदाज किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर क्या मैं माननीय मंत्री जी यह ज ान सकता हूं कि क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों, को अन्वेषण परीक्षण तथा अन्य कार्यों और राज्य में नगर स्थलों के बिलकुल सही आंकड़े देने के कार्य में शुरू से इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे, ने पूरे कार्यक्रम में अचानक कार्य करना बन्द कर दिया है, जैसाकि समाचार पत्रों में खबर है और यदि ऐसा है तो उनके स्थान पर कौन आया है और उनकी शर्तें क्या हैं ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, पश्चिम बंगाल में कार्यरत विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय की कोई कमी नहीं है और हम उस क्षेत्र में अपने अन्वेषण के प्रयासों में वृद्धि कर रहे हैं। रूसी विशेषज्ञों के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें उच्च दबाव तथा कीचड़ के काफी नुकसान के कारण बड़ा कूप संख्या-2 के मामले में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके ठेके की अवधि पिछले दिसम्बर में समाप्त हो गई थी किन्तु उनके साथ अन्य व्यवस्था भी की गई थी और वे अब भी वहां कार्य कर रहे हैं, यद्यपि अन्य परामर्शदाताओं से भी कुछ सहायता ली गई थी। यह सच नहीं है कि वे अचानक अपना कार्य छोड़ कर चले गए। सोवियत रूस से कई तकनीशियन अब भी वहां हैं और उसी कूप पर कार्य कर रहे हैं यद्यपि यह एक कठिन ड्रिलिंग है क्योंकि वहां कुछ भू-भार्गीय स्थितियां हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अन्य राज्यों की तुलना में, पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा तेल भण्डारों के अन्वेषण की गति बहुत धीमी है। मैं एक उदाहरण दूंगा। 1982 से 1985 तक 43 करोड़ रुपये के व्यय पर केवल सात कूपों की ड्रिलिंग हुई थी और जबकि इसकी तुलना में त्रिपुरा तथा अन्य भागों में संख्या काफी अधिक है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करेंगे ? जहां तटीय ड्रिलिंग कार्यक्रम के लिए 7वीं योजना में 66 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं वही अपतटीय ड्रिलिंग के लिए 124 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल के दक्षिणी भाग में अपतटीय ड्रिलिंग सइ वर्ष के आरंभ में शुरू हो जाएगी, या इस संबंध में वर्तमान योजना में 124 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान के अंदर ही, विशेषतया बंगाल की खाड़ी में, कार्य आरम्भ करने के लिए कोई संकेत है। यदि हां, तो बंगाल के दक्षिणी भाग के वे कौन-से देश हैं, जहां अन्वेषण किया जाएगा ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सर्वप्रथम, वित्तीय लागत माननीय सदस्य द्वारा बताई गई वित्तीय लागत से कहीं अधिक है। वहां पर कार्य का आरम्भ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1982 में किया था। आधुनिकतम तकनीकों को अपनाया जा रहा है और वे वहां अपने कार्य को कर रहे हैं। मैंने स्वयं उनको निदेश दिए हैं कि पश्चिम बंगाल में तटीय तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों का

सातवीं योजना अवधि में अन्वेषण किया जाए और ड्रिलिंग कार्य 1986 में ही आरम्भ होने वाला है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि वित्तीय लागत जिसकी चर्चा हमने हमारी योजना में की है, के अतिरिक्त हमारे कार्य का वास्तविक कार्यक्रम बहुत बड़ा है। और हम आशा करते हैं कि वित्तीय बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा और पश्चिम बंगाल में हम वित्तीय आंकड़ों में बताये गए कार्यक्रम से भी बड़ा अन्वेषण कार्य आरम्भ करेंगे, जो सभा में माननीय सदस्य के बताये गए कार्यक्रम से कहीं आगे है।

श्री अजय विश्वास : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में पश्चिम बंगाल में 15-18 वर्ष पहले अपनी गतिविधियां आरम्भ की थी, किन्तु यह बहुत विस्मयकारी बात है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग किसी भी कूप के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। पहले, उन्होंने डायमंड हार्बर में ड्रिलिंग आरम्भ की, किन्तु उसे छोड़ दिया गया। हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में लगाये गए रिंग को एक अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। चार रिंग थे किन्तु अब केवल तीन हैं। मंत्री जी से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि पिछले 15 वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग किसी भी कूप के लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सका। इसके अतिरिक्त, इस समय तेल ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है ड्रिलिंग के लिए क्या लक्ष्य है? ड्रिलिंग पूरी करने के लिए निर्धारित तिथियां क्या हैं?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय, इस क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1962 में अन्वेषण आरम्भ किया था। जैसा कि, मैंने बताया था, आधुनिकतम विबरेसिस (Vibrasis) तकनीकें अपनाई जा रही हैं और उनके पास इस वर्ष अन्वेषण कार्य संबंधी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। निर्धारित गहराई नहीं पाई जा सकी होगी किन्तु मैं अभी प्रत्येक ड्रिलिंग कार्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। किन्तु यह संभव है कि उन्हें ड्रिलिंग के समय कुछ कठिनाईयां आयी होंगी जिनके कारण वे निर्धारित गहराई को प्राप्त नहीं कर सके होंगे, जैसाकि मैंने बड़ा कूप के सम्बन्ध में बताया था। किन्तु उनका पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग का एक बहुत बड़ा कार्य है।

मैं नहीं जानता हूं कि कोई रिग पश्चिम बंगाल से अन्य क्षत्र में अन्तरित किया गया है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में हम अपने अन्वेषण कार्य को बढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ी राशि दी गई है और सातवीं योजना में बहुत बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

श्री अजय विश्वास : वे लक्ष्य क्या हैं?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1986-87 के लिए भूतल पर ड्रिलिंग के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:—गुरुत्व चुम्बकीय दल—1, भूकम्पीय दल—9, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग मीटर—8300, और अपतट के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग मीटर—3,500 सातवीं योजना के दौरान, सुझाव स्वरूप यह प्रस्ताव रखा गया है कि पश्चिम बंगाल में 13025 एस०एल०के०सी० भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जाए तथा कुल मिलाकर 55,980 मीटर के 9 कूपों की ड्रिलिंग की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रखें।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या ड्रिलिंग कार्य के लिए कार्मिकों की नियुक्ति का कार्य ठेकेदार करते हैं और क्या ठेकेदार केवल एक राजनीतिक दल से कार्मिकों की नियुक्ति करते हैं। और किसी को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हम राजनीतिक दलों में से कार्मिकों की भर्ती नहीं करते। उनका चयन स्थानीय रोजगार कार्यालयों से किया जाता है। किन्तु हम देखेंगे कि चयन राजनीतिक रूप न ले ले। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : जहां तक डायमंड हार्बर में तेल अन्वेषण का संबंध है, माननीय मंत्री जी सही स्थिति नहीं जानते। डायमंड हार्बर बोर की खुदाई 1979-80 में हुई थी। इसके बाद चार वर्षों तक, वहां कोई काम नहीं था। बाद में जाकर कार्य आरंभ हुआ, यह लगभग तीन चार महीने तक चला। इसके बाद वहां गड़बड़ी हो गई जिसे दूर करने में पहले ही नौ महीने लग चुके हैं और अब भी यह ठीक नहीं हुआ है। यदि कार्य इस तरह से होगा, तो अन्वेषण कार्य पूरा करने में सदियां लग जायेंगी, न कि दशक।

दूसरी बात यह है कि सोवियत रूस तथा अमरीकियों को पश्चिम बंगाल में अन्वेषण के लिए अलग-अलग ठेके दिए गए थे। यह बताया गया है कि दोनों ने काफी अच्छी रिपोर्ट दी है। मैं पहले जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि डायमंड हार्बर में चल रही ड्रिलिंग, उचित प्रबन्ध तथा पर्यवेक्षण कर्मचारी देकर, जो अब बहुत कम हैं, का कार्य फिर से बिना किसी बाधा के आये समाप्त हो जायेगा। और दूसरा यह कि क्या अमरीकियों तथा रूसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट यह बताती है कि समुद्र के काफी अन्दर तक फैली हुई एक 200/10 Km की बेल्ट है, जिसमें इतने अधिक तेल संसाधन है कि इतने आप विश्व में कहीं नहीं पा सकते।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप इसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं ?

श्री अमल दत्त : यह पश्चिम बंगाल में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर यदि मंत्री जी उत्तर जानते हैं तो बतायें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं माननीय सदस्यों को आशवासन देता हूं कि हम पश्चिम बंगाल में अन्वेषण कार्य करा रहे हैं, और मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि इस समय डायमंड हार्बर के एक रिंग में कार्य चल रहा है। हम इसे बन्द नहीं कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : मैंने यह नहीं कहा कि आपने इसे छोड़ दिया है। किन्तु काम तीव्र गति से नहीं चल रहा है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : ऐसा इसलिए है कि उन्हें पश्चिमी बंगाल में ड्रिलिंग के मामले में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु कठिनाइयों का पता लगा कर उन्हें दूर

किया जाएगा। हम परामर्शदाताओं की सहायता लेंगे, और वहां कार्य की गति बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

जहां तक रूसी तथा अमरीकी दलों का संबंध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि काफी पहले अर्थात् छठे दशक के अन्त में रूसी विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम बंगाल मे तेल के वाभी अच्छे भंडार हैं··· (व्यवधान) जी हां, मैंने कहा ऐसा था, और यह अपतटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ था। किंतु अब तक हमारे प्रयासों का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। हम वहां पर अपना कार्य जारी रखेंगे और हम इस आशा से कार्य करते जा रहे हैं कि हमें सफलता मिलेगी।

जहां तक रूसी तथा अमरीकियों का संबंध है, रूसियों को ठेका दे दिया गया है। अमरीकी परामर्शदाता हैं। वहां उनके कार्यों में कोई द्वेष या उलझन नहीं है। वे वहां पर कार्य कर रहे हैं और जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्यमियों द्वारा मांगी गई सुविधाएं

*496. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु और कुटीर उद्योग चलाने वाले उद्यमियों के संगठनों ने बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में सरकार से कुछ सुविधाएं देने के लिये हाल ही में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सुविधाएं देने के बारे में सरकार को उद्यमियों के संगठनों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए इन अनुरोधों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : स्लैब की सीमा 20 लाख रुपए से कम कर के 7.50 लाख रुपए कर देने के कारण देश भर के लघु और कुटीर उद्योग वाले उद्यमियों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है ······ (व्यवधान)। वे महसूस करते हैं कि उनके भविष्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के कई उद्यमियों ने सरकार से यह शिकायत की है कि उन्हें अपने कारखाने बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। (व्यवधान)। अखिल भारतीय ताला विनिर्माता संघ तथा अखिल भारतीय लघु उद्योग विनिर्माता संघ (व्यवधान) ने यही शिकायत की है।

क्या यह भी सही है कि लघु उद्योगों के 60 से 70 प्रतिशत उद्यमियों ने यह मांग की है कि 3.5 लाख रुपए की पूंजी से शुरू होने वाले उद्योगों की उत्पादन-शुल्क से छूट दा जानी चाहिए।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : गत दो या तीन सप्ताहों के दौरान लघु उद्योगों के अनेक प्रतिनिधियों के साथ हमारी बैठक हुई उन्होंने यह तर्क दिया कि अभी हाल ही में हुई बजट सम्बन्धी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक रियायत दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लिखित प्रश्न का उत्तर भी लिखित होता है।

श्री एम० अरुणाचलम : हमने इसके बारे में उच्चतम स्तर पर वित्त मंत्री के साथ भी चर्चा की है। वित्त मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि वह उनके हितों पर ध्यान देंगे। वित्त मंत्री महोदय ने विभिन्न लघु उद्योग संघों के प्रतिनिधियों से आम चर्चा के दौरान उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया जायेगा। कल वित्त मंत्री महोदय सभा में इसके बारे में वक्तव्य पहले ही दे चुके हैं और उनका विचार है कि इस माह के प्रथम सप्ताह में वे एक और वक्तव्य में जारी करेंगे, मैं सभा को और माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के विकास और उनकी भूमिका गम्भीरता पूर्वक महत्व देती है। हम उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीदे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मैं तो इस बात से आश्वस्त हूं कि एक लिखित प्रश्न का एक लिखित उत्तर दिया जाना ही उचित होता है। यह बिल्कुल संगत स्वीकृति है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके द्वारा की गई टिप्पणी बिल्कुल संगत होनी चाहिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : बहुत ही संक्षिप्त और टालने वाले उत्तर के कारण सरकार द्वारा मेरे प्रश्न का पहले ही अपमान किया जा चुका है। आप लिखित उत्तर देख सकते हैं—मैं लिखित अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए मजबूर हो गया हूं। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मैंने 20 लाख रुपए की सीमा को कम करके 7.50 लाख किये जाने के बारे में मैंने जो विशेष रूप से बल दिया था उनके द्वारा उसका उत्तर नहीं दिया गया है। क्या सरकार बीजक मूल्य निर्धारण प्रणाली फिर से शुरू करके तथा विवादों को खत्म करने हेतु सभी उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं तक पर उसे लागू करने के बारे में विचार कर रही है? और दूसरा प्रश्न यह है कि······ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दूसरे प्रश्न को दो बार नहीं पूछा जा सकता। वह एक बार ही पूछा जा सकता है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सहायक उत्पादों के उत्पादक जो अपने उत्पाद बड़े उद्योगपतियों को बेचते हैं, जिनका बाजार में अच्छा नाम है वे काफी ज्यादा दाम पर

उसी उत्पाद को बेचते हैं, इस प्रकार वे उत्पाद-शुल्क से बच जाते हैं। इन बड़ी मछलियों को जाल में फंसाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम : चूंकि यह मामला वित्त मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए हम इस मामले को वित्त मंत्री महोदय के साथ उठा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : गांधीवादी दर्शन के अनुसार छोटे आकार में सौंदर्य है और मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार छोटे आकार में खतरा छिपा है। बंगाल में लघु उद्योग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और लघु उद्योग के उद्यमी राज्य सरकार से सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? मैं चाहती हूं कि आप उनकी रक्षा करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, बिल्कुल।

कुमारी ममता बनर्जी : बेरोजगार युवकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, केन्द्रीय सरकार ने अब भरती पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय मा० क० पा० के दल कार्यालय बने हुए हैं। बेरोजगार युवक सड़क पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और वे पूरी तरह निराश हो चुके हैं। क्या सरकार पूरे देश भर में खास तौर से पश्चिमी बंगाल में युवकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लघु उद्योग एककों की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मा० क० पा० का राष्ट्रीयकरण करना ही बेहतर होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लघु उद्योगों की रोजगार क्षमता से भली-भांति परिचित हैं। 11 वर्षों के दौरान पहले ही लघु उद्योग क्षेत्र में नियुक्त लोगों की संख्या 30 लाख से बढ़कर 90 लाख हो गई है। मेरा विचार है कि लघु उद्योग की यह ठोस उपलब्धि है। हम चाहते हैं कि लघु उद्योग क्षेत्रों को और अधिक मजबूत बनाया जाए तथा हमें आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम 140-150 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 20 लाख लघु उद्योग एककों को चालू कर पाएंगे, हम पश्चिम बंगाल के लिए भी यही नीति जारी रखेंगे और हम इस मामले के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से भी बातचीत करेंगे।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या सरकार को यह मत मालूम हुआ है कि सरकार के हाल के निर्णय के कारण ट्रकों का ढांचा बनाने वाले छोटे कारखानों को नुकसान हुआ है ? ढांचा निर्माता एककों को वित्तीय दृष्टि से तो हानि हो ही रही है, इसके अतिरिक्त ट्रक की लागत भी बढ़ गई है; डीजल और टायर के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं; हर चीज का दाम बढ़ रहा है। ट्रक चलाने वालों को भी बहुत नुकसान हो रहा है क्या सरकार इसे ध्यान में रख कर के छोटे ढांचा

निर्माता यूनिटों के बारे में लिए गए अपने निर्णय पर पुन: विचार करेगी और उनकी स्थिति को पूर्ववत् कर देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे सहकर्मी ने पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि हमने इस मामले को गहन और विस्तृत चर्चा हेतु वित्त मन्त्रालय के साथ उठाया है। स्वयं वित्त मंत्री महोदय, ने कई बार और कई मंचों पर और इस सभा में भी यह उल्लेख किया है कि वे उद्योगों पर कराधान के प्रश्न के बारे में थोड़ी गहराई से विचार करेंगे, यह घोषणा की जा चुकी है कि मार्च मास के लिए सभी लघु उद्योगों को कराधान की उसी दर पर और शुल्क भी उसी दर पर अदा करना होगा जिस दर पर उन्होंने 28 फरवरी तक अदा किया है। नई स्कीम वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है और वित्त मंत्री महोदय उसे उपयुक्त समय पर घोषित करेंगे। यह वित्त मंत्री महोदय का ही विशेषाधिकार है कि वे उसके बारे में घोषणा करें।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि नये बजट में जो छोटी इन्डस्ट्री पर टैक्स लगाया है जैसे जूता उद्योग है जिसमें कि ज्यादातर पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग लगे हुए हैं जो कि एक परिवार के सारे लोग मिल कर पांच-पांच जूते बनाकर अपना रोजगार चलाते हैं, ऐसे छोटे उद्योग पर टैक्स लगाने से बड़ी इन्डस्ट्री के साथ वे कम्पीट नहीं कर पाएंगे और उनको काफी अड़चनें आएंगी, तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी जिससे कि उनको अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिले ?

अध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र जी, मुझे पता चला कि आपने रास्ते में एक प्राणी की जान बचायी। आपका बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है जो उद्घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में की है उसमें साढ़े सात लाख रुपये तक की छूट प्रस्तावित है। तो जिन चर्मकार भाईयों की समस्या के बारे में माननीय सदस्य ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है वह लगभग सभी उस साढ़े सात लाख की परिधि में आ जाते हैं। अगर कोई जूता उत्पादक इस परिधि के ऊपर आते हों और वे मशीनों के माध्यम से बाटा इत्यादि की तरह उत्पादन करते हों तो उनकी बात अवश्य भिन्न है और उसके ऊपर भिन्न रूप से विचार करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। एक ओर तो सरकार हाल ही में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 20 और मदों को संरक्षण करके इसके प्रति अपनी उत्सुकता और चिन्ता व्यक्त कर रही है। लघु उद्योग संघ ने पिछले वर्ष बजट पेश करने से पूर्व सरकार के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि छूट सीमा को 20 लाख रुपये से अधिक बढ़ाई जाए और सरकार ने कहा था कि वह इस पर विचार करेगी, क्या उसी बात को ध्यान रखने के परिणाम-स्वरूप उसने इस सीमा को 20 लाख रुपये से कमकर 7.5 लाख रुपये कर दिया है ? क्या मैं ये

मान लूं कि रोजगार में 30 लाख से 90 लाख तक की वृद्धि जैसी ठोस उपलब्धि को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा यदि सीमा 20 को लाख रुपये से कम कर 7.5 लाख रुपये कर दिया जाएगा ? अथवा क्या आप अपने सहकर्मी से यह सिफारिश करने के बारे में सोच रहे हैं कि वृद्धि न भी की जाये, तो कम-से-कम यथापूर्व स्थिति ही कायम कर दी जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे सम्माननीय सहकर्मी इस बात से सहमत होंगे कि यह सारा मामला संबद्ध मन्त्रालयों के गहन विचाराधीन होने के कारण मेरे लिए यह उचित और संभव नहीं होगा कि मैं सभी विवरणों को उजागर कर दूं, क्योंकि यह वित्त मन्त्री का अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व है कि वे इन मामलों मे अन्तिम निर्णय दें। परन्तु जैसाकि मैंने कहा है ये सभी मामले विचाराधीन हैं। वित्त मन्त्री द्वारा घोषित वित्त नीति, मौडवेट और अन्य संबद्ध नीतियों में उल्लेख है कि लघु उद्योगों को विशेष छूट दी जाएगी और मेरे सम्मानीय सहकर्मी द्वारा दिए गए समर्थन से मेरे हाथ और भी मजबूत हो गए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस की जो कान्सेशंस है उसको जेब में डाल कर ले जाइये।

[अनुवाद]

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षद्वीप में उद्योगों की स्थापना

*497. **श्री पी० एम० सईद :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने की नीति को लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है;

(ख) लक्षद्वीप समूह में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए वहां कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या वहां पूर्ण उद्योग स्थापित करने में आने वाली कतिपय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इलेक्ट्रानिक्स जैसे विभिन्न सरकारी उपक्रम और रक्षा उत्पादन विभाग के भी "असेम्बलिंग" स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विशिष्ट जिलों/क्षेत्रों का औद्योगीकरण मुख्य रूप से सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयत्नों को बढ़ाती है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को "उद्योग रहित जिला" के रूप में निर्धारित किया गया है और इसे श्रेणी "क" में शामिल किया गया। इस संघ राज्य क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी 25 प्रतिशत की उच्चतम दर से केन्द्रीय निवेश राज सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रु० होगी तथा परिवहन राज सहायता और रियायती वित्त आदि के पात्र होंगे। केन्द्रीय निवेश मुख्य रूप से मूल प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं से ही किये जाते हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के स्थापना-स्थलों का निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक विचारणाओं आदि के आधार पर किया जाता है। इन विचारणाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। द्वीपसमूह के आकार और परिस्थितिकीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री जैसे नारियल/जटा पर आधारित उद्योगों, मत्स्य पालन तथा पर्यटन के विकास की अधिक गुंजाइश है। संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

श्री पी० एम० सईद : मन्त्री महोदय ने एक विस्तृत उत्तर दिया है। परन्तु उन्होंने बड़े आराम से और सफलतापूर्वक प्रश्न के भाग (ग) को छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता क्यों। लक्षद्वीप में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए राज्य सहायता की उच्चतम दरों के होने और मन्त्री महोदय द्वारा यह उल्लेख करने के बावजूद कि लक्षद्वीप 'उद्योग विहीन जिला' है न ही तो बाहर से और न ही संघ शासित क्षेत्र से लोग आगे आये हैं। अतः मैने विशेष तौर पर विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों नामतः भारतीय टेलीफोन उद्योग, एच० एम० टी०, इलैक्ट्रोनिक्स और रक्षा उत्पादों के भी असैम्बलिंग यूनिट लगाने पर बल दिया है। इन सभी सुविधाओं के बावजद अनेक कारणों से उद्योगपती इस संघशासित क्षेत्र में उद्योग लगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। पहली बात यह है कि परिवहन और संचार अभी यहां किसी उद्योग की स्थापना के लिए एक अड़चन है। प्रधान मन्त्री महोदय जी ने इस संघ शासित क्षेत्र का दौरा करते समय आश्वासन दिया था कि इस समस्या पर तत्परता से गौर किया जाएगा। यद्यपि 6 महीने बीत चुके हैं, परन्तु नौकरशाही ने, मैं दोषारोपण करता हूं कि विद्यमान परिवहन और संचार प्रणाली को भी संकट में डाल दिया है। संघशासित क्षेत्र के लिए एक हेलीकाप्टर सेवा थी, परन्तु प्रधान मन्त्री के दौरे के बाद, उन्होंने उसे बन्द कर दिया। मुझे कन्नड़ की एक कहावत याद आ रही है।

देवरु को टारु, पुजारी कोडरला

प्रधान मन्त्री महोदय आश्वासन देते हैं कि इस समस्या का युद्ध स्तर पर हल किया जाएगा और नौकरशाही ने इसे बन्द कर दिया··· **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिए।

श्री पी० एम० सईद : इसलिए, लक्षद्वीप में उद्योग शुरू करना जो कि एक 'उद्योग विहीन जिला' है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पूछिये ।

श्री पी० एम० सईद : महोदय मैं पूछ रहा हूं मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी ले जाने की कोशिश कर रहा हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : तब तो मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय भी मेरे साथ चलें ।

एक माननीय सदस्य : हम भी आपके साथ जाना चाहेंगे ।

श्री पी० एम० सईद : हमने उस संघशासित क्षेत्र में 55% साक्षरता प्राप्त कर ली है। इस समय नवीनतम समस्या पढ़े-लिखे युवकों की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जहां हमारे पास कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का एकक नहीं है। मैं विशेष रूप से मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वे इस समय लक्षद्वीप में एच० एम० टी०, आई० टी० आई०, इलैक्ट्रोनिक्स और रक्षा-उत्पादकों के असैम्बलिंग एकक शुरू करने की स्थिति में हैं। मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए ।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय जहां तक लक्षद्वीप का सम्बन्ध है, वहां उद्योग स्थापित करने में बहुत-सी समस्याएं हैं··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : नाम से बहुत धनी लगता है लक्षद्वीप ।

[**अनुवाद**]

श्री एम० अरुणाचलम : रक्षा मन्त्रालय ने अब सूचित किया है कि रक्षा-क्षेत्र में कोई भी असैम्बलिंग यूनिट लगाने के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रथमतः इसका कारण यह बताया जाता है कि रक्षा उत्पादन एककों और आयुध फैक्टरियों की क्षमता देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। एच० एम० टी० एककों को भी स्थापित करने की अब कोई संभावना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उत्तर मिल गया है ?

श्री पी० एम० सईद : नहीं, महोदय। मुझे उत्तर नहीं मिला है। मैंने विशेष तौर पर पूछा था कि··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री महोदय ने क्या कहा था और यह क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर आपने नहीं दिया ।

श्री पी० एम० सईद : प्रधान मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि परिवहन और संचार पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा जो कि उद्योगों को आरम्भ करने में एक बाधा है, परन्तु

नौकरशाही ने हेलीकाप्टर सेवा भी बन्द करा दी जो कि उनके दौर से पहले वहां थी। अब 6 महीने बीत चुके हैं। यहां तक कि उद्योग शुरू करने के लिए तैयार लोग भी अब आगे नहीं आ रहे हैं। इसका क्या जवाब है ?

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मन्त्री महोदय के दौर के बाद प्राक्कलन समिति का दौरा हुआ था।

श्री पी० एम० सईद : जी हां, माननीय दंडवते जी ने भी वहां का एक दौरा किया था। वह जानते हैं···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : अच्छा यही कारण है कि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अतः अब आप कारण जानते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, लक्षद्वीप के विकास के बारे में माननीय सदस्य की व्यग्रता में मैं सहभागी हूं और यह सरकार के ऊपर है कि वह इसके सौन्दर्य और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा इसकी पारिस्थितिकीय और पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास करें। हाल ही में किये गये लक्षद्वीप के दौरे के बाद लक्षद्वीप के हाल ही के दौरे के समय प्रधान मन्त्री महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि इस द्वीप की विकास नीति ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इस क्षेत्र की पारिस्थितकीय और पर्यावरण को ध्यान में रख सके। एक समस्या यह भी है कि लक्षद्वीप को ऐसे क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है, जिन्हें पारिस्थिकी की बहुत ही नाजुक प्रकृति पर्यावरण के संवेदनशील होने के कारण पूर्ण संरक्षण की आवश्यकता है। अतः लक्षद्वीप प्रशासन योजना स्कीमों की गहन समीक्षा कर रहा है। लक्षद्वीप में जूट उद्योग के विकास के लिए कॉपर बोर्ड के चेयरमैन को भेजकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि लक्षद्वीप में जूट-उद्योग के विकास की बड़ी क्षमताएं हैं। इस दल ने रेशा अलग करने का एकक और विकसित चरखों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपायों और ग्रामवासियों विशेषकर महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था तथा उसके पश्चात विकेन्द्रीयकृत कताई की योजना आदि की सिफारिश की है ताकि लाभप्रद रोजगार अवसर प्रदान किये जा सकें। मैं जो करूंगा वह यह है कि मैं अपने मन्त्रालय के अधिकारियों के एक विशेष दल का गठन करूंगा जो यह देखेंगे कि कौन-सी यूनिट इलैक्ट्रोनिक या अन्यथा स्थापित किये जा सकते हैं·······।

अध्यक्ष महोदय : अधिकारियों का अच्छी तरह चयन कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : ताकि हम देख सकें कि इलेक्ट्रोनिक यूनिटों की स्थापना के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि प्रधाम मन्त्री महोदय के दौरे के बाद हमारे दौरे से मामला बिगड़ गया है तो हम भूतलक्षी प्रभाव से अपना दौरा वापिस लेते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह केवल तभी हो सकता है जब आप लक्षद्वीप का दौरा पुन: प्राप्त करें।

अध्यक्ष महोदय : दौरे को तत्स्थानिक रद्द करने के लिए।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। लक्षद्वीप के पढ़े-लिखे युवाओं में तीव्र आक्रोश है। सरकारी नौकरी ही एकमात्र रोजगार का अवसर है। सरकारी नौकरी के बारे में भी सरकार के निदेश हैं कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद स्थानीय लड़कों को मिलें। श्रीमान जी, भर्ती नीति में पुलिस बल में 55% भर्ती बाहर से की जाती है। इससे वे समझते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है : वे सोचते हैं कि हमारे अन्दर क्या कमी है जो हमें केवल 45% दिया जा रहा है आदि-आदि। रोजगार का यह न्यून अवसर भी वास्तव में उनकी सहायता नहीं करता। यदि यही नीति रहती है तो चाहे सुरक्षा नीति के कारण हो या किसी अन्य से फिर भी वे अनुभव करते हैं कि उन्हें 100% अवसर अवश्य ही दिये जाने चाहिएं। यदि सरकार चाहे तो भर्ती के बाद कुछ लोगों को किसी दूसरे संघ शासित राज्य से स्थानान्तरित कर सकती है। मैं केवल सरकार से यह जानना चाहता हूं। यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं तो उन्हें पूरे तौर पर अवश्य दिये जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : वह अब सब ठीक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : लक्षद्वीप के चुनावों को प्राप्त माननीय सदस्य के महत्वपूर्ण और प्रभावी नेतृत्व को देखते हुए मुझे विश्वास है कि वे कल्याण कारी और कष्ट निवारक सिद्ध होंगे जहां तक गृह मन्त्रालय पर पुलिस भर्ती के बारे में की गई उनकी टिप्पणियों का प्रश्न है। मैं उनकी भावनाओं को अपने सहकर्मी गृह मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री डागा।

प्रो० के० के० तिवारी : गृह मन्त्री को इस दिशा में कुछ करने के लिए आपको निदेश देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने उद्योग मन्त्री को पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उद्योग मन्त्री से पहले ही कह दिया है। मैंने उद्योग मन्त्री से पहले ही अनुरोध कर दिया है कि वे इस मामले को ध्यानपूर्वक देखें। मैं इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि वे पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रति सजग रहें, क्योंकि आप तो बोलते ही जाते हैं और इससे प्रश्नों के लिए समय का अभाव हो जाता है। यह बहुत गलत बात है। मैं इसे रोक नहीं सकता, यदि आप सारा समय यही करते रहे, तो यह बहुत बुरा लगता है। (व्यवधान) मैं केवल आपसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं सभा के अन्य सदस्यों से भी कह रहा हूं।

आपको तीक्ष्ण और सीधे प्रश्न पूछने चाहिएं। मैंने कई बार कहा है। आप एक ही प्रश्न पर लटके रहते हैं आप इसके चारों ओर एक रस्सी लपेट देते हैं और उसी पर लटकते रहते हैं, ये कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

कानून की पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन

*498. श्री मूलचन्द डागा : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकों और वकीलों तथा न्यायपालिका द्वारा पुस्तक-संग्रह के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु कानून की मानक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित की गई कानून की ऐसी पुस्तकों के नाम क्या हैं और उन्हें किस वर्ष में प्रकाशित किया गया तथा उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, उसकी बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और उनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है; और

(ग) क्या हिन्दी में विधि-पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों को हिन्दी में परीक्षा देने की अनुमति प्राप्त है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने विधि पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में परीक्षाएं देने के लिए अनुज्ञात किया है—

बिहार	(1) मगध	(2) एल० एन० मिथिला	(3) पटना
मध्य प्रदेश	(1) ए० पी० सिंह	(2) जबलपुर	(3) जिवाजी
	(4) रवि शंकर	(5) विक्रम	(6) इन्दौर
राजस्थान	(1) राजस्थान	(2) उदयपुर	
उत्तर प्रदेश	(1) आगरा	(2) इलाहाबाद	(3) अवध
	(4) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय		(5) बुंदेलखण्ड
	(6) गढ़वाल	(7) गोरखपुर	(8) कानपुर
	(9) कुमाऊं	(10) लखनऊ	(11) मेरठ
	(12) रुहेलखण्ड।		
गुजरात	(1) गुजरात	(2) सरदार पटेल	
	(3) सौराष्ट्र	(4) साउथ गुजरात	

विवरण

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	प्रकाशन का वर्ष	प्रकाशन की लागत	प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या	पुस्तकों की कीमत	बेची गई प्रतियां	निःशुल्क प्रदाय	शेष प्रतियां	बेची गई प्रतियों की कुल रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	प्राइवेट (निजी) अन्तर-राष्ट्रीय विधि (प्राइवेट इण्टरनेशनल लॉ) लेखक-डा० पारस दीवान	1975	58,508.53	1500	12.50	775	293	432	9,687.50
2.	साक्ष्य की विधि (लॉ आफ एविडेन्स) (प्रथम संस्करण) लेखक-श्री आर०जी० त्रिवेदी	1975	58,270.85	1995	14.50	1725	270	—	25,012.50
3.	सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882) लेखक श्री-विश्वमित्र शुक्ल	1976	39,840.88	1970	12.00	1718	252	—	20,616.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत (प्रिंसिपल्स आफ लॉ आफ टार्ट्स) (प्रथम संस्करण) लेखक-श्री शर्मन लाल अग्रवाल	1976	1,17,498.00	1985	12.50	1706	279	—	21,325.00
5.	उत्तर प्रदेश भू-धृति विधि (उत्तर प्रदेश लैण्ड टेन्योर लॉज) लेखक-श्री उमेश कुमार	1976	22,196.83	1004	10.00	840	149	15	8,400.00
6.	आय-कर विधि (इन्कम-टैक्स लॉ) लेखक-श्री नाथू लाल जैन	1978	23,534.56	1010	14.00	947	63	—	13,258.00
7.	मध्य प्रदेश भू-विधि (मध्य प्रदेश लैण्ट लॉज) लेखक-श्री शिवदयाल परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायायल	1979	49,374.73	900	21.00	673	132	95	14,133.00
8.	निर्णय लेखन (जजमेन्ट राइटिंग) लेखक-श्री भगवती प्रसाद बेरी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय	1979	49,120.80	2990	11.00	2278	122	590	25,058.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	दण्ड विधि के साधारण सिद्धांत (जनरल प्रिंसिपल्स आफ क्रिमीनल लॉ) लेखक-डा० आर०सी० निगम	1980	70,556.00	1992	19.00	1880	104	—	35,872 00
10.	अन्तरराष्ट्रीय संगठन (इंटर-नेशनल आर्गेनाइजेशन्स) लेखक-डा० प्रयाग सिंह	1980	24,380.00	2000	23.80	612	138	1250	14,565.60
11.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष-विज्ञान (मेडिकल ज्यूरिस्प्रडेन्स एण्ड टाक्सीकालोजी) लेखक-डा० सी०के० पारीख, अनुवादक-डा० एन०के० पटोरिया	1980	1,72,507.90	4000	70.00	3862	66	72	2,70,340.00
12.	प्रशासनिक विधि (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) लेखक-डा० के०सी० जोशी	1980	61,572.00	2000	16.50	1331	111	558	21,961.50
13.	श्रम विधि (लेबर लॉ) लेखक-श्री जी०के० अरोड़ा	1981	16,826.91	2000	24.00	1905	83	12	45,720.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व (सेलिएंट फीचर्स आफ कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया) लेखक-डा० पी०के० त्रिपाठी	1981	34,141.50	3000	36.50	1758	132	1110	64,167.00
15.	मुस्लिम विधि (मोहम्मडन लॉ) लेखक-प्रो० हफीजुल रहमान	1981	67,655.00	2000	16.50	1928	72	—	31,812.00
16.	साक्ष्य की विधि (लॉ आफ एविडेन्स) (द्वितीग संस्करण) लेखक-श्री आर०जी० त्रिवेदी	1981	61,297.03	3000	33.60	2757	15	228	92,635.20
17.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (प्रिंसीपल्स क्रिमिनल कोड) लेखक-श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1981	55,983.84	1990	46.50	1867	23	100	86,815.50
18.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत (प्रिंसिपल्स आफ दि लॉ आफ टार्ट्स) (द्वितीय संस्करण) लेखक-श्री शर्मभ लाल अग्रवाल	1982	विधेयक की मुद्रणालय से प्रतीक्षा है	1480	14.50	1969	22	489	14,050.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	कम्पनी विधि (कम्पनी लॉ) लेखक-श्री सुरेन्द्र नाथ	1983	विधेयक की मुद्रणालय से प्रतीक्षा है	1993	30.00	651	23	1319	19,530.00
20.	संविदा विधि (लॉ आफ कांट्रेक्ट) लेखक-आर०जी० चतुर्वेदी	1983	1,00,041.00	2999	24.35	694	89	2216	16,898.90
21.	अन्तरराष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (केस-लॉ बुक आन इण्टरनेशनल लॉ) लेखक-श्री एस०सी० खरे	1983	विधेयक की मुद्रणालय से प्रतीक्षा है	900	16.70	279	84	537	4,659.30
22.	सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1852) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882) (द्वितीय पुनरीक्षित संस्करण) लेखक-श्री विश्व मित्र शुक्ल	10.3.1986	विधेयक की मुद्रणालय से प्रतीक्षा है	2995	21.00	(इस संस्करण की प्रतियां को ही प्राप्त हुई हैं)			10.3.1986

टिप्पण : 1. उपरोक्त सूची में, 18 मूल पुस्तकें, एक अनूदित पुस्तक और तीन पुस्तकों के द्वितीय संस्करण सम्मिलित हैं।

टिप्पण : 2. निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों में हमारी जो पुस्तकें सम्मिलित की हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई हैं :—

1. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश। 14 पुस्तकें
2. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश। 6 पुस्तकें

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप ही इस बात की रक्षा करेंगे। आज आप यह बात कह रहे हैं। 1969 में यह योजना चालू हुई और अब 16 साल के बाद मंत्री महोदय यह जवाब दे रहे हैं। श्री अशोक सेन तो हिन्दी कम पढ़ते होंगे और उनको समय कम मिलता होगा लेकिन सवाल यह है कि आप की सलाहकार समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होने कहा है कि विधि शाखा का जो देखने वाला व्यक्ति है, वह न हिन्दी जानता है और न कानून जानता है। यह उसकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ जानता भी है, यह भी पूछिए।

श्री मूल चन्द डागा : आप इनसे इसको पूछिए। मैं पूछता हूं, तो उत्तर नहीं देते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि प्रकाशन करने वाले जो लोग हैं, वे प्रकाशन करने वाले लोग विधि विशेषज्ञ नहीं हैं। न एल०एल०बी० हैं और न हिन्दी के अच्छे ज्ञाता हैं। उनको आपने प्रकाशन का काम दिया हुआ है।··· (**व्यवधान**) ···आप जल्दी खड़े हो गए।

· **अशोक सेन** : अभी 12 बज रहा है।

अध्यक्ष महोदय : किस का।

अशोक सेन : अभी 12 बज रहा है। इसलिए मैं जल्दी खड़ा हो गया ताकि यह न समझा जाए कि हम जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्यौरा है, यह माननीय मेम्बर साहब ने पढ़ा होगा। यह देखिए अब तक 22 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई लेता नहीं है।··· (**व्यवधान**) ···

श्री अशोक सेन : अध्यक्ष महोदय, इसकी गुणावली के ऊपर भी चर्चा हुई है और सलाहकार समिति ने इसकी बहुत तारीफ की है और मैं भी जानता हूं।... (**व्यवधान**) ···

श्री मूल चन्द डागा : सलाहकार समिति ने तारीफ नहीं की है। शायद उन्होंने और तरह से बताया है। यह आप गलत बयान दे रहे हैं। सदन में।

श्री अशोक सेन : वह मैं आपके पास भेज दूंगा। यह तारीफ कई जगहों से हमारे पास आई है और इसका ब्यौरा आपके पास हम भेज देंगे। मैंने भी खुद पढ़ा है। सबसे पहला जो प्रकाशन था, वह पीनेल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बंगलौर स्थित मैसूर साप फैक्टरी को आयतित कच्चे माल का आवंटन

*499. श्री जी० देवराय नायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार के एक सरकारी उपक्रम बंगलौर स्थित मैसूर सौप फैक्टरी को साबुन बनाने के लिए हाल ही में आयातित कच्चे माल का आवंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आवंटन किया गया था;

(ग) आयातित कच्चे माल का आवंटन करते समय क्या शर्तें लगाई गई हैं;

(घ) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि कर्नाटक सरकार की सोप फैक्ट्री ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों का उल्लंघन करते हुए सारा कच्चा माल बम्बई का गैर-सरकारी फर्मों कोबेच दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री श्री (नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यह समझा जाता है कि इस प्रश्न का संदर्भ मैसर्स कर्नाटक सोप्स और डिटर्जेन्ट्स से है जिसमें भूतपूर्व गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री, बंगलौर का विलय 1980 में कर दिया था।

मैसर्स कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटर्जेन्टस लिमिटेड को वर्ष 1984-85 और 1985-86 में आयातित स्प्लिट पॉम स्ट्राइन फेटी एसिड (एस०पी०एस०एफ०ए०)/पॉम फेट्टी एसिड डिस्लिटट (पी०एफ०ए०डी०)/ क्रुड पॉम स्ट्राइन (सी०पी०एस०) का निम्नलिखित मात्रा में आवंटन किया गया था :—

(मीटरी टन)

वर्ष	आवंटन		उठायी गई मात्रा	
	एस०पी०एफ०ए०/ पी०एफ०ए०डी०	सी०पी०एस०	एस०पी०एस०एफ०ए०/ पी०एफ०ए०डी०	सी०पी०एस०
1984-85	5726	कुछ नहीं	5726	कुछ नहीं
1985-86	5330	3693	3176	1710

(ग) उपभोक्ता औद्योगिक उपक्रम को आयातित कच्ची सामग्री का आवंटन इस शर्त पर किया जाता है कि इसका उपयोग उपक्रम के प्राधिकृत परिसरों में उत्पादन प्रक्रिया में या किए जाने वाले कार्यों के लिए किया जाएगा न कि उपक्रम में व्यवसाय या व्यापार के लिए।

(घ) और (ड.) एक आरोप प्राप्त हुआ था कि कम्पनी ने इसका सप्लाई किये गए आयातित कच्चे माल का कुछ भाग बम्बई की किन्हीं निजी फर्मों को बेच दिया था। इस आरोप की छानबीन की गई और इसे गलत पाया गया क्योंकि कम्पनी द्वारा बेची गई वस्तु एक तैयार शुदा माल तथा जिस पर निर्धारित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान किया गया था।

मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा वेस्पा एक्स० ई० स्कूटरों की बुकिंग से एकत्रित धनराशि का निवेश

*500. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने वेस्पा एक्स० ई० स्कूटरों की बुकिंग द्वारा जनता से प्रारम्भिक जमाराशि के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की है; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मूल जमा राशि के रूप में एकत्रित धनराशि से राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी वित्तीय संस्थाओं/यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और आवास विकास एवं वित्त निगम में कितनी धनराशि जमा की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कम्पनी को प्रारम्भ में हुई लगभग 115 करोड़ रुपए की राशि में से 31 दिसम्बर, 1985 को इसके पास 90.78 करोड़ रुपए की धनराशि शेष थी।

(ख) कम्पनी ने बताया है कि 58.37 करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के पास जमा किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते

*501. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम विनिश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके सम्बन्ध में किए गए विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए विधेयक कब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए०के० सेन) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने और उनके वेतन में बढ़ोतरी करने संबंधी प्रस्तावों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और आशा की जाती है कि जैसे ही प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा वैसे ही संसद में समुचित विधेयक पुर: स्थापित कर दिए जाएंगे।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की भूमिगत लाइनें बिछाना

***502 श्री राजकुमार राय**
श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खंभे लगाकर बिजली के तार ऊपर डालने की प्रणाली का अपनाया जाना उत्तरोत्तर घातक सिद्ध होता जा रहा है और इसके कारण दिल्ली के कुछ भागों में जीवन दूभर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिजली की भूमिगत लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने पर्याप्त गार्डों की व्यवस्था करके तथा वितरण प्रणाली मे अन्य कमजोर प्वांइटों को हटाकर विद्यमान शिरोपरि प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जनता द्वारा किए जाने वाले पूर्वोपायों का भी प्रचार किया गया है।

(ग) भूमिगत केबिलों को बिछाने की ऊँची लागत को ध्यान में रखते हुए विद्यमान शिरोपरि प्रणाली को भूमिगत प्रणाली में बदलना व्यवहार्य नही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तथा अन्य मंजूरशुदा अनेक कालोनियों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान विद्युतीकरण का कार्य भूमिगत केबिलें बिछाकर कर रहा है ।

महाराष्ट्र में गैस की मांग

***503. श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योगों, घरेलू खपत और कपड़ा मिलों हेतु प्रतिदिन प्रयोग के लिए लगभग 50 लाख घन मीटर गैस की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र को इस समय बाम्बे हाई से कितनी औद्योगिक गैस मिल रही है; और

(ग) महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई शहर की घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लगाए गये अनुमान के अनुसार लगभग 2.20 मि० घन मीटरी प्रतिदिन एसोशिएटिड गैस बम्बई हाई से देने का अनुरोध किया है ।

(ख) और (ग) इस समय उरान टर्मिनल को बम्बई हाई से लगभग 8 एम०एम०सी०एम०डी० एसोसिएटिड गैस दी जा रही है, जहां इस मात्रा तक ही प्रोसेस करने की सुविधाएं हैं आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा एल०पी०जी० निकालने के बाद गैस की शेष सम्पूर्ण मात्रा, जो लगभग 6.8 से 6.9 एम०एम०सी०एम०डी० है, महाराष्ट्र के विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है ।

काशीपुर (उत्तर प्रदेश) में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की परियोजना

***504 श्री बलराम सिंह यादव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर (उत्तर प्रदेश) में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : प्राथमिक रूप से खोई पर आधारित 80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता का एक अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन द्वारा भेजी गई थी । इस परियोजना के सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति निम्नलिखित है :—

(1) परियोजना के लिए स्थापना स्थल निर्धारित कर लिया गया है ।

(2) यू०पी० शूगर फैक्ट्रीज फैडेरेशन की तीन चीनी मिलों से खोई प्राप्त करने के संबंध में इस फैडेरेशन से बातचीत की जा रही है।

(3) परियोजना की आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 40,000 मी० टन सफेदे (यूक्लिप्टस) की लकड़ी देने पर सहमत हो गयी है ।

(4.) रेल मंत्रालय के परामर्श से कोयला विभाग ने कोयले के लिए लिकेज की मंजूरी दे दी है ।

(5) यू० पी० राज्य बिजली बोर्ड आवश्यक बिजली की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है ।

(6) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्सर्जन व्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है ।

विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि परियोजना की देख रेख का कार्य नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा किया जाए और सरकार के विचारार्थ कंपनी द्वारा एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट नए सिरे से तैयार की जाए ।

दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि

*505. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1986 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "इंक्रीज इन ड्रग प्राइसेज राउन्ड दि कार्नर" (औषधों के मूल्यों में वृद्धि सन्निकट) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका मंत्रालय उपभोक्ताओं को औषध उद्योगों द्वारा शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहा है; और

(ग) क्या सरकार औषधियों के चिकित्सीय ग्रुपों के बजाए प्रत्येक औषधि पर मूल्य नियंत्रण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नई औषध नीति जिसमें मूल्य निर्धारण नीति भी सम्मिलित है, को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । नई औषध मूल्य निर्धारण नीति का मुख्य उद्देश्य उचित एवं ठीक मूल्यों पर दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों का निर्माण

*507. **श्री चन्द किशोर पाठक**
श्री सैयद मसुदल हुसैन } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों के क्षेत्रवार वितरण और निर्माण से सम्बन्धित नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एल०पी०जी० सिलेन्डरों की वार्षिक मांग 45-50 लाख होने का अनुमान लगाया गया है । तेल कम्पनियां अपनी मांग के अनुरूप स्वदेशी निर्माताओं से सिलेन्डर प्राप्त करती हैं ।

औषध उद्योग पर सरकार का नियन्त्रण

*508. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नियन्त्रणों के कारण औषध उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, जैसा कि भारतीय औषध निर्माता संघ ने दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वदेशी औषध निर्माता (भारतीय तथा विदेशों से संबद्ध-दोनों) देश में औषधों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं के कमजोर वर्ग को हानि पहुंचा कर आवश्यक औषधियों के निर्माण कार्य की उपेक्षा करने और अन्य औषधियां बनाने पर जोर देने के कारण ऐसा हुआ है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यह सच नहीं है कि नियंत्रणों से भेषज उद्योग को भारी नुकसान हुआ है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता ।

(ख) सरकार ने 1978 की औषध नीति का पुनरीक्षण आरम्भ किया है ताकि नीति ढांचे में सुधार किया जाए और औषध नीति के प्राथमिक उद्देश्यों की बेहतर उपलब्धि हो अर्थात् उचित तथा युक्तिसंगत मूल्यों पर प्रचुर मात्रा में दवाइयों की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके ।

(ग) और (घ) देश ने काफी हद तक प्रपुंज औषधों और फार्मूलेशनों में स्वावलम्बन प्राप्त कर लिया है ।

घरेलू उपयोग के लिए पत्थर के कोयले (साफ्ट कोक) की कमी

*509. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में घरेलू उपयोग के लिए पत्थर के कोयले की कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में अभी तक इस कोयले की कमी है;

(ग) क्या परिवहन की समस्या के कारण कोयले को लाने ले जाने पर कोई कुप्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या कोयले को लाने ले जाने के लिए परिवहन अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए पत्थर का कोयला उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ड.) पिछले दो वर्षों और 1985-86 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान साफ्ट कोक का उत्पादन और प्रेषण निम्नलिखित है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1985-86 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है :—

(आंकड़े टनों में)

वर्ष	उत्पादन	प्रेषण
1983-84	14,70,000	15,30,000
1984-85	15,90,000	15,50,000
1985-86 (अप्रैल-फरवरी)	15,90,000	15,30,000

साफ्ट कोक के प्रमुख उपभोक्ता राज्य हैं—पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। पिछले दो वर्षों में उत्पादन में हुई कमी के कारण उपभोक्ता राज्यों में साफ्ट कोक की थोड़ी कमी रही है। परन्तु, जब कभी किसी राज्य से कमी की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो कमी पूरी करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को साफ्ट कोक का आवंटन अब कोयला विभाग द्वारा मासिक आधार पर एक बार में छः महीने की अवधि के लिए किया जाता है। यह आबंटन एक बैठक में चर्चा कर लेने के बाद किया जाता है इस बैठक में अन्य लोगों के साथ-साथ सम्बन्धित राज्य सरकारों और रेलवे के प्रतिनिधि रहते हैं। इस आबंटन का आधार वह निर्धारण होता है जो राज्य सरकारें अपनी जरुरतों के सम्बन्ध में स्वयं करती हैं और कोयला विभाग को सूचित करती हैं।

कोयला कम्पनियां साफ्ट कोक के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास कर रही हैं ताकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके। साफ्ट कोक की ढुलाई के लिए वैगनों के आबंटन में कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में साफ्ट कोक की अधिकांश ढुलाई सड़क से होती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक वृद्धि केन्द्रों का विकास

*510. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को सातवीं पंचवर्षीय

योजनावधि के दौरान देश में नए औद्योगिक वृद्धि केन्द्र विकसित करने के प्रस्ताव भेजने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में कितने राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) नये औद्योगिक वृद्धि केन्द्रों का निर्धारण करने के लिये सरकार ने क्या संशोधित मानदण्ड निर्धारित किये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) इस समय "उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना संबन्धी सुविधाओं के विकास के लिये स्वीकृत किए गए विकास केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

विकास केन्द्रों के चयन के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे :—

(क) विकास केन्द्रों के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 या उसे अधिक की जनसंख्या होनी चाहिये।

(ख) वे विद्यमान केन्द्रों के निकट नहीं होने चाहिये।

(ग) वर्ष 1971 की जनसंख्या के अनुसार, गैर-घरेलू उत्पादन क्षेत्र में 10,000 से कम कामगार होने चाहिए।

किन्तु, पर्याप्त कारणों से तथा केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अन्तर्गत, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुरूपता का सख्ती से पालन न करते हुए विकास केन्द्रों का चयन राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

औद्योगिक विकास केन्द्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 1983 में घोषित की गई योजना 31.3. 1987 तक चलती रहेगी।

विवरण

"उद्योग रहित जिलों" में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृत विकास केन्द्र

राज्य/संघशासित क्षेत्र जिले का नाम	विकास केन्द्र	राज्य/संघशासित क्षेत्र जिला	विकास केंद्र
1	2	1	2
1. राजस्थान			
सिरोही	1. आबू रोड 2. पिंडवाड़ा	जैसलमेर	3. पोकरान 4. सानु रामगढ़

1	2	1	2
		धार	25. पीतमपुर
चुरु	5. चुरु	पन्ना	26. पुरेना
	6. रतनगढ़	राजगढ़	27. पिल्लूखेडी
बाडमेर	7. बालोतरा	6. बिहार	
2. उड़ीसा	8. बाडमेर	भोजपुर	28. अराह्
बालासौर	9. बालासौर	खागरिया	29. खागरिया
फुलबनी	10. मनमुण्डा	पूर्णिया	30. पूर्णिया
बोलनगीर	11. बोलनगीर	7. महाराष्ट्र	
3. उत्तर प्रदेश		गढ़चिरौली	31. कोटगल नवे गांव काम्पलेक्स
बांदा	12. गुरेह्	8. पश्चिम बंगाल	
जौनपुर	13. सतराहिया	जलपाईगुड्डी	32. रानीनगर
जालौन	14. ओरई	कूचबिहार	33. कूचबिहार
फतेहपुर	15. मालवान	दार्जिलिंग	34. बाग डोगरा
कानपुर देहात	16. जैनपुर	मालदा	35. मालदा
हमीरपुर	17. सुमेरपुर	बंकुरा	36. विष्णुपुर
सुल्तानपुर	18. टिकरिया	9. त्रिपुरा	
	19. त्रिसुंदी	पश्चिमी त्रिपुरा	37. सोकेरकोटे
4. कर्नाटक		उत्तरी त्रिपुरा	38. धर्मनगर
बीदर	20. बीदर	दक्षिणी त्रिपुरा	39. टाकमछैरा
	21. हुमनाबाद	10. नागालैंड	
5. मध्य प्रदेश		त्यूनसँग	40. लोंगलेंग
भिण्ड	22. मालनपुर		41. नोकलाक
मण्डला	23. मनहेरी		
झबुआ	24. मेघनगर		

महाराष्ट्र के छोटे गावों में नये डाकघर खोलना

*511. **श्री अनूप चन्द शाह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम राशि आवंटित किये जाने के कारण दूर-संचार विभाग में विशेषकर डाक विभाग में भर्ती पर अनौपचारिक प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में छोटे गांवों में अधिक डाक सुविधाओं की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकारी खर्चे में कड़ाई से मितव्ययिता बरतने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नए पदों के सृजन तथा खाली पदों के भरने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपर्याप्त निधि का आवंटन करने के कारण डाक और दूरसंचार विभागों में भर्ती पर कोई अनौपचारिक पाबंदी नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं काफी सीमा तक संतोषप्रद हैं। समूचे देश में जहां एक डाकघर औसतन 4.3 ग्रामों को अपनी सेवा प्रदान करता है, महाराष्ट्र में प्रति डाकघर 3.38 ग्रामों को सेवा दी जा रही है। वैसे पदों के सृजन पर लगी पाबंदी में ढील दे दी जाए, तो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सुविधाओं में आगे सुधार लाने पर विचार किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं। पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइट डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना

***512. श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लाइट डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) इन बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लाइट डीजल और पेट्रोल की कुल अनुमानित खपत कितनी होगी और वर्ष-वार पृथक-पृथक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) तेल कम्पनियां आवधिक सर्वेक्षण के आधार पर वर्षवार विपणन योजनाएं बनाती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) मात्रा और दूरी से संबंधित आंकड़ों की दृष्टि से किसी क्षेत्र की मांग क्षमता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर नई डीलरशिप खोली जानी हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्ष-वार) एल०डी०ओ० और एम० एस० की अनुमानित मांग/खपत निम्नलिखित प्रकार से हैं :

उत्पाद का नाम	1985-86*	1986-87*	1987-88*	1988-89*	1989-90*
एम०एस०	2287	2538	2767	3043	3348
एल०डी०ओ०	1133	1190	1130	1130	1130

*अनुमानित *अस्थायी

राष्ट्रीय अल्कोहल प्राधिकरण

*513. **श्री सुभाष यादव**
श्री मणिक राय होडल्या गावीत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय अल्कोहल प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में भी इस प्रकार के प्राधिकरणों की स्थापना की जायेगी; और

(घ) यह प्राधिकरण कब तक स्थापित किया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में प्रयोग की गई चरबी

4626. **श्री सोडे रमैया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने निम्नलिखित टन भार में चरबी का प्रयोग किया है,

वर्ष 1977	15,330
वर्ष 1978	11,052
वर्ष 1981	15,420
वर्ष 1982	11,221
वर्ष 1983	15,290

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिनमें उपरोक्त टनभार चरबी का प्रयोग किया गया; और

(ग) प्रतिवर्ष कितनी मीटरी टन उत्पादों का उत्पादन किया गया और उसमें चरबी की कितनी मात्रा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कंपनी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि समग्र चर्बी का उपयोग केवल साबुन बनाने में किया गया है। साबुन के उत्पादन तथा साबुन उत्पादन के लिए चर्बी के उपयोग संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	साबुन का उत्पादन (मी० टन)	प्रयुक्त चर्बी (मी० टन)
1977	1,58,640	15,330
1978	1,63,771	11,052
1981	1,66,246	15,420
1982	1,53,144	11,221
1983	1,70,430	15,290

पत्रकारों को कारों के आवंटन के लिए "सिंगल विण्डो सर्विस"

4627. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों को कारों के आवंटन के लिए "सिंगल विण्डो सर्विस" उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कारों के वितरण तथा बिक्री पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से धन की वसूली

4628. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाएं केन्द्रीय योजना के अधीन स्वीकृत की जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए उपभोक्ताओं से धन वसूल करने का कोई उपबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानाकरी है कि कुछ राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अधीन उपभोक्ताओं को जबरन धन जमा करना पड़ता है ; यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं और इस बारे में उन्हें क्या अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) इस बारे में राज्यों को क्या स्थाई मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) राज्यों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के लिए निधियां राज्यों के अनुमोदित वार्षिक योजना कार्यक्रम के अनुसार केन्द्र द्वारा निगम को उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वीकृत की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित स्कीमों के मामले में परियोजना की कुछ लागत राज्य बिजली बोर्डों को ऋण के रूप में दी जाती हैं जिसमें प्रत्येक राज्य में प्रचलित नियमों के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपभोक्ताओं से सर्विस कनैक्शन प्रभारों के रूप में वसूल की जाने वाली निर्धारित मामूली राशि शामिल नहीं है जिसे स्कीम की अनुमोदित रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है।

(ग) इस संबंध में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को अलग से कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह मामला राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में कोयला खानों के विकास के लिए विदेशी सहायता

4629 **श्री टी० बाल गौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला विभाग द्वारा कोयला उद्योग में विदेशी सरकारों से सहायता प्राप्त करने के लिए कितने सहयोग करार को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त योजनाएं निर्धारित समय के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है ;

(ग) विदेशी सहयोग से अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुआ हैं ; और

(घ) क्या कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा दक्षिणी क्षेत्र में उपभोक्ताओं की कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश में कोयला खानों के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्लरी पाइप लाइनों के द्वारा कोयले की ढुलाई संबंधी योजनाएं

4630. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला क्षेत्रों से स्लरी पाइप लाइनों के द्वारा उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने की योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस प्रणाली के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से घ) न्यू मजरी ओपेनकास्ट खान से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के चन्द्रपुर ताप बिजली घर तक एक "प्रदर्शन कोयला स्लरी पाइप लाइन परियोजना" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम हाथ में लिया गया है। इंजीनियर्स (इंडिया) लि० को यह रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। वास्तविक प्रदर्शन परियोजना का काम इस रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया जाएगा।

कोंकण क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना

4631. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में उस क्षेत्र के परिस्थिति की संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित प्रकार के उद्योगों की स्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के एवं किस सीमा तक औद्योगीकरण किये जाने का विचार है, और

(ग) इस सम्बन्ध में ठोस समय-बद्ध कार्यक्रम क्या तैयार किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले से पेट्रोल निकालना

4632. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से पेट्रोल निकालने के लिए कोई परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) देश में कोयला से तरल ईंधन बनाने के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य हुआ है। कोयले का सीधा हाइड्रोजनीकरण करने के लिए 0.5 टन कोयला प्रतिदिन क्षमता की एक बेंच स्केल यूनिट केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में स्थापित की गई है। छठे दशक में फिशर ट्रापस्क संश्लेषण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने 500 लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक यूनिट चलाया था। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (हैदराबाद) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ने मिडिल डिस्टिलेट्स बनाने के लिए तारकोल के हाइड्रोजनीकरण पर अनुसंधान कार्य किया है।

बराट धर्मबन्ध कोलियरी का बन्द रहना

4633. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र III में वराट धर्मबंध कोलियरी काफी समय से बन्द पड़ी है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें बढ़िया किस्म के कोयले के बड़े भंडार हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में कोयला निकालने या इस खान को पुनः खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकरण के बाद वराट धर्माबंद कोलियरी "धर्माबंद कोलियरी" का एक भाग बन गई है और इसमें उसी के जरिए काम किया जा रहा है। भारत कोकिंग कोल (लि०) के अधीन इस कोलियरी के इस भाग में लगभग 28.1 मिलियन टन के भण्डार होने का अनुमान है। खरखड़ी-धर्माबंद परियोजना के बारे में अधिक उत्पादन के लिए आयोजन कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनायें

4634. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम, स्थान, आरम्भ करने की तारीख, कुल अनुमानित लागत, वार्षिक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं और उनकी कुल अनुमानित लागत एवं वर्तमान स्थिति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिव सागर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना

4635. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिवसागर (असम) में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में निम्न श्रेणियों में भारी संख्या में कर्मचारी अनेक वर्षों से अनियमित आधार पर कार्य करते आ रहे हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में आयोग में इस प्रकार के स्तरों पर अनियमित कर्मचारियों के रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जिनकी सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम हैं, नियमित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी असमानता को दूर करने तथा शिव सागर में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) दैनिक मजदूरी के आधार पर कामगारों को विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ ही समय के लिए लगाया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे कामगारों में से पात्र कामगारों की नियमित नियुक्ति के लिए अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाता है। यह नीति आयोग के सभी क्षेत्रों में लागू होती है, इस सम्बन्ध में शिवसागर तथा अन्य क्षेत्रों में कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है।

कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग

4636. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग वाली अनेक कम्पनियों के औद्योगिक लाइसेंस में यह विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट रहता है कि घरेलू बिक्री के लिए किसी भी विदेशी ब्रांड नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक कम्पनियों में वेस्पा, याम्हा, होंडा, सुजुकी आदि जैसे विदेशी ट्रेड चिह्नों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। विदेशी सहयोग की अनुमति देते समय इस प्रकार की एक शर्त लागू की जाती है। कुछ कम्पनियां "हीरो-होण्डा" और "इण्ड-सुजूकी" आदि जैसे प्रसंकर नामों का उपयोग कर रही है जो कि विदेशी स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न नहीं है।

केरल के कन्नानूर जिले में अंजारा कन्डी टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

4637. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानूर जिले में अंजरा केण्डी टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता का कितना विस्तार करने का विचार है; और

(ग) क्या विस्तार किये गए एक्सचेंज के लिए कोई स्थायी भवन बनाने अथवा किराये पर लेने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) 90 लाइनों के एम० ए० एक्स-III किस्म के मौजूदा एक्सचेंज को 200 लाइनों के एम० ए० एक्स-II किस्म के एक्सचेंज में बदला जा रहा है।

(ग) फिलहाल एम ए एक्स-11 किस्म के एक्सचेंज की संस्थापना किराये की इमारत में की जा रही है। वैसे, अभी हाल ही में इस एक्सचेंज की इमारत के लिए लगभग 43 परसेंट्स भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस एक्सचेंज की इमारत का निर्माण कार्य निधि उपलब्ध हो जाने पर शुरू किया जाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम स्थापित किये जाने पर नई दिल्ली में टेलीफोन कार्यालयों में कर्मचारियों का दर्जा

4638. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में टेलीफोन कर्मचारियों को प्रस्तावित महानगर टेलीफोन निगम के स्थानान्तरित करके उनके दर्जे में परिवर्तन करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया है कि तकनीकी और अनुसचिवीय कर्मचारियों को कुछ समय के लिए जी० एम० एम०/जी० एम० पी० में रखे जाएंगे और वहां से उनका महानगर टेलीफोन निगम के लिए चयन किया जाएगा तथा निगम के लिए चयन न होने पर तकनीकी और अनुसचिवीय दोनों प्रकार के कर्मचारी समीप के किसी अन्य मंडल/जिले में जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं; और

(ग) कुछ दिनों अथवा महीनों की बजाए पूरे वर्ष 1986 में अपनी वरिष्ठता गंवाए बिना कर्मचारियों को किसी मंडल के लिए इच्छा व्यक्त करने का अवसर न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। यह निर्णय लिया गया है कि जब तक निगम रोजगार के लिए अपने नियम व शर्तें तय नहीं कर लेता तब तक दिल्ली टेलीफोन जिले के मौजूदा कर्मचारियों को महानगर टेलीफोन निगम में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा लेकिन कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा। स्टाफ तब तक विभाग से संबद्ध रहेगा जब तक कि वह निगम में खप (अबजॉर्ब) नहीं जाता।

(ख) जी, हां। यह निर्णय भी लिया गया है कि जब तक निगम द्वारा निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दिल्ली टेलिफोन के कर्मचारियों को स्थानांतरित निगम में खपा नहीं लिया जाता तब तक नई दिल्ली के महाप्रबन्धक, अनुरक्षण दिल्ली टेलीफोन के कर्मचारियों के संवर्ग नियन्त्रण अधिकारी होंगे। दिल्ली टेलिफोन में इस समय जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम सर्किल में स्थानांतरित होने का विकल्प भी दिया जाएगा।

(ग) दिल्ली टेलीफोन के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे चाहें तो निगम में शामिल हो सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर-पश्चिम सर्किल के लिए अपना विकल्प देकर विभाग में ही बने रह सकते हैं। उनकी वरिष्ठता नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

[हिन्दी]

टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की संपत्ति का अवैध अधिग्रहण

4639. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में टेनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर की संस्थापना के समय सरकार द्वारा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लोगों ने कितनी अचल संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा किया है; और

(ग) उक्त अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की नार्थ वेस्ट टैनरी और कूपर एलन शाखाओं की लगभग 41.5 लाख रु० के मूल्य की परिसंपत्तियों का, जिसमें भूमि, भवन, संयत्र और मशीनें, कार्यालय उपकरण, मोटर गाड़ियां आदि शामिल हैं, टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० में मिलाने के लिए 1969 में अधिग्रहण किया गया था।

(ख) और (ग) इस समय 79 मकान/क्वार्टर नाजायज कब्जे में हैं। मकान खाली करवाने के लिए सरकारी भवन (निष्कासन) अधिनियम [पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन) एक्ट] के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है और बाहरी व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किये गए मकानों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के परामर्श से कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

[अनुवाद]

तेल के आयात के लिए किये गये करार

4640. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान अपरिष्कृत पेट्रोलियम का आयात करने के लिए सारणीकृत अभिकरण द्वारा किये गये करारों का ब्यौरा क्या है और सप्लाई करने वाले देशों के नाम क्या हैं, कितना आयात किया जायेगा और भारतीय पत्तन पर प्रति यूनिट लागत बीमा भाड़ा मूल्य कितना है;

(ख) क्या इन करारों में मूल्यों में वृद्धि और मूल्यों में कमी करने सम्बन्धी कोई शर्त शामिल है; और

(ग) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मौके पर खरीद कर आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1986-87 में कच्चा तेल खरीदने के लिए अभी तक कोई शर्त संविदा नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए निविदा

4641. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या ऊर्जा मन्त्री नेवेली लिग्नाइट की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए निविदा के बारे में 17 दिसम्बर, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा की मांग को पूरा करने और उसके लिए आयात किये जाने वाले उपकरणों की कुल लागत के लिए के० एफ० डब्लू० से कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी;

(ख) क्या उस निविदा में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने भी भाग लिया था और कुछ गैर सरकारी उपक्रमों का, जिन्हें कुछ ठेके पहले ही दिये गये थे अथवा दूसरी खान विस्तार परियोजना के कुछ घटकों के लिए आशय पत्र जारी किये गये थे, को वरीयता देकर सरकारी उपक्रमों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और निविदा में भाग लेने वाले सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन घटकों/उपकरणों के लिए भाग लिया था; और

(घ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० द्वारा सरकारी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए क्या कार्रवाई करने पर विचार हो रहा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का अनुमान लगभग 380 मिलियन मार्क है। पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त किये जाने वाले उपकरणों/कलपुर्जों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए के० एफ० डब्लू० सिद्धान्त रूप में आर्थिक सहायता देने के लिए तयार हो गया है।

(ख) और (ग) एक सरकारी उपक्रम, माइनिंग ऍंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने 2000 एम० एम० एवं 2400 एम० एम० चौड़ाई वाले कन्वेयरों के लिए निविदा भेजी थी। दोनों

ही मामलों में माइनिंग ऐंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन का प्रस्ताव न केवल एक भारतीय गैर सरकारी कम्पनी के प्रस्ताव से अधिक था (मूल्य वरीयता देने के बाद भी) बल्कि माइनिंग ऐंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन अपने विदेशी सहभागी के साथ संयुक्त अंगीकार प्रलेख भी नहीं दे सका जबकि यह आवश्यक शर्त है। दूसरी ओर भारतीय गैर सरकारी कम्पनी ने प्रलेख दे दिया है। इन आधारों पर भारतीय गैर सरकारी कम्पनी को एक अल्पकालीन आशय-पत्र भेज दिया गया है।

(घ) ने० लि० का० द्वारा सरकार क्षेत्र की यूनिटों को, निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार, क्रय आदेश एवं मूल्य अधिमान दिया जाता है जो इस शर्त के अधीन है कि अन्य तकनीकी और वाणिज्यिक अपेक्षाएं एवं डिलिवरी कार्यक्रम की अपेक्षाएं उनके प्रस्तावों में भली-भांति पूरी हो रही हों।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार तथा विकास

4642. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की टेलीफोन प्रणाली में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्न प्रकार से विस्तार करने की योजना बनाई गई है :

नियोजित विस्तार कार्य

(संख्या लाइनों में)

1. हैदराबाद		26,900
2. विजयवाड़ा		3,000
3. आन्ध्र प्रदेश में अन्य शहर		62,200
	कुल	92,100

बहुराष्ट्रीय औषध एककों द्वारा अनाधिकृत क्षमता विचार

4643. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ वर्षों के दौरान अनाधिकृत क्षमता विस्तार को रोकने के लिए बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों की लागत लगभग तेरह बार जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य यह भी सच है कि क्षमता का अनाधिकृत विस्तार कानून के अन्तर्गत दण्डनीय हैं;

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का रहस्योद्घाटन किए बिना इन मामलों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) तेरह कम्पनियों, जिनमें से तीन फेरा कम्पनियां थी, के संयंत्र और मशीनरी का मौके पर निरीक्षण करने के लिए येक तकनीकी दल नियुक्त किया गया था। तकनीकी दल की रिपोर्टों की सरकार द्वारा जांच की गई है। सरकार की समग्र औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित विभिन्न योजनाओं के अनुसार क्षमताओं को पुन: पृष्ठांकित करने/मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के जिलों में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

4644. **श्री सी० सम्बु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में मरतूर बापटल और चिराला में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) किस तारीख तक उसके काम शुरू करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० को पश्चिमी जर्मनी की एम०ए०एन० द्वारा खराब "बक्केट व्हील एक्सकेवेटर" सप्लाई किया जाना

4645. **डा० वी० वेंकटेश** क्या : ऊर्जा मंत्री नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० को पश्चिम जर्मनी की एम०ए०एन० द्वारा खराब "बक्केट व्हील एक्सकेवेटर" सप्लाई किए जाने के बारे में 3 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० द्वारा उपर्युक्त दो "बक्केट व्हील एक्सकेवेटर" की खरीद पर कुल कितना खर्च किया गया तथा सप्लाई करने वाली फर्म को विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अदा की गई;

(ख) क्या जांच रिपोर्टों पर पूरी तरह विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और विचार के क्या परिणाम निकले; और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) दो "बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स" की खरीद पर रुपये 21.38 करोड़ का कुल खर्च हुआ था। इसमें रुपये 9.16 करोड़ के बराबर की विदेशी मुद्रा शामिल है।

(ख) से (घ) इनमें से एक "बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स" में अक्टूबर, 1984 में हुई दुर्घटना की स्वतंत्र जांच खान-सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अधिकारियों की एक समिति ने अलग-अलग की थी। इन सभी जांच-रिपोर्टों से यह निष्कर्ष निकला है कि दुर्घटना होने का कारण यह मानवीय असफलता थी कि एक्सकेवेटर की एक "थ्रस्ट प्लेट" से वेल्डस हटाने के पहले समुचित सावधानी नहीं बरती गई थी। खान सुरक्षा महानिदेशक ने खान अधिनियम, 1952 के अधीन नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के 5 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग का मामला दर्ज किया है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उपकरण में किसी प्रकार की डिजाइन की त्रुटि थी अथवा नहीं, ऐसा लगता है कि संरचानात्मक डिजाइन में कोई त्रुटि नहीं थी। ऐसे उपकरण की भविष्य में ऐसे उपकरणों की खरीद में डिजाइन ठीक होने की बात दो तरफ से सुनिश्चित करने के लिए समझौतों में एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय यह रखा जाएगा कि डिजाइन की भी जांच की जाएगी और साथ ही एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा।

कोयले का उत्पादन लक्ष्य

4646. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल कितने क्षेत्रों में कोयला पाया गया है;

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 0.5 मीटर और इससे अधिक मोटाई वाली और 1200 मीटर तक की गहराई वाली सीमों के लिए जून, 1985

तक किए गए निर्धारण के अनुसार, भारत में 1,55,901.78 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं। विभिन्न राज्यों में कोयले के भंडार निम्नलिखित है :—

	(मिलियन टन)
(क) पश्चिम बंगाल	28,393.99
(ख) बिहार	57,767.40
(ग) मध्य प्रदेश	25,396.17
(घ) उड़ीसा	31,318.45
(ङ) महाराष्ट्र	3,183.35
(च) आंध्र प्रदेश	9,000.40
(छ) आसाम	280.03
(ज) अरुणाचल प्रदेश	91.00
(झ) मेघालय	458.94
(ञ) नागालैंड	12.05

(ख) और (ग) सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 226 मिलियन टन नियत किया गया है। इस लक्ष्य का कम्पनी-वार विवरण निम्नलिखित है :—

	(मिलियन टनों में)
(1) कोल इण्डिया लि०	196.30
(2) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	24.00
(3) अन्य	5.70
जोड़	226.00

महाराष्ट्र राज्य के शहरों और कस्बों में एस०टी०डी० सुविधा

4647. श्री गुरुदास कामत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने शहरों और कस्बों को एस०टी०डी० कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1986-87 के दौरान विभिन्न कस्बों को एस०टी०डी० कनेक्शन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के 6 नगरों/कस्बों में एस०टी०डी० सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1986-87 के दौरान राज्य के निम्नलिखित कस्बों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की संभावना है :—

1.	चन्द्रपुर	2.	धुलिया
3.	पनवेल	4.	श्रीरामपुर (बेलापुर रोड)

सागर दीघी में ताप बिजली घर

4648. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मंत्री सागर दीघी में ताप बिजली घर के बारे में 3 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण को मुर्शीदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में सागर दीघी में एक ताप बिजली घर स्थापित करने के बारे में संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और इस योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में सागर दीघी में 2078 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए संशोधित स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 27-12-1985 को प्राप्त हुई थी, जिसमें 210-210 मेगावाट की 5 यूनिटें तथा 500-500 मेगावाट की 2 यूनिटें प्रतिष्ठापित किये जाने की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच

की जा रही है तथा प्राधिकरण की स्वीकृति कोयला और शीतलन जल आदि से अनिवार्य निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने तथा पर्यावरण की दृष्टि से और नागरिक उड्डयन संबंधी पहलुओं की दृष्टि से स्वीकृतियां उपलब्ध हो जाने के बाद ही दी जा सकती है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड

4649. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को प्रबन्ध बोर्ड में सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की सेवा की शर्तें क्या हैं और अन्य कार्यकारी और/अथवा गैर-कार्यकारी निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को गत तीन वर्षों के दौरान लाभ अथवा घाटा हुआ है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कम्पनी के उपकरणों आदि के आधुनिकीकरण तथा विकसित देशों से नई प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) विदेशी मूल की कंपनियों अथवा फर्मों के साथ वर्तमान सहयोग प्रबंध क्या हैं; और

(ङ) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने तथा निरन्तर कारोबार आदेश प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कंपनी का घाटा निम्न प्रकार है :—

1982-83	10.07 करोड़ रुपये
1983-84	7.92 करोड़ रुपये
1984-85	11.92 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन (एम०ए०एम०सी०) ने अपने वर्तमान उपकरणों तथा सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु कार्यक्रम तैयार किए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां प्रदान की गई हैं। कम्पनी के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाली यू०के० पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड तथा पोलैंड की विभिन्न फर्मों के साथ सहयोग प्रबन्ध हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उत्पाद-मिश्र के विविधीकरण हेतु विकसित देशों से प्रौद्योगिकियों के और आयात की भी योजना है।

(ङ) क्रयादेशों को पूरा रखने के लिए तथा क्षमता-उपयोग में सुधार करने हेतु कोयला तथा अन्य क्षेत्रों से दीर्घावधि क्रयादेश प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

विवरण

	एम०ए०एम०सी० के मण्डल में निदेशक का नाम	स्थिति
1.	श्री पी०एस० गुप्ता, सी०एम०डी०*	क्रियाशील निदेशक
2.	श्री सी०आर० सेन, निदेशक (वित्त)	—वही—
3.	श्री एस०सी० ढींगरा, सलाहकार (तकनीकी) तथा पदेन संयुक्त सचिव, सरकारी उद्यम विभाग	अंशकालिक, गैर-क्रियाशील निदेशक
4.	श्री त्रिलोचन सिंह संयुक्त सचिव, इस्पात विभाग	—वही—
5.	श्री ए०बी० सेनगुप्त, उप सचिव (वित्त), सरकारी उद्यम विभाग,	—वही—

* श्री पी०एस० गुप्ता, सी०एम०डी, एच०ई०सी० रांची जो 4500-125-5000 रुपये के वेतनमान में हैं, के पास 6-1-1986 से एम०ए०एम०सी० के सी०एम०डी० का अतिरिक्त कार्यभार है ।

भारी मशीनरी उद्योग द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि

4650. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीनरी उद्योग समूह के प्रतिकूल प्रभाव पर यदि पर्याप्त रोक नहीं लगाई गई, तो वर्ष 1989-90 में 8 प्रतिशत की विकास दर से इस उद्योग पर 30,000 करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों और दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दस्तावेज में प्रमुख किस्मों के उद्योगों की क्षमता तथा उत्पादन लक्ष्यों का विशेष-रूप से विवरण है और न कि पूर्णरूप से पूंजीगत समान क्षेत्र का 18% की वृद्धि दर से 1989-90 तक 30,000 करोड़ रुपए के उत्पादन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने का सम्बन्ध संभवत: ए०आई० ई०आई० के एक अध्ययन से है जिसमें लाइसेंसीकरण, व्यापार तथा वित्तीय नीतियों में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है।

योजना के लक्ष्य वास्तविक अनुमानों पर आधारित है और इन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता से सरकार पूर्णत: अवगत है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा बांड जारी करना

4651. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने अपने सौ करोड़ रुपए के जारी बांड से अधिक की जमा धनराशि को अपने पास रखने के लिए वित्त मंत्रालय की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग को यदि यह रियायत प्रदान कर दी जाती है, तो क्या वह जनता के लिए फिर से बांड जारी किये बिना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी विकास योजनाओं का प्रबन्ध कर सकता है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कम्पनी को बांड की निर्धारित राशि से अधिक प्राप्त राशि में से 16.63 करोड़ रुपए रख लेने की अनुमति दी है।

(ग) जी, नहीं। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में और अधिक बांड जारी करने की अनुमति देनी पड़ सकती है।

[हिन्दी]

पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये गये जिलों का विकास

4652. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान उनके विकास के लिए राज्य सरकारों को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे जिलों में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं और कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देश के 300 जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया गया है जो केन्द्रीय निवेश राजसहायता रियायती वित्त, ब्याज राज सहायता आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं। ब्यौरा प्रैसनोट संख्या 14/2/83—डी०बी०ए०-1 दिनांक 9-4-85 के साथ पठित "इनसेंटिव्स फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज अप्रैल 1984" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय उपलब्ध हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना और परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत क्रमश: 82.02 करोड़ रुपए और 2.99 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए 774 आशय-पत्रों, 427 औद्योगिक लाइसेंसों और 1140, डी०जी०टी०डी० में पंजीकरणों पर स्वीकृति दी गई थी। उपक्रम का नाम, स्थान, निर्माण की वस्तु आदि का ब्यौरा इण्डिया इनवेस्टमेंट सेन्टर द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किया जाता हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इन क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

भोपाल गैस रिसाव के बारे में डा० वर्दराजन समिति की रिपोर्ट

4653. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस रिसाव संबंधी वर्दराजन समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वहां हाइड्रोजन सायनाइट के कारण मौतें नहीं हुई;

(ख) क्या यह निष्कर्ष केन्द्रीय वायु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अनेक अन्य डाक्टरी जांचों के निष्कर्षों के विपरीत है; और

(ग) क्या मैसर्ज यूनियन कारबाइड मिथाइल आइसोसाइनेट के सायनाइट के रिसाव की संभावना के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में असफल रही है ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भोपाल में जहरीली गैस रिसाव से संबद्ध तथ्यों पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों पर डा० वर्दराजन की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मृत्यु अथवा चोट के

कारण नहीं बताये गए हैं। रिपोर्ट मुख्यत: उन हालातों से सम्बद्ध है जिनके कारण जहरीली गैस का रिसाव हुआ।

(ग) यूनियन कार्बाइड की उपलब्ध रिपोर्टों में गर्म किए जाने पर मेथिल आइसोसिनेट के प्रभाव तथा साइनेट के निर्माण पर विस्तृत जानकारी निहित नहीं है।

दिल्ली में मोनोटार्ड इनसुलिन की अनु-उपलब्धता

4654. प्रो० सैफुद्दीन सोज
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मधुमेह के रोगियों के लिए एक जीवन रक्षक औषधि मोनोटार्ड इनसुलिन दिल्ली में उपलब्ध नहीं थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक्टरों ने इस औषधि की आयातित किस्म को बेहतर समझा है और उन्होंने देश में निर्मित औषधि को घटिया क़िस्म की होने के कारण लेने की सलाह नहीं दी है; और

(ग) भविष्य में मानक किस्म की इनसुलिन का उत्पादन करने तथा अल्पकालिक उपाय रूप में इसकी आयातित किस्म की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसको सामान्य रूप देना कठिन है।

(ग) देश में स्टैंडर्ड क्वालिटी की साधारण किस्म की इन्सुलिन का पर्याप्त उत्पादन होता है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्सुलिन के उत्पादन को पहले ही लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है और एम०आर०टी०पी० अधिनियम की धारा 21 तथा 22 से छूट दे दी गई है।

नोवो, डेनमार्क द्वारा निर्मित अत्यधिक शुद्ध किए हुए क्रोमेटोग्राफट इन्सुलिन, जिन्हें फैर स्ट्रोफी वाले रोगियों के लिए अथवा सामान्य इन्सुलिन रोधक मामलों में दिया जाता है, के आयातक तथा वितरक मै० सिनबायोटिक्स लि० ने इन फार्मूलेशनों की पर्याप्त उपलब्धता सूचित की है।

शीरे का मूल्य

4655. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौ मीट्रिक टन गन्ने की पिराई करने से कितना शीरा प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) उक्त शीरे का खुले बाजार में कितना मूल्य है; और

(ग) शीरे के मूल्य से गन्ना उत्पादकों को कोई लाभ न मिलने की बात को ध्यान में रखते हुए शीरा सम्बन्धी नई नीति में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 300 रुपए करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सामान्यतः, पेरे गए प्रति 100 टन गन्ने से 4.25 टन शीरे का मानदंण्ड अपनाया जाता है ।

(ख) शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अनुसार, ग्रेड "ए" चीनी मिल के शीरे का मूल्य 60/-रुपए प्रति टन है ।

(ग) जी, नहीं ।

[हिन्दी]

गोरखपुर में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4656. **श्री मदन पाण्डे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने हेतु स्थल के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का गोरखपुर में ताप विद्युत संयंत्र लगाने का विचार है क्योंकि यह स्थान धनबाद जो कि कोयला उत्पादक क्षेत्र है, से रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है और यहां पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर विकास के लिए विद्युत का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ताप विद्युत की स्थापना के लिए स्थल का चयन अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे कि विद्युत संयंत्र और राख निपटान प्रणाली के लिए पर्याप्त भूमि का उपलब्ध होना, पर्याप्त मात्रा में शीतलन जल होना, कोयला तथा बड़ी लाइन द्वारा रेल का लिंक उपलब्ध होना और भार केन्द्र की सामीप्यता आदि ।

(ख) गोरखपुर में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड में कर्मचारियों की प्रबन्ध में भागीदारी

4657. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग में कर्मचारियों की प्रतिद्वन्द्विता के कारण फरवरी 1986 में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कम्पनी ने प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कर्मचारी प्रतिद्वन्द्विता के कारण उत्पादन में एक दिन की हानि हुई थी। फिर भी, फरवरी महीने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था।

(ग) मारुति उद्योग प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता की नीति का पालन कर रहा है।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के डीलरों द्वारा किये जाने वाले कदाचार

4658. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को दिल्ली में एल०पी०जी० डीलरों द्वारा किये जा रहे विभिन्न कदाचारी जैसे, नया कनैक्शन देने से पहले ग्राहकों को गैस चूल्हा खरीदने के लिए मजबूर करना, रिफिल की डिलीवरी देर से करना, रिफिल के लिये अधिक राशि वसूल करना, कम तोल और बिना उचित सील के सिलेंडर देना आदि के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) खाना बनाने की गैस के सम्बन्धित डीलरों/एजेन्टों का ब्यौरा क्या है और उसके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की एजेंसियों को काली-सूची में रखने और यदि शिकायतें जारी रहती हैं, तो एजेन्सी समाप्त करने के आदेश देने का है; और

(घ) सरकार का अन्य क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) वर्ष 1986 के दौरान ऐसी 111 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) और (घ) किसी भी दुराचार के पता लगने पर उसे एल०पी०जी० विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उसे डील किया जाता है और उसके तहत दोषी वितरक के विरुद्ध उचित कारंवाई की जाती है जो चेतावनी/सावधानी पत्र जारी करने से लेकर डीलरशिप को समाप्त करने तक की होती है।

विवरण

एल०पी०जी० डीलरों के नाम	की गई कार्रवाई
1	2
1. अमर गैस सर्विस	डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेतावनी दी गई
2. सी० लाल एण्ड संस	—वही—
3. अवतार गैस	—वही—
4. पी० लाल एण्ड संस	—वही—
5. जयन्त	—वही—
6. सिर्थाता	—वही—
7. नन्दी गैस	नामांकन निलम्बित
8. शक्ति इण्टरप्राइजेज	डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेतावनी दी गई
9. बी०एन० गुप्ता	वही—
10. जे०जे० गैस सर्विस	—वही—
11. विजय रतन इंटरप्राईजेज	—वही—
12. डी०पी०	—वही—
13. अतुल इण्टरप्राईजेज	—वही—
14. चन्द्रा गैस	—वही—
15. विजय सागर गैस	—वही—
16. पियर्ल गैस सर्विस	—वही—
17. क्विक गैस सर्विस	—वही—
18. प्रिया गैस सर्विस	—वही—
19. साहिद सुभाष गैस	—वही—
20. जेलदार गैस सर्विस	नये कनेक्शन जनवरी, 1986 में में बन्द कर दिए गए थे
21. ए०टी०सी०	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई

1	2
22. अंगद इंटरप्राईजेज	—वही—
23. ईलाईट	—वही—
24. लिट्स रिफ्रिजरेशन	नामांकन रोक दिया गया
25. पी०एन०एम०	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई
26. सिटीजन गैस सर्विस	—वही—
27. किरन गैस सर्विस	—वही—
28. रमिन्दर गैस	नामांकन बन्द कर दिया गया
29. हेम गैस	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई
30. सुरजीत फ्यूल डिपो	—वही—
31. सोंधी गैस	कनेक्शन निलम्बित
32. आर०के० इण्टरप्राईजेज	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई
33. मोहनसिल गैस	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई
34. प्रभात गैस	—वही—
35. शिवानिका गैस	—वही—
36. के०आर० इण्टरप्राईजेज	नामांकन निलम्बित
37. रूचिका एजेंसी	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई
38. चाणाक्या सिद्धार्ता गैस कं०	—वही—
39. फेयर डील्स	चेतावनी पत्र जारी किया गया
40. सूर्या गैस एजेन्सी	—वही—
41. सूर्या गैस एजेंसीज	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई
42. मिनी गैस	मार्च, 1986 से 3 महीनें के लिए कनेक्शन रोकने के साथ चेतावनी पत्र ।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार

4660. **श्री हरीश रावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में राशि निवेश और उपलब्ध कराये गये रोजगार में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किया गया राशि निवेश दूसरे राज्यों की तुलना में सब से कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए निवेश और उपलब्ध कराए गए रोजगार सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1984-85 के अन्त तक किये गए विनियोग और उपलब्ध कराए गये रोजगार के राज्यवार ब्यौरे

	खादी तथा ग्रामोद्योग हेतु कुल विनियोग		खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया रोजगार
	अनुदान	ऋण	(लाख व्यक्ति)
	1	2	3
	(करोड़ रुपये में)		
I. राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	16.90	34.34	4.32
2. असम	2.73	6.58	0.96
3. बिहार	35.70	50.27	2.82
4. गुजरात	25.75	37.25	0.73
5. हरियाणा	3.17	16.05	0.60
6. हिमाचल प्रदेश	1.17	8.46	0.53
7. जम्मू और कश्मीर	0.92	8.50	0.50
8. कर्नाटक	13.28	41.30	1.37

	1	2	3
9. केरल	11.13	34.25	1.75
10. मध्य प्रदेश	8.40	16.87	0.51
11. महाराष्ट्र	28.60	31.46	3.03
12. मनिपुर	0.93	1.56	0.18
13. मेघालय	0.20	0.20	0,05
14. नागालैंड	0.45	0.18	0.03
15. उड़ीसा	4.91	14.89	0.74
16. पंजाब	23.61	32.87	1.16
17. राजस्थान	23.40	52.92	2.39
18. सिक्किम	0.11	0.23	*
19. तमिलनाडु	43.38	77.91	7.35
20. त्रिपुरा	1.15	0.45	0.27
21. उत्तर प्रदेश	75.48	100.91	7.09
22. पश्चिम बंगाल	73.01	27.00	1.47
योग	330.38	594.45	37.75
2. संघ शासित प्रदेश			
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.13	—
2. अरुणाचल प्रदेश	0.05	—	0.01
3. चंडीगढ़	0.02	0.51	0.01
4. दादरा और नागर हवेली	0.02	0.04	*
5. दिल्ली	4.23	2.25	0.09
6. गोवा, दमन द्वि	0.11	0.38	0.02
7. मिजोरम	0.01	—	*
8. पांडिचेरी	0.04	0.46	0.01
योग :	4.49	3.77	0.14
कुल योग :	334.87	598.22	37.89

* 500 से कम

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रणाली के लिए माइक्रोवेव टावरों का उपयोग

4661. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रणाली के त्वरित प्रेषण के लिए सरकार ने देश में माइक्रोवेव टावर्स स्थापित किए हैं ;

(ख) क्या ये माइक्रोवेव टावर्स संतोषजनक ढंग से काम कर रहे है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक उन्नत देशों में इन माइक्रोवेव टावर्स का संचार और प्रसारण दोनों विभागों द्वारा उपयोग किया जाता हैं;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग का विचार सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु इन माइक्रोवेव टावर्स का उपयोग करने की अपनी अनुमति देने का है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। विकसित देशों में सामान्य टावर के इस्तेमाल के उदाहरण मिलते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) माइक्रोवेव टावरों से दूरदर्शन प्रसारण की संभावना का अध्ययन किया गया है और यह देखा गया है कि माइक्रोवेव स्टेशन की आधारभूत संरचना और सुविधाओं की सीमित उपलब्धता से प्रशासनिक प्रचालन संबंधी और तकनीकी बाधाएं उत्पन्न होगी जिससे यह व्यवस्था जटिल और अव्यवहार्य होगी।

औषध इन्टरमीडियेटों का आयात

4662. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने औषध इन्टरमीडियेटों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) प्राथमिक चरणों से और आयातित इन्टरमीडियेटों से किन-किन बल्क औषधों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) कितने समय से इन औषधों का निर्माण प्राथमिक चरणों से किया जा रहा है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) औषध मध्यवर्तियों के आयात की निगरानी इस मंत्रालय द्वारा नही की जाती ।

(ख) और (ग) देश ने लगभग 225 प्रपुंज औषधों का उत्पादन होता है। मूलावस्था तथा आयातित मध्यवर्तियों से निर्मित किये जाने वालों में सेमी सिंथेटिक पैंसिलिन, क्लोरम-फेनिकोल तथा वेटामेथासोन सम्मिलित है । लघु क्षेत्र/गैर फेरा कम्पनियों द्वारा मध्यवर्ती अवस्था से ही उत्पादन आरम्भ किया जाता है जो अलग-अलग औषधों के सम्बन्ध में भिन्न होता है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के बांधव ताप विद्युत केन्द्र के एककों का कोयला खानों के साथ जोड़ना

4663. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले की सप्लाई के प्रयोजन से मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के बांधव ताप केन्द्र (1 × 500 मेगावाट) के एक एकक को 1994-95 से सिंगरौली कोयला खान के साथ जोड़ने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार बांधव ताप विद्युत केन्द्र की (4 × 500 मेगावाट) चारों एककों को कोयले की सप्लाई के लिए कुछ कोयला खानों के साथ जोड़ने की व्यवस्था करने का है ताकि मध्य प्रदेश आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का पूरा लाभ उठा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां । सरकार ने वर्ष 1992-93 से संयोजन के लाभ के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बान्धव ताप बिजली घर की एक यूनिट (1 × 500 मे० वा०) को सिंगरोली कोयला क्षेत्र से संयोजित करने का निर्णय किया है ।

(ख) ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले के संयोजना का निर्धारण विद्युत संबंधी विशेष संयोजन समिति (दीर्घकालीन) तब करती है जबकि कोई योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से अनुमोदित हो जाए एवं कोयला संयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकृत हो जाए । बान्धव ताप विद्युत घर की विस्तार यूनिटों के लिए कोयला संयोजन पर विशेष संयोजन समिति ने अभी तक विचार नहीं किया है क्योंकि योजना आयोग ने इस योजना के लिए सिद्धांत रूप में अपना अनुमोदन अभी नहीं किया है ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में लघु उद्योग

4664. **श्री अजय मुशरान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में, विशेषकर जबलपुर में, लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : दिसम्बर, 1985 के अंत तक उद्योगों के राज्य निदेशालय, मध्य प्रदेश में पंजीकृत लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 93,798 थी। इनमें से 4,853 एकक जबलपुर जिले में स्थित थे।

विग्स विअर (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली और के० एम० पी० आयल इण्डस्ट्रीज कलकत्ता द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

4665. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत**
श्री सुभाष यादव } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1986 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, विग्स विअर (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली और के० एम० पी० आयल इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता के विरुद्ध उनके द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किये जाने की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स के० एम० पी० आयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नं० 1-ए बर्मन स्ट्रीट कलकत्ता के विरुद्ध जो विज्ञापन 7-7-1985 को दिल्ली से प्रकाशित होने वाले पंजाब केसरी सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, के आधार पर जांच संस्थापित की है। इस विज्ञापन में, "लाखों के इनाम आपके नाम" प्रतियोगिता का आयोजन करके तथा विभिन्न इनामों एवं उपहारों को देने की घोषणा की गई थी। आयोग ने विचार किया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता करना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की परिभाषा में अनुचित व्यापार प्रथा है इस मामले में जांच संस्थापित की है। यह मामला आयोग के समक्ष 1-5-1986 को पुनः सुनवाई के लिए निश्चित किया गया है। मैसर्स विग्स वियर प्रा० लि०, नई दिल्ली ने 7-9-1985 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में विज्ञापन

प्रकाशित कराया था जिसमें करोल बाग, नई दिल्ली में" उत्तेजक पैंशन केन्द्र प्रारम्भ करने तथा लोट द्वारा इनामों को देने की घोषणा की थी। इस मामले में, आयोग ने अनुभव किया कि लाटरी द्वारा इनामों को देना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की परिभाषा के अन्दर अनुचित व्यापार प्रथा है तदनुसार जांच संस्थापित की। इस मामले में अगली सुनवाई आयोग के समक्ष 29-4-1986 की समयसारणी में है।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा चलते-फिरते टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना और उनका संचालन

4666. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा सरकार को रायल्टी देकर महानगरों में चलते-फिरते टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और उन्हें संचालित करने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों को किन शर्तों पर यह अनुमति दी जायेगी ; और

(ग) इस संबंध में कितनी कम्पनियों ने अब तक सरकार को आवेदन-पत्र भेजा है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में नारियल जटा उद्योग

4667. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग में अवनति के क्या कारण हैं;

(ख) इसे बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने नारियल जटा उद्योग को कितनी राशि की सहायता प्रदान की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल में 1982 और 1983 में अभूतपूर्व सूखे की बीमारी का, नारियल के उत्पादन और नारियल की भूसी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो कॉयर उद्योग के लिए मूल कच्चा माल है।, परन्तु, हाल में, इसमें सुधार के आसार हैं।

(ख) नारियल बोर्ड ने सूखे की बीमारी के उन्मूलन के लिए कुछ उपाय किए हैं। इन बाधाओं में स्थिति को बचाने के लिए किए गए उपायों में नारियल भूसी नियंत्रण आदेश के

अंतर्गत अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों के लिए नारियल की भूसी ले जाने में ढाल निर्यातों के जहाज भाड़ा मुक्त पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता की मंजूरी आदि शामिल हैं।

(ग) छठी योजना में 8.37 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय के मुकाबले सातवीं योजना में कॉयर उद्योग के विकास के लिए 17 84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के रूग्ण एकक

4668. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के नियंत्रण वाले कितने रूग्ण एकक हैं और इन एककों के नाम क्या हैं; और

(ख) बड़े, मध्यम तथा लघु क्षेत्रों में इन रूग्ण एककों की संख्या कितनी है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके द्वारा अपनाई गई रूग्णता की परिभाषा के अनुसार इकट्ठे किये जाते हैं। उसके पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1984 के अन्त तक देश में 545 बड़े रूग्ण एकक थे, जिनमें से 74 एकक एम०आर०टी०पी० घरानों से संबंधित थे। फेरा कंपनियों द्वारा नियंत्रित एककों अथवा एम०आर०टी०पी० कंपनियों द्वारा नियंत्रित मझोले और लघु रूग्ण एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से प्रस्तुत नहीं किये जाते।

बैंकरों के बीच प्रचलित पद्धतियों के अनुसार और राष्ट्रीयकृत बैंकों को विनियमित करने वाले अधिनियमों के उपबंधों के अनुपालन में, बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रूग्ण एककों के नामों को बताना संभव नहीं होगा।

औषधियों के मूल्य निर्धारित करना

4669. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्क औषधों के अधिक मूल्यों के आधार पर औषधियों के मूल्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके वास्तविक क्रय मूल्य बल्क औषधियों के उन मूल्यों से कम है जिन्हें उनके फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित करने में आधार माना गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय ने औषधियों के मूल्य कम करने बल्क औषधियों के वास्तविक मूल्यों के आधार पर निर्धारित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत प्रपुंज औषध के अधिसूचित मूल्य अथवा अलग अलग फार्मूलेटरों द्वारा लिए गये प्रपुंज औषध के मूल्य के आधार पर जो भी कम हो, फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

ऊर्जा की बचत के उपाय

4670. **डा० चिंता मोहन** : क्या पेट्रोलिय और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम पदार्थों के संबंध में उर्जा की बचत के उपाय करके देश का 100 करोड़ रुपए (वार्षिक आवर्ती) की बचत कर चुका है जैसा कि 7 मार्च, 1986 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश को सरकारी अनुमान के अनुसार अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 650 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिये पेट्रालियम संरक्षण अनुसंधान संघ की रिपोर्टों और सिफारिशों का उनके मंत्रालय में अध्ययन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1983-84 में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान की संरक्षण संबंधी गतिविधियों के कारण लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आवर्ती बचत हुई है, जिसका उत्पाद/क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है :—

उत्पादन	क्षेत्र	बचत
		(करोड़ रुपये)
1. एल०पी०जी०	घरेलू/हाऊस होल्ड	1.8
2. एस०के०ओ०	—वही—	4.0
3. एच०एस०डी०	परिवहन और कृषि	6.0
4. एम०एस०	—वही—	2.0
5. फर्नेस आयल	औद्योगिक	85.5
	जोड़ :	99.3

(अर्थात 100 करोड़ रुपये)

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पी०सी०आर०ए० के द्वारा की जा रही संरक्षण गतिविधियों के परिणामस्वरूप 6.50 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) सातवीं योजना में पी०सी०आर०ए० के परिव्यय के लिये आबंटन करते समय विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लागू करने के लिये इसके प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है ।

दिल्ली में बिजली की आवश्यकता

4671. **श्री के०एस० राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की कमी का पुराना संकट है ;

(ख) दिल्ली में बिजली की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और वर्ष 1990 तक कितनी बिजली सप्लाई की जाएगी और कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) ट्रांसमिशन, खराब लाइनों तथा अप्राधिकृत उपयोग आदि जैसे विभिन्न कारणों से दिल्ली में बिजली का कितना नुकसान होता है और इन नुकसानों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीय 12वें विद्युत सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए मांग के अनुमान के अनुसार तथा सातवीं योजना के दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य की वृद्धि के आधार पर अनुमानित उपलब्धता के आधार पर पर दिल्ली में वर्षवार व्यस्ततमकालीन आवश्यकता और उपलब्धता निम्नानुसार होने की संभावना है :—

(आंकड़े मेगावाट में)

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1986-87	1045	603	(—) 442
1987-88	1146	679	(—) 467
1988-89	1255	783	(—) 472
1989-90	1373	823	(—) 550

मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान 30-30 मेगावाट की छः गैस टरबाइन यूनिटें तथा 67.5—67.5 मेगावाट की दो ताप विद्युत यूनिटें

प्रतिष्ठापित कर रहा है। मुरादनगर में 840 मेगावाट क्षमता का एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत केन्द्र भी स्थापित्र किया जा रहा हैं। दिल्ली को उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे केन्द्र सरकार नए केन्द्रों से भी इसका हिस्सा प्राप्त होगा।

(ग) दिल्ली में वर्तमान पारेषण और वितरण हानियां लगभग 18% हैं। पारेषण, दोषपूर्ण लाइनों और अनाधिकृत उपयोग आदि से संबंधित हानियों को अलग-अलग करना व्यवहार्य नहीं है। हानियों को कम करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें ये शामिल हैं ; व्यापक जांच, सुधरे किस्म के मीटरों की प्रतिष्थापना, वास्तविक भारों के अनुसार अस्थाई कनेक्शन स्वीकृत करना तथा जब अपेक्षित हो शान्ट केपेसिटर प्रतिष्ठापित न किए जाने पर उपभोगताओं पर 10% अधिभार लगाना।

कर्नाटक में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा डाकघर खोलना

4672. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में कर्नाटक में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान कितने शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) कर्नाटक राज्य में 1986-87 के दौरान 75 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है। जहां तक डाक घरों का सम्बन्ध है, पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण नया डाक घर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को देखते हुए कर्नाटक सर्किल में 1986-87 के दौरान शाखा डाकघर या उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

काकीनाडा अथवा राजमुद्री में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4673. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट गोदावरी जिले में काकीनाडा अथवा राजसमुद्री में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) इस समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का काकीनाडा या राजमुन्द्री में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

4674. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड पर कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन के लिए मुकद्में चलाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता द्वारा मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के दो मामलों में मुकदमें चलाए जा रहे हैं। एक मामला, मैसर्स आई० टी० सी० द्वारा मैसर्स सुमित इन्वैस्टमैंट्स लिमिटेड, मैसर्स पिनाकले इन्वैस्टमैंट्स लिमिटेड और मैसर्स सागे इन्वैस्टमैंट्स लिमिटेड की शेयर पूंजी में निर्धारित सीमाओं के परे निवेशों को करने से सम्बद्ध हैं। अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बगैर मैसर्स आई० टी० सी० द्वारा मैसर्स रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली को एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के मामले में अधिनियम की धारा 294 (2)/294 कक के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है।

दोनों ही मामलों में, जुलाई, 1984 में प्रारम्भ किये गये मुकदमे की कार्यवाहियां मुख्य महा नगर दंडनायक, कलकत्ता के समक्ष अनिर्णीत हैं।

(ग) चूंकि यह विषय न्यायालय के समक्ष है, इसलिए मुकदमों को अन्तिम रूप निपटाये जाने की कोई निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

असम में हैलांकडी टेलिफोन एक्सचेंज को मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

4675. **श्री सुदर्शन दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में हैलाकंडी टेलीफोन एक्सचेंज को मानव चालित एक्सचेंज में परिवर्तित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) हैलाकंडी में गत कुछ वर्षों से एक मैनुअल एक्सचेंज कार्य कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कागज उद्योग को पुनः सुदृढ़ करने संबंधी पैनेल

4676. **श्री चित महाता**
श्री के० वी० शंकर गौडा } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग को पुनः सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक पैनेल स्थापित किया है;

(ख) क्या इस पैनेल ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हाईड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड द्वारा आरम्भ किये गये कार्य

4677. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाईड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड ने विदेशों में तेल तथा गैस के क्षेत्र में 'टर्न की' कार्य को करने के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ कोई संघ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन क्रियाकलापों से देश में तेल उत्पादन कार्यों की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं जहां हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड परियोजनाएं चालू कर रहा है अथवा परियोजनाएं आरम्भ करेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी हाइड्रो-कार्बन इंडिया लिमिटेड के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ तेल और गैस के क्षेत्र में टर्न की और परामर्श देने का कार्य हाथ में लेने के लिए कंसोर्टियम बनाने की प्रक्रिया में लगा है :

1. इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
2. मझगांव डाक्स लिमिटेड
3. भारत परम्परा ऐंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
4. ब्रिज ऐंड रूफ कं० (इण्डिया) लिमिटेड
5. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6. भारत हैवी प्लेट ऐंड वैसल्स लिमिटेड
7. इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड
8. ऑयल ऐंड नेचुरल गैस कमीशन
9. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
10. हिन्दुस्तान पेट्रोनियम कारपोरेशन लिमिटेड
11. हाइड्रोकार्बन इण्डिया लिमिटेड

(ग) जी, नहीं।

(घ) ये कार्य मध्य-पूर्व, अफ्रीका, हिन्द महासागर, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में किया जायेगा।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की भरतपुर कोयला खानों में धोवनशाला

4678. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की भरतपुर कोयला खानों में धोवनशाला स्थापित करने की योजना पर विचार किया था जो कि अंगुल में राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के 600 मेगावाट रक्षित विद्युत संयंत्र की सीमा जितना ही था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना पर विचार स्थगित कर दिया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी के ग्रहीत ताप बिजली घर की कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए, 3.50 मिलियन टन कच्चा कोयला प्रति वर्ष की सीधी क्षमता वाली एक कोयला वाशरी भरतपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह परियोजना धुले कोयले के लागत खर्च को देखते हुए छोड़ दी गई है।

केरल में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4679. **डा० के० जी० ग्रादियोडी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विद्युत के मामले में कमी वाला राज्य है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार चालू योजना में उच्च प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) केरल कुल मिलाकर अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना

4680. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग स्थापित करने का है ताकि ग्रामीणों को रोजगार और व्यवसाय उपलब्ध कराया जा सके; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किये गए हैं और उनमें अब कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित छब्बीस ग्रामोद्योगों और खादी के विकास हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने कार्यक्रम मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित करता है। ग्रामोद्योग संबंधी कार्य आमतौर पर राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से

किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में जिन व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या निम्नलिखित है :

रोजगार लाख व्यक्तियों में

वर्ष	रोजगार		खादी और ग्रामोद्योग में
	खादी	ग्रामोद्योग	कुल रोजगार
1982-83	13.61	20.73	34.34
1983-84	13.59	21.92	35.51
1984-85	13.05	24.89	37.89

[अनुवाद]

विस्फोटक पदार्थ विभाग की जांच करने के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें

4681. श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटक पदार्थ विभाग के सकल विनियमन कार्यों की जांच करने तथा उस विभाग द्वारा निरीक्षण एजेंसियों को प्रत्यायोजित किये जा सकने वाले उत्तरदायित्वों का वर्गीकरण करने के लिए गठित कार्यकारी दल ने निर्धारित अवधि में अर्थात 10 फरवरी, 1986 तक अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आशा है कि विस्फोटक विभाग के समग्र विनियमनकारी कार्यों की जांच करने वाला कार्य दल अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1986 के अन्त तक भेज देगा।

लाइसेंसमुक्त योजना के अन्तर्गत फार्मूलेशन्स का उत्पादन

4682. श्री के० पी० सिंह देव : क्या उद्योग मन्त्री उदार लाइसेंस नीति को औषधि उद्योग पर लागू किये जाने के बारे में 25 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कम्पनियां जिन्होंने लाइसेंस मुक्त योजना के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त किया था, केवल फार्मूलेशनों का उत्पादन करने लगी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फार्मूलेशनों का अनुमोदन बल्कि औषधियों के उत्पादन के साथ जुड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नीति है;

(घ) क्या उनका मन्त्रालय अनुमोदनों की शर्तों पर निगरानी रख रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने शर्तों का उल्लेख किया है;

(च) क्या उनके मन्त्रालय ने उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कारंवाई की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जिन कम्पनियों को लाइसेंस मुक्ति योजना के अन्तर्गत पंजीकरण जारी किये गये हैं, उनमें से किसी ने भी फार्मूलेशनों का उत्पादन आरम्भ करने की सूचना नहीं दी है।

(ख) से (घ) 1978 की औषधि नीति के अन्तर्गत, फार्मूलेशनों के लिए नए अनुमोदन अनुपात-मानदंडों (प्रपुंज औषधि के उत्पादन और फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य में अनुपात) को पूरा करने की शर्त पर दिए जाएंगे जो फेरा कम्पनियों के लिए 1 : 10 है। नए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व अनुपात-मानदंडों के अनुपालन की जांच की जाती है।

(ङ) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को गैस की सप्लाई

4683. श्री श्री राममूर्ति भट्टम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्ण-गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) काफी समय तक परीक्षण करने के बाद कहां पर तथा कितनी गैस का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 200 मेगावाट के एक प्राकृतिक गैस उत्पादन केन्द्र की योजना प्रस्तुत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में हाइड्रोकार्बनों की खोज में कार्यरत हैं। अब तक 13 कुएं तटीय क्षेत्र में और 28 कुएं अपतट क्षेत्र में खोदे जा चुके हैं।

इनमें से तट के 7 कुओं और अपतट के 6 कुओं में तेल/गैस का होना प्रभावित हुआ है।

इस समय के अन्वेषण के प्रयत्नों से भण्डारणों के बारे में यह सुदृढ़ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उनसे व्यापारिक उद्देश्य के लिए गैस की निरन्तर सप्लाई होगी।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने गैस पर आधारित 200 मेगावाट क्षमता के पावर जनरेशन की सुविधाओं को स्थापित करने के अपने उद्देश्य के बारे में हाल ही में इस मन्त्रालय को सूचित किया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अब सूचित किया है कि उन्हें 150 मेगावाट के गैस पर आधारित पावर स्टेशन को स्थापित करने के लिए ए०पी०एस०ई०बी० से एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और उस पर कार्यवाही हो रही है।

पांचवीं-छठी और सातवीं योजनाओं में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्सों की स्थापना

4684. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पेट्रो-रसायन काम्पलैक्सों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पांचवीं, छठीं और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्थापित किये जाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) उनमें से कितने काम्पलैक्स पहले ही स्थापित कर दिये गये हैं;

(ग) क्या उन्हें स्थापित करने में कोई बाधाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निम्नलिखित तीन पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स स्थापित किये जाने के लिए मंजूर किये गये थे :

(i) इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लि० (आई०पी०सी०एल०), बड़ोदा, इसकी जारी योजनाएं और विस्तार,

(ii) बोंगेगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० ((बी०आर०पी०एल०), असम, और

(iii) महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलेक्स, (एम०जी०सीं०सी०), महाराष्ट्र।

(ख) से (घ) एक काम्पलेक्स, अर्थात आई०पी०सी०एल० पहले ही पूर्ण हो चुका है। जहां तक बी०आर०पी०एल० का संबंध है, इसके जलीन और डी०एम०टी० एकक चालू हो गए हैं जबकि पोलिस्टर स्टेपल फाईवर एकक का कार्यान्वयन प्रगति पर है। 1989 में एम०जी०सी० सी० का मैकेनिकल रूप से पूर्ण होना निश्चित हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग एककों को ब्याज पर राजसहायता

4685. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग के पांच एककों को ब्याज पर राजसहायता उपलब्ध नहीं कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके मायने यह हैं कि ये पांच एकक वर्ष 1986-87 के लिए ब्याज पर मिलने वाले लाभ से वंचित रहते जायेंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी क्षेत्र के किसी भी भारी इंजीनियरी एकक को ब्याज पर राजसहायता न देने के बारे में सरकार द्वारा काई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को कच्चे माल और गीले बांसों सरकंडों की सप्लाई

4686. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड केरल ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किए जा रहे कच्चे माल और गीले बांस/सरकंडे स्वीकार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा आवंटित वनो से सरकंडे और बांस काटने तथा सुपुर्दगी के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने ठेकेदारों की नियुक्ति की है । निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सदकार के वन विभाग द्वारा काटने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाता है । निगम के हित में और वानिकी कच्चे माल की उपलब्धता के लिए कोमल बांस/सरकंडे की कटाई को हतोत्साहित किया जाता है । मिल के स्थान पर मिल प्रयोगशाला में नमी की मात्रा का अपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात तौल के आधार पर बांस और सरकंडे को स्वीकार किया जाता है । नमी की मात्रा सहमत प्रतिशत से अधिक होने पर, 65 प्रतिशत नमी मात्रा सामग्री के बराबर भार प्राप्त करने के लिए आनुपातिक कमी की जाती है ।

कैकालूरु में I, II, III, कुओं में तेल के लिए खुदाई

4687. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैकालुरु I में खुदाई पूरी हो गई है; यदि हां तो कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) 1 जनवरी, 1986 तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) कुएं की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) कैकालूरू II और कैकालूरु III कुओं में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ग) जी, हां। जिस कुएं में आरम्भिक परीक्षण के बाद गैस होने का पता लगा। उसे आगे अन्वेषण खनन के माध्यम से क्षेत्र के मूल्यांकन/चिन्हांकन कार्य के पूरा होने तक अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है।

(ख) लगभग 3 करोड़ रुपये।

(घ) कैकालूरु-II का परीक्षण हो रहा है। कैकालूरु-II के परीक्षण के बाद कैकालूरु-III के खनन का काम हाथ में लिया जाएगा।

तपेदिक के इलाज के लिए इथम्बुटोल तथा अन्य दवाएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराना

4688. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिए इथाम्बुटोल पर आधारित औषधियों के मूल्य बहुत अधिक हैं और निर्धन तपेदिक रोगी उन्हें नहीं खरीद सकते;

(ख) क्या बल्क औषध का मूल्य उनके मंत्रालय द्वारा इन औषधियों के निर्धारित मूल्य से बहुत कम है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय अधिकतम कीमत बढ़ाने की अनुमति देता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन औषधियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इथम्बुटोल फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन सांविधिक रूप से निर्धारित किए गए हैं।

(ख) उत्पादक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अनधिक मूल्यों पर प्रपुंज औषध बेचने को स्वतंत्र हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार इथम्बुटोल फार्मूलेशनों पर मार्क अप स्वीकृत किया गया है।

(घ) इथम्बुटोल फार्मूलेशन पहले ही औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित उचित तथा युक्तिसंगत मूल्य पर उपलब्ध हैं।

लाइसेन्स मुक्ति योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों द्वारा बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन

4689. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए लाइसेन्स मुक्ति योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अनेक कम्पनियों ने बल्क औषधियों का उत्पादन किए बिना फार्मूलेशनों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले उनके मंत्रालय की जानकारी में आये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन कम्पनियों को प्राथमिक अवस्था से स्वयं बनाई गई बल्क औषधियों/फार्मूलेशनों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जिन कम्पनियों को लाइसेन्स विमुक्ति योजना के अंतर्गत पंजीकरण जारी किए गए हैं, उनमें से किसी ने भी फार्मूलेशन का उत्पादन आरम्भ करने की सूचना नहीं दी है।

(ग) 1978 की औषध नीति के अन्तर्गत केवल फेरा कंपनियों पर ही यह शर्त लगाई गई है कि फार्मूलेशनों के लिए नवीन अनुमोदन केवल संबद्ध प्रपुंज औषधों के लिए ही प्रदान किए जाएंगे तथा इन प्रपुंज औषधों का उत्पादन मूलवस्था से किया जाएगा। लाइसेन्स मुक्ति योजना फेरा कंपनियों पर लागू नहीं होती।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों में प्रयोग में लाई जा रही क्षमता का पूर्ण उपयोग

4690. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज माल डिब्बा निर्माण इन्जीनियरी रसायन और औषध जैसे उद्योगों में फालतू क्षमता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता के पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यदि आधारिक संरचना और कच्चे माल संबंधी बाधाएं, मांग में कमी, विपरीत औद्योगिकी संबंधी और अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आदि जैसे कुछ कारक न होते तो कागज, डिब्बा निर्माण, इन्जीनियरिंग, रसायन और औषध उद्योग में क्षमता उपयोग अधिक होता।

(ख) क्षमता का इष्टतम उपयोग सरकार की औद्योगिक नीति का आधार है और क्षमता के अच्छे उपयोग के कई उपाय किए गए हैं। इसे अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेन्सीकरण और आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके और वित्तीय और राजकोषीय उपायों और आधारिक संरचना में सुधार करके प्राप्त किया जा रहा है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

4691. **प्रो०पी०जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य क्षेत्रों में ऐसी अनेक विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके लिए विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक से सहायता मांगी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा ये किन-किन राज्यों में हैं;

(ग) राज्य क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों के लिए विदेशी सहायता पाने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं; और

(घ) क्या जिन परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी जा रही है वे सभी इन शर्तों को पूरा करती हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) राज्य क्षेत्र में कई विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :— बोधघाट (मध्य प्रदेश), अपर इन्द्रावती (उड़ीसा), लोअर पेरियार (केरल), सरदार सरोवर (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात) और चन्दपुर विस्तार (महाराष्ट्र)। इसके अतिरिक्त, नर्मदा सागर बहुद्देशीय परियोजना (मध्य प्रदेश), काली नदी चरण-दो (कर्नाटक) और नाथपा झाकरी (हिमाचल प्रदेश) के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए विद्युत परियोजनाओं की सूची समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से तैयार की जाती है। परियोजनाओं का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(1) परियोजना, सातवीं योजना में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार होनी चाहिए।

(2) परियोजना के लिए अनुमोदित योजना में पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया है।

(3) परियोजना आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होना चाहिए। परियोजानाओं के चुनाव के संबंध में अन्तिम निर्णय, विश्व बैंक द्वारा इसकी सहायता-संघ की बैठक में निर्दिष्ट कुल वार्षिक वचनबद्धता के अन्तर्गत किया जाता है।

भारत इंग्लैंड संयुक्त उद्यम

4692. **श्री के०वी० शंकर गौडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इंग्लैंड द्वारा कौन-कौन से संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने की संभावनायें हैं;

(ख) भारत इंग्लैंड संयुक्त उद्यम कौन-कौन से हैं जिनके संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता किया गया है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान भारत इंग्लैंड संयुक्त उद्यम किन-किन परियोजनाओं को शुरू करेंगे और इंग्लैंड की सरकार इन संयुक्त उद्यमों के लिए कितनी सहायता देगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 11-13 सितम्बर, 1983 को लन्दन में हुई भारत-इंग्लैंड आर्थिक समिति की औद्योगिक सहयोग-उप-समिति की बैठक में यह सहमति हुई थी कि आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्र ये हैं: आटोमोटिव उत्पाद; दूर-संचार; इलैक्ट्रानिक्स और साफ्ट-वेयर फ्लैक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम; प्रदूषण नियंत्रण के उपाय; ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, आदि।

(ख) भारत सरकार ने 1957 से भारतीय और इंग्लैंड की फर्मों/कम्पनियों के बीच सहयोग के 2,000 से अधिक मामलों को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं और इसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) चूंकि सहयोग स्वीकृतियां उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रति उत्तर में मन्जूर की जाती हैं अत: वर्ष 1986-87 के लिए भारत-इंग्लैंड सहयोगों की परिकल्पना करना सम्भव नहीं है।

कागज उद्योग में आदानों की आवश्यकताओं का अध्ययन

4693. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग में आदानों की आवश्यकताओं, विशेषकर वनों से मिलने वाले कच्चे माल के संबंध में कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अध्ययन अभी चल रहा है अत: इस समय ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

गैर परम्परागत ऊर्जा गैजिटों का उपयोग

4694. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर परम्परागत ऊर्जा गैजिटों के प्रयोग को बढ़ाने तथा उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने के लिए किन उपायों को लागू किया जा रहा है; और

(ख) देश में इस प्रकार के उपकरणों के निर्माण और सप्लाई के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की युक्तियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उपायों में तकनीकी सहायता, निर्माण/स्थापना के लिए आर्थिक एवं अन्य वित्तीय प्रोत्साहन, प्रदर्शन कार्यक्रमों का प्रबन्ध, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन गोष्ठियों के माध्यम से जनसाधारण में जागृति पैदा करना, संगोष्ठी, रेडियो एवं दूरदर्शन, स्वैच्छिक एजेन्सियों सहित राज्य और केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों के द्वारा तीव्र उपयोग सम्मिलित हैं। अनुसंधान और विकास के माध्यम से इन युक्तियों को अधिक क्षेत्रों तक फैलाने और लागत में कमी करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

(ख) उत्पादन कर तथा बिक्री कर में छूट, मूल्याह्रास का तीव्रीकरण, उदार ऋण, कुछ उपकरणों और कच्चे माल पर अपारम्परिक ऊर्जा युक्तियों के निर्माण एवं उपयोग के लिए सीमा शुल्क की छूट आदि के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, पवन विद्युत, बायो गैस सहित बायोमास, भू-तापीय आदि जैसे ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के उपयोग के लिए सरकार उपकरणों के निर्माण पर लाइसेन्स समाप्त कर दिया है।

लागत और आर्थिक विश्लेषण प्रभागों का विस्तार

4695. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मन्त्रालय में डाक विभाग और दूर-संचार विभाग में लागत और आर्थिक विश्लेषण प्रभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन दो क्षेत्रों विशेषकर संचार क्षेत्र में आधुनिकीकरण और तेजी से हो रहे प्रौद्योगिक विकास के संदर्भ में वर्तमान ढांचा बढ़ते हुए कार्य को निपटाने में समर्थ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में इन प्रभागों का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाक तथा दूरसंचार विभागों में कॉस्टिंग सेल की कर्मचारी संख्या निम्न प्रकार हैं :

डाक विभाग

1. सहायक महानिदेशक	1
2. लेखा अधिकारी	1
3. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2
4. अवर श्रेणी लिपिक	1

उक्त सेल उप महानिदेशक के प्रभाराधीन कार्यरत है ।

दूरसंचार विभाग

1. निदेशक	1
2. सहायक महानिदेशक	1
3. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2
4. वैयक्तिक सहायक	1

डाक विभाग में कोई आर्थिक-विश्लेषण प्रभाग नहीं है । दूरसंचार विभाग के आर्थिक विश्लेषण प्रभाग की कर्मचारी संख्या इस प्रकार है :—

1. अर्थशास्त्री	1
2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	4
3. अनुसंधान अधिकारी	2
4. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2
5. जूनियर इंजीनियर	2
6. वैयक्तिक सहायक	2
7. केन्द्रीय सचिवालय ग्रेड "ग" में वैयक्तिक सहायक	1
8. सहायक	1
9. अवर श्रेणी लिपिक	1
10. चपरासी	1

(ख) और (ग) इस समय मौजूदा कर्मचारी संख्या पर्याप्त है। जब भी औचित्य बनेगा, तो विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बडौदा में खाना पकाने की गैस का रिसाव

4696. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बडौदा में हाल ही में खाना पकाने की गैस का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) 9 मार्च, 1986 को बम्बई रिफाइनरी से जोधपुर भरण संयंत्र तक बल्क एल०पी०जी० ले जा रही टैंक लारी में बडौदा के निकट मार्ग में ही रिसाव होने लगा। आवागमन में बाधा न पड़े इसलिए लारी को तुरन्त राष्ट्रीय राजमार्ग से हटा लिया गया है और कोयाली रिफाइनरी के विशेषज्ञों ने हो रहे रिसाव को बन्द कर दिया।

दूरसंचार व्यवस्था पर अधिक भार

4698. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत शीघ्र ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला है जब भार अधिक होने मात्र के कारण दूरसंचार व्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो किन केन्द्रों में भार गम्भीर समस्या बन गया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें संसाधनों की कमी तथा लम्बी प्रतीक्षा सूची के कारण एक्सचेंजों की पूरी क्षमता पर कार्य करना प्रमुख है। वैसे, उपस्कर का विभिन्न चरणों में परियात भार का नियमित मूल्यांकन करके तथा उपचारी कदम उठाकर ओवर लोड की समस्या पर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि इसके कारण दूरसंचार नेटवर्क पर दुष्प्रभाव न पड़े।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से मुख्यतया निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) परियात भार और ओवर फलों के लिए नियमित रूप से रीडिंग की जाती है। इस रीडिंग का विश्लेषण किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो राहत उपस्कर प्रदान कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, लोड के वितरण के लिए भी उपस्कर के विभिन्न ग्रुपों में पुर्नव्यवस्था की जाती है।

(2) नियमित रूप से रख-रखाव करके उपस्कर को चालू हालत में रखा जाता है।

(3) कार्य अवधि समाप्त तथा घिसे-पिटे एक्सचेंजों को बदलना।

(4) नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना तथा मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करना और प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना।

(5) केबिल, पी०सी०एम० और माइक्रोवेव प्रणालियां जैसे अतिरिक्त विश्वसनीय माध्यम प्रदान करके अन्तर एक्सचेंज जंक्शन नेटवर्क में सुधार लाना तथा उसका विस्तार करना।

(6) अन्तर सिटी संचारण माध्यम की क्षमता बढ़ाना तथा पर्याप्त चेनल उपस्कर प्रदान करना।

तमिलनाडु और केरल और आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

4699. **श्री पी० सेलवेन्द्रम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) यह खर्च संबंधित सर्किलों को वार्षिक आधार पर दिए गए एक मुश्त अनुदान से पूरा किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में बायोगैस और विकसित चूल्हे

4700. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल में बायोगैस तथा विकसित चूल्हों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल में फेमली साइज, बायोगैस और चूल्हों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन०पी० बी०डी०), जो पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों का प्रबन्ध करती है, नवम्बर, 1981 में प्रारम्भ हुई, और उन्नत प्रकार के चूल्हे की राष्ट्रीय परियोजना (एन०पी०आई०सी०) दिसम्बर, 1983 में प्रारम्भ की गई थी। छठी योजना अवधि के दौरान, पश्चिमी बंगाल राज्य को एन०पी० बी०डी० के अन्तर्गत 136.18 लाख रुपये और एन०पी०आई०सी० के अन्तर्गत 14.37 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

(ख) राज्यवार लक्ष्य और धन का वितरण वर्ष के आधार पर किए जाते हैं। 1985-86 के दौरान, पश्चिमी बंगाल राज्य को एन०पी०बी०डी० और एन०पी०आई०सी० के अन्तर्गत क्रमशः 105.24 लाख रुपये और 35.70 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

विद्युत की पारेषण हानियां

4701. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में विद्युत की पारेषण हानि को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कदमों से पारेषण हानि कम हुई है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) इस मामले में अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश दिए जा चुके हैं। 11 के० वी० फीडरों में नुकसान को कम करने के लिए एक पायलट परियोजना भी बताई गई है। पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करने के लिए उठाए गए प्रभावशाली कदमों की जानकारी तभी मिल सकेगी जब वर्ष 1985-86 के लिए विद्युत उपभोग लेखे प्राप्त हो जाएंगे तथा विद्युत प्राधिकारियों द्वारा संकलित कर लिए जाएंगे।

(ङ) अधिकांश विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में पारेषण और वितरण हानियां अधिक होती हैं।

उड़ीसा में कागज की मिलें

4702. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी कागज की मिलें स्थापित की गई है;

(ख) ये मिलें कहां स्थापित हैं;

(ग) सरकार के प्रबन्ध में कितनी मिलें हैं; और गैर सरकारी प्रबन्ध में कितनी मिलें हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) कागज और गत्ता बनाने के लिए संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में स्थापित किए गए एककों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	एकक का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता
1.	मैं० आरिएन्ट पेपर मिल्स	बृजराजनगर	76,000
2.	मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड	चौधवाड़	18,000
3.	मै० स्ट्रॉ प्राडक्ट्स लिमिटेड	रायगढ़	50,500
4.	मै० कोर्णाक पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	जिला मयूरभंज	4,800
5.	मै० इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड	जिला बालासौर	6,500
6.	मै० सेवा पेपर मिल्स	जिला कोरापुट	25,000

उपयुक्त सभी मिलें गैर सरकार प्रबंध के अधीन हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

4703. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में देश में विभिन्न भागों में उनके मन्त्रालय द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में विभिन्न जिलों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं।

(ग) उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में 1984-85 और 1985-86 (31 जनवरी, 1986) में टेलीफोन जिलों तथा दूरसंचार सर्किलों में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण-एक में दी गई है ।

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में उक्त दो वर्ष में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण-दो में दी गई है ।

(ग) 29-3-1986 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या-3963 है ।

(घ) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए मौजूदा एक्सचेंजों में जहां कहीं संभव हो, विस्तार करने तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों ।

विवरण—एक

कुल डी०ई०एल०एस० कुल डी०ई०एल०एस०

क्रम सं०	दूरसंचार सर्किल	1984-85 के दौरान उपलब्ध कराये गये	1985-86 में 31-1-86 तक उपलब्ध कराए गए
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10983	2861
2.	बिहार	3245	1473
3.	गुजरात	7039	2590
4.	जम्मू तथा काश्मीर	757	555
5.	कर्नाटक	9764	8025
6.	केरल	3415	5935
7.	मध्य प्रदेश	7281	2648
8.	महाराष्ट्र	9609	8545

1	2	3	4
9.	उत्तर-पूर्व	1402	1086
10.	उत्तर पश्चिम	8097	4181
11.	उड़ीसा	3672	2225
12.	राजस्थान	3484	2736
13.	तमिलनाडु	14211	4257
14.	उत्तर प्रदेश	12092	2850
15.	पश्चिम बंगाल	2020	726
	योग	97071	50693

क्रम संख्या	महानगरीय जिले	1984-85 के दौरान उपलब्ध कराए गए	1985-86 में 31-1-1986 तक उपलब्ध कराए गए
1	2	3	4
1.	बम्बई	45420	22418
2.	कलकत्ता	7509	3338
3.	दिल्ली	25435	18266
4.	मद्रास	9277	2911
		योग = 87641	= 46933

बड़े जिले

1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	11516	4014
2.	बेंगलूर	4820	3932
3.	हैदराबाद	4386	3146
4.	कानपुर	138	1112
5.	पुणे	4441	3834
		योग = 25301	= 16038

1	2	3	4
छोटे जिले			
1.	भोपाल	•	270
2.	चण्डीगढ़	343	269
3.	जयपुर	3427	618
4.	लखनऊ	2107	202
5.	पटना	543	474
6.	त्रिवेन्द्रम	2756	284
7.	आगरा	239	—177
8.	इलाहाबाद	324	10
9.	अमृतसर	30	31
10.	बड़ोदरा	48	788
11.	कालीकट	98	— 11
12.	कोयम्बतूर	764	181
13.	एर्नाकुलम	944	669
14.	गुवाहाटी	666	623
15.	इन्दौर	3514	728
16.	जालंधर	245	164
17.	लुधियाना	48	— 39
18.	मदुरै	1007	803
19.	नागपुर	1170	391
20.	राजकोट	— 1	407
21.	सूरत	107	15
22.	वाराणसी	284	303
23.	विजयवाड़ा	829	630
	योग =	19492	= 7833
	कुल योग =	229505	= 121497

विवरण-दो

क्रम सं०	जिले का नाम	उपलब्ध कराए गए कुछ टेलीफोन कनेक्शन 1984-85	1985-86 (19-3-1986 तक)
1	2	3	4
1.	बालासोर	161	259
2.	बोलनगीर	112	124
3.	कटक	485	314
4.	ढेनकनाल	302	200
5.	गंजाम	175	508
6.	कालाहांडी	72	11
7.	क्योंझर	51	46
8.	कोरापुट	318	127
9.	मयूरभंज	122	214
10.	फुलबनी	41	56
11.	पुरी	1,329	1,179
12.	सम्बलपुर	218	181
13.	सुन्दरगढ़	286	3?8

पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों का निर्माण

4704. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों के कितने संयंत्र लगाने की मन्जूरी दी गई और इसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों को कितने की मंजूरी दी गई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : एल०पी०जी० सिलेन्डरों का निर्माण करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। हां, संगठित क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल के 27 एकक और अन्य राज्यों के 750 एकक एल०पी०जी० सिलेन्डरों का निर्माण करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत किए गए थे।

गुजरात में कोयले के भण्डारों का खनन

4705. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोयला भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और यह कब किया गया;

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इनके खनन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में तेल के लिए ड्रिलिंग कार्य करते समय मेहसाना-कलोल क्षेत्र में 700 से 1700 मीटर की गहराई पर कोयले के भण्डार का पता लगाया है जिसका अनुमान लगभग 63 बिलियन टन का है। इन गहरी कोयला सीमों से परम्परागत खनन पद्धतियों से खुदाई करना संभव नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की केन्दुआडीह कोयला खान का बन्द होना

4706. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या 7 में बन्द केन्दुआडीह कोयला खान को पुन: शुरू किया गया है, यदि हां, तो ये खानें किस तारीख से पुन: आरम्भ की गई तथा 1 जनवरी, 1986 को इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे और उनमें कोयले का कितना उत्पादन हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका मूल नाम समाप्त कर दिया गया है और इसका भागबंध कोयला खान के साथ विलय कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खानों को पुन: आरंभ करने के बाद किसी श्रमिक को वापस लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां। एरिया-7 में केन्डवाडीह इंकलाइन खान की 18वीं सीम को जुलाई, 1975 में फिर से शुरू किया गया था एवं उत्पादन फरवरी, 1981 से प्रारंभ हो गया था। इस समय इसमें 259 व्यक्ति नियोजित हैं एवं प्रतिदिन उत्पादन लगभग 160 टन है।

(ख) इसके मूल नाम को समाप्त नहीं किया गया है लेकिन प्रशासनिक एवं परिचालन कार्य की सुविधा हेतु केन्डवाडीह खान की 18वीं सीम को भागाबन्द कोलियरी में मिला दिया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, राष्ट्रीयकरण के समय केंडवाडीह खान की 18वीं सीम में कोई कामगार नियोजित नहीं था। इस सीम में काम इसके मालिकों द्वारा वर्ष 1966 में किसी समय रोक दिया गया था। अतः किसी कामगार को वापस काम पर लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच

4707. **डा० ओ० विजय रामा राव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार, विशेषरूप से भ्रामक और गलत विज्ञापनों के आधार पर जांच कार्यों में और तेजी कर दी है जैसाकि 18 फरवरी, 1986 के इकानिमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग निष्पक्ष होकर अनुचित व्यापारिक व्यवहार के संबंध में नए कानून के बारे में समाचार पत्रों में प्रचार के माध्यम से कम्पनियों पार्टियों को उसी प्रकार से जानकारी देगा जिस तरह आयकर और सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा दी जाती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) : वर्ष 1985 की अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा संस्थापित जांचों से, यह दिखाई दिया है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं, जिनमें भ्रामक और गलत विज्ञापन सम्मिलित है, के संबंध में 1984 के बाद संस्थापित जांचों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, सभी महत्वपूर्ण मामलों में जब जांचें संस्थापित की जाती हैं और जब अन्तिम आदेश पारित किये जाते हैं तो प्रैस विज्ञप्ति जारी करता है। ये प्रैस विज्ञप्तियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से सम्बन्धित उपबन्धों और आयोग की शक्तियों के विषयों में जनता में जागरूकता उत्पन्न करती हैं।

एन्जाईम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

4708. **श्री शान्ति धारीवाल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियां पाचन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एन्जाईम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर रही है;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय इस मूल्य वृद्धि से सन्तुष्ट है;

(ग) क्या ये औषधियां मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्माताओं ने मूल्यों में वृद्धि करने के लिए अनुमति ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इन दवाओं के मूल्यों को नियन्त्रित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एनजाईम उत्पाद औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन मूल्य अनियन्त्रित हैं। इसलिए, उत्पादक सरकार के किसी पूर्व अनुमोदन के बिना अपने मूल्य संशोधित करने को स्वतन्त्र है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मूल्य निर्धारण सम्बन्धी उपबन्धों सहित, वर्तमान औषध नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय परामर्श समिति की बैठक के परिणाम

4709. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में उत्पादन, उत्पादकता और लागत सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए मजदूर संघों के नेताओं और कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कम्पनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों की गत महीने बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय परामर्श समिति की इस बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ग) कोयला उद्योग को व्यावसायिक और वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन, उत्पादकता और लागत पर विचार करने के लिए कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक दिनांक 7-3-1986 को हुई ।

(ख) विचार-विमर्श लाभदायक सिद्ध हुआ और यह निर्णय किया गया कि "कोयला उद्योग की द्विपक्षीय समिति" की अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं ताकि कोयला उद्योग में उत्पादन, उत्पादकता और लागत से सम्बन्धित मामलों पर विचार होता रहे ।

(ग) बेहतर उत्पादन, उत्पादकता और वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से कोयला कम्पनियों के प्रबन्ध में सुधार करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों में यह बातें शामिल हैं—नई खानों में निवेश, बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाना, पहले से ही उपलब्ध खनन क्षमता का पूरा उपभोग, उपकरणों का अधिक दक्षता से प्रयोग और उनका बेहतर रख-रखाव, भण्डार-सामग्री के प्रयोग पर कड़ा नियन्त्रण और उसमें किफायत, अनुपस्थिति की

प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके तथा अनुशासन लागू करके और बेशी कामगारों का पता लगाकर एवं उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर पुन: काम पर लगाकर जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटक पदार्थ, लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धता, तेजी से प्रेषण करके और अधिक व्यवस्थित ढंग से वितरण करके खान-मुहाना स्टाक कम करना, नई परियोजनाओं को शीघ्रता से और समय से पूरा करना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार और बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में माफिया गतिविधियों पर नियंत्रण।

ए-ट्यूबों और लोहे की तारों की कमी

4710. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान, विशेषरूप से ए-ट्यूबों और लोहे की तारों की कोई कमी है जिसके परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने और टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के कार्य में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है और इस समय, जबकि गैर-सरकारी उद्यमियों को सम्बद्ध करने का भी निर्णय किया गया है, इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को कब तक दूर किए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, नहीं। इस समय साज-सामग्री विशेष रूप से ए-ट्यूब और आयर वायर की कोई विशेष कमी नहीं है

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में भारी उद्योग

4711. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन राज्यों में कम-से-कम एक भारी उद्योग यूनिट स्थापित की जायेगी जिनमें अभी तक ऐसी यूनिट नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान राज्य-वार स्थापित किए गए भारी उद्योग यूनिटों के नाम क्या हैं और उन्हें कहां-कहां पर स्थापित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस असन्तुलन के क्या कारण हैं और उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां अभी तक एक भी सरकारी क्षेत्र का भारी उद्योग नहीं है; और

(घ) क्या ऐसे राज्यों में कम-से-कम ऐसी एक यूनिट स्थापित करने का विचार है जहां सम्बन्धित राज्य सरकार और जन प्रतिनिधियों ने इसकी मांग की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्यम विभाग के अधीन देश में सरकारी क्षेत्र में किसी नई भारी इंजीनियरी परियोजना को स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा मणिपुर में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई भारी इंजीनियरी एकक नहीं हैं। नई परियोजनाओं की स्थापना तथा स्थान का चुनाव तकनीकी-आर्थिक बातों पर आधारित होता है।

वर्तमान विभागीय उप-डाकघरों का नये भवनों में स्थानान्तरण

4712. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघर विभाग ने मितव्ययिता के उपायों के रूप में अतिशय व्यय को, विशेषकर गैर-योजना क्षेत्र में, कम करने का अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्तमान विभागीय उप-डाकघरों को अधिक किराए वाले नये भवनों में स्थानांतरित करने के अनेक प्रस्ताव किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक पोस्टल डिवीजन में वर्तमान भवनों से उप-डाकघरों को स्थानांतरित करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा नये भवनों में स्थानांतरित से किराये में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) क्या मितव्ययिता अभियान के कारण इन सभी प्रस्तावों को स्थगित कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं, वर्तमान आवास में स्थान की कमी, इमारत को खाली करवाने के लिए मकान मालिक की निरन्तर मांग होने आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डाकघरों को किराये की एक इमारत से किराए की दूसरी इमारत में ले जाया जाता है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक डाक मंडल के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं। प्रत्येक मामले पर उसके गुण व दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

कोयले से इंधन प्राप्त करने के लिए "पाइलट" परियोजनायें स्थापित करना

4713. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी कोयला खानों में अभी भी भूमिगत आग लग जाती है जिससे हमारी खनिज सम्पदा कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उपाय किये गये हैं/करने का विचार है तथा अभी तक अनुमानत: कितना नुकसान हो चुका है;

(ख) क्या कोयले से इंधन प्राप्त करने के लिए 1954 में सर जे० सी० घोष की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने की सिफारिश की थी जैसा कि पश्चिमी जर्मनी में किया गया है और यदि हां, तो अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेट्रोल में अल्कोहल के प्रयोग को बन्द कर देने के कारण इंधन के लागत मूल्य बढ़ जाने से इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) इस समय देश की भूमिगत कोयला खानों में 84 स्थानों पर आग लगी होने की रिपोर्ट है। इन स्थानों पर शताब्दी के शुरू से आग लगी हुई है। अकेले झरिया कोयला क्षेत्र में ही आग के कारण 36 मिलियन टन कोयले का नुकसान होने का अनुमान है। विभिन्न कोयला कम्पनियों में 65 स्थानों की आग से निपटने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं। शेष स्थानों की आग से निपटने के लिए परियोजनाएं बनाई जा रही हैं।

(ख) घोष समिति (1956) ने कोयले से संश्लिष्ट तरल इंधन के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया था।

(ग) आमतौर पर, यह कहा जा सकता है कि कोयले से तेल बनाने का आर्थिक पहलू लाभकारी नहीं है।

पोर्ट ब्लेयर में खाना पकाने की गैस की सुविधा

4714. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर सहित सभी जिला मुख्यालयों में इण्डेन की खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराने का पहले निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को अब तक पोर्ट ब्लेयर तक न पहुंचने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसके मन्त्रालय का पोर्ट ब्लेयर तक यह सुविधा कब तक पहुंचने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे आर्थिक सम्भाव्यता होने पर जिला मुख्यालयों में वरीयता के आधार पर एल० पी० जी० सुविधायें मुहैया करें। परिवहन प्रबन्धों, लागतों, आधारभूत आवश्यकताओं आदि, जैसे सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अण्डमान और निकोबार प्रशासन तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन पोर्ट ब्लेयर में एल०पी०जी० के विपणन की संभावना की जांच कर रहा है।

पोर्ट ब्लेयर के लिए 5000 लाइनों का एक नया टेलीफोन एक्सचेंज

4715. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर के लिए 5000 लाइनों का एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था;

(ग) यह प्रस्ताव किस अवस्था में है और उसके कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने उक्त टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण के लिए किसी स्थान पर भूमि का आबंटन कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्थान पर भूमि का आबंटन कब लिया गया था और उस भूमि पर टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) पोर्ट ब्लेयर में एस०टी०डी० की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है और इसके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में मौजूदा स्ट्रोजर एक्सचेंज के स्थान पर 1500 लाइनों की प्रारम्भिक क्षमता वाला एक क्रासबार आटोमेटिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है। इस प्रस्तावित क्रासबार एक्सचेंज के लिए नवंबर 1983 में उपस्कर अलाट किया गया था।

(ग) परियोजना प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गई है। इस एक्सचेंज के आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में चालू हो जाने की सभावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भूमि 23-5-83 को अलाट की गई थी। भवन के नक्शे की मंजूरी जैसी प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी हो चुकी है और प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य के एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ होने की संभावना है।

(च) एस०टी०डी० सुविधा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में स्विच उपस्कर लगा दिया गया है और उपग्रह चैनलों के उपलब्ध होने के बाद 1986-87 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा चालू हो जाने की संभावना है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संबंधी डाक सलाहकार समिति की बैठकें

4716. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की डाक सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) यदि कोई बैठकें नहीं बुलाई गई तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हो सकी। अन्तिम बैठक दिसम्बर, 1982 में हुई थी।

(ख) समिति का कार्यकाल 31-12-83 को समाप्त हो गया था और 18-7-85 को नई समितियां गठित की गई। 13-11-1985 को आयोजित बैठक कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। अगली बैठक अप्रैल, 1986 में किसी समय आयोजित होनी है।

कम्पनियों द्वारा विदेशी व्यापार चिन्हों का उपयोग

4717. श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग की अनुमति देते समय प्राय: एक शर्त रखी जाती है कि किसी भी विदेशी व्यापार चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) यह सुनिश्चित किये जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उक्त शर्त का पालन किया जा रहा है;

(ग) इस पर निगरानी रखने के लिए कौन-सी प्रणाली उपलब्ध है; और

(घ) इस प्रकार के मामलों में की गई अथवा की जाने वाली पैनल कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार आंतरिक बिक्री के लिए वस्तुओं पर विदेशी ट्रेडमार्क के प्रयोग की अनुमति नहीं दे रही है। इस शर्त को लागू करने के लिए मानक शर्तों में संशोधन किया गया है और यह अभिव्यक्त करने की बजाय कि आंतरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ट्रेडमार्कों के प्रयोग की आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाती, परिशोधित शर्त अब इस प्रकार पढ़ी जाए—

"आंतरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर इनके प्रयोग के लिए कोई आपत्ति नहीं हैं।"

(ग) और (घ) विदेशी सहयोग स्वीकृतियों के संबंध में अनुवर्ती कारंवाई विभिन्न प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा की जाती है। इस लिए स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न शर्त का पालन न करने के लिए कारंवाई, उस वस्तु जिसके लिए विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग किया जाता है, से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी।

कलकत्ता और हावड़ा सर्किलों में खराब टेलीफोन सेवा

4718. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हावड़ा सर्किलों से बार-बार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वहां टेलीफोन व्यवस्था खराब रहती है और जिसके फलस्वरूप स्थानीय तथा ट्रंक कालों के सही और शीघ्र मिलने में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए किये जा रहे उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए उपाय

(एक) कार्य अवधि समाप्त करने वाले तथा घिसे-पिटे टेलीफोन एक्सचेंज को बदलना तथा मरम्मत योग्य उपस्कर के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करना।

(दो) केबिल पी०सी०एम० तथा फाइबर आपटिक्स सूक्ष्मतरंग प्रणाली की व्यवस्था करके अंत: एक्सचेंज नेटवर्क का सुधार व विस्तार।

(तीन) जेली भरे केबिलों, ड्राई केबिलों के दाबीकरण उक्त उपलब्ध कराने बड़े शहरों व कस्बों में जनोपयोगी समन्वय बोर्डों का गठन करके प्रणाली के सबसे कमजोर सम्पर्क, बाह्य संयंत्र की पुर्नस्थापना।

(चार) इलेक्ट्रानिक ट्रंक एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि तथा पेटाकोन्टा क्रासबार ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर को, जो बड़े पैमाने पर एस०टी०डी० कालों की असफलता के लिए उत्तरदायी है, हटाना ।

(पांच) महानगरों के बीच पारेषण माध्य की क्षमता में वृद्धि करना तथा पर्याप्त चैनेलिंग उपस्कर की व्यवस्था करना ।

(छः) कुछ महत्वपूर्ण आटो मैनुअल सेवाओं यथा निर्देशिका पूछताछ तथा ट्रंक बुकिंग/पूछताछ का कंप्यूटरीकरण ।

पंजाब और हरियाणा में वर्ष 1986 के दौरान नये डाकघर

4719. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और हरियाणा में वर्ष 1986 के दौरान कुल कितने नये डाकघर खोलने का विचार है और वे कहां-कहां पर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य (श्री राम निवास मिर्धा) : पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को देखते हुए 1986 के दौरान पंजाब और हरियाणा में कोई नया डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

बैल शक्ति और बायोगैस

4720. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोगैस प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले अगुआ देशों में से एक होने पर भी देश में वास्तव में केवल 2-3 लाख बायोगैस संयंत्र चल रहे हैं जबकि चीन में इनकी संख्या 70 लाख से भी अधिक है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार बैलगाड़ी सहित बैल शक्ति बढ़ाने की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रही है, जिसका अनुमानित पूंजीनिवेश रेलवे के बराबर है और यदि हां, तो सातवीं योजना में क्या ठोस योजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में बैलगाड़ी और बैल शक्ति को प्रौद्योगिकी ध्येय बनाने पर विचार किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) विभिन्न एजेन्सियों द्वारा भिन्न कृषि-मौसमी क्षेत्रों के लिए बैलगाड़ियों के विभिन्न उन्नत प्रकार के नमूनों और पशु चालित वाहनों के साथ-साथ कृषि उपकरणों को विकसित किया जा चुका है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उन्नत प्रकार की बैलगाड़ियों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय परियोजना निर्माणाधीन है। भारवाही पशुपति के एक केन्द्र को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) जी, नहीं। भारत में 5.5 लाख से अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा किए गए मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन दर्शाते हैं कि 1981-82 से बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत स्थापित संयंत्रों में से 85 प्रतिशत से अधिक संयंत्र अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। चीन की पिछली रिपोर्टें लगभग 70 लाख संयंत्रों की स्थापना को दर्शाती थी जबकि चालू रिपोर्टें दर्शाती हैं कि लगभग 45 लाख संयंत्र ही कार्य कर रहे हैं। फिर भी चीन के संदर्भ में सूचना की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

(ग) प्रौद्योगिकी ध्येयों के लिए कुछ क्षेत्रों को निश्चित किया जा चुका है जैसा कि रष्ट्रपति के भाषण में उल्लेख किया गया है, तथा प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के सुझावों पर आधारित कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने की संभावना है। इसके साथ-साथ महत्ता के क्षेत्रीय/विभागीय कार्यक्रमों को अधिक महत्व, जितना संभव हो, देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के साथ स्थिर बैल शक्ति, उच्च श्रेणीकरण, तथा उन्नत प्रकार की तकनीकों के बड़े पैमाने पर प्रसार संबंधी कार्यक्रमों को अब प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है चाहे इसे प्रौद्योगिकी ध्येय के रूप में शामिल किया जाए अथवा नहीं।

[हिन्दी]

उत्तरी राज्यों में बिजली की कमी

4721. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी राज्यों में बिजली की कमी है और इसके परिणाम-स्वरूप कृषि और उद्योगों को बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो (जम्मू तथा काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बिजली का वार्षिक उत्पादन तथा खपत कितनी-कितनी है;

(ग) क्या इनमें से कुछ राज्यों में बिजली का उत्पादन उनकी खपत से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या उनकी फालतू बिजली का इस्तेमाल करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान समूचे उत्तरी श्रेत्र में 11% विद्युत की कमी थी। मांग को उपलब्धता के अन्दर सीमित रखने के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं पर विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तथापि, विद्युत की सप्लाई में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उत्तरी क्षेत्र के किसी भी राज्य में सतत आधार पर फालतू विद्युत उपलब्ध नहीं है। मांग कम होने आदि के कारण जब कभी फालतू विद्युत उपलब्ध हो जाती है, इस प्रकार की फालतू विद्युत को कमी वाले राज्यों में उपयोग करने का प्रयास किया जाता है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मांग	उपलब्धता	फालतू (+) कमी (−)%
हरियाणा			
1985-86			
(फरवरी, 86 तक	5067	3815	—1252 (24.7)
हिमाचल प्रदेश			
1985-86			
(फरवरी, 86 तक)	703	700	—3 (0.4)
जम्मू और कश्मीर			
1985-86			
(फरवरी, 86 तक)	1544	1307	—237 (15.3)
एन०एफ०एफ० सहित पंजाब			
1985-86			
(फरवरी, 86 तक)	9735	8806	—929 (9.5)
राजस्थान			
1985-86			
(फरवरी, 86 तक)	6370	5883	—487 (7.6)
उत्तर प्रदेश			
1985-86			
(फरवरी, 86 तक)	15933	13961	—1982 (12.4)

टेलीफोन सेवा में सुधार हेतु गैर सरकारी क्षेत्र का सहयोग

4722. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन सेवा में सुधार हेतु गैर सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दूरसंचार उपस्करों का निर्माण :

संसद द्वारा 1956 में पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संचार उपस्कर का निर्माण करना सुरक्षित रखा गया है । इस नीति के निर्धारित कार्य के भीतर भी, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उन अनेकानेक सहायक उपस्करों के निर्माण की गुंजाइश है जिनकी इस समय सप्लाई कम है । मार्च 1984 में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(i) संचार क्षेत्र के लिए स्विचन और संचारण उपस्कर के निर्माण में निजी क्षेत्र के उद्यमों का सहयोग लिया जाए जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत शेयर केन्द्र/राज्य सरकारों का हो तथा 49 प्रतिशत शेयर निजी पार्टियों का। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 के अधीन तत्संबंधी अनुमति दी गई है ।

(ii) निजी क्षेत्रों को उपभोक्ताओं के अहातों में टेलीफोन उपकरण, पी०ए०बी० एक्स० टेलीप्रिंटर जैसे दूरसंचार उपस्कर लगाने के लिए इनका निर्माण करने की अनुमति दी जाए । मार्च, 1985 में, दूरसंचार स्विचन उपस्कर की निर्माण करने की क्षमता स्थापित करने में निजी पार्टियों/सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को आगे और उदार बना दिया । ऐसा निर्णय लिया गया था कि सीमित सरकारी संसाधनों तथा स्विचन क्षेत्र में, उपस्कर में उपलब्धता कम होने के कारण टेलीमैटिक्स (सी-डी-ओटी) का विकास करने के लिए केन्द्र द्वारा अपने देश में विकसित टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करके एक इ०ए०एस० फैक्टरी स्थापित की जाए जिस पर 26 प्रतिशत तक सरकार खर्च करे तथा 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र की पार्टी खर्च करे और शेष 49 प्रतिशत आम जनता के लिए छोड़ दिया जाए ।

2. सरकार ने इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी० एक्स०/टेलीफोन/टेलीप्रिंटर आदि का निर्माण करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संगठनों को मांग पत्र/ औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1986 में तेल छिद्रण

4723. श्री पी०एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वर्ष 1986 के दौरान किन-किन स्थानों में छिद्रण कार्य आरम्भ करेगा;

(ख) इसी अवधि के दौरान निर्धारित छिद्रण कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कितनी सफलता मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) जिन क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की 1986-87 में खनन करने की योजना है वे क्षेत्र तथा इस हेतु प्रस्तावित परिव्यय इस प्रकार है :—

तटवर्ती

क्षेत्र/बिसिन	प्रस्तावित परिव्यय (लाख रुपये)
कैम्बे	17276
कच्छ-सौराष्ट्र	286
ऊपरी असम	11882
असम-अराकन फोल्ड बैल्ट	2374
बंगाल	3381
कृष्णा-गोदावरी	6872
राजस्थान	1844
हिमालयन फुटहिल्स और गंगा वैली	4293
कावेरी	2066

अपतट	प्रस्तावित परिव्यय (लाख रुपये)
बम्बई हाई	28091
कच्छ और सौराष्ट्र	3479
केरल कोंकण	318
बंगाल	12924
कृष्णा-गोदावरी	2901
कावेरी	2863
अंडमान	2269

(ग) तेल अन्वेषण में सफलता प्राप्त करना अत्यधिक सम्भावना प्रकृति का है।

संचार की बी०एफ०टी० को-एक्सिअल माइक्रोवेव और इन्सैट प्रणाली आरम्भ करना

4724. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार की बी०एफ०टी० को-एक्सिअल, और इन्सैट प्रणाली कब आरम्भ की गई थी;

(ख) उपरोक्त प्रणालियां किन परिस्थितियों में प्रारम्भ की गई थी;

(ग) प्रत्येक प्रणाली के लिए अब तक उपकरणों आदि पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा का अंश है;

(घ) प्रत्येक के लिए उपकरणों और पुर्जों के निर्माण के लिए अब तक क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) एक प्रणाली के स्थान पर दूसरी प्रणाली प्रयोग करने के परिणाम-स्वरूप फालतू हुई मशीनों को किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ये तकनीकी प्रणालियां निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रारम्भ की गई थी :—

बी०एफ०टी०	समाक्ष	सूक्ष्म-तरंग	इन्सैट
1932	1959	1965	1983

(ख) तार व टेलीफोन परियात में हुई भारी वृद्धि से निपटने तथा तेजी से बदलती तकनीकी को अपनाने के उद्देश्य से इन उच्च क्षमता वाली प्रणालियों को प्रयोग में लाया गया।

(ग) वी०एफ०टी० फिलहाल प्रयुक्त उपस्कर की अनुमानित लागत 38 करोड़ टन है। ये मै० आई०टी०आई० से प्राप्त किए जाते हैं।

उपग्रह : भू-स्टेशन की कुल लागत 95.88 करोड़ रुपये है जिसमें से आयातित उपस्कर की लागत 13.53 करोड़ रुपये है।

समाक्ष : समाक्ष उपस्कर के अब तक स्थापित किए गए 18939 मार्ग कि०मी० में से 10989 मार्ग किलो मीटर में आयातित उपस्कर का प्रयोग किया गया है।

सूक्ष्म-तरंग : सूक्ष्म-तरंग उपस्कर से अब तक स्थापित किए गए 23000 मार्ग किलो मीटर में से 17000 मार्ग किलो मीटर में आयातित उपस्कर का प्रयोग किया गया है।

(घ) बी०एफ०बी० समाक्ष सूक्ष्म-तरंग

अब इनका उत्पादन देश में ही किया जा रहा है।

उपग्रह :

उपस्कर की बहुत बड़ी मात्रा जिसमें एन्टेना उच्च शक्ति एम्पलीफायर, एस०सी०पी०सी० उपस्कर तथा सम्बद्ध सहायक उपकरण का देश में ही उत्पादन किया जा रहा है।

(ङ) इन प्रणालियों को सामान्यतया टेलीफोन और टेलीग्राफ परियात के लिए अतिरिक्त परिपथ देने हेतु विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में उपयोग किया जाता है न कि उपस्कर बदलने के लिए फिर भी जो ऑपन वायर प्रणाली फालतू हो जाती है उसे अन्य स्थान पर भेज दिया जाता है और उसकी कार्य अवधि तक पुनः प्रयोग में लाया जाता है।

नए कोयला क्षेत्रों की खोज

4725. श्री मूल चन्द डागा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(एक) उस स्थान/राज्य का नाम क्या है; (दो) उन पर कुल कितना व्यय हुआ है, (तीन) क्या खोज कार्य सफल रहा अथवा विफल रहा है, और (चार) क्या यह खोज कार्य प्राइवेट पार्टी द्वारा किया गया अथवा राज्य सरकार द्वारा;

(ख) क्या कोयले की खोज समुद्र तेल पर भी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विवरण

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नए कोयला क्षेत्रों के समन्वेषण के लिए वर्ष 1982-85 अवधि के दौरान निम्नलिखित 11 परियोजनाओं में कार्य किया :—

राज्य	जिला
1	2
मेघालय	खासी हिल
अरुणाचल प्रदेश	तिरप

1	2
पश्चिम बंगाल	बीरभूम
	बर्द्धवान
बिहार	दुमका
	पलामू
मध्य प्रदेश	रायगढ़
	सरगुजा
उड़ीसा	सम्बलपुर
महाराष्ट्र	नागपुर
	यवतमाल
पांडिचेरी	बहुरु क्षेत्र

उपर्युक्त क्षेत्रीय समन्वेषणों से लगभग सभी क्षेत्रों में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इन पर हुआ खर्च निम्नलिखित है : —

वर्ष	(रुपये लाखों में)
1982-83	87.63
1983-84	103.99
1984-85	109.13

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग

4726. श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रति वर्ष उपभोग किए गए पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत

राज्य/संघ क्षेत्र	1982-83*	1983-84	1984-85*
1	2	3	4
क. राज्य			
आन्ध्र प्रदेश	1881	2036	2152
आसाम	583	585	688
बिहार	1886	1815	1878
गुजरात	4337	4412	4679
हरियाणा	1013	1040	1135
हिमाचल प्रदेश	84	92	105
जम्मू-कश्मीर	163	181	188
कर्नाटक	1387	1489	1653
केरल	1119	1169	1295
मध्य प्रदेश	1353	1536	1668
महाराष्ट्र	5626	6135	6590
मणिपुर	49	62	50
मेघालय	36	51	53
नागालैंड	27	32	29
उड़ीसा	632	606	689
पंजाब	1704	1838	1965
राजस्थान	1255	1259	1423
सिक्किम	9	9	9
तमिलनाडु	3296	3333	3557
त्रिपुरा	37	38	40

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	3282	3365	3818
पश्चिम बंगाल	2347	2602	2760
ख. संघ शासित प्रदेश			
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	26	25	29
अरुणाचल प्रदेश	21	17	20
चण्डीगढ़	89	114	124
दिल्ली	1249	1404	1553
दादरा और नगर हवेली	3	5	3
गोवा, दमन व दीव	461	425	589
लक्षद्वीप	1	3	1
मिजोरम	21	17	22
पांडिचेरी	52	56	63

*604 मी० टन ल्यूब तथा ग्रीसों की बिक्री को छोड़कर जिसका राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

*अनन्तिम

गांवों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का मानदण्ड

1727. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या गांवों में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या को भी एक मानदण्ड के रूप में निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो न्यूनतम संख्या क्या है और क्या इस न्यूनतम संख्या की सीमा का प्रत्येक मामले में पालन किया जाता है; और

(घ) दहोद (गुजरात) के गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज न खोलने के क्या कारण हैं जबकि यह उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या की सीमा और अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सभी मामलों में न्यूनतम सीमा का पालन किया जाता है। न्यूनतम संख्या के बारे के जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस समय दाहोड में ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है जो टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की निर्धारित शर्तें पूरी करता करता हो।

विवरण

ग्रामीण/पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में नीति

डाक तार विभाग के सामान्य नियमों के अन्तर्गत, टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने हेतु परियोजनाएं केवल परियोजना के वित्तीय मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात ही स्वीकार की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो। हालांकि उपस्कर भंडार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंजों हेतु अत्यधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारम्भिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात् भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 में अपनाई गई है।

(एक) प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजना पर, यह दबाव डाले बिना कि वह लाभप्रद हो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे एक्सचेंजों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु मांग द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा।

(दो) 10 लाइनों का एक एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम समूह में ऐसे कनेक्शनों हेतु कम से कम 5 (पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35% होना चाहिए। (फिलहाल इस समय यह लागू नहीं है क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंज को अभी विकसित किया जा रहा है। इसको कृपया नीचे पैरा (5) के सन्दर्भ में भी देखा जाए।

(तीन) 10 लाइनों के एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम समूह में ऐसे 10 केनेक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40% हो ।

(चार) 25 लाइनों का एक्सचेंज 50 लाइनों के एक्सचेंज में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाए और 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार किया जा सकता है जब मांग 46 तक पहुंच जाए बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमश: 60 और 70% हो

(पांच) सामान्य रूप में नए स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेंज की प्रारंम्भिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए । फिर भी, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि 10 लाइनों के अलेक्ट्रोनिक एस०ए०एक्स० का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सबसे छोटा एक्सचेंज 25 लाइनों की नाममात्र की क्षमता के है । 25 लाइनों के एक्सचेंज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेंज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनेक्शनों (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो ।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिए लागू हैं ।

2. छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने के लिए कम से कम 5 आपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि सप्ताह भर दिन-रात सेवा प्रदान करेंगे । क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने में काफी घाटा होता है अतः सामान्यत: 100 लाइनों से कम के हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. इस समय दूरसंचार सर्किलों के अध्यक्ष 25 लाइनों के उन छोटे स्वचल एक्सचेंजों को खोलने की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं जहां कम से कम 10 प्रत्याशित उपभोक्ताओं ने 100/— रु० की निर्धारित अग्रिम जमा के साथ अपनी मांग पंजीकृत करा ली हो । इस उद्देश्य हेतु प्रत्याशित उपभोक्ता क्षेत्र के उपमण्डल अधिकारी फोन्स/तार से संपर्क करें ।

4. ऐसे एक्सचेंजों को खोलने में किराए पर उचित भवन और एक्सचेंज उपस्कर पावर संयंत्र बैटरी केबल लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित हैं । अत: एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात् एक्सचेंज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं ।

ऊरन, महाराष्ट्र में दूसरे गैस टर्मिनल की स्थापना

4728. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को फरवरी, 1986 में महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में ऊसर में एक दूसरा गैस टर्मिनल की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस बीच इसे अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ऊसर में दूसरा गैस टर्मिनल कब तक स्थापित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की नीधि में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए सातवीं योजना की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के ऊसर में एक टर्मिनल स्थापित करना संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की परियोजनाएं

4729. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की सिने रंगीन पाजिटिव फिल्म और एक्स-रे ग्राफिक आर्ट्स फिल्म परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सरकार ने अब मैं० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट्स फिल्म परियोजना को स्वीकृति दे दी है ।

संसाधनों संबंधी अड़चनों के कारण सिनेमा की रंगीन फिल्म के लिए स्वीकृति देना संभव नहीं हो सका है ।

चलते-फिरते टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात

4730. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलते-फिरते टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इन चलते-फिरते टेलीफोन एक्सचेंजों की सप्लाई किन देशों ने की है;

(ग) कितने चलते-फिरते टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात किया गया है; और

(घ) इन एक्सचेंजों को कहां स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) नीदरलैंड।

(ग) 60,000 लाइनों की क्षमता वाले 25 मोबाइल टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात किया गया है।

(घ) (क) निम्नलिखित 19 स्थानों पर मोबाइल टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं :—

राज्य	स्थान	
(1) आन्ध्र प्रदेश	(1) कुर्नूल	
(2) आसाम	(1) डिब्रूगढ़	(2) तिनसुकिया
(3) बिहार	(1) गया	
(4) गुजरात	(1) गांधीधाम	(2) मेहसाना
	(3) पोरबन्दर	(4) वेरावल
(5) हरियाणा	(1) गुड़गांव	(2) सिरसा
(6) कर्नाटक	(1) गुलबर्ग	(2) उदीपी
(7) केरल	(1) चंगनचेरी	
(8) मणीपुर (संघ क्षेत्र)	(1) इम्फाल	
(9) गोआ (संघ क्षेत्र)	(1) मरगाओ	
(10) पंजाब	(1) खन्ना	
(11) राजस्थान	(1) ब्यावर	(2) पाली मारवाड़
(12) तमिलनाडु	(1) करूर	

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर छः मोबाइल टेलीफोन एक्सचेजों का संस्थापन किया जा रहा है।

राज्य	स्थान
(1) असम	जोरहट
(2) गुजरात	गांधी नगर
(3) जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर
(4) महाराष्ट्र	कालंबोली
(5) पंजाब	अबोहर
(6) राजस्थान	अलवर

वायरलैस मानीटरिंग स्टेशन, जयनगर, बंगलौर से हटाकर अन्यत्र ले जाना

4731. श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में जयनगर के 5वें ब्लाक में स्थित वायरलैस मानीटरिंग स्टेशन, को कहीं अन्यत्र ले जाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

धर्मस्थल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

4732. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मस्थल के एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान को ध्यान में रखते हुए जहां प्रतिदिन अति विशिष्ट व्यक्तियों सहित हजारों भक्त यात्रा पर आते हैं एस०टी०डी० की सुविधाओं वाला एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज, जिसके अन्तर्गत बेलथोंगाड़ी, ऊजीरें और धर्मस्थल शामिल होंगे, स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसको किस तारीख तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) पर दिए गए उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में तारों के वितरण में विलम्ब

4733. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान तारों का वितरण न किये जाने अथवा बहुत विलम्ब से किये जाने के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार ने सेवा में सुधार करने हेतु इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क)

बिहार दूरसंचार सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1982-83	235
1983-84	308
1984-85	356

(ख) संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कारंवाई भी की जाती है। उचित मामलों में तार की लागत लौटाने पर भी विचार किया जाता है।

वर्ष 1984-85 के दौरान बन्द हुए बड़े उद्योग

4734. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान बन्द किए गए बड़े उद्योगों की संख्या क्या है; और

(ख) इन उद्योगों के बन्द होने के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत कारखानों के संदर्भ में देश में बन्द पड़े हुए औद्योगिक एककों के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना श्रम मंत्रालय द्वारा एकत्र की जाती है और "इंडियन लेबर जर्नल" में प्रकाशित की जाती है जोकि श्रम ब्यूरो, भारत सरकार का एक मासिक प्रकाशन है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बिहार के सहरसा जिले में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4735. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से 28 फरवरी, 1986 तक बिहार के सहरसा जिले में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए;

(ख) इस अवधि के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) 31 जनवरी, 1986 को सहरसा जिले में प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे; और

(घ) बिहार में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बिहार के सहरसा जिले में 1 जनवरी, 1985 में 28 फरवरी, 1986 तक 21 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए ।

(ख) 1 जनवरी, 1985 से 28 फरवरी, 1986 तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 100 आवेदन प्राप्त हुए ।

(ग) सहरसा जिले में जनवरी, 1986 तक 47 आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे ।

(घ) बिहार में निम्नलिखित स्थानों पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

1. हाजीपुर
2. मधुबनी,
3. पूर्णिया
4. मंवादाह
5. डुमका
6. पटना
7. रांची

(गया में फरवरी, 1986 में पहले ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया गया है)

बिहार में उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की सप्लाई

4736. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खाना पकाने की गैस सिलेन्डरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गैस की सप्लाई में सुधार करने और ग्राहकों को उसी दिन अथवा अगले दिन खाना पकाने के गैस सिलेण्डरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) कार्यात्मक और वितरण संबंधी समस्याओं के कारण बिहार के कुछ भागों में हाल ही में एल० पी० जी० की सप्लाई में कमी हुई है ।

(ग) इसक कारण बरौनी और हल्दिया सप्लाई से वृद्धि की गई है तथा दीर्घावधिक में पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये जमशेदपुर में एक बार्टलिंग संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

कोयला कम्पनी और कोयला डिवीजन की स्थापना

4737. श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही }
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 में देश में कोयला कम्पनियों और कोयला डिवीजनों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित की गई नई कम्पनियों और डिवीजनों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसी कम्पनियों और डिवीजनों की स्थापना किस आधार पर की गई है;

(घ) क्या उड़ीसा में एक कोयला कम्पनी और डिवीजन स्थापित करने की कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के उत्पादन में परियोजित वृद्धि और परिकल्पित निवेश, इन दोनों कम्पनियों के विस्तृत भौगोलिक कार्यक्षेत्र, इनके सामने आ रही प्रबंधकीय, तकनीकी और संचारी समस्याएं, आदि बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को विभक्त करके कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के रूप में दो नई कम्पनियां बनाने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों नई कम्पनियों अर्थात नार्दन कोल फील्ड्स लि०, (मुख्यालय सिंगरोली—मध्य प्रदेश) और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० (मुख्यालय बिलासपुर—मध्य प्रदेश) को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन दिनांक 28-11-1985 से नियमित किया गया है।

उड़ीसा के लिए अलग से एक कम्पनी/प्रभाग का गठन करने के लिए अभिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। चूंकि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के भूतपूर्व इब घाटी क्षेत्र और सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० के भूतपूर्व तालचेर क्षेत्र को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया है, अतः इन दोनों क्षेत्रों और उड़ीसा राज्य के हितों की रक्षा इस कम्पनी के नियंत्रण में अच्छी प्रकार हो जाएगी। फिलहाल, उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों के लिए अलग से किसी कोयला कम्पनी के गठन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्पादन इतना नहीं है कि एक अलग कम्पनी का गठन उचित ठहराया जा सके।

मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रमों को जारी किये गये आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस

4738. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 15 मार्च, 1986 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के उपक्रमों को कितनी आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये;

(ख) उनमें से कितने उपक्रमों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार कुछ निजी उद्यमियों के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र में भी ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1983 और 15 मार्च, 1986 के बीच मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग विकास निगम सहित राज्य सरकार के उपक्रमों को 16 आशय-पत्र और 7 औद्योगिक लाइसेंस (2 कार्य जारी रखने के लिए लाइसेंस सहित) स्वीकृत किए गए थे। चूंकि एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं इसलिए इन आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों में शामिल की गई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में होगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य उद्योग विकास निगम उनको जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित करने में सक्षम गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सम्मिलित कर सकता है। परन्तु राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा गैर सरकारी उद्यमियों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किये गये औद्योगिक विकास केन्द्र

4739. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के लिए कितने नये औद्योगिक विकास केन्द्र स्वीकृत किये है,

(ख) इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिये दी गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि राज्य को दिये गये अनुदान का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान इन विकास केन्द्रों में विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिये किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने "उद्योग रहित जिलों" में किसी भी विकास केन्द्र को निर्धारित नहीं किया था । तथापि, सितम्बर, 1985 में भिंड, मंडला, झाबुआ, धार, पन्ना और राजगढ़ के "उद्योग रहित" प्रत्येक जिले में एक-एक विकास केन्द्र सहित 6 विकास केन्द्रों को निर्धारित किया गया था और उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है । राज्य सरकार ने अपेक्षित परियोजना रिपोर्टें अभी तैयार करनी हैं ।

साफ्ट कोक की किस्म और उत्पादन

4740. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक दशक से साफ्ट कोक के उत्पादन में तेजी से गिरावट आती रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के उत्पादन के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ इस अवधि के दौरान साफ्ट कोक की किस्म में सुधार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो साफ्ट कोक के उत्पादन तथा उसकी किस्म में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क से (घ) पिछले 10 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० में साफ्ट कोक का उत्पादन निम्नलिखित रहा है :

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन
1	2
1976-77	32.5
1977-78	29.3
1978-79	23.0
1979-80	24.2
1980-81	22.6

1	2
1981-82	22.9
1982-83	17.4
1983-84	14.7
1984-85	15.9
1985-86 (अप्रैल-फरवरी)	15.9

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 1976 से 1984-84 तक उत्पादन घटा है परन्तु इसमें 1984-85 और इसके बाद से सुधार होना शुरू हो गया है। मिट्टी के तेल और "लिक्विड पेट्रोलियम गैस" आदि खाना पकाने के अन्य ईंधनों को ज्यादा पसंद करने के कारण बड़े शहरों में साफ्ट कोक के उपयोग में कमी की प्रवृत्ति रही है कोल इंडिया लि० साफ्ट कोक के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास कर रहा है ताकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कुल मांग पूरी की जा सके।

बेहतर किस्म के कोयले का इस्तेमाल करके और साफ्ट कोक के उत्पादन का यंत्रीकरण करके साफ्ट कोक की किस्म में भी सुधार करने के प्रयास किए गये हैं।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि का उससे अन्ततः प्रयोक्ताओं पर प्रभाव

4741. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे, विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों और उर्वरक संयंत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में प्रति वर्ष कोयले की कितनी मात्रा इस्तेमाल की गई;

(ख) मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा;

(ग) इसमें से कितना बोझ अन्ततः प्रयोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा; और

(घ) क्या इनमें से प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र को अपने उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि करनी पड़ेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे, विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों तथा उर्वरक संयंत्रों को कोयले के प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मि० टनों में)

क्षेत्र	प्रेषण			
	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 दिसम्बर, 85 तक
रेलवे	10.98	10.39	9.53	6.83
विद्युत संयंत्र	49.56	56.11	62.20	53.83
	+ (2.05)	+ (2.00)	+ (2.15)	+ (1.57)
इस्पात संयंत्र	23.20	24.42	23.75	17.71
उर्वरक संयंत्र	4 15	4.21	3.89	2.84

(कोष्ठक के आंकड़े मिडलिंग्स के हैं)

इस्पात क्षेत्र को कोयले का प्रेषण केवल कच्चे कोयले के हिसाब से है।

(ख) से (घ) हाल ही में कोयले की कीमतों में संशोधन पर विचार करते समय प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों पर एवं देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पर इसके भार को भी ध्यान में रखा गया था। मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों अर्थात विद्युत, इस्पात एवं रेलवे पर इसके भार का अनुमान नीचे दिया गया है :—

उपभोक्ता क्षेत्र	उत्पादन/संचालन लागत में वृद्धि (पूरे वर्षों में)
विद्युत	रु० 1.33 पैसे प्रति यूनिट (लगभग 3%)
इस्पात	रु० 191.00 प्रति टन (लगभग 2.83%)
रेलवे	रु० 39.60 करोड़ (लगभग 0.9%)

कोल इंडिय लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमत में औसत वृद्धि को इस ढंग से वितरित किया गया है कि जिन निचले ग्रेडों के कोयले का उपयोग मुख्यत: बिजली घरों जैसे सार्वजनिक हित के संस्थान करते हैं उन्हें मूल्य वृद्धि का केवल 50 प्रतिशत भार ही सहना पड़े।

राष्ट्रीय नेटवर्क डिजीटीलकरण करना

4742. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखा प्रस्तुत करते समय प्रतिवेदन में इस बात का

उल्लेख किया गया था कि भारतीय टेलीफोन उद्योग का विचार राष्ट्रीय नेट वर्क के सर्वांगीण डिजिटलीकरण और समेकित सेवा डिजिटल नेटवर्क की स्थापना में सहायता करने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रणाली की व्यवस्था करने का है ताकि उपभोक्ता सामान्य टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचारण और आंकड़ों का अभिग्रहण, आवाज और अनुकृति कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 1985 के दौरान कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग ने इस क्षेत्र में अपने लिए वर्ष 1986 के लिए क्या योजना बनाई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन शुरू कर चुकी है। एक डिजिटल इन्टीग्रेटिड लोकल एवं ट्रंक एक्सचेंज (आई० एल० टी०) का डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है और परीक्षण के आधार पर पहली इकाई, उदयमपेरुर में कार्य कर रही है। डिजिटल पारेषण उपस्कर के उत्पादन की तकनीक के हस्तांतरण के लिए कुछ निविदाओं की जांच का कार्य चल रहा है।

(ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का प्रस्ताव है कि वह वर्ष 1986-87 में 500 लाइनों की क्षमता वाले डिजिटल आई० एल० टी० का बड़ी संख्या में निर्माण करे। उनका 30 सरणी वाले पी० सी० एम० एम० यू० एक्स० उपस्कर के उत्पादन का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 में डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर की 1 लाख 20 हजार लाइनों के उत्पादन की आशा है। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा विकसित डिजिटल सूक्ष्म तरंग उपस्कर के लिए सुविस्तृत स्थल परीक्षण की आशा है।

बजट के पूर्व और बजट के बाद मोटर कारों का मूल्य

4743. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मोटर कारों और ट्रकों का मूल्य कितना था;

(ख) वर्ष 1986-87 के बजट प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने के बाद उक्त वाहनों का मूल्य कितना हो गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पाद/सीमा शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी प्रकार के मोटर वाहनों के मूल्यों में वृद्धि होगी; और

(घ) ईंधन की बचत करने के कारण किन-किन मोटर वाहनों को उत्पाद/सीमा शुल्क से छूट देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) शुल्कों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी वाहनों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा ।

विवरण

यात्री कारों तथा ट्रकों के प्रमुख निर्माताओं के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है :—

मेक तथा माडल	उत्पादन शुल्क सहित कारखाने से निकलते समय का मूल्य (रुपये में)	
यात्री कारें	बजट पूर्व	बजट पश्चात्
1. अम्बेसडर मार्क—4	69389	73730
2. कन्टेसा (पेट्रोल)	84366	91915
3. प्रीमियर पद्मनी (स्टैन्डर्ड)	66602	72614
4. प्रीमियर—118—एन०ई०	85747	92592
5. स्टैंडर्ड—2000 (एयर कन्डीशनर बगैर)	164520	177668
6. मारुति—800 (स्टैन्डर्ड) (सफेद व नीली)	49950	57100
ट्रक चेसिस		
1. टेल्को (टाटा—1210 एस०ई०/42)	193756	197385
2. अशोक लेलैंड (कोमेट 176)	191517	195178

उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु उड़ीसा को सहायता

4744. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उड़ीसा सरकार ने राज्य में बालेश्वर, बंलागीर और फूलबनी जिलों का "उद्योग विहीन" जिलों के रूप में चयन किया था और केन्द्रीय सरकार ने इन जिलों में विकास केन्द्रों के लिए मंजूरी दे दी है,

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि उड़ीसा औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकास निगम ने तीन जिलों के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन काफी समय पहले प्रस्तुत कर दिये थे, केन्द्रीय सरकार ने आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए राज्य सरकार को अभी तक आवश्यक सहायता नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त उद्योग विहीन जिलों के आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस विषय सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों और पात्रता के अनुसार उड़ीसा में बालासोर, बोलंगीर तथा फूलबनी के "उद्योग रहित जिलों" में अवस्थापना विकास हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

उड़ीसा के पुरी, कटक और बालेश्वर जिलों में तेल की खोज के लिए दिए गये ठेके

4745. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया ने जुलाई, 1985 में उड़ीसा के पुरी, कटक और बालेश्वर जिलों में तेल की खोज के लिए नौ कुएं खोदने के लिए टेंडर जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए कुएं खोदने के लिए आयल इंडिया द्वारा जारी किए गये टेंडरों के प्रत्युत्तर में किस कम्पनी की निविदा को स्वीकार किया गया है;

(ग) इस ठेके में कितने पूंजी परिव्यय का अनुमान है;

(घ) यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने और पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में तेल मिलने की कितनी संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित ड्रिलिंग संविदा का अनुमानित परिव्यय लगभग 4.77 करोड़ रुपये का होगा।

(घ) आशा है कि यह कार्य 1986-87 के मध्य में आरम्भ हो जायेगा और इसके एक वर्ष तक चलने की सम्भावना है ।

(ङ) हाइड्रोकार्बन मिलन की सम्भावना का अनुमान पहले के कुछ कुओं को खोदने के बाद ही लगाया जा सकता है ।

लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या

4746. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्त अपेक्षित है ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण—I में दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण—II में दी गई है ।

(ग) प्रत्येक उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या मामलों के संस्थित किए जाने के और उनके लंबित होने तथा प्रति न्यायाधीश मामलों के निपटारे के मानक गणितीय मार्गदर्शन सिद्धान्त और प्रमाणों का प्रयोग करते हुए किसी विशिष्ट अवधि के भीतर उन्हें निपटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों की वित्तीय भौतिक और अन्य विवशताओं को भी ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जाती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार संलग्न विवरण—III में यथा उपदर्शित 80 नए पदों के सृजन के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है ।

विवरण—I

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	31.3.1986 की उदासीन न्यायाधीशों को संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	47
2.	आन्ध्र प्रदेश	18
3.	मुम्बई	40
4.	कलकत्ता	38

1	2	3
5.	दिल्ली	21
6.	गुवाहटी	8
7.	गुजरात	17
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	जम्मू-कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	21
11.	केरल	18
12.	मध्य प्रदेश	24
13.	मद्रास	20
14.	उड़ीसा	9
15.	पटना	32
16.	पंजाब और हरियाणा	16
17.	राजस्थान	21
18.	सिक्किम	2
	योग	364

विवरण-II

विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या (31-12-1985 तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	90,617
2.	मुम्बई	1,12,088
3.	दिल्ली	68,240
4.	गुजरात	41,750

1	2	3
5.	जम्मू-कश्मीर	30,022
6.	कर्नाटक	87,608
7.	केरल	1,18,112
8.	उड़ीसा	31,362
9.	पटना	56,904
10.	पंजाब और हरियाणा	40,285
11.	सिक्किम	63 (30-6-1985 तक)
12.	इलाहाबाद	2,42,379
13.	कलकत्ता	1,42,757
14.	हिमाचल प्रदेश	9,768
15.	मध्य प्रदेश	52,463
16.	मद्रास	1,49,469
17.	राजस्थान	49,102 (31-12-1984 तक)
18.	गुवाहाटी	14,379

विवरण-III

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या	सृजित किए जाने वाले न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के तय पाए गए नए पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	60	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	26	10
3.	मुम्बई	43	17

1	2	3	4
4.	कलकत्ता	41	9
5.	दिल्ली	27	2
6.	गुवाहाटी	9	2
7.	गुजरात	21	9
8.	हिमाचल प्रदेश	6	1
9.	जम्मू-कश्मीर	7	4
10.	कर्नाटक	24	6
11.	केरल	18	3
12.	मध्य प्रदेश	29	2
13.	मद्रास	25	—
14.	उड़ीसा	12	—
15.	पटना	35	4
16.	पंजाब और हरियाणा	23	3
17.	राजस्थान	22	6
18.	सिक्किम	3	—
	योग	431	80

क्लोरोक्विन फास्फेट का उत्पादन

4747. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया निरोधक औषधि क्लोरोक्विन फास्फेट की कमी है,

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की औषधि-कम्पनियां इस औषधि का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रही हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस औषधि का उत्पादन करने में असमर्थ हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र द्वारा इस आवश्यक औषधि का उत्पादन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि देश में इसकी भारी मांग है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नही।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी पहले से ही क्लोरोक्विन फास्फेट का उत्पादन कर रही है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना

4748. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान देश के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में पागूं, पीपली, सुखीधाग, स्वाला, रीठा साहिब, बर्दखान, बंकोट, खंबाकोट और बारम में उक्त मानदण्डों के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की नीति संलग्न विवरण में दी गई है। सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में कोई पृथक मानदण्ड नहीं है।

(ख) षटभुजाकार वाली योजना के अधीन बाह्य में लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का प्रस्ताव है। पांगू, पीपली, सुर्खाधांग, स्वाला, रीठासाहिब, बर्दखान, बंकोट, ख्वानकोट में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मार्च, 1989 तक बारम में लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना है।

(घ) इस सुविधा की दृष्टि से पांगू, पीपली, सुरखीधांग, स्वाला, रीठासाहिब, बर्दखान, बंकोट, ख्वानकोट नामक स्थान विभाग की नीति के अनुसार पात्र नहीं हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन संयुक्त डाक-तारघर खोलने से संबंधित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि के दौरान घाटे पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्तं का निर्धारण किये बगैर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनायेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानी-पूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं वह इस प्रकार है :—

(एक) अनुबन्ध—एक में बतायी गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही परन्तु इसके साथ ही देश के आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलाफोन 5 कि०मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य के चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोनघर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व का पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इसी प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि०मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है लंबी दूरी क सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएं।

(तीन) गैर "विभागीय एल०डी०पी०टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त है, जहां आवश्यक होगा नियुक्त किए जाएंगे। गैर विभागीय एल०डी०पी०टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक, दूर संचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर विभागीय एल०डी०पी०टी० एजेंट का परिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति कॉल होगा लेकिन प्रतिमाह 250 रु० (दो सौ पचास रु०) से अधिक नहीं होगा और एल०डी०पी०टी० के कार्य घटें कम-से-कम 8 घण्टे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही एल०डी०पी०टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम समूहों के षटभुज आकार के क्षेत्रों (5 कि०मी० के समान भुजा वाले षटभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जाएंगे जो निर्जन है जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केन्द्र स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि०मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन०सी०ए०ई०आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

उक्त अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने के लिए स्थान निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित हांकड़ों के साथ ब्यौरेवार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक-तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली-तार प्रणाली और मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे।

हालांकि मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आवंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे।

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति

स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो ।

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तें के बगैर उत्तरोतर व्यवस्था की जाएगी ।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोतर व्यवस्था की जाएगी ।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत, तथा पर्वतीय क्षत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

8. आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शत	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
(क) मोजूदा एक्सचेंज 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होना चाहिए ।	(क) मोजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए ।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000/-रु० से अधिक नहीं होना चाहिए ।

9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए .	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/-रु० वार्षिक तथा पिछड़े/ इलाकों में 5000/-से अधिक नहीं होना चाहिए ।

10. सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारन्टी के आधार पर	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारन्टी के आधार पर

टिप्पणी :—

1. (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि०मी० के घेरे के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जाता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर छूट की इस शर्त के अन्तर्गत एक दूसरे से 0 कि०मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन नहीं खोले जा सकते ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्रम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयत दी जाएगी :

(एक) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय

(दो) जिन स्थानों पर लंम्पस (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित; और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र ।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि०मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई तारघर नहीं खोला जाना चाहिए ।

डिटर्जेंट पाउडर के उत्पादन के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर को आशय पत्र जारी करना

4749. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिलों में चलथी में और उत्तरकाशी में डिटरजेंट पाउडर का उत्पादन करने की परियोजनाओं के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर को आशय पत्र जारी किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो ये आशय-पत्र कब जारी किये गये थे;

(ग) क्या इस कम्पनी ने उन आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदलने के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थानों पर इन परियोजाओं के सम्बन्ध में निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रों के रूप में गांवों का विकास

4750. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि तक कितने गांवों का सघन वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रों के रूप में विकास किया गया है;

(ख) सांतवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त गांवों को शामिल करने और इस पर कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अनुमानित खर्च में केन्द्रीय सहायता की कितनी राशि है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के संयोजन पर आधारित ग्रामीण स्तर ऊर्जा परियोजनाएं (ऊर्जा ग्राम), उत्तर प्रदेश के 7 गांवों में अब तक पूरी की जा चुकी है। राज्य में 15 और गांवों में ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं के अन्तर्गत हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में और अधिक गांवों की योजना बनाई गई है लेकिन गांवों की सही संख्या जो कि विभिन्न राज्यों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जा सकते हैं वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) ऐसी परियोजनाओं पर व्यय प्रत्येक परियोजना में समाविष्ट होने वाले विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा संघटकों पर निर्भर होगा। विभिन्न प्रणालियों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदण्ड और निधिकरण प्रतिरूप अलग-अलग हैं। वर्तमान मानदण्डों के अनुसार, केन्द्रीय सहायता व्यय के वास्तविक भाग को संघटित करती है।

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि

4751. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों, राज्यों के विधि मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के अगस्त-सितम्बर, 1985 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालयो के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के वेतनमानों, सुविधाओं तथा सेवा-शर्तों में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए कार्यवाई की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 31 अगस्त और 1 सितम्बर, 1935 को मुख्य न्यायमूर्तियों, विधि मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के हुए संयुक्त सम्मेलन में यह तय किया गया था कि अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतन और परिलब्धियों तथा उनकी सेवा की शर्तों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। चूंकि राज्य सरकारों का मुख्य रूप से सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायपालिका से है, अत: संयुक्त सम्मेलन की सिफारिशें उचित कारंवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं।

[अनुवाद]

जबलपुर के शाहपुर गांव में गैस भरने वाले केन्द्र और बार्टलिंग प्लांट

4752. **श्री अजय मुशरान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए जबलपुर के शाहपुरा गांव में गैस भरने वाले केन्द्र और बार्टलिंग प्लांट के लिए बजट आबंटन क्या है; और

(ख) उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने शाहपुरा गांव (जिला जबलपुर) के पास भिटोनी में प्रस्तावित एल० पी० जी० भरण संयंत्र के लिए वर्ष 1985-86 में 7.98 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं ।

(ख) इस योजना के पूरा होने की लक्ष्यांकित तारीख सितम्बर 1987 है । अभी तक की गई प्रगति इस प्रकार है :—

सिविल निर्माण कार्य का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है; स्टोरेज स्फिअरों का काम आरम्भ हो गया है, परियोजना स्थल पर आयातित उपकरण पहुंच गए हैं, तथा देशी उपकरणों को प्राप्त कर लेने का काम पूरा होने वाला है ।

राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक टेलीफोन कार्यक्रम

4753. **श्री अजय मुशरान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक टेलीफोन के कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो जबलपुर (मध्य प्रदेश) में यह योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जबलपुर में 5000 लाइनों का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन प्राप्त हो जाएं ।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को दामोदर घाटी निगम से सप्लाई

4754. **डा० सुधीर राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई धीरे-धीरे घटती जा रही है;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम के लिए घाटी क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरी करना अनिवार्य है; और

(ग) क्या बर्दमान जिले में आने वाले घाटी क्षेत्र में बिजली की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने में दामोदर घाटी की असफलता से उपभोक्ताओं, विशेषकर नये उद्योगों और प्रशीतन भण्डारों के लिए गम्भीर समस्या पैदा हो गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। चूंकि दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र से बाहर पुरूलिया और कोला-घाटी के भारों को क्रमश: मई, 1983 और अप्रैल, 1984 को पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, इसलिए विद्युत सप्लाई कम रही।

(ख) दामोदर घाटी निगम के अधिनियम, 1984 की धारा 18 के अनुसार घाटी क्षेत्र में कुछ मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति 30,000 वोल्ट और अधिक वैद्युत ऊर्जा का विक्रय तथा 10,000 किलोवाट और इससे अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत उत्पादन दामोदर घाटी निगम की अनुमति के बगैर नहीं करेगा।

(ग) दामोदर घाटी निगम बर्दवान उप-केन्द्र में वर्षों से पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को अधिक ऊर्जा सप्लाई कर रहा है जिसमें से बोर्ड द्वारा घाटी के बाहर के क्षेत्रों को भी कुछ विद्युत का वितरण किया जाता है।

खाना पकाने की गैस के दोषपूर्ण सिलेण्डरों की सप्लाई

4755. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के डीलरों द्वारा प्रयोक्ताओं को दोषपूर्ण सिलेण्डरों की सप्लाई की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप सिलेण्डरों से गैस रिसती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्थानों पर खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों से गैस रिसने के कारण मौतें हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो खाना पकाने की गैल के दोषपूर्ण सिलेण्डरों की सप्लाई करने के जिम्मेवार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कारंवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ङ) एल०पी०जी० सिलेण्डरों को भरण संयंत्रों से बाहर भेजने से पूर्व रिसाव सहित अनेक प्रकार की जांच की जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरों को निर्देश है कि वे ग्राहकों को सिलेण्डरों की सप्लाई करने से पूर्व सिलेण्डरों की जांच कर लें। तथापि आवागमन के दौरान हैंडलिंग/मिसहैंडलिंग और अन्य कारणों से उपभोक्ताओं के निवास स्थान में सिलेण्डरों में लीकेज हो जाती है। उपभोक्ताओं के निवास स्थान पर होने वाले लीकेज से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। एल०पी०जी० के कारण घातक दुर्घटनायें जिनमें खतरनाक दुर्घटनायें भी शामिल हैं/हुई हैं। प्रत्येक दुर्घटना की संबंधित तेल कम्पनी द्वारा जांच की जाती है और मुख्य निदेशक विस्फोटक को इसकी

एक रिपोर्ट भेजी जाती है। इन रिपोर्टों को ध्यान में रख कर आवश्यक उपचारी कार्रवाई की जाती है।

आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभिहित विधिक प्रणाली

4756. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रहने वाले लाखों निर्धन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कारगर विधिक व्यवस्था करने के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार न्यायिक सुधारों की आवश्यकता का सतत् पुनर्विलोकन करने में लगी हुई है क्योंकि न्यायिक प्रशासन में सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार के न्यायिक सुधारों का व्यापक अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें सरकार को यथासंभव शीघ्र उपलब्ध कराने का कार्य विधि आयोग को सौंपा है। इस अध्ययन के लिए विचारार्थ-विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

न्यायिक सुधार का अध्ययन करने के संदर्भ में विचारार्थ-विषय

1. (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायतों या अन्य तंत्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

   (ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

   (iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक प्रणाली में अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके;

   न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

2. ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14 क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय;

3. प्रक्रिया संबंधी विधियां-साधारणत: मामलों को शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया

तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद 1 (i) और 1 (ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना।

4. अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग।

5. न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

6. न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका।

7. ऐसे मानदण्डों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है।

8. मुकदमेबाजी का खर्च—मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से।

9. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

10. ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की बिजली की आवश्यकता

4757. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की द्वीप समूह-वार इस समय बिजली की आवश्यकता कितनी है;

(ख) विभिन्न द्वीपसमूहों में वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय के अन्त तक बिजली की कितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विद्युत की अधिकतम मांग और विद्युत उत्पादन क्षमता (द्वीप-वार) संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऊर्जा की कुल आवश्यकता 99.43 मिलियन किलोवाट आवर प्रक्षिप्त है और इसकी तुलना में इष्टतम मांग 22.14 मेगावाट होगी। विभिन्न द्वीपों में डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए अनेक स्कीमें बनाई गई हैं और स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

संघशासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम मांग और वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में द्वीप-वार स्थिति

क्र० सं०	द्वीप का नाम	किलोवाट में विद्युत की अधिकतम मांग	किलोवाट में वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता
	1. अण्डमान द्वीप समूह		
1.	दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर)	7040	7720
2	मध्य अंडमान	992	888
3.	उत्तरी अंडमान	513	375
4.	रूथलैंड	6	—
5.	छोटा अण्डमान	246	113
6.	नील द्वीप	55	48
7.	हैवलोक	50	139
	2. निकोबार द्वीप समूह		
8.	कार निकोबार	720	515
9.	चौवरा	11	—
10.	टिरेसा	13	—
11.	केटचल	125	204
12.	कमोर्टा	250	72
13.	चैम्पियन	8	39
14.	कोण्डुल	1	—
15.	ग्रेट निकोबार	620	514
	जोड़	10650	10627

विवरण-दो

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विद्युत उत्पादन स्कीमों के नाम जो कि स्वीकृति की विभिन्न अवस्था में हैं

1. रूथलैंड द्वीप में 40.54 लाख रु० की लागत के विद्युत घर (3×45/50 किलोवाट) की स्थापना।

2. टिरेसा द्वीप में 51.57 लाख रु० की लागत के विद्युत घर (3×50 किलोवाट) की स्थापना।

3. चौवरा द्वीप में 23.24 लाख रु० की लागत के विद्युत घर (3×50 किलोवाट) की स्थापना।

4. कोण्डुल में 5.47 लाख रु० की लागत के विद्युत घर (2×15/20 किलोवाट) की स्थापना।

5. छोटे अंडमान में 200.84 लाख रु० की लागत की डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता (5×312.5 के०वी०ए०) में अभिवृद्धि।

6. कार निकोबार में 190.40 लाख रु० की लागत की डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता (3×1000 के०वी०ए०) में अभिवृद्धि।

7. पोर्ट ब्लेयर में 64.20 लाख रु० की लागत की डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता (2×1000 के०वी०ए०) में अभिवृद्धि।

8. दक्षिण अण्डमान में 702.60 लाख रु० की लागत की डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता में 10/12 मेगावाट तक अभिवृद्धि करने हेतु।

9. नानकोवरई में डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता (3×50 किलोवाट) में अभिवृद्धि।

10. उत्तरी अण्डमान 3×1000 के०वी०ए० की डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि।

11. ग्रेट निकोबार 3×1000 के०वी०ए० की डीजल विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि।

निःशुल्क विधिक सहायता बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता

4758. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि न्याय और मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को वित्तीय सहायता दे रही हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां पर यह बोर्ड कार्य कर रहे हैं; और

(ग) केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन बोर्डों को उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में और दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, पांडिचेरी तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को पूर्णतया संघ सरकार द्वारा धन दिया जाता है। पिछले दो वर्षों, अर्थात् 1984-85 और 1985-86 के दौरान संघ सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को किए गए बजट आबंटन संलग्न उपाबंध में दर्शित किए गए हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों, अर्थात 1984-85 और 1985-86 के दौरान संघ सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को किए गए बजट आबंटन

क्रम सं०	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	संघ सरकार		राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र	
		1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
1·	आन्ध्र प्रदेश	—	5,000/-	10,00,000/-	धन अभी तक नहीं दिया गया
2.	असम	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	—	—	15,00,000/-	15,00,000/-
4	गुजरात	—	1,00,000/-	8,78,000/-	7,81,000/-
5.	हरियाणा	—	24,500/-	—	5,00,000/-
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	20,00,000/-

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	40,000	50,000/-	25,00,000/-	25,00,000/-
9.	केरल	—	7,000/-	5,00,000/-	5,00,000/-
10.	मध्य प्रदेश	1,57,500/-	—	—	—
11.	मणिपुर	—	—	1,00,000/-	1,00,000/-
12.	मेघालय	50,000/-	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13.	महाराष्ट्र	35,000/-	25,000/-	25,00,000/-	25,00,000/-
14.	नागालैंड	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	उड़ीसा	—	1,00,000/-	6,00,000/-	5,00,000/-
16.	पंजाब	—	—	9,16,000/-	8,23,000/-
17.	राजस्थान	—	—	5,00,000/-	5,00,000/-
18.	सिक्किम	—	—	80,000/-	—
19.	तमिलनाडु	—	50,000/-	34,00,000/-	38,00,000/- (31-8-85 तक)
20.	त्रिपुरा	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
22.	पश्चिमी बंगाल	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
23.	दिल्ली	4,65,000/-	5,40,574.20	धन पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया।	
24.	गोवा, दमण और दीव	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25.	पांडिचेरी	—	—	40,000/-	—
26.	मिजोरम	25,000/-	—	—	—

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिहार के पास अधिगृहीत भूमि के स्वामियों के लम्बित पड़े मामले

4759. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिहार के पास अधिगृहीत भूमि के स्वामियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं और वे कितने समय से लम्बित हैं;

(ख) अधिगृहीत भूमि के स्वामियों के मामले निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गैर-योजना परिव्यय में मितव्ययता

4760. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा दूरसंचार विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गैर-योजना परिव्यय में मितव्ययता के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विभाग में गैर-योजना परिव्यय के लिए खर्च में वास्तव में कितनी प्रतिशत कटौती की गई है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई है कि डाक घरों अथवा टेलीफोन एक्सचेंज जैसे डाक अथवा दूरसंचार संस्थाओं को कम किराये वाले वर्तमान भवनों से बदल कर अधिक किराये वाले नये भवनों में ले जाने से मितव्ययता के प्रयोजन असफल न हों; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां । गैर-योजना के अन्तर्गत मितव्ययता बरतने की दिशा में अनेक कदम उठाये गए हैं।

(ख) डाक विभाग द्वारा कार्य एवं क्रियाविधि के पुनर्गठन द्वारा गैर-योजना परिव्यय में कटौती करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप गैर-योजना व्यय (मंहगाई/भत्ता अतिरिक्त मंहगाई भत्ता को छोड़कर) में विकास दर को 1982-83 में 10.58% से कम करके 1983-84 में 7.72% तथा 1984-85 में 5.90% तक लाया गया है । दूरसंचार विभाग में

इस विकास दर को 1982-83 में 18.4% से कम करके 1983-84 में 12.5% तथा 1984-85 में 12.9% तक लाया गया है ।

(ग) और (घ) कार्यालयों का एक किराये के भवन से दूसरे किराये के भवन में स्थानांतरण करते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है जैसे परिचालन आवश्यकता, मौजूदा आवास अपर्याप्त होना तथा भवन खाली करने के बारे में मकान मालिकों द्वारा निरन्तर मांग करना आदि ।

दिल्ली और बम्बई टेलीफोन निगमों को व्यावसायिकों और प्रबन्ध विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाना

4761. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और बम्बई के लिए पृथक-पृथक प्रस्तावित निगमों को चलाने के लिए कार्य प्रबन्ध विशेषज्ञों तथा अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञों को लगाने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति सहित उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त निगमों के प्रबन्धक बोर्ड में उपभोक्ताओं को रखने का भी है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, नहीं । प्रारम्भ में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । निगम के कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात ही उसके प्रबन्ध संरचना में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद

4762. **डा० बी०एल० शैलेश**
श्री सत्येन्द्रनारायण सिंह
श्री इन्द्रजीत गुप्त
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विशेषज्ञों का अनुमान है कि हाजिर बाजार में तेल के मूल्य शीघ्र ही गिर जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार मंदे बाजार में कितना तथा किन-किन देशों से कच्चा तेल खरीदने का है; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान ईंधन बचाने के लिए क्या ऊर्जा-बचत उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कुछ क्रूडों के स्पाट मूल्यों में हाल के महीनों में गिरावट आई है। तेल बाजार की स्थिति में अस्थिरता बनी हुई है।

(ख) 1986 के दौरान 14.5 मिलियन टन क्रूड आयल को आयात करने का प्रस्ताव है। किसी भी राष्ट्र से अभी तक कोई कन्ट्रेक्ट नहीं किया गया है और समझौतों के लिए अभी भी बातचीत चल रही है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित संरक्षण के संबंधी उपायों में ईंधन कुशल खाना पकाने के उपकरण और अन्य उपकरणों को प्रचारित करने के लिए प्रचार माध्यम को तेज करना, राज्य सड़क परिवहन निगमों में माडल डिपो स्थापित करना, चालक प्रशिक्षाणालयों को संचालित करना, ईंधन कुशल प्रणालियों में बदलने के लिए ऋण देना, पुनः शोधित ल्यूबीकेंटों और दीर्घावधिक चलने वाले ल्यूब्रीकेंटों और ग्रीसों आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल हैं।

तेल की खोज के लिए तीसरी बार किए गए प्रयास में विलम्ब का प्रभाव

4763. **डा० बी०एल० शैलेश :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही अधिक उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, विदेशी तेल कम्पनियों ने तट दूर तेल की खोज का तीसरा प्रयास स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भारत के तेल अनुसंधान कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस प्रकार कार्य स्थगित किए जाने से पश्चिमी और पूर्वी, दोनों ही समुद्र तटों पर कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तीसरे दौरे के लिए बोलियां 20 मार्च, 1986 को आमंत्रित की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल इण्डिया लिमिटेड की नई परियोजनाएं

4764. **डा० बी०एल० शैलेश**
श्री के० प्रधानी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1986-87 में 14 परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का कोयला खानों, कोयला धोने के कारखानों तथा चल रही परियोजनाओं का तथा आरंम्भ की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना का पूंजी परिव्यय कितना है; और

(ग) इससे कोल इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में कितना सुधार होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शरीयत न्यायालयों की स्थापना

4765. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में शरीयत न्यायालयों की स्थापना की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए शरीयत न्यायालयों का स्वरूप और उनकी संरचना क्या होगी; और

(ग) शरीयत न्यायालयों की मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) सरकार को शरीयत न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई विनिर्दिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

औद्योगिक आधारभूत परियोजनाओं के लिए फ्रांस द्वारा सहायता

4766. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस अनेक औद्योगिक आधारभूत परियोजनाओं के लिए और भारतीय सामान के लिए बाजार खोजने तथा अधिक भारतीय सामान की अधिक बिक्री करने हेतु सहायता देने को तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फ्रांस किन-किन क्षेत्रों में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हुआ है और इस करार के अन्तर्गत कौन-सी परियोजनाएं शामिल की जाएंगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 5-6 दिसम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हुई आर्थिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक में, आपसी सहयोग के कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया था। इनमें इलैक्ट्रानिक्स, बिजली, खनन, रसायन, और पेट्रो-रसायन, दूर-संचार, जल संसाधन, कृषि, कोयला, नागरिक उड्डयन, आवास और निर्माण, परिवहन, इस्पात, तेल और गैस ऊर्जा तथा पर्यावरण के नवीकरणीय स्रोत शामिल हैं। बैठक में फ्रांस को भेजी जाने वाली भारतीय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि पर भी विचार किया गया था।

(ख) से (घ) दिसम्बर, 1985 में हुई संयुक्त समिति की बैठक के दौरान, किसी समझौते के ज्ञापन अथवा करारों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। फिर भी, पहले कृषि और ग्रामीण विकास, उच्च अनुसंधान, शहरी और कृषि छीजन और कचरे से ऊर्जा की उपलब्धि, कोयला, गैस, इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर और सूचना, आदि के क्षेत्र में समझौते के ज्ञापन और करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

औद्योगिक प्रगति

4767. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान उद्योगों की प्रगति में ह्रास बिजली की कटौती और खनन क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रगति अप्रैल से अक्तूबर, 1985 की अवधि की तुलना में नवम्बर, और दिसम्बर के दौरान अधिक रही है;

(ग) यदि हां, तो उद्योगों में प्रगति की अब नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) क्या औद्योगिक प्रगति की धीमी गति अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर चिन्ता का विषय बनी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-अक्तूबर 1985, नवम्बर 1985, दिसम्बर 1985 और अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्र-वार विकास दर निम्नलिखित थी :—

औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार विकास दर

क्षेत्र	विकास दर (प्रतिशत)			
	अप्रैल-अक्तूबर 1985	नवम्बर 1985	दिसम्बर 1985	अप्रैल-दिसम्बर 1985
खनन	2.6	5.2	3.1	3.0
विनिर्माण	6.4	6.9	5.9	6.3
बिजली	8.7	6.7	6.3	8.2
सामान्य सूचकांक	6.3	6.6	5.6	6.2

अप्रैल- दिसम्बर, 1985 में औद्योगिक विकास की दर अधिक हो सकती थी किन्तु बिजली और खनन क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रहने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

औद्योगिक उत्पादन में तेजी जाने के उद्देश्य से सरकार औद्योगिक लाइसेन्स नीति और आयात नीति में उपयुक्त परिवर्तन करके, मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों तथा अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के माध्यम से सरकार कई उपाय करती रही है।

(ङ) देश में बिजली आपूर्ति की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 1986-87 के लिए 190 बी०यू० का सामान्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1986-87 के दौरान 3460 मेगा वाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

कनाडा के साथ तेल की खुदाई सम्बन्धी उपकरणों की खरीद के लिए समझौता

4768. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की खुदाई के अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 200 मिलियन डालर का ऋण देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया था;

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) कौन-कौन से उपकरण सप्लाई किये जायेंगे और तेल की खुदाई में कहां तक सहायक होंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) कनाडा से तेल और गैस के अन्वेषण तथा विकास से सम्बद्ध सामान और सेवायें खरीदने के लिए कनाडी सहायता के सम्बन्ध में 18 दिसम्बर, 1985 को कनाडा के साथ एक प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किए गये। इस काम के लिए कनाडा 198 मिलियन कनाडी डालर की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इसमें से 75 मिलियन कनाडी डालर कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दिए जायेंगे तथा शेष 123 मिलियन कनाडी डालर निर्यात विकास निगम द्वारा दिए जाएंगे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्तिम प्रयोग कर्त्ताओं की तेल और गैस के अन्वेषण तथा विकास के पूंजीगत सामान तथा सेवाओं के आयात का खर्च भी इसी सहायता से पूरा किए जाने की सम्भावना है।

विद्युत में कनाडा से सहायता

4769. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में 800 मेगावाट और 1000 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने के लिए कनाडा ने सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) क्या उन संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थान पर सहमति हो गई है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्योरा क्या है; और

(ङ) कनाडा विद्युत क्षेत्र में कितनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) निर्माणाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त कनाडा के संगठनों ने भारत में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने में रुचि दिखाई है। किसी विशिष्ट परियोजना के लिए इस प्रकार की सहायता, प्रतिष्ठापित की जाने वाली कुल क्षमता तथा स्थलों के बारे में अब तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

कम्पनियों का परिसमापन

4770. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 तक कितनी कम्पनियों परिसमापन होना था;

(ख) कुल कितनी कम्पनियों के मामले में ऐसी परिसमापन की प्रक्रिया दस वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़ी है; और

(ग) लम्बित पड़ी परिसमापन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने के लिए कम्पनी (ला) बोर्ड क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 31-3-1985 तक परिसमापन के अधीन कम्पनियों की कुल संख्या 3041 थी।

(ख) इस प्रकार की कम्पनियों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं। इनको एकत्र करने तथा इनके संकलन करने में जिसे समय, धन और शक्ति को खर्च करने की आवश्यकता होगी सम्भवतः वह भी वांछित परिणामों के अनुकूल नहीं हो।

(ग) उन कम्पनियों के विषय में जिनको न्यायालय द्वारा बन्द कर दिया गया है, परिसमापन कार्यवाहियां सम्बन्धित उच्च न्यायालय के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत समापकों द्वारा सम्पन्न की जाती है। इन प्रक्रियाओं में कभी-कभी ऋणदाताओं के दावों को तय करने में मुकदमेबाजी उन कर्जदारों आदि को सम्मिलित करते हुए परिसम्पत्तियों की वसूली करने में देरी होती है।

नई बिजली परियोजना के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रस्ताव

4771. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए नई बिजली परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार/राज्य बिजली बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में 9 नई विद्युत उत्पादन स्कीमें स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक स्कीम को तकनीकी—आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी गई है तथा योजना आयोग से निवेश संबंधी अनुमोदन की प्रतीक्षा है, तीन स्कीमों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है और 5 स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों के साथ राज्य प्राधिकारियों को लौटा दी गई हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एक वे स्कीमें जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है लेकिन योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है।

	स्कीम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1.	बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र	3×210	682.58

दो वे स्कीमें जिनका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है।

स्कीम		क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1.	रम्मन जल विद्युत परियोजना चरण-1	2×15	20.12 संशोधित रिपोर्ट/
2.	दुर्गापुर परियोजना लि० यूनिट-7	1×210	220.68 उत्तर, राज्य सरकारों से अभी प्राप्त होने हैं।
3.	मुर्शीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र (संशोधित)	5×210+ 2×500	2078.00

तीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों के साथ राज्य प्राधिकारियों को वापिस का गई स्कीमें

स्कीम		क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०
1·	दुर्गापुर परियोजना लि० दो सोपान विस्तार	2×110	97.81
2.	उत्तर बंगाल ताप विद्युत केन्द्र (धूमडंगी स्थल)	4×60	113.52
3.	हल्दिया उर्वरक संयंत्र में छठा गैस टर्बाइन यूनिट	1×20	566.80
4.	संथालडीह ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	2×120	136.51
5.	मुगपू मिनी जल विद्युत परियोजना	4×1.25	6.72

भुवनेश्वर में टेलीफोन एक्सचेन्ज का विस्तार

4772. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर के टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके विस्तारण के बाद कितनी लाइनें बढ़ाई जाने की संभावना है;

(घ) क्या बड़ी संख्या में आवेदक टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा में हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुवनेश्वर में टेलीफोन कनेक्शनों की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 7000 लाइनें ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । स्विचिंग उपस्कर के लिए स्थान नहीं है ।

(घ) और (ङ) 1-3-86 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में कुल 1056 आवेदक हैं । प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार ब्योरा इस प्रकार है :

ओवाईटी (विशेष)	: 97
ओवाईटी (सामान्य)	: 50
गैर-ओवाईटी (विशेष)	: 228
गैर-ओवाईटी (सामान्य)	: 681

(च) 4000 लाइनों के एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के 1988-89 तक चालू करने की योजना है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएं । इस एक्सचेंज के चालू हो जाने से 1-4-87 तक दर्ज मांग पूरी होने की संभावना है ।

गैस चूल्हों के निर्माताओं को सुरक्षा उपाय अपनाने सम्बन्धी अनुदेश

4773. **श्री के०एस० राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाना पकाने की गैस के खुदरा बिक्रेताओं के माध्यम से बेचे जा रहे गैस के अधिकांश चूल्हे सुरक्षात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैस के चूल्हा निर्माताओं को निश्चित आदेश जारी करने का है कि वे अपने उत्पादों में आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों को अपनायें और इन अनुदेशों का उनके द्वारा कड़ाई से पालन करने को अनिवार्य बनाने का है;

(घ) क्या यह सच है कि किसी गैस चूल्हे के कतिपय भागों की सांविधिक रूप से सफाई किये जाने पर गैस रिसने की संभावना रहती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैस चूल्हे के निर्माताओं के लिए बिक्री के समय प्रयोक्ताओं को आवश्यक सफाई सम्बन्धी अनुदेश जारी करने को अनिवार्य बनाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल विपणन कम्पनियों के एल०पी०जी० वितरकों को केवल आई०एस०आई० प्रमाणित स्टोव ही बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। नया कनेक्शन जारी करते समय वितरकों को सुनिश्चित करने के अनुदेश हैं कि उपभोक्ता के पास आई०एस०आई० प्रमाणित स्टोव हैं। ऐसे स्टोव सुरक्षा की सभी विशेषताओं के साथ बनाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) एल०पी०जी० स्टोवों के अपर्याप्त अनुरक्षण से सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। आई०एस०आई० की सम्बन्धित विशिष्टताओं के अनुसार एक नये गैस स्टोव के साथ इसको लगाने एवं विनियमों आदि के सम्बन्ध में अनुदेश कार्ड भी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नया कनेक्शन जारी करते समय उपभोक्ताओं को सुरक्षा सम्बन्धी अभ्यास भी कराये जाते हैं।

तेल के कुओं पर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना

4774. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के कुओं पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय अन्य राज्यों के लोगों को दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन तेल के कुओं पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, निम्न स्तर के जिन पदों के वेतनमान का अधिकतम 1250 रुपये से कम होता है, उन्हें स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा नामित उम्मीदवारों से भरता है। अन्य पदों को सारे भारत में विज्ञापित करके विज्ञापन के प्रति आये उम्मीदवारों में से भरा जाता है।

गोदावरी और कृष्णा बेसिन में कुओं की खुदाई

4775. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी और कृष्णा बेसिन में कितने कुंओं की खुदाई की जा रही है;

(ख) क्या उन कुंओं की खुदाई में सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उन कुंओं की सफल खुदाई में कितना समय लगा है;

(घ) क्या नये कुंओं के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ये नये कुंए किन-किन स्थानों पर खोदे जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) इस समय 4 कुओं पर खनन कार्य किया जा रहा है। इस बेसिन में मिला तेल/गैस केवल अन्वेषणात्मक है और उसकी मात्रा का निर्धारण और आगे के अन्वेषण के बाद ही किया जा सकेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) भविष्य में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में खनन के लिए तटवर्ती क्षेत्र में 20 स्थान तथा अपतट क्षेत्र में 17 स्थान दिए गए हैं।

दिल्ली-भुवनेश्वर "डिमांड डायलिंग" सुविधा

4776. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-भुवनेश्वर "डिमांड डायलिंग" सुविधा समाप्त कर दी गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली से सभी राज्यों की राजधानियों को यह सुविधा प्रदान करने हेतु मंत्रालय की यह नीति है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब बहाल की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। मार्ग पर कम परियात के कारण उक्त सेवा समाप्त कर दी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) 31-3-1986 से सुविधा पुनः चालू कर दी गई है।

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा में पन-बिजली परियोजनाओं को मंजूरी देना

4777. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा में कितनी पन-बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कितनी पन-बिजली परियोजनाएं शुरू की गई;

(ग) उड़ीसा की कितनी पन-बिजली परियोजनाएं केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास मंजूरी के लिए रुकी हुई हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग ने उड़ीसा की सात-जल-विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत कर दी हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कोई जल विद्युत परियोजना चालू नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) मणिभद्रा बहु-उद्देश्यीय परियोजना (24 × 40 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो गई है तथा यह प्राधिकरण के विचाराधीन है।

हैलाकान्डी, आसाम में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

4778. **श्री सुदर्शन दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में हैलाकान्डी टेलीफोन एक्सचेंज किराए के भवन में काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो हैलाकान्डी में टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। टेलीफोन एक्सचेज आसाम के हैलीकांडी में एक विभागीय इमारत में कार्य कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हैलकांडी को गोहाटी और करीमगंज के साथ जोड़ने के लिए सीधी टेलाग्राफ और टेलीफोन चैनल

4779. **श्री सुदर्शन दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कछार जिले में एक सबडिविजन नगर हैलाकांडी का, राज्य की राजधानी गोहाटी और निकटवर्ती जिला मुख्यालय करीमगंज के साथ सीधा टेलीग्राफ और टेलीफोन सम्पर्क नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो हैलाकांडी को गोहाटी और करीमगंज के साथ जोड़ने के लिए सीधा टेलीग्राफ और टेलीफोन चैनल बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हैलाकांडी से तार और टेलीफोन संपर्कों की स्थिति इस प्रकार है :—

तार संपर्क :

हैलाकांडी को गुवाहाटी या करीमगंज से नहीं जोड़ा गया है। यह सिल्चर से जुड़ा हुआ है जो कच्छार जिले का मुख्यालय है।

टेलीफोन संपर्क :

हैलाकांडी से करीमगंज के लिए एक सीधा ट्रंक सर्किट है। गुवाहाटी के लिए कोई सीधा ट्रंक सर्किट नहीं है।

(ख) **तार :**

उत्तर पूर्वी दूरसंचार सर्किल में तार नेटवर्क के आधुनिकीकरण की योजनाओं के अनुसार हैलाकांडी को एक इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड प्रदान किया जाना है। इस की-बोर्ड से इंटर-कनेक्टेड प्रणालियों के माध्यम से न केवल गुवाहाटी के लिए बल्कि सर्किल और देश में सभी अन्य तार घरों के लिए सीधा संपर्क उपलब्ध हो जायेगा।

टेलीफोन :

हैलाकांडी और गुवाहाटी के बीच सीधे ट्रंक सर्किट का औचित्य नहीं बनता क्योंकि इस समय यहां का ट्रंक पारियात कम है।

घलेश्वरी पन-बिजली परियोजना

4780. **श्री सुदर्शन दास :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में प्रस्तावित घलेश्वरी पन-बिजली परियोजना के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई धालेश्वरी जल-विद्युत परियोजना

की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को स्वीकृत कर दिए जाने और निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

सोवियत संघ द्वारा पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी और धनसिरि घाटी में तेल के लिये खुदाई

4781. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी और धनसिरि घाटी के कुछ क्षेत्रों में तेल के लिये खुदाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो खुदाई शुरू कर दी गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल, हिमालय की तलहटियों तथा धानसीरि घाटी के किसी भी क्षेत्र को ड्रिलिंग के लिए सोवियत संघ को नहीं दिया गया है। फिर भी काम के कार्यक्रम के अनुसरण में दोनों देशों की आपसी सहमति के आधार पर सोवियत विशेषज्ञ ज्योलोजिकल सम्भाव्यता के लिए हिमालय की तलहटियों में चेरी नामक स्थान पर खनन कार्य करेंगे। खनन कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है।

खाना पकाने की गैस स्टोवों पर भारतीय मानक संस्थान का चिन्ह लगाने का प्रस्ताव

4782. श्री रामपूजन पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के नये कनेक्शन देने के मामले में, यदि वह खाना पकाने की गैस एजेन्सी से खरीदा नहीं जाता है तो क्या गैस स्टोवों की जांच करने का कोई नियम है;

(ख) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां/डीलर तथा भारतीय तेल निगम के सम्बन्धित अधिकारी उपभोक्ताओं को स्टोव की जांच के समय उनके द्वारा स्टोव के लिए भारतीय मानक संस्थान के चिन्ह की रसीद दिखाए जाने के बावजूद बिना कोई रसीद दिए कुछ अतिरिक्त रिश्वत लेने के लिये उपभोक्ताओं पर दबाव डाल सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को खाने• पकाने की गैस के लिये नये कनेक्शनों हेतु आबंटन पत्र में इस प्रकार के खण्डों का उल्लेख न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो खाना पकाने की गैस कम्पनियों अथवा सरकार को 1 अक्तूबर, 1985 से 28 फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस प्रकार की शिकायतों के लिये जिम्मेदार डीलरों/एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । डीलरों को ऐसे मामलों में 10 रुपये की जांच फीस लेने के लिए अधिकृत किया गया है; और उनसे आशा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं को इसकी रसीद दें ।

(घ) गैस स्टोवों की जांच के सम्बन्ध में शिकायतों का तेल उद्योग अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखता ।

(ङ) सभी विशिष्ट शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी वितरकों के विरुद्ध मार्किट डिसीप्लीन गाइड लाइन्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

[हिन्दी]

एल०पी० गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन यूनिट

4783. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए एल०पी० गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन यूनिट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और यह किन-किन स्थानों पर और कब तक स्थापित किए जाएंगे तथा इनकी क्षमता क्या होगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार मथुरा में भी ऐसा एक विद्युत उत्पादन यूनिट स्थापित करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी उपक्रमों को उनके वित्तीय नीति सम्बन्धी मामलों में स्वायत्तता

4784. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी उपक्रमों को उनके वित्तीय नीति संबंधी मामलों और उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में पूरी स्वायत्तता देने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासकीय मन्त्रालयों की भी राय मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार का यह विचार है कि इस समय सरकारी उद्यमों को संसद के प्रति उनकी जवाबदेही तथा सरकार की अपनी जवाबदेही के अनुरूप वाणिज्यिक संगठनों के रूप में कार्य करने के लिये अपेक्षित पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है। किन्तु, तेजी से बदलती हुई स्थिति में प्रत्यायोजित शक्तियां पर्याप्त हैं अथवा अन्यथा, इसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

गुजरात में वेरावल और उना के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क

4785. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वेरावल और उना के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के सम्मुख यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह कब कार्यान्वित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात में वेरावल तथा उना के बीच माइक्रोवेव लिंक संस्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) यह प्रस्ताव अप्रैल, 1985 के दौरान प्राप्त हुआ था।

(ग) यू०एच०एफ० लिंक के प्रस्ताव पर तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से विचार किया गया है संसाधनों की मौजूदा कमी के कारण 7वीं योजना में इस प्रस्ताव को शामिल किया जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बिजली पैदा करने वाली मशीनों का आयात

4786. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि गुजरात उन राज्यों में से एक है जहां बिजली का संकट है;

(ख) क्या गुजरात सरकार अथवा गुजरात में कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों ने बिजली पैदा करने की मशीनों का आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन दूसरे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति विशेष को बिजली पैदा करने की मशीन आयात करने की अनुमति देने संबंधी सरकार की नीति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गुजरात अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को अधिकांश रूप से पूरा कर रहा है।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण सीमेंट यूनिटों को सहायता

4787. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रुग्ण सीमेंट यूनिटों को सहायता देना है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रुग्ण यूनिटें हैं;

(ग) उन्हें दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1986-87 में सभ्म रूग्ण यूनिटों को सहायता दे दी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) से (ङ) केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने वाले एककों को ही "रुग्ण" एकक घोषित किया जाता है। तदनुसार 15 एककों को 1985-86 से 1989-90 तक की भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए "रुग्न" एकक के रूप में घोषित किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्यमान एककों द्वारा सीमेंट के लेवी कोटे में आपूर्ति किए गए वास्तविक उत्पादन के 60% की तुलना में ऐसे एककों को वास्तविक उत्पादन का उन्हें केवल लेवी सीमेंट 40% प्रतिशत ही आपूर्ति करने की आवश्यकता है। (अर्थात वे एकक जो 1-1-82 से पहले उत्पादन कर रहे थे)।

विवरण

लेवी कोटे के रूप में सहायता के उद्देश्य/प्रयोजन के लिए रुग्ण के रूप में घोषित सीमेंट एककों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

संयंत्र का नाम	उस अवधि तक और जिसके लिए रुग्णता सम्बधी रियायतों की सिफारिश की गई (कम्पनी के अपने-अपने वित्तीय वर्ष)
1. ए०सी०सी० द्वारका	1987/88
2. ए०सी०सी०, लखेरी	1989/90
3. ए०सी०सी०, सिंदरी	1986/87
4. इण्डिया सीमेंट, शंकर नगर	1987/88
5. जयपुर उद्योग	1986/87
6. कल्याणपुर	1985/86
7. सोन घाटी	1986
8. तमिलनाडु, अलंगुलम	1987/88
9. तमिलनाडु, एरियालुर	1987/88
10. यू०पी०एस०सी०सी०, चुर्क	1987/88
11. यू०पी०एस०सी०सी०, डाल्ला	1987/88
12. ए०सी०सी०, खलारी	31.12.1986
13. ए०सी०सी०, सेवलिया	31.12.1986
14. सी०सी०आई०, चरखीदादरी	31.12.1986
15. विश्वश्वरैया आइरन एंड स्टील कंपनी लि०	31.12.1986

खनिज और धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4788. डा० वी० वेंकटेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे मान्यता प्राप्त संघों के साथ इस प्रकार का कोई समझौता न करें जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप न हो;

(ख) क्या उनको मालूम है कि खनिज और धातु व्यापार निगम ने ऐसे अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए मजदूर संघ के साथ "पदोन्नति नीति" नाम का एक समझौता किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का खनिज और धातु व्यापार निगम में पदोन्नति में आरक्षण पुनः बहाल करने हेतु क्या कार्यवाही करने और कब करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह देते हुए मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उपक्रमों से यह अनुरोध करें कि जहां-कहीं कानून के प्रावधानों के अनुसार कामगारों के श्रमिक संघों के साथ किये गये समझौते अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आरक्षण संबंधा सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हैं, तो उन लागू होने वाले समझौतों को संशोधित किया जाय।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा जितनी उपलब्ध होगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भीमुनीपल्ली I कुएं के शीर्ष भाग का मोदी I में उपयोग करना और भीमुनीपल्ली को चालू करना

4789. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भीमुनीपल्ली I कुएं के शीर्ष भाग को काट-कर इसका मोदी I में उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी वजह से भीमुनीपल्ली I कुएं को छोड़ दिया गया था और इसके स्थान पर भीमुनीपल्ली II को चालू किया गया था; और

(ग) भीमुनीपल्ली I और भीमुनीपल्ली II पर 1 जनवरी, 1986 तक कितनी धनराशि खर्च की गई थी और उनसे कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भीमनपल्ली-I कुएं के खनन पर लगभग 3.210 करोड़ रुपये खर्च किए गए। भीमनपल्ली-II का परीक्षण कार्य केवल जनवरी, 1986 में ही पूरा हुआ था इसलिए पहली जनवरी, 1986 तक इस पर खर्च की गई राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

भीमनपल्ली स्ट्रक्चर अन्वेषणात्मक स्थिति में है तथा इसके पूर्णत: चिन्हांकित किए जाने के बाद ही उत्पादन सम्भाव्यता का पता लग सकेगा।

हारमोन औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि

4790. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान हारमोन औषधियों के मूल्यों में 200 से 400 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इन औषधियों के मूल्यों को कम करके उपयुक्त स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत हारमोनों को मूल्य नियंत्रण से छूट प्राप्त है। अतः इन दवाइयों के निर्माता सरकार से पूर्वानुमति लिए बिना अपने मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। औषध नीति इस समय समीक्षाधीन हैं।

केरल में कन्नोर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास

4791. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्नोर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास के लिए बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कन्नोर जिले में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त जिले में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) कन्नोर जिले में इस समय 46 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

1985-86 के लिए प्रस्ताव

1. 1985-86 के दौरान सभी II एक्सचेंजों का विस्तार।
2. 1985-86 के दौरान 3 नए एक्सचेंज खोले गए।
3. 1985-86 के शेष अवधि के दौरान 3 अतिरिक्त एक्सचेंजों का विस्तार।

सातवीं योजना के लिए प्रस्ताव

1. तेलिचेरी मैनुअल एक्सचेंज को स्वचल बनाना।
2. अलकोडे, पयानगोडी, श्रीकांतपुरम, पन्नूर और इदक्काड स्थितए म०ए० एक्स०-III एक्सचेंजों को एम०ए० एक्स-II टाइप का एक्सचेंज बनाना।
3. तालीपारंबा, बालियापत्तनम तथा कोदुपारम्बा स्थित एम०ए० एक्स०-II एक्सचेंजों का विस्तार।
4. कन्नानोर एक्सचेंज का विस्तार।

नोट : उपरोक्त कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य स्टोर उपलब्ध हों।

विवरण-दो

नये एक्सचेंज खोलने के बारे में योजनाएं :—

1. अन्हीमंगलम —45 लाइनों का एम०ए० एक्स०-III
2. कुदियामान्ना —25 लाइनों का एम०ए० एक्स०-III
3. वांकनक्काई —45 लाइनों का एम०ए० एक्स०-III
4. पेरूमबागडु —45 लाइनों का एम०ए० एक्स०-III
5. पानाकोडी —25 लाइनों का एम०ए० एक्स०-III

ये एक्सचेंज इस शर्त पर खोले जाएंगे जब कि नए छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए नीति में दी गई संबंध शर्तें पूरी होती हों।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में हुई अग्नि दुर्घटना सम्बन्धी जांच समिति

4792. **प्रो० के०वी० थामस**
श्री के० मोहन दास } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में 4 मार्च, 1984 को हुई अग्नि दुर्घटना का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की गयी थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में 28 फरवरी, 1986 को भी आग लगी थी;

(ङ) इस अग्नि दुर्घटना में कितने लोग मरे; और

(च) कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग की घटनाओं से बचाव के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने आग बुझाने की सुविधाओं, प्रोसेस सुनिधाओं तथा प्रक्रियाओं ले आऊट, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कार्मिकों के प्रशिक्षण की पुनरीक्षा तथा उसमें सुधार लाने की सिफारिश की है।

(घ) 27 फरवरी, 1986 को कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में आग लगी थी।

(ङ) 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(च) उपर्युक्त (ग) में कही गई सिफ़ारिशों के अनुक्रम में यांत्रिक नियंत्रण प्राणाली में सुधार किया गया, आपरेटिंग कर्मचारियों की न्यूनतम अर्हताओं में वृद्धि की गई, प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया, एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय सुरक्षा समिति गठित की गई। आग बुझाने की सुविधाओं में सुधार किया गया तथा वे गैस मोनीटर लगाये गये हैं। जिन्होंने उस रिसाव का पता लगाया था जिसके कारण 27-2-86 को आग लगी थी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ठेके-मजदूर

4793. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के दिल्ली कार्यालय में कुल कितने ठेका मजदूर हैं और वे किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का स्थायी कर्मचारी बनाना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में स्थित बी०एच०ई०एल० के कार्यालयों में निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यों को करने के लिए ठेके पर कार्य करने के आधार पर 228 व्यक्ति कार्यरत हैं :—

श्रेणी	श्रमिकों की संख्या
कार्यालय परिसरों की सफाई	81
कार्यालय रख-रखाव तथा खान-पान प्रबन्ध	60
प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई जैसे अन्य कार्य	10
सुरक्षा	77
	228

(ख) और (ग) समय-समय पर विशेष कार्यों के लिए ठेके पर श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है जो कार्य की अनिवार्यता पर निर्भर करती है जबकि स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुस्थापित नीतियों तथा पद्धतियों के अनुसार की जाती है ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तट दूर तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग जहाज किराये पर लेना

4794. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तट दूर तेल की खोज करने हेतु ड्रिलिंग पोत किराये पर ले रहे हैं;

(ख) क्या अंडमान द्वीप समूह में प्रयोग में लाने हेतु बेल्जियम का एक रिग पोत किराये पर लिया गया है;

(ग) क्या इसका प्रतिदिन का किराया 33,500 डालर है;

(घ) क्या इसके लिए तट पर सप्लाई बेस की व्यवस्था अभी की जानी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वह ड्रिलिंग रिग बहुत दिन तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जिस कारण देश को नुकसान होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । आयल इण्डिया लिमिटेड ने 33,500 अमेरिकन डालर प्रति दिन की परिचालन दर पर मैसर्स आफशोर यूरोप, बेल्जियम से एक डी०पी० ड्रिलशिप को किराये भाड़े पर लेने के लिए की जाने वाली संविदा को अन्तिम रूप दे दिया है ।

(घ) जी, नहीं । अण्डमान बेसिन में आयल इण्डिया लिमिटेड के 3 अन्वेषण कुएं खोदने के कार्यक्रम के लिए इस बेयर शिप द्वारा सप्लाई की जायेगी जिसे किराये भाड़े पर लेने के लिए की जाने वाली ही संविदा को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इन परिचालनों के लिए पूरी तरह से कार्य करने वाले तटवर्ती सप्लाई बेस को बनाने का आयल इण्डिया का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

तेल वाहक जहाजों को ऊंची दरों पर किराये पर लेना

4795. **श्री सत्येन्द्रनारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 22 फरवरी के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि भारतीय तेल निगम प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये की बचत कर सकता है, यदि वह तेल की ढुलाई के लिए भारतीय नौवहन निगम के तेल वाहक जहाजों को किराये पर लेने के पक्ष में न हो;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गैर-सरकारी भारतीय नौवहन कंपनियों ने अधिक अनुकूल दरों की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम को अधिक दरों पर भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) क्रूड के परिवहन हेतु टैंकरों के लिए, चाहे वे एस०सी०आई० के हों या अन्य भारतीय फ्लैग जहाजों के, भुगतान लागत प्लस के आधार पर किया जाता है। दो भारतीय प्राइवेट शिपिंग कम्पनियों को भी उसी मूल्यांकन के आधार पर काम पर लगाया गया है। अन्य भारतीय फ्लैग जहाजों की अपेक्षा एस०सी०आई०. के जहाजों को काम पर लगाने के संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई वरीयताओं के आधार पर वरीयता दी जाती है। एस०सी०आई० द्वारा माल भाड़े की दरों में की गई कमी के मामले की ओर लगातार सरकार का ध्यान गया है।

वसाई और विरार शहरों का महानगर टेलीफोन नियम के अन्तर्गत लाना

4796. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसाई और विरार शहरों के लोग संचार विभाग के नए महानगर टेलीफोन निगम के अन्तर्गत आना चाहते हैं;

(ख) क्या उन्हें इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या राय है क्योंकि वसाई और विरार शहर बम्बई के उपनगरीय सेक्शन पर है और बम्बई शहर के समीप हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जहां तक बम्बई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार का संबंध है, इसके अन्तर्गत केवल वे क्षेत्र ही आएंगे जो बम्बई, न्यू बम्बई तथा थाणे की तीन म्युनिसिपल कारपोरेशनों के अधीन पड़ते हैं। वसाई और विरार क्षेत्र न तो बम्बई टेलीफोन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और न ही वे उपरोक्त तीन म्यूनिसिपल कारपोरेशनों की सीमा के क्षेत्र में पड़ते हैं। अत: इन शहरों को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में शामिल नहीं किया जा सकता है।

बिजली बोर्डों की क्षमता का उपयोग

4797. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न बिजली बोर्डों की क्षमता का इस समय कितना उपयोग होता है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान कितने प्रतिशत सुधार हुआ है;

(ग) क्या अपेक्षित परिणाम देने वाले बिजली बोर्डों को विशेष प्रोत्साहन देने की कोई योजना थी; और

(घ) यदि हां, तो उन बोर्डों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना के शुरू होने के समय से ही ऐसे प्रोत्साहन मिले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 और 1985-86 (अप्रैल, 85 से फरवरी, 1986 तक) की अवधि के दौरान राज्यवार संयंत्र भार अनुपात दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार ने 1983-84 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम शुरू की थी। जिन बोर्डों/संगठनों को वर्ष 1983-84 के दौरान पुरस्कार मिले थे, वे निम्नानुसार थे :—

1. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
2. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
3. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
4. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
5. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड

नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम चालू करने के साथ-साथ बिजली बोर्डों को पुरस्कार देने की स्कीम 1984-85 से बन्द कर दी गई थी।

विवरण

राज्य-वार संयंत्र भार अनुपात

(संयंत्र भार अनुपात%)

	1983-84	1984-85	अप्रैल 85—फरवरी 86
	1	2	3
दिल्ली	48.4	51.1	49.7
हरियाणा	31.1	34.7	32.4
जम्मू व कश्मीर	1.5	—	—
राजस्थान	72.3	57.2	56.0
पंजाब	57.0	64.3	59.9
उत्तर प्रदेश	39.2	39.7	46.6

	1	2	3
गुजरात	57.9	56.0	54.5
मध्य प्रदेश	54.1	51.8	56.9
महाराष्ट्र	53.3	50.3	54.7
आन्ध्र प्रदेश	54.6	54.9	66.0
कर्नाटक	—	—	37.7
तमिलनाडु	51.4	58.7	62.1
बिहार	32.8	30.5	34.3
दामोदर घाटी निगम	48.1	48.6	49.1
उड़ीसा	33.2	32.2	30.3
पश्चिम बंगाल	39.1	40.0	43.0
असम	34.2	29.6	27.1
अखिल भारत	47.9	50.1	51.9

तेल अन्वेषण के लिए ओ०एन०जी०सी० को आबंटन

4798. **प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इस वर्ष तेल अन्वेषण के वास्ते तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए आबंटन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कितनी राशि की मांग की गई थी तथा वास्तव में कितना आबंटन किया गया; तथा

(ग) इसका आने वाले वर्षों में तेल अन्वेषण के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित 3205 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले 1986-87 का अनुमोदित परिव्यय 2250 करोड़ रुपए का है।

(ग) परिव्यय में कमी के कारण ड्रिलिंग मीट्रेज में तद्नुरूप कमी करने का ओ०एन० जी०सी० का प्रस्ताव है।

एशिया-प्रशांत माइक्रोवेव सम्मेलन

4799. **श्री के०वी० शंकर गौड़ा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहला एशिया-प्रशांत माइक्रोवेव सम्मेलन 24 फरवरी, 1986 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में उन्होंने इंजीनियरों से ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए कम अनुरक्षण वाले मजबूत उपकमणों तथा कम लागत वाली विद्युत प्रणालियों का विकास करने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में अन्य किन कदमों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय लिए गये और क्या मंत्रालय ने सुझावों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, माननीय मंत्री महोदय ने सम्मेलन में उपस्थित इंजीनियरों से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के लिए कम लागत का मजबूत बिजली की कम खपत करने वाला उपस्कर विकसित करने के प्रयास करने का आग्रह किया।

(ग) सम्मेलन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के इंजीनियरों ने भाग लिया था और माइक्रोवेव संचार के क्षेत्र में अपनी जानकारी का आदान-प्रदान किया। उपर्युक्त विषय से संबंधित कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया। यद्यपि संचार मंत्रालय ग्रामीण और दूर-दराज के इलाके के लिए ऐसा उपस्कर विकसित करने की दिशा में पहले से ही कार्य कर रहा है।

विद्युत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए निगम की स्थापना

4800. **श्री के०वी० शंकर गौड़ा**
श्री चित्त महाता } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं और पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए दो नए निगम स्थापिप किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत निगम किन परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध करेगा और पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऊर्जा विकास निगम किन-किन परियोजनाओं के लिए धन देगा तथा 1986-87 के लिए दौरान इन दोनों निगमों ने विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि देने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए एक नई संस्था विद्युत वित्त निगम है, जिसकी स्थापना के बारे में सरकार ने हाल ही में

निर्णय लिया है। निगम को वर्ष 1986-87 में निगमित किए जाने हाल की आशा है। अन्य बातों के साथ-साथ यह निगम ताप विद्युत, जल विद्युत और पारेषण परियोजनाओं, नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों, प्रणाली सुधार स्कीमों के लिए आवधिक ऋण करेगा तथा यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयास करके निगम सातवीं योजना अवधि में लगभग 3500 करोड़ रुपये की राशि के ऋण वितरित करेगा।

ऊर्जा समस्या के संबंध में गोलमेज सम्मेलन

4801. श्री के०वी० शंकर गौड़ा, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा समस्या के संबंध में आयोजित गोल मेज सम्मेलन में ऊर्जा के नये स्रोतों का उपयोग करने के लिए कोई सुझाव दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञों के सुझावों पर बिचार कर रही है; और

(ग) यदि हां तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण विकल्पों पर विचार-विमर्श के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुझाव सामने आए थे। कार्यवाही योजना बनाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों के एक छोटे से दल का गठन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत तत्काल क्रियान्वयन करने के योग्य उपायों का और जिनमें दीर्घकालिक समस्याएं निहित होती हैं जिस पर सरकार द्वारा नीति संबंधी निर्णय लिए जाने अपेक्षित हैं, पता लगाना भी शामिल है।

औद्योगिक अल्कोहल की कमी

4802. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक अल्कोहल की भारी कमी के कारण इन दिनों देश में अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या अल्कोहल पर आधारित रसायन एककों की क्षमता का उपयोग केवल 50 प्रतिशत रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक उपयोग सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए अल्कोहल की स्वदेशी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इससे अल्कोहल पर आधारित कुछ रसायन

एककों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा। तथापि अनुमान लगाया गया है कि एसेटिक एसिड, एस्टोन तथा एस्टिक एनिहाइराइड की तरह के अल्कोहल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण रसायनों की वास्तविक क्षमता उपयोगिता पिछले वर्ष की तुलना में 1985-86 में उच्चत्तर है।

(ग) अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग के लिए औद्योगिक अल्कोहल की उपब्धता में सुधार लाने के लिए, उन्हें अल्कोहल (डिनेवर्ड) के निशुल्क आयात वी अनुमति दी गयी है।

क्रास कन्ट्री ट्रांसपोर्टर कन्वेयर प्रणाली का कार्यकरण

4803. **श्री अनादि चरण दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में विद्युत एककों को कोयले की सप्लाई करने वाली कोयला खान की क्रासकन्ट्री ट्रांसपोर्टर कन्वेयर प्रणाली बहुत पुरानी हो गयी है, जिसके कारण पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत का कम उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले अनुमोदित की गई नवीकरण योजना के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो क्या इसने दोहरे टी०टी०पी०एस० की सिफारिश की है; और

(ग) इसे केन्द्रीय क्षेत्र योजना में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं और केन्द्रीय क्षेत्र में दोहरी कोल कन्वेयर प्रणाली को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं यद्यपि इसका भी संबंध विद्युत उत्पादन से है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। तलचेर ताप विद्युत केन्द्र की कोयला कन्वेयर प्रणाली के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने खान के सिरे से लेकर "डी" हाऊस तक (1.6 किलोमीटर लम्बी), जहां से तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के लिए मुख्य कन्वेयर शुरू होता है; दोहरी कन्वेयर प्रणाली की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोयला हैण्डलिंग प्रणाली में कुछ अन्य नवीकरण/विस्तार/संशोधनों का भी सुझाव दिया है।

(ग) तलचेर ताप विद्युत केन्द्र की नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम की लगभग 35.7 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से लगभग 24.09 करोड़ रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के लिए उपलब्ध सीमित साधनों के साथ दोहरी कोयला कन्वेयर प्रणाली के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत निधियों की व्यवस्था करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

भुनेश्वर, कटक और सम्बलपुर में टेलेक्स/टेलीप्रिंटर सर्किट की प्रतीक्षा सूची

4804. श्री अनादि चरण दास
डा० कृपासिन्धु भोई } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भुवनेश्वर, कटक तथा सम्बलपुर में टेलेक्स/टेलीप्रिंटर सर्किट के लिए कितने नाम पंजीकृत प्रतीक्षा सूची में हैं और इन कनेक्शनों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 25.3.86 की स्थिति के अनुसार भुवनेश्वर, कटक और सम्बलपुर में प्रतीक्षा सूची में दर्ज टेलेक्स और टेलीप्रिंटरों के मामलों की संख्या इस प्रकार है—

	टेलेक्स	टेलीप्रिंटर
भुवनेश्वर	40	13
कटक	7	4
सम्बलपुर	8	2

भुवनेश्वर में टेलेक्स एक्सचेंज का 150 लाइनों से 200 लाइनों में विस्तार करने का कार्य चल रहा है और लंबित पड़े टेलेक्स कनेक्शनों के अक्तूबर, 1986 तक दिए जाने की संभावना है। कटक में लंबित पड़े टेलेक्स कनेक्शनों के जून, 1986 तक दिए जाने की संभावना है। सम्बलपुर में 20 लाइनों का एक टेलेक्स एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है तथा लंबित पड़े टेलेक्स कनेक्शनों के अक्तूबर, 1986 तक दिए जाने की संभावना है।

भुवनेश्वर और सम्बलपुर में लंबित पड़े टेलीप्रिंटर सर्किटों के जून, 1986 तक प्रदान किए जाने की संभावना है। कटक में लंबित पड़े टेलीप्रिंटर सर्किटों के अप्रैल, 1986 अंत तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के लिए मूल्य और खरीद वरीयता नीति का पुनरावलोकन

4805. श्री पी०एम० सईद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के लिए मूल्य और खरीद वरीयता नीति का पुनरावलोकन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार क्षेत्र के नये एककों को कुछ सुरक्षा प्रदान की जायेगी ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में सक्षम हो सकें; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की अभी जांच की जा रही है तथा ज्यों ही सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय लिया जाएगा, परिशोधित नीति का विवरण उपलब्ध होगा।

बेल्जियम की सहायता से जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

4806. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार
श्री के० राममूर्ति
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेल्जियम की सहायता से देश में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो बेल्जियम की सहायता से देश में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें बेल्जियम की सहायता से ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जानी है; और

(घ) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए बेल्जियम का कितनी सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) बेल्जियम की एक कम्पनी ने हाल ही में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का टर्न-की आधार पर क्रियान्वयन करने में रुचि दिखाई है। तथापि, कोई विस्तृत प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण दूरसंचार का विस्तार

4807. डा० जी० विजय रामाराव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ग्रामीण दूरसंचार का विस्तार करने तथा सुदृढ़ बनाने के संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए योजना में कितना निधतन किया गया है; और

(ग) सातवीं योजनावधि में ग्रामीण नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रामीण दूरसंचार का विस्तार करने तथा उसे कारगर बनाने के लिए विभाग ने कम क्षमता वाले

एक्सचेंज तथा लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को उदार बनाया है। इस नीति के अधीन आर्थिक सहायता देकर ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एक्सचेंज और लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना इस नीति के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

(ख) प्रत्येक दूरसंचार सर्किल को दिए गए एकमुश्त अनुदान से योजना निधि को पूरा किया जाता है। वैसे, लगभग 100 करोड़ रुपये लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए तथा लगभग 100 करोड़ रुपये कम क्षमता वाले एक्सचेंजों के लिए दिए जाते हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय में लगभग 1.80 लाख लाइनें तथा 9000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए मांग की हो और उपस्कर मिल जाए।

सातवीं योजना अवधि के दौरान इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

4808. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य रूप से तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित औद्योगिक और विकास केन्द्रों के संबंध में विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज मंजूर करने संबंधी नीति क्या है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) निम्न स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आंवटित किए जाते हैं—

(एक) महानगरीय टेलीफोन प्रणाली।

(दो) प्रमुख टेलीफोन प्रणाली।

(तीन) वे स्थान जहां डिजिटल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज का औचित्य बनता हो और उनका स्थापन किया जा रहा हो।

(चार) टेलीफोन विकास वाले ऐसे क्षेत्र जहां 10,000 लाइनों की सीमा तक वृहद टेलीफोन मांग पूरी की जानी है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान लगभग 147 एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है बशर्ते आई०टी०आई, मनकापुर फैक्टरी से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध हो जाएं। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना के दौरान 67 छोटे इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज भी खोले जाएंगे।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के एककों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ने के लिये भू-केन्द्रों का निर्माण

4809. **श्री पी०एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने उनके मन्त्रालय से उपग्रह के माध्यम से अपने एककों के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु केवल अपने ही प्रयोग के लिए भू-केन्द्र का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(ख) ये अनुरोध किस आधार पर किये गये हैं; और

(ग) क्या इससे मिलने वाले लाभ इस पर किये जाने व्यय के अनुरूप होंगे ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) अपने परियोजना स्थलों में स्वटरटेलीमीटरी और उच्च गति डेटा परियात की आवश्यकताओ की पूरा करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से अनुरोध प्राप्त हुये हैं ।

कुछ सुपर थर्मल पावर स्टेशनों और संबद्ध कार्यालयों में श्वर प्रतिकृति और डेटा परियात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के विकास और निर्बाध कार्यकरण के लिये दूरसंचार एक आवश्यकता आधारभूत संरचना है उपग्रह संचार नेटवर्क के उपयोग के जरिये जिन दूरसंचार सम्पर्कों की मांग की जाती है वे देश के विभिन्न भागों में दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित इन उपक्रगों की विभिन्न यूनिटों के बीच महत्वपूर्ण दूरसंचार संपर्क का कार्य करती है । इस पृष्ठ भूमि को देखते हुए इस प्रकार विश्वसनीय संचार नेटवर्क की व्यवस्था इन उपक्रमों की आवश्यकताओं के लिए लाभकारी समझी गई है ।

गुजरात में तेल की खुदाई

4810. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में तेल और गैस की खुदाई के लिए कितने स्थानों का निर्धारण किया है;

(ख) इस समय गुजरात में तेल और गैस निकालने के लिए कितने कुओं की खुदाई की जा रही है;

(ग) गुजरात में तेल और गैस के कुओं की खुदाई संबंधी भावी पंचवर्षीय योजना क्या है; और

(घ) इन कुओं से कितनी मात्रा में तेल और गैस मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1986-87 के दोरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की गुजरात में 119 कुएं खोदने की योजना है।

(ख) इस समय गुजरात में 7 स्थानों पर विकास खनन कार्य चल रहे हैं।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में 741 कुएं खोदने की अस्थायी योजना बनाई है।

(घ) इस समय इन कुओं से मिलने वाले तेल और गैस की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह बेधन के परिणामों पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में टेलीफोन व्यवस्था टेलीफोन निगम के अधीन लाना

4811. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार । अप्रैल, 1986 से आरम्भ किये गये टेलीफोन निगम के नमूने पर एक बाद एक टेलीफोन जिलों/सर्किलों को सरकारी क्षेत्र के निगम में शीघ्र बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) उन्हें कब तक बदल दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि राज्यों में टेलीफोन व्यवस्था को निगमों में बदलने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुक जायेगा क्योंकि लाभ कमाने वाले निगम ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन व्यवस्था के लिए केबिल बिछाने/आधार भूत सुविधाओं की व्यवस्था करने और कर्मचारी नियुक्त करने पर भारी धनराशि खर्च नहीं करना चाहेंगे; और

(घ) क्या उड़ीसा में आगामी वर्षों के दौरान टेलीफोन व्यवस्था को एक निगम के अधीन लाया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार क्षेत्रीय यूनिटों के लिए निगम का गठन एक नवीन योजना है, जिसका आरंभ में सीमित पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए बंबई और दिल्ली टेलीफोन प्राणालियों को चुना गया है। बम्बई/दिल्ली निगम की कार्यप्रणाली के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही अन्य टेलीफोन जिलों/सर्किलों को सार्वजनिक क्षेत्र के निगम बनाने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस के उपभोक्ता और खुदरा बिक्री केन्द्र

4812. श्री अनादि चरण दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 जनवरी, 1986 तक खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं और प्रतीक्षा सूची पर लोगों की, शहर-वार, संख्या कितनी है; और

(ख) उड़ीसा में इस समय प्रत्येक शहर में कितने खुदरा बिक्री केन्द्र हैं और कितने बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) ब्यौरा विवरण एक में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा विवरण दो में दिया गया है।

विवरण-एक

क्रम सं०	स्थान	1.1.86 को उपभोक्ताओं की संख्या	1.1.86 को प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	बोलनगिर	1500	500
2.	ब्रिजराज नगर	1200	650
3.	पारादीप	1000	560
4.	राउरकेला	14842	5195
5.	फुलबनी	3100	750
6.	छतरापुर	1200	480
7.	कटक	15561	4058
8.	धनकेनल	1796	1062

1	2	3	4
9.	भुवनेश्वर	17208	3491
10.	जैटनी	1100	760
11.	बालूगांव	700	330
12.	कोरापट	500	500
13.	वारीपाडा	700	150
14.	तितलागढ़	300	310
15.	करौनझर	300	320
16.	केन्द्रापारा	300	410
17.	बालासौर	5433	2700
18.	पुरी	5715	1460
19.	सम्बलपुर	4934	1949
20.	बुरला	1500	1600
21.	जयपोर	2100	1300
22.	अस्का	2000	2100
23.	वेरहमपुर	10455	6812
24.	रायागाडा	2000	1425
25.	सनावेडा	2100	2000
26.	दमनजोडी/नैल्कोनगर/ विक्रमपुर	1700	1530
27.	भवानी पटना	1689	625
28.	अंगुल	1581	585
29.	झारशुड्‌डा	656	10
30.	वारविल	946	235
31.	रजनागपुर	449	62
32.	जिंक नगर	101	—
33.	सुन्दरगढ़	660	10

विवरण-दो

क्रम सं०	स्थान	विद्यमान रिटेल आउटलैट की संख्या
1	2	3
1.	बालासौर	7
2.	बारीपाडा	6
3.	भद्रक	3
4.	करंजीया	1
5.	अंगुल	1
6.	कटक	16
7.	चण्डीकोल	1
8.	धर्मशाला	1
9.	टोरुल (जगतपुर)	1
10.	नीमपुर (जगतपुर)	1
11.	जाँजपुर रोड	4
12.	कुजंग	1
13.	प्रदीप	2
14.	धानमण्डल	1
15.	टींगी	1
16.	टाल्चर	2
17.	धेनकानल	3
18.	बोइंडा	1
19.	सौरो	1
20.	रायपंगपुर	1
21.	बादमपर	

1	2	3
22.	पुरी	5
23.	भुवनेश्वर	14
24.	राम्भा	1
25.	बहरामपुर	10
26.	वीलूगांव	1
27.	जटनी	1
28.	खुर्दा टाउन	2
29.	रासलगढ़	1
30.	जैपोर	2
31.	पोरापट	1
32.	रैगाडा	2
33.	समलीग्रुदा	1
34.	किसिंगा	1
35.	भवानी पटना	3
36.	बारबिल	3
37.	बंसपानी	1
38.	जोढा	1
39.	क्योंजरगढ़	2
40.	राउरकेला	13
41.	राजगनपुर	1
42.	वमरा	1
43.	वारगढ़	5
44.	संबलपुर	15
45.	झारसुगुडा	3

1	2	3
46.	कुचीडा	1
47.	वोलानगिर	6
48.	कंट नबांजी	1
49.	बरजाराजनगर	2
50.	केंडगजार	1
51.	भुभ	7
52.	फुलबानी	1
53.	सुन्दरगढ़	2

खुदरा बिक्री केन्द्र, जिनको खोलने का प्रस्ताव है

क्रम सं०	स्थान	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या जिन्हें खोलने का प्रस्ताव है
1	2	3
1.	दरहमपुर	2
2.	कोरापुट	1
3.	केंडगजार	2
4.	राउरकेला	2
5.	बरघर	1
6.	कटक	2
7.	भुनेश्वर	1
8.	प्रदीप पोर्ट	1
9.	फूलनकारा	1
10.	केंडागिरी	1
11.	अथघर	1

1	2	3
12.	कुर्दा चौक	1
13.	पनपोश	1
14.	अंगुल	1
15.	बलीगुडा	1
16.	सोहेला	1
17.	त्रितोल	1
18.	जैपोर	1
19.	पटनागढ़	1
20.	राजामुण्डा	1
21.	हिंडोल रोड	1
22.	पटनगी	1
23.	अटाबिरा	1
24.	कुनमुण्डा	1
25.	वेगूड़	1
26.	जगतसिंहपुर	1
27.	डिसापहाडी	1
28.	तालुगंज	1
29.	चन्दनेश्वर	1
30.	भूवन	1
31.	देवरी	1
32.	धमनगर्क	1
33.	ककरीगुमा	1
34.	कनसबहल	1
35.	केन्द्रा बाई पास	1

1	2	3
36.	पटटामुण्डे	1
37.	पटेममुण्डी	1
38.	डूंगिरपटली	1
39.	खुकिया	1
40.	धर्मगढ़	1
41	गिरीसोला	1
42.	केशपुर तथा सेनटाला	1
43.	सनीटाला	1

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित पेट्रोल पम्पों को बेनामी रूप में चलाना

4813. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबंटित अनेक पेट्रोल पम्प वास्तव में उनके द्वारा नहीं चलाये जा रहे हैं तथा अन्य व्यक्ति जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नाम पर कुछ पेट्रोल पम्प चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(घ) उन पर क्या कारंवाई की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1.2.1986 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) डीलरशिप करार में एक अनुबन्ध यह भी है कि डीलर वकिंग डीलर रहेगा तथा इसको तेल कम्पनियां समय-समय पर अपने निरीक्षणों द्वारा सुनिश्चित करती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम/ संघ क्षेत्र	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या (पेट्रोल/डीजल) को डीलरशिप दी गई।		
		एस०सी०	एस०टी०	यू०जी०/ यू०ई०जी०
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	7	34
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	11	—
3.	असम	6	8	5
4.	बिहार	25	7	24
5.	गुजरात	14	10	22
6.	हरियाणा	13	—	11
7.	हिमाचल प्रदेश	1	—	2
8.	कर्नाटक	22	1	24
9.	केरल	11	6	12
10.	मध्य प्रदेश	7	6	25
11.	महाराष्ट्र	22	11	33
12.	मणिपुर	—	5	3
13.	मिजोरम	—	4	—
14.	उड़ीसा	7	7	13
15.	पंजाब	25	—	15
16.	राजस्थान	18	13	27
17.	तमिलनाडु	53	1	54
18.	त्रिपुरा	—	1	—
19.	उत्तर प्रदेश	42	—	31
20.	वैस्ट बंगाल	31	3	23

1	2	3	4	5
21.	जम्मू और कश्मीर	1	—	2
22.	दिल्ली	2	—	—
23.	गोवा और दमण द्वीयू	2	—	—
24.	पांडिचेरी	3	—	3
25.	चण्डीगढ़	1	—	—
26.	नागालैंड	—	4	—
27.	मेघालय	—	8	—

तमिलनाडु में डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरो का निर्माण

4814. श्री पी० सेलवेन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. डाक विभाग

साथुवाचारी (वेल्लोर) मायलापोर और चेटपेट (मद्रास), पोडानुर पोल्लाछी, गोबीचेट्टिपलायम, रामेश्वरम, विरुद्धनगर, तिरुपट्टुर (एन०ए०) कोविलपट्टी, तूतीकोरिन, अम्बाट्टुर, मांडवेली ।

2. दूरसंचार विभाग

चिदम्बरम, गुड्डालोर, एरोड, थुराईयूर, पेरानमबट, पापनासम, अरियालूर, थक्काले, अम्बुर, मीनाबच्कनम, आतुर (सेलम), कल्लाकुरीची, पलायमकोटे, विरुद्धनगर, एन्नौर, महाबलीपुरम, तिरुवट्टुर (एनम) नागरकोइल, अराकंडानाल्लुर, कुम्बाकोनम, मनारगुडी, रासीपुरम, संकरणकोइल, तेनकासी, शिवकासी, तूतीकोरिन, कंडाह, कोडैकनाल, कन्नूर, थंजावुर, डिंडिगुल भवानी, ओड्डनान्वट-

रम, वेल्लोर, नमक्कल, गुडालुर, तिरुपुर, अरुपुकोटै, कांगेयाप, पट्टकोटटै, धारा-पुरम, पोल्लादी, मद्रास और कोयम्बटूर।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/कम्पनियों को अलग-अलग दरों पर गैस की सप्लाई

4815. **श्री डी०बी० पाटिल** : : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग-अगल दरों पर गैस की सप्लाई करता है;

(ख) यदि हां, तो (एक) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (दो) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड (तीन) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (चार) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (पांच) दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स और (छ:) टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड को किस दर पर गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ग) उक्त ग्राहकों को अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक महीने-वार कितनी मात्रा में गैस की सप्लाई की गई है; और

(घ) प्रति 1000 क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन पर कितनी लागत आती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को एल०एस०एच०एस० के प्रतिस्थापन मूल्य के बराबर गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले के प्रतिस्थापन मूल्य पर, राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर (ट्राम्बे और थाल) को फीड स्टाक के लिये नैप्था के प्रतिस्थापन मूल्य पर और इंधन के लिये फरनेस ग्रायल के प्रतिस्थापन मूल्य पर दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को (फीड स्टाक के लिये) नैप्था और (इंधन के लिए) फरनेस आयल के प्रतिस्थापन मूल्य पर और टाटा इलेक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेड को 5685 मिलियन केलोरी प्रतिदिन तक कोयले के प्रतिस्थापन मूल्य पर और इसके बाद फ्यूल आयल प्रतिस्थापन मूल्य पर सप्लाई की जा रही गैस का मूल्य लिया जाता है।

(ग) इसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) 1984-85 के लिये प्राकृतिक गैस की उत्पादन लागत 1218/1000 रुपये क्यूबिक मीटर थी; इसमें सप्लाई स्थल से विभिन्न उपभोक्ताओं तक गैस के परिवहन की लागत शामिल नहीं है।

विवरण

(मिलियन घन मीटर)

मास	एम०एस० ई०बी०	जी०एस० ई०बी०	आर०सी०एफ० ट्राम्बे	थाल	बी०पी० सी०एल०	डी०ए०एफ०पी० सी०एल० (समाप्त कर दिया गया)	टी०ई०सी०
अप्रैल, 85	18.49	9.31	38.87	58.86	1.02	8.39	24.00
मई, 85	11.75	9.66	44.34	76.28	0.04	6.37	20.94
जून, 85	26.79	8.90	30.36	65.80	—	8.70	45.19
जुलाई, 85	15.09	9.02	52.80	86.68	—	7.71	12.60
अगस्त, 85	27.88	9.24	52.06	73.32	—	5.85	7.14
सितम्बर, 85	57.92	9.02	50.56	73.32	—	7.84	17.17
अक्तूबर, 85	42.24	9.34	25.46	73.21	—	10.50	31.69
नवम्बर, 85	27.98	9.34	48.44	79.93	—	7.13	5.70
दिसम्बर, 85	45.72	9.12	49.33	75.89	—	8.30	6.07
जनवरी, 86	27.73	7.98	53.55	66.62	—	2-75	25.27
फरवरी, 86	36.60	7.20	47.23	57.58	—	7.91	20.84
जोड़	338.19	98.13	494.00	786.49	1.06	81.45	225.21

कागज मिलों की स्थापना

4816. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 के दौरान देश में कुछ कागज मिल स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उड़ीसा में कोई नई कागज मिल स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या फूलबनी जिले में एक कागज मिल स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो उड़ीसा में अन्यत्र और अन्य राज्यों में नई कागज मिल स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रम की केछार पेपर परियोजना वर्ष 1986-87 के दौरान उत्पादन करना शुरू कर देगी।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा राज्य में कोई नई कागज मिल स्थापित करने का विचार नहीं है। किन्तु 32.143 मी० टन की वार्षिक क्षमता के लिए उड़ीसा राज्य में कागज और गत्ते के उत्पादन के वास्ते 8 एककों को तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा पंजीकरणों पर स्वीकृति दी गई है। तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकरणों पर स्वीकृत किए गए एककों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण-एक) जिन एककों को औद्योगिक लाइसेंस, आशय-पत्र जारी किए गए तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरणों और औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा पंजीकरणों पर स्वीकृति दी गई उनकी राज्यवार संख्या कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिए उनकी वार्षिक क्षमता दर्शाने वाला एक और विवरण संलग्न है (विवरण-दो) ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-एक

जिन एककों को उड़ीसा राज्य में कागज और गत्ते के उत्पादन के वास्ते क्षमता स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकरण पर स्वीकृति दी गई थी और जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है उनका ब्यौरा

क्रम० संख्या	एकक का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4
1.	मे० कृष्ण प्रॉडक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड	कुटंग रघुनाथपुरा	3,300

1	2	3	4
2.	मे० गुना मंजवी पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड	जिला मयूरभंज	2,000
3.	मे० नोर्टस मिल्स लिमिटेड	जिला बालासोर	6,600
4.	मे० आशीर्वाद पेपर उद्योग (प्रा०) लिमिटेड	जिला बालासोर	6,500
5.	मे० लक्ष्मी आइस, आयल एण्ड जनरल मिल्स जैपुर	जिला कोरापुट	6,600
6.	मे० उड़ीसा स्ट्रा० बोर्डस (प्रा०) लिमिटेड	जिला सम्बलपुर	2,673
7.	मे० स्पा स्ट्रा बोर्ड इंडस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	जिला बोलनगीर	2,970
8.	मे० अरबिन्दु पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड	तलचेर जिला धेनकनाल	1,500
			32.143

विवरण-दो

जिन एककों को औद्योगिक लाइसेंस, आशय-पत्र जारी किए गए, तकनीकी विकास महानिदेशालय, में पंजीकरणों और औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा पंजीकरणों पर स्वीकृति दी गई है उनकी राज्यवार संख्या, कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिए उनकी वार्षिक क्षमता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम	औद्योगिक लाइसेंस		आशय पत्र		डी०जी०टी०डी० में पंजीकरण		औद्योगिक स्वीकृति सचि० में पंजीकरण	
		एककों की संख्या	क्षमता (मी०टन में)	एककों की संख्या	क्षमता (मी० टन में)	एककों की संख्या	क्षमता (मी० टन में)	एककों की संख्या	क्षमता (मी० टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1·	आन्ध्र प्रदेश	7	55,000	1	33,000	21	1,15,800	—	—
2.	असम	1	1,00,000	—	—	1	2,400	—	—
3.	बिहार	2	27,350	—	—	32	77,134	—	—
4.	गुजरात	5	43,250	1	10,500	49	2,95,738	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	3	10,600	—	—
6.	हरियाणा	1	10,000	3	46,500	51	1,98,083	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	1	10,000	—	—	24	87,250	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	5	12,310	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	कर्नाटक	3	29,300	—	—	21	87,950	—	—
10.	केरल	—	—	—	—	2	4,950	—	—
11.	मध्य प्रदेश	3	29,000	—	—	45	2,37,050	—	—
12.	महाराष्ट्र	6	1,00,000	8	95,000	41	2,10,980	3	48,000
13.	नागालैंड	—	—	—	—	2	9,000	—	—
14.	उड़ीसा	—	—	—	—	8	32,143	—	—
15.	पांडिचेरी	—	—	—	—	8	34,165	—	—
16.	पंजाब	1	10,000	3	90,500	48	1,87,120	1	6,600
17.	राजस्थान	1	10,000	1	5,400	20	77,125	—	—
18.	तमिलनाडु	1	10,000	1	15,000	30	1,33,430	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	5	27,500	1	6,000	154	5,25,450	2	26,800
20.	प० बंगाल	—	—	2	16,500	16	57,030	—	—
	योग	37	4,61,400	21	3,18,400	573	23,95,708	6	81,400

पश्चिमी बंगाल में तेल की खुदाई के कार्य से सोवियत संघ का पीछे हटना

4817. **डा० बी०एल० शैलेश**
श्री के० प्रधानी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने पश्चिमी बंगाल में तेल खुदाई के प्रस्तावित कार्य से अपना इरादा बदल दिया है तथा वह अपनी इस पिछली घोषणा से कि समस्त क्षेत्र में तेल का विपुल भण्डार है, पीछे हट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिमी बंगाल में समुद्र तट पर तेल की खुदाई करने के लिये अब कौन से अन्य स्रोतों का पता लगाया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिमी बंगाल में अपने अन्वेषण क्रियाकलाप जारी रखे हुए है।

महानदी के तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज

4818. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइल इण्डिया लिमिटेड, जो मूलतः एक अभितट कम्पनी है, ने कुछ वर्ष पूर्व मेक्सिको की सरकारी स्वामित्व वाला प्रोटैक्सा के जेक-अप रिंग से दूर काम शुरू कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे महानदी के तट दूर खोदे गए सभी आठ कुओं में कुछ भी नहीं मिला है;

(ग) क्या इसने छठे कुएं में तेल के संकेत मिलने का दावा किया, यदि हां, तो अन्तोगत्वा इस कुएं में क्या मिला;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र बेसिन में इसके जेक-अप रिंग द्वारा की गयी खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) इस कार्य पर अनुमानत: कितना खर्च हुआ है; और

(च) महानदी के तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज की यदि कोई संभावनाएं हैं, तो वह क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि कोई वाणिज्यिक उपलब्धी नहीं हुई है फिर भी हाइड्रोकार्बन होने के संकेत मिले हैं। अन्वेषण के प्रयास जारी हैं।

(घ) नार्थ-ईस्ट बेसिन में प्रथम कुएं के परिणामों का पता कुएं के खनन तथा उसके उत्पादन परीक्षण के पूरे होने के बाद ही लग सकेगा।

(ङ) लगभग 145 करोड़ रुपये।

(च) महानदी बेसिन की संभावनाएं और आगे के अन्वेषण प्रयासों के लिये उपयुक्त समझी गई है।

दूरसंचार के क्षेत्र में उपयोग के लिए भू-केन्द्र

4819. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में उपयोग के लिए किन्हीं भूकेन्द्रों को, जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने की योजना थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1985-86 में वास्तविक रूप से स्थापित और चालू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में स्थापित किये गये/चालू किये गए ऐसे सभी केन्द्रों के नाम क्या हैं और ऐसे केन्द्रों के नाम क्या है जिन्हें अभी स्थापित/चालू किया जाना है; और

(ग) शेष केन्द्रों के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना हैं और इसमें बिलंब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुल्लू में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में एक भू-केन्द्र स्थापित करने का मूल कार्यक्रम था जिसे बाद में शेष कार्य के रूप में सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। यह वास्तविक रूप में दिसम्बर, 1985 में चालू किया गया।

(ख) हालांकि अतिरिक्त भू-केन्द्र स्थापित करने और चालू करने की कुछ योजनाओं पर छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में मंजूरी दी गई थी परन्तु इन्हें सातवीं योजना के दौरान उत्तरो-

त्तर चालू करने का मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के दौरान स्थाई एवं परिवहनीय सहित लगभग 80 अतिरिक्त भू-केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) जिन योजनाओं पर मंजूरी दी गई है उनमें निम्नलिखित स्थानों पर भू-केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था है :—

(एक) 1986-87 के दौरान निम्नलिखित 18 स्थानों पर भू-केन्द्र स्थापित करने की योजना है :

1. दोदा 2. राजोरी 3. घुन्च 4. कारगिल	जम्मू व कश्मीर राज्य
5. फूलबनी	उड़ीसा राज्य
6. केयलोग 7. कालपा	हिमाचल प्रदेश
8. जीरो 9. डेपोज 10. सेपा 11. एनिनि	अरुणाचल प्रदेश
12. जैसलमेर	राजस्थान
13. श्रीनगर (गढ़वाल) 14. जोसिमठ 15. उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश
16. कॅंपवेल बेय 17. डिगलिपोर 18. मयाबुनदर	अण्डमान और निकोबार आईसलैंड

(दो) 1987-88 में उत्तर-पूर्व सर्किल में 26 केन्द्र उत्तरोत्तर स्थापित करने की योजना है।

(तीन) 1986-87 के दौरान 10 परिवहनीय भू-केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(चार) अन्य भू-केन्द्रों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ऊपर क्रम संख्या (एक) से (तीन) तक दी गई परियोजनाओं पर प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है।

तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता

4820. **डा० सुधीर राय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986 के अन्त में पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कुल अधिष्ठापित क्षमता का 68.93 % हो जाएगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूर्वी क्षेत्र का भाग घटकर 10.07 प्रतिशत रह जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र के साथ इस भेद भाव के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) इस समय देश में कुल रिफाइनिंग क्षमता का 68.93 % भाग पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों में है और सातवीं योजना के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र (दिग्बोई गोहाटी, बोंगाईगांव, हल्दिया और बरौनी) में रिफाइनिंग क्षमता का 17.13 प्रतिशत तक होने की संभावना है। रिफाइनिंग क्षमताएं रिफाइनरी द्वारा पूरा किये जाने वाले क्षेत्र में उत्पादों की मांग तथा अन्य सम्भार तंत्रों से सम्बद्ध होती हैं।

उड़ीसा में मल्टी एक्सेस रुरल रेडियो स्कीम

4821. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न आन्तरिक भागों में मल्टी एक्सेस रुरल रेडियो स्कीम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य हैं और तत्संबंधी वार्षिक कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना की स्कीम में उड़ीसा जी०एम०टी० सर्किल को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह स्कीम चलायी जायेगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में बालासौर जिले के जलेश्वर में एक वायरलेस स्टेशन स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(छ) क्या सरकार ने जलेश्वर को "मल्टी ऐक्सेस रुरल रेडियो स्कीम" अथवा "बेरी हाई फ्रीक्वेन्सी सिस्टम" के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय किया है यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली के जरिये लगभग 3000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना है । वर्षवार कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1985-86	100	एल०डी०पी०टी०
1986-87	300	,,
1987-88	600	,,
1988-89	800	,,
1989-90	1200	,,
कुल	3000	,,

(ग) जी, हां ।

(घ) कोरापुट और केन्द्रपाड़ा में रेडियो बेस स्टेशन लगाने का पहले से ही प्रस्ताव है जिसमें क्रमश: 11 और 20 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायेंगे । उड़ीसा दूर-संचार सर्किल के लिए कुल मिलाकर 20 प्रणालियों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

(ङ) से (छ) एक सिंगल चैनल वी०उच०एफ० प्रणाली के जरिए जनेश्वर को बाला-सोर से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस परियोजना पर 1.25 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है ।

हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड के पेनिसिलिन एम्पिसिलिन तथा स्ट्रैप्टोमाइसिन संयंत्रों का विस्तार तथा उनका आधुनिकीकरण

4822. **डा० ए०के० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन स्ट्रैप्टोमाइसिन संयंत्रों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण पर हाल ही में लगभग तीस करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और इन उत्पा ों के मूल्यों में तो वृद्धि हुई है लेकिन उनका उत्पादन घटा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाहर की पार्टियों से ऋण लाइसेन्स पर परियोजनायें बनाई जाती हैं जबकि कैपसूल्स टेबलेट्स और सिरप के लिए आधुनिक आयातित संयंत्रों को बेकार डाला हुआ है जिससे

वहां घाटा हो रहा है और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तक नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०) के पेन्सिलिन, एंपिसिलिन तथा स्ट्रैप्टोमाइसिन संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर निम्नानुसार 12.35 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ। :—

	(रुपये करोड़ों में)
1. पैंसिलिन एक्सपैंशन	2.95
2. एंपिसिलिन एक्सपैंशन	3.14
3. स्ट्रैप्टोमाइसिन एक्सपैंशन	6.26
	12.35

पैंसिलिन तथा स्ट्रैप्टोमाइसिन के मूल्य पिछली बार जुलाई/अगस्त, 1982 में संशोधित किये गये थे और एंपिसिलिन के सितम्बर, 1983 में। उस समय से इन उत्पादों के मूल्यों में कोई संशोधन नहीं हुआ है, केवल प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रोकेन पैंसिलिन प्रपुंज के सम्बन्ध में 13-9-1985 से स्वीकृत 63.29 रुपये प्रति बी०यू० की वृद्धि को छोड़कर एच०ए०एल० की इन औषधों के उत्पादन में कमी मुख्यत: बाजार प्रतिबन्ध तथा प्रौद्योगिकी समस्याओं के कारण हुई।

(ग) और (घ) कुछ उत्पादों का आपतकाल में ऋण लाइसेन्स के आधार पर उत्पादन कराया जाता है, जैसे कि (1) जहां मदें एच०ए०एल० की उत्पादन श्रृंखला में नहीं होती, और (ख) क्षमता प्रतिबन्ध तथा आपूर्ति की अल्प समयसूची। कम्पनी द्वारा ऋण लाइसेन्स पर उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता पर एच०ए०एल० का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग निगरानी रखता है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विद्युत परियोजनाओं में कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

4823. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुशल, अकुशल एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत

उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और यदि हां, तो अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विद्युत परियोजनाओं में श्रेणीवार कर्मचारियों की कितनी कमी है;

(ख) क्या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा अनुरोध कब प्राप्त हुआ था तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। इस बारे में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) जी, हां । पोर्ट ब्लेयर में 10/12 मेगावाट के डीजल विद्युत उत्पादन सेटों की प्रतिष्ठापना के लिए स्कीम को क्रियान्वित करने हेतु मंडल में आदमियों को काम पर लगाने के लिए 61 पदों को सृजित करने का एक प्रस्ताव मई, 1985 में प्राप्त हुआ था ।

इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि जिस स्कीम के लिए ये पद सृजित किए जाने हैं वह स्कीम स्वीकृत हो जाती है ।

आटोमोबाइल निर्माताओं की स्वदेशीकरण की नीति

4824. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत आटोमोबाइल निर्माताओं की स्वदेशीकरण सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ख) विभिन्न मोटरगाड़ियों का पृथक-पृथक कितने प्रतिशत स्वदेशीकरण किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) निर्माताओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत स्वदेशीकरण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 90-95% स्वदेशीकरण करना है, का पालन करें ।

(ख) यद्यपि 4 और दो पहियों वाले अधिकांश पुराने माडलों अर्थात् अम्बेसेडर और प्रीमियर पद्मिनी यात्री कारों, अशोक लेलैंड और टेल्को ट्रक तथा बसों और बजाज स्कूटरों के संबंध में लगभग शत-प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया गया है लेकिन नये माडल की मोटर गाड़ियों के संबंध में एक सूचक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विभिन्न मोटर गाड़ियों द्वारा प्राप्त स्वदेशीकरण की प्रतिशतता, मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार, निम्नप्रकार है :

क्रमांक	माडल/निर्माता	स्वदेशीकरण की प्रतिशता
1.	मारुति-800 (यात्री कार)	36.92
2.	स्टैण्डर्ड-2000 (यात्री कार)	67.63
3.	आल्विन-निसान लिमिटेड, (हल्की वाणिज्यिक गाड़ी)	43.4
4.	लोहिया मशीन्स लिमिटेड (स्कूटर)	70.0
5.	हीरो-होन्डा लिमिटेड (मोटर-साइकिल)	61.37
6.	चामुण्डी मोपेड्स (मोपेड)	60.74

कांगड़ा जिले के धमेटा डाकघर में गबन

4825. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में धमेटा डाकघर के उप-डाकपाल ने वर्ष 1985 में पेंशन-भोगी रक्षा कर्मचारियों और विधवा पेंशन-भोगियों के लिए नियत धनराशि का गबन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, कितनी धनराशि का गबन हुआ तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जनता से वर्ष 1985 में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। लेकिन किसी पेंशनभोगी सैनिक तथा पेंशन-भोगी विधवा को कोई रकम देय नहीं है।

(ख) उप पोस्टमास्टर ने वर्ष 1985 में पेंशन की फर्जी बकाया राशि दिखाकर 5530/-रु० का गबन किया। इस पूरी राशि को वसूल कर लिया गया है। दोषी कर्मचारी का स्थानांतरण

दूसरे डाकघर में कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

आवश्यक औषधों के उत्पादन में कटौती

4826. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औषध कम्पनियों ने आवश्यक औषधों के उत्पादन में कटौती कर दी है और वे गैर-आवश्यक औषधों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) श्रेणी एक और दो के अन्तर्गत आने वाली उन औषधियों के नाम क्या हैं, जिनके उत्पादन में काफी कमी आई है; और

(ग) इन वल्क औषधियों और इन पर आधारित फार्मूलेशनों के उत्पादन में गिरावट आने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) किसी कम्पनी द्वारा किसी विशिष्ट औषध का उत्पादन उसकी मांग तथा कम्पनी की कार्पोरेट योजनाओं पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) श्रेणी I तथा II प्रपुंज औषधों में डैप्सोन, डाई-आईओडोहाईड्रोक्सी-क्विनोलिन, आईओडोक्लोरोहाइड्रोक्सी क्विनोलिन, पी०ए०एस० एवं उनके लवण, पैंसिलिन, अमोडियाक्विन, एनलजिन, फेनबारीबिटोन, तथा सल्फाडिमिडाइन का उत्पादन 1979-80 की तुलना में 1984-85 के दौरान कम था। यह औषध के अप्रचलन के साथ-साथ औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत श्रेणी I/II फार्मूलेशनों के लिए निम्न मार्क अप के कारण था।

समुद्र पारीय निर्माण परियोजनाएं

4827. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने समुद्र पारीय निर्माण परियोजनाओं के बारे में टेलीकाम कंसल्टस इण्डिया लिमिटेड, संचार मन्त्रालय द्वारा पालन किये जाने वाले मानदण्डों तथा समुद्र पारीय निर्माण परिषद, वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रणालियों की जांच की है; और

(ख) क्या टेलीकाम कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा पालन की जा रही प्रणाली में कोई अन्तर है और तत्संबंधी कठिनाइयां क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मंत्रालय ने विदेश में दूरसंचार क्षेत्र में सिविल निर्माण-कार्य संबंधी ठेकों के प्रस्ताव की दिशा में

कोई मार्गदर्शन सिद्धांत जारी नहीं किये हैं। टी०सी०आई०एल० भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सामान्य सिद्धांत तथा पब्लिक इन्टर प्राइसिज ब्यूरो से प्राप्त मार्गदर्शन सिद्धांत ही अपना रहा है।

(ख) टी०सी०आई०एल० तथा ओ०सी०सी० के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है इन दोनों संगठनों के सिद्धान्त तथा कार्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है।

रिहन्द उच्च ताप विद्युत परियोजना

4828. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**
श्री बासुदेव आचार्य } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने रिहन्द उच्च ताप विद्युत परियोजना का 1200 करोड़ रुपये का ठेका अपने परामर्शी सलाहकार की सलाह के विरुद्ध ब्रिटेन के एक टर्नकी ठेकेदार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ठेका इस ठेकेदार को किन स्थितियों में दिया गया था; और

(ग) इस ठेकेदार को ठेका देने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना यू०के० की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। यू०के० प्राधिकारियों और भारतीय पक्ष की ओर से गठित की गई एक समिति के बीच बातचीत के पश्चात परियोजना के संबंध में सप्लाई और उत्थापन का ठेका सितम्बर, 1932 में यू०के० के मैसर्ज नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज को दिया गया था। ठेका मैसर्ज नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज को देने के लिए इस समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के निदेशक मण्डल और भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया था।

विश्व बैंक ऋण उपलब्ध न होने के कारण रद्द की गई कोयला परियोजनाएं

4829. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में हुई भारतीय कोयला उपभोक्ता संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों ने यह कहा कि विश्व बैंक से नई कोयला परियोजनाओं को इस आधार पर ऋण देना अस्वीकार कर दिया है कि भारत में कोयले का मूल्य विश्व के अन्य कोयला उत्पादक देशों से अत्यधिक कम है; और

(ख) यदि हां, तो उन नई कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक का ऋण उपलब्ध न होने के कारण रद्द कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुस्लिम स्वीय विधि की सांविधानिकता के संबंध में उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाएं

4830. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण मुस्लिम स्वीय विधि अथवा उसके किसी विशिष्ट भाग की सांविधानिकता अथवा अन्यथा के संबंध में उच्चतम न्यायालय में कितनी रिट याचिकाएं लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी मामलों में अपने कथन फाइल कर दिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं की संख्या अभिनिश्चित करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि सरकार को उसमें पक्षकार न बनाया जाए और रिट याचिका की एक प्रति उसे प्राप्त न हो । उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह भी सूचित किया है कि कुल लंबित रिट याचिकाओं के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं किन्तु लंबित रिट याचिकाओं की विषय-वस्तु के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी, केंद्रीय सरकार को तीन रिट याचिकाओं के सबंध में, सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तलाक के एक पक्षीय निर्णय को मुसलमान पुरुषों के पक्ष में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किए जाने, किसी मुसलमान महिला को दत्तक ग्रहण का अधिकार उपलब्ध न होने, मुस्लिम विधि में यह उपबंध कि पिता धर्मज संतानों का नैसर्गिक संरक्षक है, और अन्य अनुषंगिक मामलों की विधिमान्यता को चुनौती दी गई है ।

(ख) और (ग) सरकार ने प्रथम वर्णित मामले में प्रति-शपथपत्र फाइल कर दिया है और दो अन्य मामलों में प्रतिशपथपत्र फाइल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियां/न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

4831. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति राज्य से बाहर के हैं;

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश उस राज्य के बाहर के हैं;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने न्यायाधीशों को पदोन्नति पर अथवा अन्यथा एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित किया गया है; और

(घ) क्या प्रत्येक मामले में उन्हें अपने अधिवास के राज्य से भिन्न राज्य में स्थानान्तरित किया गया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) 27.3.1986 को आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, गुवाहाटी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मद्रास, पटना और सिक्किम के उच्च न्यायालयों में राज्य से बाहर के मुख्य न्यायमूर्ति थे ।

(ख) दिल्ली, पटना, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की चार आरम्भिक नियुक्तियां बाहर से की गई हैं । दो अवर न्यायाधीशों के स्थानान्तरण, मध्य प्रदेश और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों में प्रत्येक के लिए बाहर से किए गए थे ।

(ग) और (घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । किन्तु अधिवास के राज्य के संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती है ।

विवरण

(1.1.85 से आज तक)

क्रम सं०	न्यायधीश का नाम	जिस न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया	जिस रूप में नियुक्त किया गया
	सर्वश्री न्यायमूर्ति		
1.	पी०आर० गोकुलकृष्णन्	मद्रास	मुख्य न्यायमूर्ति, गुजरात उच्च न्यायालय
2.	टी०एन० सिंह	गुवाहाटी	अवर न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
3.	पी०सी० रेड्डी	आंध्र प्रदेश	मुख्य न्यायमूर्ति, गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4.	के० भाष्करन्	केरल	मुख्य न्यायमूर्ति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
5.	वी०एस० मालीमठ	कर्नाटक	मुख्य न्यायमूर्ति, केरल उच्च न्यायालय
6.	जे०के० मोहन्ती	उड़ीसा	मुख्य न्यायमूर्ति, सिक्किम उच्च न्यायालय
7.	ए०एम० भट्टाचार्जी	सिक्किम	अवर न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना की प्रगति

4832. **श्री बासुदेव आचार्य**
श्री सैयद मसूदल हुसैन } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए परियोजना प्रबन्ध क्षमता और डिजाइन में त्रुटियां और ब्रिटिश टर्नकी ठेकेदार की निर्माण गतिविधियों से संबंधित मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है और इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उससे विद्युत परियोजना की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप अत्यधिक देरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सरकार द्वारा वर्ष 1982 में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार, रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2×500 मेगावाट) की पहली यूनिट जून, 1987 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है। जुलाई, 1985 में सरकारी स्तर पर परियोजना की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई थी तथा मैसर्ज ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल से परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था, जो कि रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक में लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के परामर्शदाता हैं मैसर्ज ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल द्वारा अगस्त, 1985 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार यूनिट-एक को चालू करने की सबसे अधिक सम्भावित तारीख अप्रैल, 1988 है। मैसर्ज ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जो कि उपस्कर की सप्लाई और उत्थापन करने के मुख्य ठेकेदार हैं, को परियोजना प्रबन्ध, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों द्वारा रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक की समुचित मानीटरिंग की जा रही है ताकि मैसर्ज नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज अपने परियोजना संगठन में आवश्यक सुधार करे और परियोजना को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करे।

लघु तथा गौण विद्युत सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

4833. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने लघु तथा गौण विद्युत सिंचाई परियोजनाओं के, जो धन की कमी के कारण पूरी नहीं हुई हैं, अधिकांश भाग की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हल्दिया-पट्रो-रसायन परियोजना संबंधी आशयपत्र का पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से हल्दिया-पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड को अन्तरण

4834. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन**
डा० सुधीर राय } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में न्यू हल्दिया पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट के लिए और इसके आशयपत्र को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड को अन्तरित करने की मंजूरी/स्वाकृत दे दी है;

(ख) यदि नहीं तो सरकार द्वारा उस विषय में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आशय-पत्रों को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड को अन्तरित करने की मांग किये जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) प्रस्तावित हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स प्रोजेक्ट के प्राडक्ट मिक्स में परिवर्तन करने तथा मैं० हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लि० को आशय-पत्र स्थानान्तरित करने सम्बन्धी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० (डब्ल्यु बी०आई०डी०सी०) के प्रस्तावों को सरकार का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस नयी संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी का गठन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यु बी०आई०डी०सी० द्वारा गोएनकाज के साथ किए गए एक करार से हुआ है।

श्री भगवतानन्द गुरु की जन्म शताब्दी पर डाक टिकट जारी करने की मांग

4835. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल के असाधारण समाज सुधारक श्री भगवतानन्द गुरु की जन्म शताब्दी पर डाक टिकट जारी करने के बारे में अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव विभाग में कार्यरत फिलैटली सलाहकार समिति जो फिलैटलिक मामलों में सरकार को सलाह देती है, के सम्मुख रखा गया था। तथापि समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की।

औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये अनिवासी भारतीयों का प्रस्ताव

4836. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान अनिवासी भारतीयों से देश में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) वर्ष के दौरान ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए; और

(ग) आवेदक के निवासी राज्य, जिस राज्य में प्रस्तावित एकक स्थापित किया जाना है के द्वारा तथा कितना प्रस्तावित पूंजी निवेश किया जायेगा तथा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का वर्गीकरण क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1985 के दौरान भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विमियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों से 156 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 66 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इनके अतिरिक्त, 1985 में इनसे पहले से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में अनिवासी भारतीयों को 21 आशय-पत्र/अनुमानित/औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय पंजीकरण जारी किए गए थे।

1985 में विभिन्न स्वीकृति परियोजनाओं में अचल परिसंपत्तियों के रूप में कुल अनुमानित निवेश (इसमें उपर्युक्त स्वीकृतियां पूंजीगत वस्तुओं और विदेशी सहयोग के लिए अनिवासी भारतीयों को दी गई स्वीकृतियां भी शामिल है) 676.76 करोड़ रु० है, जिनमें से अनिवासी भारतीयों द्वारा 102.00 करोड़ रु० निवेश किए जाने की आशा है। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न किए गए आशय-पत्रों में निहित परियोजनाओं के ब्यौरे अर्थात् आवेदक का नाम, परियोजना की स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु आदि भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित मन्थली न्यूजलेटर में उपलब्ध है। यह प्रकाशन संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

संसद सदस्यों की सिफारिशों पर टेलीफोन कनेक्शन

4837. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों द्वारा बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) इस प्रकार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए (श्रेणी-वार और राज्य-वार) ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के दौरान (27-3-86 तक) बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए संसद सदस्यों द्वारा लगभग 1900 सिफारिशें की गई।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1985-86 के दौरान (27.3.86 तक) संसद सदस्यों की सिफारिश पर बिना बारी के आधार पर दिए गए श्रेणीवार और राज्यवार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निम्नलिखित श्रेणीयों में मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या						योग
		ओ० वाई० टी०-जी०	ओ०वाई० टी०-एस०	गैर ओ० वाई० टी०-एस०एस०	गैर ओ० वाई० टी०-एस०	गैर ओ० वाई० टी०-जी०	अनुपलब्ध श्रेणी के बारे में जानकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	3	—	5	2	10
2.	असम	—	—	—	—	—	2	2
3.	बिहार	—	—	1	1	1	1	4
4.	गुजरात	—	—	—	2	—	2	4
5.	हरियाणा	—	—	—	—	3	1	4
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	1	1
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	1	—	—	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	कर्नाटक	—	—	—	1	—	5	6
9.	केरल	—	—	—	1	—	1	2
10.	मध्य प्रदेश	—	—	—	1	—	4	5
11.	महाराष्ट्र	1	1	—	2	2	7	13
12.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	1	1
13.	पंजाब	—	—	1	1	—	3	5
14.	राजस्थान	—	—	3	1	1	4	9
15.	उत्तर प्रदेश	1	—	1	—	3	10	15
16.	पश्चिमी बंगाल	—	—	—	1	—	—	1
17.	तमिलनाडु	—	1	—	1	2	3	7
18.	चण्डीगढ़ यू०/टी०	—	—	—	1	—	3	4
19.	दिल्ली यू०/टी०	2	1	6	11	21	21	62
							कुल योग :	157

पारादीप में तेल टर्मिनल

4838. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप में स्थापित किये जाने वाले तेल टर्मिनल के भण्डारण टैंक की क्षमता कितनी होगी;

(ख) क्या उसमें भविष्य में वृद्धि की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना के दौरान पारादीप, उड़ीसा में अपेक्षित टैंकेज स्टोरेज सहित तेल टर्मिनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

टिहरी बांध परियोजना के कारण जलमग्न गांव

4839. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना की क्रियान्वित के कारण अनुमानतः कितने गांवों के जल-मग्न हो जाने की संभावना है और कितनी जनसंख्या बेघर हो जाएगी; और

(ख) प्रभावित होने वाले लोगों को किस किस्म का मुआवजा देने का प्रस्ताव है और परियोजना का काम शुरू करने से पहले विस्थापित परिवारों के लिए विकसित भूमि और जीवन-यापन के अन्य साधनों की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 23 गांव और टिहरी कस्बा पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएंगे । इसके अतिरिक्त, 72 गांव आंशिक रूप से जलमग्न होंगे । विस्थापित होने वाली जन-संख्या 46,000 होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) 2.0 एकड़ विकसित भूमि अथवा अनुग्रह-पूर्वक अदायगियों तथा अति उदार आधा पर अन्य अनुदानों के साथ कम से कम 40,000 रुपये के नकद मुआवजे के लिए कार्यवाही शुरू की गई है । विस्थापितों को पुनः बसाने के लिए देहरादून और सहारनपुर जिलों में 4049 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है । इसके अतिरिक्त, 2500 एकड़ और भूमि का अधिग्रहण किया जाना है । एक नए टिहरी कस्बे का विकास किया जा रहा है तथा एक गहन श्रमिक उद्योग स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

———

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न दसवें नम्बर पर है। जिनके प्रश्न इस प्रश्न सूची में सातवें, आठवें और नौवें नम्बर पर है वे सभी सदस्य इस इन्तजार में रहते हैं कि हमारे प्रश्न आयेंगे और उनके उत्तर हमें मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मेरा पहले ही ध्यान गया है। मैं तो स्वयं चिंतित हूं। यह तो आपकी और मेरी दोनों की मिल कर कोशिश से ही काम होगा। यह मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगा।

श्री राज कुमार राय : मैं देखता हूं, बहुत सारे मेम्बर्स आपकी डायरेक्शन को नहीं मानते है। कुछ सीनियर लोग सप्लीमेंटरी में भाषण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं रोकने की कोशिश करता हूं।

श्री राज कुमार राय : आज छठे नम्बर पर लगा हुआ प्रश्न आया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है साहब।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो खुद राय जी आपको बतला रहा हूं और आप बोलते जा रहे हैं। मैं तो स्वयं इस बात से दु:खी हूं।

श्री राज कुमार राय : मैं आपका विशेष आदेश चाहता हूं आप इस पर विशेष ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप मेरी बात भी सुनिये।

श्री राज कुमार राय : आप इसको देखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो आप से कह रहा हूं बाबा। मैं यही तो कह रहा हूं कि सारी रात रोये, वह भी मरा पड़ोसी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सब ऐसा करें कि आगे से ऐसा न हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : मैं जिस मामले को सभा में उठाना चाहता हूं वह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। यह मामला इस सभा के एक सदस्य के नेतृत्व में एक पार्टी विशेष

द्वारा कलकत्ता के उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पर हमला किये जाने के बारे में है जिसने एक निर्णय दिया था...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

प्रो० के०के० तिवारी : उन्होंने बलात्कर के एक मामले में निर्णय दिया था। इस सभा के एक सदस्य ने एक मोर्चे का नेतृत्व कर उसके मकान पर हमला किया। जब जज ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट मेरी बात सुनिये।...आप मेरी बात सुन लो।

[अनुवाद]

प्रो० के०के० तिवारी : पुलिस अधिकारी ने कहा, "आप इन लोगों से फैसला कर लो। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे दीजिए ताकि मैं पता करूं कि क्या हुआ है।

[अनुवाद]

प्रो० के०के० तिवारी : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल सरकार की मिली भगत से हुआ है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा।

आप मुझे कुछ दीजिए जिससे कि मैं पता कर सकूं कि क्या है।...मुझे आप पता लगाने दो। मैं ऐसे क्या कह सकता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : हमने सूचना भेज दी है। हम चाहते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि यह सर्रकार, सत्तारूढ़ दल की सहायता से हो रहा है।...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे इस चीज का पता नहीं लगे, मैं कैसे कर सकता हूं। मुझे फेक्ट्स तो पता करने दो।

[अनुवाद]

प्रो० के०के० तिवारी : आप मालूम कीजिए और उनके पश्चात् चर्चा की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, हमारे... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप काहे को बोल रही हैं।

(अनुवाद)

आप माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान डाल रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें चार सौ घर जल गये।

अध्यक्ष महोदय : आपके यहां ! आप स्टेट गवर्नमैंट को लिखिये।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, इतने घर जल गये हैं। यहां से कुछ होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर यहां से कुछ करना है तो रिलीफ फण्ड को लिख कर दीजिए। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती कृष्णा साही : आप अपने यहां से कुछ करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप रिलीफ फण्ड के लिए दीजिए। कुछ लिख कर दीजिए, में भिजवा दूंगा।

श्रीमती कृष्णा साही : आप अपने यहां से कुछ करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : बोलिये जयपाल जी, क्या कहना है।

[अनुवाद]

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय, कल समूचे भारत के समाचार-पत्र कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। केन्द्र ने अन्तरिम राहत की घोषणा नहीं की है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या अन्तर पड़ता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जयपाल जी को बोलने के लिए कह रहा हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मैं आपका ध्यान गैस पाइप लाइन के ठेके दिये जाने के मामले को अन्तिम रूप प्रदान करने में सरकार की असफलता की ओर दिलाना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नही दी । मैंने सभा में उस बारे में उत्तर दिला दिया था ।

नहीं । इसकी अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है । महोदय त्रिपुरा में राष्ट्रविरोधी गतिविधियां...

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे इस बारे में सूचना देनी होगी । मैं पता करूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सूचना दे चुका हूं...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : त्रिपुरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मणिपुर की पीपल लिबरेशन आर्मी से मिला हुआ है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये ।

सोमनाथ जी, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे मैं अस्वीकार कर चुका हूं । आप मुझे कोई अन्य सूचना दीजिए ताकि मैं तथ्यों का पता लगाकर आपसे बात कर सकूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देंगे ? यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है ।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मामला समाचार पत्रों में छपा है ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : युवा कांग्रेस (आई०) की इनके साथ सांठ-गांठ है ।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : नेपाली भाषी लोगों को मेघालय से निकाले जाने की सूचना हम आपको दे चुके हैं । (**व्यवधान**)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, मैंने नियम 193 के अन्तर्गत पंजाब समस्या पर एक सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : हम कल 4 बजे म०प० हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री अमल दत्त : मेघालय से नेपाली भाषी लोगों को निकाले जाने के बारे में पिछले पखवाड़े में मैंने एक सूचना दी थी । आपने कहा था कि गृह मन्त्रालय से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आपको जानकारी मिल चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर मिल चुका है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं । इसकी अनुमति नहीं दी जाती ।

(**व्यवधान**)*

12.06 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार के नियमों के बारे में वक्तव्य

[**अनुवाद**]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं वित्तीय वर्ष में परिवर्तन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल०टी०**—2343/86]

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : आपने स्वयं कहा था कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को सभा के बाहर और भीतर सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसी प्रश्न को दोबारा उठा रहे हैं ?

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा । मुझे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं तथ्यों के बिना कुछ नहीं कह सकता ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : यदि हम दस्तावेजों से इसकी पुष्टि करें, तो क्या आप मामले की जांच करेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : पाकिस्तान की जेलों में बन्द 77 भारतीय राष्ट्रिक पिछले पांच दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। एक कैदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखिए। मैं पता करूंगा।

वर्ष 1986-87 के लिए ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगें

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे): मैं वर्ष 1986-87 की ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०**—2344/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) संशोधन आदेश, 1986, जो 5 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 84 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1986, जो 5 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि०

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

92(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 14 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 495(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०—2345/86]

12.08 म०प०

पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण की योजना के विस्तार करने क सम्बन्ध में वक्तव्य

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण और उद्योगों का छितराव करने के लिए वर्ष 1971 में लागू की गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना में प्रोत्साहन के लिए पात्र क्षेत्रों की सूची में उद्योग रहित जिलों और विशेष क्षेत्रीय जिलों को शामिल करके 1983 म संशोधन कर दिया गया था। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 1983 से, पिछड़े क्षेत्रों के सभी वर्गों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता का पात्र बना दिया गया था यह अन्तरिम अभ्युपाय औद्योगिक छितराव के सम्बन्ध में शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक किया गया था।

इसी बीच, राज्य सरकारों और संसद सदस्यों से सरकार को अनेक सुझाव प्राप्त हुए थे जिनमें योजना का विस्तार करने के सुझाव दिए गए थे। अतः गत वर्ष यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान योजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जानी चाहिए तथा प्राप्त विभिन्न सुझावों और संशोधित योजना के कार्यान्वियन में हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुई संशोधित योजना बनायी जाये।

एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया और इस मामले में राज्य सरकारों को पूरी तरह सम्मिलित करने की दृष्टि से देश के प्रत्येक 6 क्षेत्रों में से एक राज्य के मुख्य सचिव को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

समिति ने राज्य सरकारों की राय मांगी थी और उसने राज्य सरकारों के साथ विस्तृत रूप से परामर्श भी किया था। समिति के कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है। किन्तु, छह मुख्य सचिवों के साथ पूरी तरह परामर्श से होने वाले अपने कार्य को पूरा कर पाने में समिति को कुछ और अधिक समय की जरूरत होगी।

प्राप्त अनेक सुझावों और निहित विषयों की जटिल प्रकृति पर विचार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने

[श्री एम० अरुणाचलम]

के लिए समिति को कुछ और समय दे दिया जाए। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करना आवश्यक होगा, अत: नई योजना तैयार करने में कुछ और समय लगेगा। इसी बीच, मुझे संसद को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने वर्तमान योजना की अवधि 31-3-1987 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

———

12.09 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) वित्तीय वर्ष 1 सितम्बर से प्रारम्भ करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा 31 मार्च को समाप्त होता है जिसमें मानसून की लम्बी अवधि भी शामिल है इसलिए विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केवल सात महीने ही बचते हैं। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न योजनाओं की बड़ी-बड़ी राशियां व्यय नहीं हो पातीं तथा व्ययगत हो जाती हैं तथा कई मामलों में पूंजी शीघ्र व्यय करने की जल्दी में कई अनियमितताएं तथा अपरिहार्य व्यय हो जाते हैं। इस प्रकार वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है।

इसलिए सामान्यहित में यह जरूरी हो गया है कि एक अप्रैल के स्थान पर वित्तीय वर्ष एक सितम्बर से शुरू हो ताकि जोरदार मानसून की अवधि को बजट पारित करने, सम्बद्ध सरकारी कार्यों आदि को पूरा करने में लगाई जा सके ताकि फील्ड वर्क के लिए लगभग 10 महीने का समय उपलब्ध हो सके।

(दो) अनारक्षित खानों से निकाले जाने वाले लौह अयस्क की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : चार खनन क्षेत्रों अर्थात् क्योंझर जिले में बंसपानी-बनहिल, सुन्दरगढ़ जिले में कोयरा, मयूरभंज जिले में गोरूमहीसानी-बादामपहाड़, तथा कटक जिले में गंधमर्दन—दोइतारी-तोमका तथा उड़ीसा में क्योंझर से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर तथा बोकारा की इस्पात कारखानों में खपत के लिए भेज दिया जाता है। इस्पात संयंत्र अनारक्षित खानों से प्रतिमाह 1.72 लाख टन लौह अयस्क खरीदते थे। अब उनकी खरीद कम होकर प्रति माह 1 लाख टन से कम हो गयी है। एम०एम०टी०सी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इन क्षेत्रों से निर्यात अधिप्रापण में कमी हो जाने से अब स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि एम०एम०टी०सी० राज्य में विभिन्न अनारक्षित खानों से निर्यात के लिए कुल बीस लाख टन लेता था जो कि अब काफी कम हो गया है। मेरा केन्द्र सरकार से

आग्रह है कि वह इस्पात संयंत्रों को अनुदेश दे कि अनारक्षित खानों से 1.72 लाख टन प्रति माह की खरीद करें तथा एम०एम०टी०सी० उड़ीसा से प्रति वर्ष तीस लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करें ताकि सभी लौह अयस्क खानों में काम जारी रह सके जिससे जनजातीय कामगारों को छटनी से बचाया जा सके साथ ही अयस्क की खरीद में ठेका प्रणाली समाप्त की जाए। जिसके कारण जनजातीय मजदूरों को कम मजूरी देकर उनका शोषण किया जा रहा है।

(तीन) उरान महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए सप्लाई की जाने वाली गैस का मूल्य कोयले के समतुल्य आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री एम०जी० घोलप (ठाणे) : महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गैस के मूल्यों का मुद्दा केन्द्र सरकार के साथ उठाया है क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गैस की सप्लाई का मूल्य एल० एस०एच०एस० के प्रतिस्थापन के आधार पर करता है जो कि राज्य सरकार को मन्जूर नहीं है।

जहां तक 1985 में कोयले तथा एल०एस०एच०एस० के विद्यमान मूल्यों का संबंध है कोयले के बदले समतुल्य गैस की लागत लगभग 70 रुपये प्रति दस लाख किलो कैलोरीज के बराबर आती है। एल०एस०एच०एस० के प्रतिस्थापन के आधार पर इसकी लागत लगभग 245 रुपये प्रति दस लाख किलो कैलोरीज आती है अर्थात कोयले की प्रतिस्थापन लागत की 3.5 गुना के बराबर है।

मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है इसलिये यह अनुरोध किया जाता है कि यह अनुदेश जारी किये जाएं कि उरान में बिजली बनाने के लिए सप्लाई की जाने वाली गैस का मूल्य निर्धारणं कोयले के समतुल्य आधार पर किया जाए।

(चार) माप्पिला खाड़ी कन्नानोर को एक पूर्ण पत्तन के रूप में विकसित करने हेतु केरल को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : कन्नानोर में माप्पिला खाड़ी का बहुत महत्व हो गया है क्योंकि सैकड़ों मछली पकड़ने वाली नावें तथा हजारों देश में बनी नावें इस पत्तन पर आती हैं। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कन्नानोर जिले में केरल के सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाले गांव हैं।

खराब मौसम में भी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित खाड़ी होने के कारण माप्पिला खाड़ी कन्नानोर के आस-पास के मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का सुरक्षित स्थान है। इस पत्तन को विकसित करने के लिए बार-बार प्रयत्न किए गए हैं। लेकिन इसे मछली पकड़ने का एक पूर्ण प्रमुख पत्तन बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक विशेषज्ञता तथा धन की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार से पर्याप्त मदद के बिना पत्तन का यह कार्य अधूरा रह जाएगा।

समुद्रीय व्यापार बढ़ाने में इस खाड़ी के महत्व को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करे।

(पांच) पंजाब में जमा खाद्यान्नों के भारी भण्डारों को उठाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : भारतीय खाद्य निगम देश में खाद्यान्न की खरीद तथा वितरण में लगा हुआ सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। भारतीय खाद्य निगम पंजाब सहित देश के सभी राज्यों में से खाद्यान्न खरीदता है। परन्तु यह बहुत खेद की बात है कि भारतीय खाद्य निगम तथा पंजाब सरकार के अभिकरणों द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न गोदाम में पड़ा है और कई मामलों में तो भारतीय खाद्य निगम ने इसे पिछले चार वर्षों से गोदामों से नहीं उठाया है। भंडार के जमा होते जाने से भण्डारण की समस्या हो गयी है तथा पंजाब के किसानों की नई फसल बाजार में आने के कई महीने बीतने के बावजूद भी नहीं खरीदी गई है। भारतीय खाद्य निगम की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य राज्यों में खरीदा गया खाद्यान्न 48 घण्टे के भीतर ही उठा लिया जाता है। पंजाब से भारत के कुल खाद्यान्नों का 65% खाद्यान्न प्राप्त होता है। परन्तु यह कहते हुए दुख होता है कि खाद्यान्न का यह भंडार पंजाब के लिए समस्या बन गयी है। पंजाब राज्य की कुल भण्डारण क्षमता जिसमें मार्क फेड, सी०डब्ल्यू०सी०, भारतीय खाद्य निगम तथा पंजाब भांडागार निगम भी शामिल है 121.74 लाख टन है परन्तु खरीदे गए खाद्यान्न की मात्रा भंडारण क्षमता की तुलना में बहुत अधिक है। केवल पिछले वर्ष ही 166 64 लाख टन खाद्यान्न खरीदा गया है जिसका एक तिहाई भाग खुले में पड़ा है। उठाने के साधन उपलब्ध न होने के कारण केवल 60 से 70 लाख टन ही दूसरे राज्यों को भेजा जा सका। पिछले वर्ष के स्टाक के अलावा प्रति वर्ष 30 से 40 लाख टन खाद्यान्न जमा हो जाता है लम्बी अवधि की व्यवस्था के रूप में पंजाब में और रेल पथ बिछाए जाने चाहिए छोटी अवधि के उपाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम को अपने पास उपलब्ध लदान के सभी स्रोतों का युद्ध स्तर पर प्रयोग करना चाहिए ताकि पंजाब के किसानों को उत्पाद बेचने में मदद हो सके तथा पंजाब को भण्डारण की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल सके। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न का भण्डार नहीं उठा रहा है फिर भी पंजाब को खुले तथा बन्द गोदामों में पड़े खराब खाद्यान्न की क्षति के रूप में प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये अदा करना पड़ रहा है।

(छः) कलकत्ता की टेलीफोन प्रणाली

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यदि पूरे पश्चिमी बंगाल राज्य में नहीं तो, कलकत्ता में तो दूरभाष प्रणाली वास्तव में पूरी तरह से फेल हो गई है और वहां के सामान्य और विशेषकर वाणिज्यिक जीवन में लगभग ठहराव-सा आ गया है। अस्पताल, नर्सिंग होम, डाक्टर, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान और अन्य आवश्यक सेवाएं दूरभाष प्रणाली के लगभग फेल हो जाने के कारण समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं और कलकत्ता से एस०टी०डी० सम्पर्क छलावा बन गया है। बोलपुर टाउन, जो विश्वभारती विश्वविद्यालय की पीठ है और अन्तर राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन केन्द्र हैं, के साथ कलकत्ता से दूरभाष एस०टी०डी० अथवा ट्रंक लाइन पर लगभग सम्पर्क नहीं हो पाता है। विगत में विभिन्न अवसरों पर मंत्रियों। विभाग ने कलकत्ता दूरभाषों के ठीक तरह से कार्य करने के आश्वासन दिए, परन्तु कोई कार्यवाई नहीं का

गई है। विगत में कलकत्ता के लोगों ने निरन्तर प्रणाली के खराब हो जाने पर अपना क्रोध और आक्रोश प्रदर्शनों के रूप में प्रदर्शित किया है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह कलकत्ता दूरभाष की कार्यप्रणाली में प्रसामान्यता की झलक लाने के लिए वह युद्ध-स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

(सात) जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला और बदायूं में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न सूचना आपके माध्यम से इस माननीय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों से उर्वरक की मांग दिनों-दिन बढ़ाती जा रही है। उर्वरक की मांग को देखते हुए सरकार अनेक उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने उत्तर प्रदेश में चार उर्वरक कारखाने : जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला तथा बदायूं में लगाने का निश्चय किया, किन्तु जैसी मुझे सूचना मिली है, जगदीशपुर संयंत्र में पैसा लगाने वाली अरब की फर्म आर्थिक रूप से अक्षम घोषित हो गयी है। शाहजहापुर संयंत्र स्थापित करने का जिम्मा पहले डी०सी०एम० को दिया गया बाद में यह कार्य भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति श्री स्वराजपाल को दिया मगर वह भी पीछे हट गए। आंवला का संयंत्र इफको तथा बदायूं का संयंत्र टाटा लगा रहे हैं। मगर बम्बई हाई से कारखाने तक गैस लगाने वाली पाइप लाइन के निर्माण पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है और यह न होने से यहां की प्रगति काफी धीमी है। इस प्रकार ये चारों कारखाने कब तक उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर देंगे यह नहीं कहा जा सकता। गोरखपुर में स्थापित संयंत्र की पुरानी मशीनरी हो जाने के कारण उत्पादन काफी कम हो गया है। इस प्रकार यदि उक्त कारखानों की स्थापना में विलम्ब हुआ और गोरखपुर के कारखाने की मशीनरी नहीं बदली गई तो पूरे प्रदेश में उर्वरक के लिए त्राहि-त्राहि मच जायेगी।

अतः मैं केन्द्रीय उर्वरक मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश में उर्वरक की मांग को देखते हुए उक्त चारों कारखानों की स्थापना की दिशा में और गोरखपुर कारखाने की मशीनरी का अविलम्ब नवीनीकरण की 30 करोड़ की योजना, जो केन्द्र के विचाराधीन है, को तुरन्त लागू करने की दिशा में आकर्षित करना चाहता हूं जिससे भविष्य में प्रदेश के सामने उर्वरक की समस्या उत्पन्न न हो।

12.18 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(आठ) किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला प्रस्तुत करना चाहती हूं—

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

"सतत् अवर्षन और कर्जे का बोझा—इससे आर्थिक विपत्ति के कारण एक सुसंस्कृत और लोकप्रिय किसान की अपने पूरे परिवार के सहित आत्महत्या।

विदर्भ यवतमाल जिले में चिलगव्हाण गांव के श्री साहेबराव इस 35 साल के जवां, सुसंस्कृत, लोकप्रिय किसान ने सतत् सूखे के कारण कर्जे के बोझ से तंग आकर अपनी पत्नी और चार लड़कियों के साथ आत्महत्या की। कई साल सरपंच और एक समाज-सेवी कार्य करके उन्होंने मान्यता प्राप्त की थी। यह सच्चाई है कि खेत में फसल को पानी की आवश्यकता होने के बावजूद भी बीज के वसूली के कारण खेती की और उसके साथ-साथ घर की भी बिजली की लाइन काट दी गई थी। विदर्भ में पहले ही सिंचाई क्षमता बहुत कम है। यवतमाल तथा अन्य पहाड़ी इलाकों में जमीन की उपज भी कम है ओलावृष्टि और कई जगह अवर्षण के कारण सूखे से विदर्भ और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई क्षेत्र पीड़ित हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सीलिंग के वाद बढ़ते परिवार विभाजन के साथ छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े पर किसान के परिवार का गुजारा होना आज मुश्किल हुआ है। उसके साथ कोई उसके परिवार में से एक सदस्य को कम से कम नौकरी तथा उसे कोई अर्थोपार्जन के लिए जोड़ धंधा देना आवश्यक है। उसके तथा किसानों के संरक्षण के लिए पूरी फसल का बीमा योजना लागू करना इस कृषि प्रधान देश में आवश्यक है। ऐन फसल तैयार होने के मौके पर बिजली की कटौती और अन्य प्रकार से किसान का शोषण रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे और सूखे से सामना करने के लिए प्रांत सरकार को पूरी सहायता मिले।

[अनुवाद]

(नौ) अलवर रेलवे स्टेशन के निकट एक उपरिपुल का निर्माण

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : अलवर (राजस्थान) दिल्ली, अहमदाबाद छोटी लाइन (मीटर गेज रेलवे लाइन) पर स्थित है। उस लाइन पर यह एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। मथुरा-अलवर बड़ी रेलवे लाइन निर्माण परियोजना के पूरा होते ही यह रेलवे जंकशन स्टेशन बन जाएगा। अलवर शहर रेल मार्ग के पश्चिमी की ओर बसा हुआ है जबकि पुराना औद्योगिक क्षेत्र और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर रेलवे लाइन की पूर्व दिशा की ओर स्थित है अलवर के मार्ग से जयपुर-दिल्ली सड़क मार्ग रेलवे स्टेशन, अलवर के समीप रेलवे लाइन के ऊपर से हो कर जाता है। अलवर दिल्ली और दिल्ली अलवर सड़क मार्ग यातायात को रेलवे स्टेशन, अलवर के पास लाइन क्रासिंग गेट से होकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। यात्री-गाड़ियों और माल-गाड़ियों के निरन्तर आने-जाने के कारण रेलवे लेवल क्रासिंग के दोनों ओर सड़क मार्ग से आने-जाने वाले यातायात को बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यातायात रूक जाने के कारण लोगों को अनेक समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समय का भी अपव्यय होता है। अतः अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण की अत्यावश्यकता है। इसलिए संघ सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे उपरिपुल बनाया जाए।

12.20 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

(एक) वाणिज्य मन्त्रालय--जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य-सूची की मद संख्या 3, वाणिज्य मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा करेंगे। श्री थम्पन थॉमस अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री थम्पन थॉमस (मवेलिकरा) : महोदय, कीमतों में वृद्धि के बारे में बजट चर्चा के दौरान उस समय आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय ने सदन को बताया था "सुनहरे कल के लिए आज आप त्याग करें"। परन्तु श्रीमान जी, व्यापार नीतियों संबंधी समिति के प्रतिवेदन से मुझे यह दिखाई पड़ता है कि वाणिज्य मंत्रालय का भविष्य बहुत ही निराशाजनक और अन्धकारमय है। इस संदर्भ में इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 8 को उद्धरित करना चाहता हूं।

> "विश्व निर्यात में भारत के अशंदान में शुरू से ही अनवरत गिरावट आई है जो 1950 में लगभग 2 प्रतिशत, 1960 में 1.04 प्रतिशत और 1970 में 0.65 प्रतिशत रही। पिछले दशकों की तुलना में 1970 के दशक में भारत का निर्यात निष्पादन अधिक प्रभावी था, और निर्यात में औसतन वृद्धि मात्रा की दृष्टि से 6.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष और मूल्य की दृष्टि से 15.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्तर तक पहुंच गई। इस पर भी विश्व निर्यात में भारत का अंशदान कम होता रहा और 1980 में घट कर 0.42 प्रतिशत हो गया।"

श्रीमान जी, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1950 में 2 प्रतिशत से घटकर यह 1980 में 0.2 प्रतिशत तक आ गया है। श्रीमान जी हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं और मुझे इस बात का डर है कि वर्तमान स्थिति में, हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का क्या होगा। क्या वाणिज्य मंत्री इस देश के निर्यात की अंत्येष्टि की अध्यक्षता करेंगे ?

क्या भारत इस देश में गिरते हुए निर्यात संबर्द्धन क्रिया कलापों के कारण इस गति से बिल्कुल भी निर्यात नहीं करने वाला क्षेत्र हो जाएगा ?

ऐसा हमेशा तुगलकी नीति के कारण होता आया है, जिसे यह सरकार अपनाए हुए है। एक बार आप एक नीति अपनाते हैं और उसके बाद तुरन्त आप उसे दूसरी ओर बदल देते हैं। इस संदर्भ में मैं उसी रिपोर्ट के पृष्ठ 2 का उल्लेख करना चाहता हूं।

> "आयात प्रतिस्थापन पर विगत में जो बल दिया गया था, उसके स्थान पर निपुण आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया जाना चाहिए ताकि लागत और निपुणता से सम्बद्ध विचारणों को नीतियों की रूपरेखा में सम्मिलित किए जा सकें।"

उसके बाद उसका विश्लेषण दिया जाता है :

[श्री थम्पन थॉमस]

"इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि भारत जैसी अर्थ-व्यवस्था में, जहां निर्यात सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 5-7 प्रतिशत बैठता है, वहां निर्यातोन्मुख संवर्द्धन की कोई संभावना नहीं है।"

निर्यात के मामले में सरकार का यह दृष्टिकोण है। और फिर उसी रिपोर्ट के पृष्ठ 3 में दिया गया है :

"यह स्पष्ट है कि निर्यात के लिए उत्पादन को घरेलू बाजार के लिए किए गए उत्पादन से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, जिसका सीधा-सा कराण यह है कि विश्व बाजार के लिए कीमतों और गुणवत्ता का एक सैट और स्वदेशी बाजार के लिए कीमतों और गुणवत्ता का एक दूसरा सैट रखना न ही तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय।"

यह विचार अत्यन्त आश्चर्य चकित कर देने वाला है। सामान्यत: निर्यात के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण होता है। विदेशों में रह रहे लोग अच्छी किस्म चाहते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लोग उत्तम किस्म के उत्पादों का निर्यात करते हैं। वे स्वयं यह कहते हैं कि भारत में निर्यात का अंश सकल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 5-7 प्रतिशत ही है। मैं सोचता हूं कि हमें जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने की जरा भी परवाह नहीं है।

जो कोई भी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए निर्यात पर जोर देते हैं, वे निर्यात की जाने वाली मदों की गुणवत्ता के बारे में बहुत अधिक सचेत रहते हैं। यह सर्वविदित है कि जापान में जापानी लोग सीको घड़ी नहीं खरीद सकते हैं। जापान में सीको घड़ी खरीदने का इच्छुक व्यक्ति उस घड़ी को हांग-कांग में बहुत कम मूल्य पर खरीद लेगा। इससे पता चलता है कि वे किस तरह से स्वदेशी बाजार पर नियन्त्रण रखते हैं और अपनी निर्यात नीति तैयार करते हैं। चीन में भी दो प्रणालियां हैं; निर्यात के प्रयोजनार्थ उनके पास उत्तम किस्म की मदें है, परन्तु यहां पर वे परस्पर आयात प्रतिस्थापन पर बल देने की बात करते हैं।

दूसरों के बल पर कुछ लोग धनी हो गए हैं, क्योंकि वे निर्यात संवर्द्धन के आवरण में वस्तुएं आयात कर सकते हैं और उनके पास आयात के लिए परस्पर प्रतिस्थापित मदें हैं। यदि आप नारियल के तेल के आयात का उदाहरण लें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। नारियल के तैल का आयात औद्योगिक प्रयोजन से किया गया था और इसके फलस्वरूप नारियल की कीमतें गिर गयीं, जबकि इसका उत्पादन अपने देश में ही हो सकता था। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं; मैं केवल उन्हीं मुद्दों पर प्रकाश डाल रहा हूं जहां कि सरकार की नीति के कारण हमारे निर्यात को धक्का पहुंचा है।

प्राचीन काल में, एक बार भारत का विदेश व्यापार अपने चरम पर था। कोचीन को आते हुए कोलम्बस जब अपना मार्ग भूल गया तो उसने अमरीका को खोज निकाला। विदेशी व्यापार के प्रति इस देश का आकर्षण इस तरह का था। दूर-दराज से लोग-बाग यहां व्यापार के लिए आते थे और हाथ से बनी भारत की वस्तुएं अरब, रोम और हर कहीं महलों तथा अन्य स्थानों पर शोभा के लिए रखी जाती थीं। परन्तु आज स्थिति क्या है ? जब मैं छात्र था तब मैंने यह पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार का आईना था जो जगत विख्यात था जिसे हमारी भाषा में **अरन मुला कन्नडी** कहा जाता है। वहां यह शिल्पकारों द्वारा हाथ से बनाया जाता है और यह एक धातु का बना होता है। 1980 में जापान की यात्रा के दौरान मुझे धातु से बना एक आईना मिला था जो मुझे वहां के नगरपालिका अधिकारियों ने भेंट में दिया था। चुनाव जीतने के बाद में अपने चुनाव क्षेत्र गया था और उस स्थान तथा व्यक्तियों की खोज की थी जिन्होंने इसे बनाया था। मैंने देखा कि वहां भूख से पीड़ित एक परिवार था जो कोई वर्षों से शताब्दियों से ऐसे आईने बना रहा था परन्तु उन्हें कभी किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं दी गई थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में कायामकुलम नाम से एक स्थान है जहां मैंने प्राथमिक स्कूल में अध्ययन किया था।

इस स्थान पर ये बहुत ही सुन्दर चटाई बनाते हैं, जो एक मुद्रिका के बीच में से गुजारी जा सकती हैं यह एक प्रसिद्ध कहानी है। अब, यदि आप दुबई जाएं तो वहां आपको प्लास्टिक की चटाई मिलेगी। मेरा यह कहना है कि इस देश में करीगरों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इस देश का हस्तशिल्प बहुत प्रसिद्ध है। हाथी दांत से बनी वस्तुएं, लकड़ी की नक्काशी और ऐसी ही कितनी वस्तुएं हैं, जिनकी विदेशों में बहुत मांग है। इन शिल्पकारों को हस्तशिल्प के विकास और निर्यात के लिए सरकार की ओर से क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ? मैं केवल एक ही मद का उल्लेख कर रहा था, । परन्तु समग्रत: यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण की ओर देखें तो यह पिछले कुछ वर्षों में हमारे निर्यात में हुई गिरावट की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। चाय के बारे में 'आर्थिक सर्वेक्षण' पृष्ठ 91 पर कहता है.

> "1985 के प्रारंभ से चाय की विश्व कीमतें निरन्तर गिरी हैं तथा निर्यात की मात्रा में भी गिरावट आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान वर्ष में चाय से निर्यात आय पर्याप्त कम रहेगी।"

फिर पैरा 8.31 में यह कहता है :

> "समुद्री उत्पादों का निर्यात जो वर्ष 1982-83 में कुल निर्यात का चार प्रतिशत से भी अधिक गिना गया था, उसमें वर्ष 1984-85 में गिरावट आई।"...

वर्ष 1983-84 में आठ अन्य कृषि आधारित वस्तुओं—काफी, खली, असंसाधित तम्बाकू, काजू दाना, मसाले, चीनी, कच्ची रुई तथा चावल, प्रत्येक का 100 से 200 करोड़ रु० के निर्यात था। वर्ष 1984-85 में इन सभी आठ वस्तुओं का कुल निर्यात, वर्ष 1983-84 के 12 प्रतिशत तथा वर्ष 1982-83 के 13.3 प्रतिशत की तुलना में करीब 9 प्रतिशत किया गया था। वर्ष 1983-84 के पश्चात् इनमें से अधिकतर वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। मात्रा में 19.2

[श्री थम्पन थॉमस]

प्रतिशत गिरावट के बावजूद, काजू से निर्यात आय यूनिट वेल्यू अधिक होने के कारण 11.4 प्रतिशत बढ़ी है। काजू के निर्यात को अफ्रीका के कई देशों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है तथा यह कुछ अधिक ही एक बाजार पर निर्भर है और वह है सोवियत संघ इसलिए इस संबंध में केवल सोवियत संघ ही हमारे देश की सहायता कर सकता है। मैं 'आर्थिक सर्वेक्षण' से एक बार फिर उद्धृत करता हूं:

"वर्ष 1984-85 में मसालों के निर्यात में 59.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिनका मूल्य 174.5 करोड़ रु० था, परन्तु 1985-86 के पूर्वार्द्ध में निर्यात में बहुत तेजी से गिरावट आई। विश्व मसाला व्यापार में भारत की स्थिति नीचे की ओर ही अभिमुख रही है तथा नये निर्यातकों से प्रतियोगिता के संबंध में भी गिरावट की स्थिति रही है। वर्ष 1984-85 में खली निर्यात की मात्रा तथा मूल्य दोनों नीचे की ओर आए हैं, जिसका कुछ हद तक कारण आयात करने वाले विकसित देशों द्वारा वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में लगाए गए कड़े विनियम थे।"

मैं एक और बात उद्धृत करना चाहूंगा :

"इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वर्ष 1982-83 में 14.9% की दर से तथा फिर वर्ष 1983-84 में 13.5% की दर से गिरावट आई है।"

आर्थिक सर्वेक्षण हमारे निर्यात की बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे निर्यात की दर 2 प्रतिशत से 0.05 प्रतिशत नीचे की ओर आई है तथा इकीसवीं शताब्दी के अंत तक यह कुछ भी नहीं रह जाएगी। यदि आप अन्य वस्तुओं के निर्यात को देखेंगे तो, आपको ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। काली मिर्च के उत्पादन के संबंध में भारत का उत्पादन विश्व उत्पादन का 66 प्रतिशत था। अब यह घटकर 33 प्रतिशत हो गया है। विश्व बाजार में हम 75 प्रतिशत माल बेच रहे थे जो अब घटकर केवल 16 प्रतिशत रह गया है।

काफी के संबंध में नवीनतम समाचार यह है कि सरकार द्वारा नार्मनिदिष्ट किये गये काफी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने से दिसम्बर 1985 में काफी 1 करोड़ 7 लाख रुपये के घाटे से बेची गई। वस्तुत: इस विषय में अध्यक्ष के विरुद्ध जांच की जरुरत है। जब काफी उत्पादक विश्व बाजार में बेची जा सकने वाली काफी के लिये यह जानते हुए कि कीमतें ऊंची जा रही हैं, अधिक दामों की मांग कर रहे हैं, लंदन में प्रति टन 6,000 रु० के घाटे पर बड़े पैमाने में काफी की बिक्री की गई। जिससे 1.7 करोड़ रु० का घाटा हुआ। यह बात प्रेस में भी आई तथा कुछ संसद सदस्यों ने इसे माननीय मन्त्री जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया।

सरकार की नीति क्या है? वह बोर्ड और समितियां बनाती है। वे अपने मिलने वाले नौकरशाहों को काम सौंप देते हैं। वे शक्ति का दुरुपयोग करते हैं या अपने राजनीतिक दल के

किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें ये निगम चलाने का काम दे देते हैं। उत्पादकों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है तथा वे व्यक्ति जिन्हें इस विषय में रुचि है उनमें नहीं लिये जाते हैं। उनके सुझावों की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है।

इन सभी मामलों में जब तक सरकार इन गलतियों को सुधारने के हेतु सच्चे मन से प्रयत्न नहीं करती है भारतीय निर्यात का भविष्य निराशाजनक ही रहेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इन मामलों पर पूरी तरह फिर से विचार करना जरुरी है। यदि सरकार को ऐसे प्रयोग करने थे तो इससे आगे और अधिक घाटे होंगे। इन गलतियों को सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाने ही होंगे। केरल जैसे राज्यों पर इन सबका सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

अब चाय बागान को ही देखिए। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? वहां के पहाड़ी इलाके मुंडे हुए सिर की भांति दिखाई देते हैं। सौ वर्ष पहले जब अंग्रेज आए थे तो तत्कालीन महाराजाओं ने उन दिनों में उन्हें यह जमीन चाय उगाने के लिए दी थी। उन पेड़ों को फिर से नहीं लगाया गया। वे पेड़ वहां से हटाए जा चुके हैं। राजनीतिक दबाव के कारण जहां कहीं सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, वहां वह जो पार्टी सत्ता में रहना चाहती है उसके साथ राजनीतिक समझौते के उद्देश्य से इन पेड़ों को काटने में सहयोग देती है। वे व्यक्तियों को पहाड़ी इलाके में जाकर वृक्ष हटाने तथा काटने की आज्ञा देते हैं। अब यदि आप उनको देखें तो, वे इंग्लिश अभिनेता यूल ब्रायनर की तरह सपाट दिखाई देते हैं। वे इतने अनावृत या गंजे हैं। पश्चिमी घाट गंजे सिर की भांति दिखाई देते हैं। चाय, काफी तथा इलायची वे सभी चीजें जो उस क्षेत्र में उगायी जाती थी, उनकी क्षति हो रही है। वहां उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, जब तक सरकार आगे नहीं आती तथा इन उत्पादकों की सहायता नहीं करती, मैं कहता हूं भविष्य बहुत ही धुंधला है।

सरकार को बिचौलियों जोकि धनी व्यक्ति है के वर्ग की सहायता करने के स्थान पर सहकारी तथा अन्य संस्थाओं अर्थात जो कि इस संबंध में जन आंदोलन के जैसी हैं, को विकसित करना होगा अभी तक सरकार की नीति बिचौलियों की सहायता करने की तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की ही है।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। परन्तु मुझे दो तीन बातें इस बारे में कहनी हैं। इस रिपोर्ट में आपने कहा है पृष्ठ 3 पर :

[अनुवाद]

"अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक आयात की ऊंची दर कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादकों उरर्वक खाने के तेल तथा चीनी जैसी वस्तुओं के बहुत बड़े पैमाने पर आयात करने के कारण थी।"

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

[हिन्दी]

मुझे यह कहना है कि पेट्रोलियम प्राडक्ट्स को लेकर इस देश में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मैं उम्मीद करता था कि इस रिपोर्ट में पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के इम्पोर्ट के बारे में विस्तार से कहा जाता। अखबारों में ऐसा आया था और सदन में भी कहा गया कि पेट्रोलियम प्राडक्ट्स 1990 के लेवल पर आ गए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि अचानक एकदम कूद कर आ गया हो, यह बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ होगा। तो वाणिज्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के अफसरों से मैं पूछता हूं कि उन्होंने सदन को और देश को क्यों नहीं बताया कि पेट्रोलियम प्राडक्ट्स की खपत इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के बारे में इसलिए कहना चाहता हूं कि इसका स्पाइरल एफेक्ट हुआ है इससे इतनी बड़ी महंगाई आ गई जिससे साधारण आदमी प्रभावित हो चुका है।

इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत कुछ बोला जा चुका है। भविष्य के लिए मैं यही कहूंगा यदि किसी भी आइटम के इम्पोर्ट से इतना ज्यादा असर पड़े तो उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि पूरा देश ही उससे प्रभावित होता है।

मैं एक खास बात कहना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 4 के सेकेन्ड और थर्ड पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि जो विशेष आइटम इम्पोर्ट किए गए हैं उनमें एक वेस्ट पेपर का आइटम भी है। मैं बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा स्कैण्डल है। जिस वेस्ट पेपर के इम्पोर्ट पर फारेन एक्सचेंज खर्च किया जा रहा हैं वही वेस्ट पेपर देश में बहुत बर्बाद हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए वेस्ट पेपर इस देश में इम्पोर्ट किया जा रहा है वह उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है। वेस्ट पेपर को इम्पोर्ट करने के पीछे एक ही मकसद था कि कागज की मिलों को रा-मैटीरियल दिया जा सके जिससे कि कागज सस्ता हो। परन्तु उस वेस्ट पेपर का बहुत बड़ा भाग कागज की मिलों को नहीं जाता है। यह डाइवर्ट हो रहा है। इस वेस्ट पेपर का बहुत बड़ा भाग पड़ोसी देशों को जा रहा है। मैं इसके बारे में विस्तार से जानता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कामर्स मिनिस्ट्री के आफिसर भी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि वेस्ट पेपर का जो स्कैंडल है वह कोई छोटा स्कैंडल नहीं है। यह स्कैंडल मुझे वूलेन रैग्ज के स्कैंडल की याद दिलाता है। 1972-73 में इस देश में वूलेन रैग्ज को विदेशों से यह कह कर इम्पोर्ट किया गया था कि इस देश की ब्लैंकेट इण्डस्ट्री या कम्बल इंडस्ट्री को फायदा होगा लेकिन हुआ क्या ? जो वूलेन रैग्ज मंगाए गए उनको अनस्क्रूपुलस एलिमेन्ट्स ने वूलेन गार्मेन्ट्स कह कर देश में बेच दिया जिससे इस देश की गार्मेंट इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड हुई। फलस्वरूप सरकार को वूलेन रैगस की इम्पोर्ट बन्द करनी पड़ी या सब्सटैंशियली कन्ट्रोल करनी पड़ी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि वेस्ट पेपर के बारे में बहुत ध्यान से इंक्वायरी कराई जाए क्योंकि इसके सम्बन्ध में सी०बी०आई० की रेड्स भी हुई हैं, मंत्री महोदय को शायद पता होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है "टिप आफ दि आइसबर्ग", तो यह भी उसका एक छोटा-सा भाग है और अन्दर क्या है शायद आपको पता

नहीं होगा। अनेकों ऐसे आइटम्स इस देश में है जिनकी इम्पोर्ट हो रही है, नाजायज तरीके से इम्पोर्ट हो रही है और गलत तकीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग होगी और बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक पार्लमेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों के ही सदस्य हों और वह कमेटी इस बात की जांच करे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो आयात किया जा रहा है वह सही ढंग से हो रहा है या नहीं। यदि सही ढंग से आयात नहीं किया जा रहा है, तो बिना किसी हिचक के उस आयात को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि हमारे देश की बैलेन्स आफ पेमेंट की पोजीशन बहुत खराब है। अंग्रेजी की कहावत है

[अनुवाद]

'रुपया बचाना ही रुपया कमाना है।'

[हिन्दी]

इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भी अननेसेसरी इम्पोर्ट हो रहा है उसको कर्ब कर दिया जाए। इस किताब में अप्रैल-सितम्बर तक की फीगर्स दी गई हैं उसके मुताबिक भी 4 हजार करोड़ का घाटा है लेकिन अखबारों में जो रिपोर्टें आई हैं वह और भी भयावह हैं क्योंकि बाद के समय में बैलेन्स आफ पेमेंट की पोजीशन और भी गड़बड़ा गई है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार किया जाए।

मैं आपकी उन सारे प्रयासों के लिए सराहना करता हूं जो कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्सल्टैंसी सर्विस को आपने बहुत अधिक महत्व दिया है और आपने कहा है कि एशियाई अफ्रीकी देशों में इनकी गुंजायश बहुत ज्यादा है। वहां पर इनकी पोटेंशियलिटीज बहुत अधिक हैं। परन्तु जहां तक मुझे पता चला है अफ्रीकी देशों में पेमेंट की प्राब्लम है। मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे कि यह कहां तक सच है कि अफ्रीकी देशों से पेमेंट मिलने में कठिनाई होती है। उनकी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। कन्सल्टैंसी सर्विसेज का स्कोप इस देश में बहुत ज्यादा है।

यह भी बहुत अच्छी बात है कि कामर्स मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया है और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एथारिटी आपने बनाई है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, उतनी किसी दूसरे आइटम में नहीं है। इस विषय में मैं आपका ध्यान बिहार, विशेषकर उत्तर बिहार, मिथिला क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी का आम, जिसको लंगड़ा आम कहते है, पानी के भाव मिलता है। इस बारे में मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि उनका शोषण होता है। वहां के किसान आम का निर्यात करना चाहते हैं, परन्तु उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से आम का निर्यात करें। यदि इस मामले में कॉमर्स मिनिस्ट्री थोड़ा-सा ध्यान दे, तो यह निर्यात हो सकता है। मिथिला क्षेत्र में दरभंगा में बहुत बड़ा एयरपोर्ट है।

[श्री गौरी शंकर राजहंस]

यदि दरभंगा में आम खरीद लिए जायें और वहां से एक एयरक्राफ्ट उन आमों को लेकर बम्बई पहुंच जाए और वहां से वे आम गल्फ कन्ट्रीज में चले जायें, तो आम बर्बाद होने से बच सकते हैं और मिथिला के मैंगो ग्रोअर्स को अच्छे दाम मिल सकते हैं। इस पर आपको बहुत ध्यान देकर सोचना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग की ओर ले जाना चाहता हूं। 1970 के आस-पास बहुत बड़ी तादाद में मधुबनी की पेंटिंग का निर्यात होता था, परन्तु धीरे-धीरे वह खत्म हो गया। पिछले साल जब इस सदन में इस बारे में आवाज उठाई गई तो इसका निर्यात थोड़ा शुरू हुआ। इन पेंटिंग्स की अमरीका में, कनाडा में और फ्रांस में बहुत बड़ी मांग है। बहुत से विदेशी मिथिला क्षेत्र में भी जाते हैं और बहुत से वहां की सड़क खराब होने के कारण, दूसरी यातायात की सुविधायें न होने के कारण उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। बिचौलिए उन लोगों को एक्सप्लायट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की एक ठोस मशीनरी मिथिला या मधुबनी क्षेत्र में जाकर पेंटिंग्स की खरीद करे, ताकि उनको सही दाम मिल सके और इस मुल्क को फॉरन एक्सचेंज मिल सके। अभी तो फॉरन एक्सचेंज नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं या आपने उस समस्या के प्रति आंख मूंद ली है। मै आपसे जूट ग्रोअर्स के बारे में कहना चाहता हूं। आप इस बात को यह कहकर न टाल दीजिए कि यह टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से संबंधित मसला है। एक्सपोर्ट का कोई भी मामला मेरे ख्याल से कॉमर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है। मैं कहना चाहता हूं जूट की समस्या बहुत ही खराब समस्या है। अंग्रेजी में लोग कहते हैं :

[अनुवाद]

बिहार पश्चिमी बंगाल और असम के पटसन उत्पादकों को गुमराह किया गया है।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि इन तीनों प्रदेशों के जूट पैदा करने वाले किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उनको अपने इनपुट्स का दाम नहीं मिल पाया। शायद मंत्री जी को पता होगा कि हजारों टन जूट किसानों ने जला दिया है। इस स्थिति को देखते हुए, हम अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे, तो कब सीखेंगे। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो कब सीखेंगे। आपने गन्ना किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं दिया। नतीजा यह हुआ किसानों ने गन्ने की पैदावार बन्द कर दी। इस वजह से बहुत-सी चीनी मिलें बन्द हो गई और आपको चीनी का आयात करना पड़ा। अब आपको जूट का भी आयात करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। जूट किसान इस देश में तबाह हो गए हैं।

अब मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। जहां तक क्वालिटी कन्ट्रोल का सवाल है, उस पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं हो रहा है, चाहे गारमेंट्स हों, चाहे लैदर-गुड्स हो, चाहे

इंजीनियरिंग गुड्स, लाइट या हैवी, हों। इसमें अनस्क्रूपुलस एलीमेंट्स आ गए हैं। सैम्पल फर्स्ट रेट का देते हैं और डिलीवरी के वक्त थर्ड रेट देते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि क्वालिटी कन्ट्रोल पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। यही स्थिति चावल में भी हुई है। इस देश में बहुत से लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे करें। इस सिलसिले में मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन होगा कि आप एक कोरेसपोंडेंस कोर्स इण्डियन इन्स्टीचूट आफ फॉरन ट्रेड के द्वारा चलावें। जिससे देश के विभिन्न भाग यह जान सकें कि एक्सपोर्ट कैसे होता है।

एक अन्तिम निवेदन यह करूंगा कि नान-ट्रेडीशनल आइटम की एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस विचारणीय अवस्था में माननीय मन्त्री जी ने इस महकमे को लिया है, उसकी गति को सुधारने में ये अपनी योग्यता, क्षमता और कार्य करने की अपनी प्रणाली का पूर्ण उपयोग करेंगे।

मान्यवर, वाणिज्य मंत्रालय आज वास्तव में देश में एक चर्चा का विषय है और उसका कारण यह है कि वेस्टेड इंट्रेस्ट के लोग सबसे अधिक फायदा इसी मंत्रालय की विभिन्न प्रणालियां और विभिन्न कन्सेशनों के माध्यम से उठाते हैं। अभी जैसा कि मंत्रालय की रिपोर्ट है वह अपने आप में एक संकेत करती है और वह संकेत इस बात का है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति दिन-प्रतिदिन और विशेष रूप से अप्रैल, 1985 से लेकर सितम्बर, 1985 तक बिगड़ी है और करीब 4128 करोड़ रुपये का घाटा है और यदि इस अनुमान को 31 मार्च, 1986 तक आंका जाए, जैसा कि राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में प्रकाशित है, उससे स्पष्ट रूप से सर्वविदित है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का घाटा और भी अधिक बढ़ेगा और इसलिए हमको अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी पर दोबारा विचार करना है। विचार इस बात पर करना है कि जिन विषयों को, जिन कोमोडिटीज को, जिन वस्तुओं को हमने ओपन जनरल लाइसेन्स में रखा हुआ है, क्या आज भी उनको जरनल ओपन लाइसेन्स में रखा जाए। इस पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि इम्पार्ट और एक्सपोर्ट पालिसी में जो छूट आपने व्यापारियों को अथवा इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को दी है, चाहे वह कंसलटेंसी के नाम पर दी हो, चाहे एक्सपर्टाइजेशन् के नाम पर दी हो और चाहे न्यू एन्टरप्रीन्यूर्स को और अधिक उद्योग नये औद्योगिक क्षेत्रों में लगाने के नाम पर दी हो, क्या उन छूटों का दुरुपयोग नहीं किया गया है और यदि दुरुपयोग किया गया है, तो आपको अपनी इम्पोर्ट पालिसी के ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। आज देश के अन्दर इम्पोर्ट पालिसी के नाम पर उन वस्तुओं का आयात किया गया है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि वेस्ट पेपर के ऊपर और पल्प पेपर के ऊपर बहुत बड़ा पैसा आप लगा रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर इतने जंगल हैं लेकिन फिर भी लकड़ियां बाहर से मंगा रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर आपके पास कोयले की बहुत बड़ी खानें हैं लेकिन आज भी बहुत ज्यादा कोयला बेकार जा रहा

[श्री राम सिंह यादव]

है। आज जो विशेषज्ञों की गलत रिपोर्ट है जो यह कहती है कि इसमें रश कन्टेन्ट ज्यादा है, उसके आधार पर आप कोयला बाहर से मंगा रहे हैं। जो कोल के डिपोजिट्स हैं, उन सभी को आप अगर एक्सप्लायट कर लेंगे, तो वे लोग कहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके पास कोल की कमी हो जाएगी और उन रिपोर्टों के आधार पर आपके पास जो साधन हैं, उनको आप निकालते नहीं हैं और उनका उपयोग नहीं करते हैं और उसके एवज में आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज जमा है उसको दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। यह जो पद्धति है, यह राष्ट्र की सम्पन्नता की ओर नहीं बल्कि गरीबी की ओर ले जाने वाली है। आज जो डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं और जो गरीब देश हैं, उनको बाहर से जो मंगाने वाली चीजें हैं उनके बारे में हजार बार सोचना चाहिए कि हम वे चीजें बाहर से मंगाएं या नहीं और हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि हम चीजें बाहर से न मंगाएं।

आज जो भी अपने इम्पोर्ट पालिसी में कंसेशन्स दिए हैं, उसमें क्या यह सही नहीं है कि टी०वी० के लिए, फ्रिज के लिए और मोटरकारों के लिए जो उपकरण मंगाए जाते हैं, उनका उपयोग देश के अन्दर कौन करता है। क्या उसका उपयोग गरीब आदमी करता है, मजदूर करता है, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति करता है ? क्या यह सब अमीर लोगों के ऐशोआराम के साधन बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता ? गाड़ी के लिए, मोटरकार के लिए या टी०वी० के लिए या और दूसरे ऐसे साधन हैं, जो केवल लग्जरी गुड्स हैं, उनका इम्पोर्ट अगर करते हैं तो क्या इससे देश की गरीबों को बल मिलता है या गरीबी अधिक बढ़ती है। यदि कोई भी ऐसा काम वाणिज्य मंत्रालय करता है जिससे देश में गरीबी बढ़ती है या गरीबी बढ़ने की संभावना है तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। मैं यह मानता हूं।

इसी तरह से आइल की बात है, एडिबल आइल का इम्पोर्ट करते हैं और यह अपने आप में वाजिब मांग है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में सन 1980 से लेकर आज तक मैं यह मांग कर रहा हूं कि एडिबल आइल के लिए जो पैसा आप विदेशों में दे रहे हैं, वह पैसा यहां के किसान को क्यों नहीं दे सकते। आप मूंगफली के लिए, कोकोनट के लिए, सरसों के लिए, पामोलीन के लिए, जिनसे खाद्य तेल निकलता है, उसकी किसान को सही कीमत न देने के कारण यहां उत्पादन नहीं बढ़ता है। आप उसको इंसेटिव दीजिए, पैदावार बढ़ाइए और किसान को सबसिडी दीजिए। आपको मालूम है कि सरसों का भाव 400 रुपया रखा हुआ है, लेकिन मेरे क्षेत्र अलवर में जो कि सरसों की सबसे अच्छी मण्डी मानी जाती है, 380 रुपया रेट चल रहा है और अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी को सरसों की खरीद के लिए नहीं भेजा गया है। क्या इस तरह से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ? आप फॉरेन एक्सचेंज देकर तेल बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन किसान को उसकी वाजिब कीमत नहीं देते हैं। जब तक सम्बन्धित मन्त्रालयों का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं होगा, एडिबल आइल के लिए और आइल सीड्स को खरीदने के लिए या किसान को पैदावार बढ़ाने के लिए जब तक इंसेन्टिव नहीं देंगे तब तक एडिबल आइल पर अना-

वश्यक रूप से फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता रहेगा। इसलिए इस नीति पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं यहां यह भी निवेदन करता चाहता हूं कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाते हैं और उसके लिए यहां पर भी आपने काम शुरू किया है, लेकिन जिस गति से वह काम चल रहा है, इस काम को और गति देना आवश्यक है। इसका विशेष कारण यह है कि इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम का भाव गिर रहा है और जो ट्रेंड है इससे पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के इम्पोर्ट पर जो रुपया खर्च होता है, उसमें पेट्रोलियम महकमे को 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रुपए का उपयोग अपने यहां क्रूड बढ़ाने के साधनों में करें तो इससे आपका इम्पोर्ट बजट कम हो सकेगा।

अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक्सपोर्ट अथार्टी एग्राकल्चरल कोमाडीटीज के लिए कायम की है, लेकिन वह एक्सपोर्ट अथारिटी अभी पूरी शक्ति के साथ काम नहीं कर रही है। जैसा अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने बताया कि केश्योनट, कार्डिमम आदि को सही ढंग से बाहर भेजने का प्रबन्ध नहीं हो सका है, इसी तरह से मेरे क्षेत्र अलवर से, गुजरात से महाराष्ट्र से, जहां कि प्याज की पैदावार होती है, दिसंबर से जनवरी तक प्याज निकाला जाता है, वहां से प्याज खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि किसान को सही पैसा मिल सके। इससे हम बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। गल्फ कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क प्याज खरीदते हैं, यदि समय पर महाराष्ट्र से, गुजरात से ओनियन बाहर भेजे तो इससे अधिक पैसा मिलेगा और किसान को भी लाभ मिलेगा और किसान अधिक पैदावार करेगा। इसलिए आज जो आप एक्सपोर्ट के लिए अधिक से अधिक सामग्री भेज सकते हैं, उसमें जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, काटेज इंडस्ट्रीज हैं, उससे बनने वाली वस्तुओं से पैसा मिल रहा है। इसलिए काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए और उनमें जो वस्तुएं बन रही हैं, उनको अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें और प्राप्त राशि को एक कैश कंपोमेंट के रूप में किसानों को प्रोत्साहन दें। इसके साथ-साथ एग्रीकल्चरल कोमाडीटीज के लिए उचित समय पर व्यवस्था की जाए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजीटेबल्स हैं, इनकी सही समय पर व्यवस्था की जाए ताकि उनका सही समय पर उपयोग हो सके और किसान को सही कीमत मिल सके।

1.00 म०प०

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कैश कम्पनसेटरी स्कीम और मार्किट डवलपमेंट असिसटेन्स स्कीम के माध्यम से निर्यात करने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग किया जाता है। इन पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए कि इन स्कीम्स के माध्यम से किस तरह से खर्चा होता है। यह देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से हमारा इम्पोर्ट कम हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। इससे हमारा राष्ट्र आर्थिक सम्पन्नता की ओर जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है।

जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है इसमें दो विभाग समाविष्ट हैं अर्थात, वाणिज्य तथा आपूर्ति परन्तु दुर्भाग्यवश, इसका मुख्य विभाग अर्थात् वस्त्र विभाग जो वाणिज्य मंत्रालय का हिस्सा था, वह 15 नवम्बर 1985 को इस मंत्रालय से ले लिया गया है। मैं नहीं जानना कि इसे वाणिज्य तथा आपूर्ति से अलग क्यों कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसके कारण मंत्री महोदय तथा सत्तापक्ष को अच्छी तरह मालूम होंगे। परन्तु मैं यहां यह कहूंगा कि वस्त्र विभाग को वाणिज्य तथा आपूर्ति में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यहा मुख्य विषय है जो मैं सामने रखना चाहता हूं।

मैं वाणिज्य विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा कि देश के विदेश व्यापार को संगठित करने, उसका विकास करने तथा उसे नियंत्रित करने का यह विभाग कार्य कर रहा है। परन्तु वास्तव में हमने अभी तक क्या ऐतिहासिक उपलब्धि पाई है ? विदेश व्यापार के माध्यम से हम अपने देश के लिए क्या विदेशीमुद्रा पा रहे हैं। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य विदेशों में भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है तथा वाणिज्य जानकारी प्राप्त करना तथा इसका प्रसार करना है। यह सच है कि हम बहुत सी वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। परन्तु वास्तव में जब हम विदेश व्यापार की सरिणी तथा निर्यात उत्पादन की ओर देखते तो पाते हैं कि इसमें गिरावट आ रही है कि वर्ष 1985-86 के बजट में वह 931 करोड़ रु० था किन्तु वर्ष 1985-86 के संशोधित बजट में हम देखते हैं कि यह केवल 880 करोड़ है तथा वर्ष 1986-87 के बजट में यह केवल 79 करोड़ रह गया है। अतः इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है। इसमें गिरावट क्यों आई है और उसके क्या मुख्य कारण हैं ? मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए। यहां तक कि समुद्री उत्पादों के संबंध में भी इस उद्योग को धक्का लगा है। मछली और अन्य समुद्री उत्पादों की संसार की कुल खपत का हम केवल 1 प्रतिशत निर्यात करने में समर्थ हैं। शेष 99% खपत की पूर्ति जापान और ताइवान तथा अन्य देशों द्वारा की जा रही है। परन्तु हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास 200 किलो मीटर की तट रेखा है और हम मछलियां पकड़ सकते हैं, हम बहुत से समुद्री उत्पाद निर्यात कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि टूनाफिश का भी हम निर्यात कर सकते हैं। और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम टूनाफिश के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल कर्नाटक और उत्तर भारत के कुछ लोग न केवल इससे पैसा बना रहे है, बल्कि सोना भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस व्यापार का विकास क्यों नहीं किया गया है। क्या वास्तव में कुछ लोग इस व्यापार में आने वाले अन्य लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं। यहां तक कि जमी हुयी श्रिम्पस मछली के संबंध में धक्का लगा है वास्तव में जापान और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे राष्ट्रों को जमी हुयी श्रिम्पस् मछली के निर्यात के संबंध में मात्रात्मक गतिरोध हुआ है। यह मुख्यतम पश्चिम तट तथा मछली क्षेत्र में हमारे किराये पर लिये गये जहाजों द्वारा मछली पकड़ने की खराब प्रक्रिया के कारण

है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मछली पकड़ने की वर्तमान प्रक्रिया को कारगर बनायें और देखें कि स्थिति में सुधार हो ? निर्यात की इन मदों की विशेष मांग को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए मछली पकड़ने के तमिलनाडु में मंडप्पम जैसी बंदरगाहों और प्राथमिकता के आधार पर नागापत्तीनम तथा कुड्डअलोर बंदरगाहों का तत्काल निर्माण किया जाए।

खनिज निर्यात के संबंध में भी गिरावट आयी है। हम अपने देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये बिल्कुल ही कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में छोटे खनिज भंडारों के उपयोग के संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन भारत सरकार देश के विभिन्न भागो में पाए जाने वाले खनिज भंडारों के उपयोग की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। मैं एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में हम स्वर्ण अयस्क का उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजे हैं लेकिन वह स्वर्ण अयस्क पाने के संबंध में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है अतः मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि धर्मपुरी जिले में पाए जाने वाले स्वर्ण अयस्क के उपयोग के संबंध में जांच के लिए तत्काल कदम उठाएं।

चीनी निर्यात के संबंध में हम सर्वोत्तम कार्य नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हम आत्म निर्भर हैं फिर भी हम चीनी का आयात करते हैं। अभी उस दिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री ने यहां बताया था कि हम चीनी में आत्म निर्भर हैं लेकिन फिर भी चीनी आयात करते हैं। यह कहने का क्या उद्देश्य है कि हम आत्म निर्भर हैं और साथ ही इसका आयात भी करते हैं।

चाय बोर्ड, इलायची बोर्ड जैसे अन्य वस्तु बोर्डों तथा अन्य बोर्डों में से मैं केवल चाय बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगा। चाय बोर्ड में पिछले डेढ़ वर्ष से कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। मैं चाय बोर्ड का एक सदस्य हूं। वहां कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। चाय बोर्ड स्थायी अध्यक्ष के बिना कार्य कर रहा है...

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : आप सदस्य के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अतः हम अध्यक्ष के पद पर तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता नहीं समझते।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप अध्यक्ष का पद समाप्त कर सकते हैं सभी सदस्यों को अध्यक्ष बनने देना चाहिए। यदि सदस्य कार्य कुशल है तो हम में से कोई भी अध्यक्ष बन सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मैं अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मजाक के तौर पर कह रहे हैं...

श्री पी० शिव शंकर : मैं निन्दा नहीं कर रहा हूं।

श्री पी० कुलनवईवेलू : चाय बोर्ड के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में निर्यात के लिए चाय एक अच्छी मद है और इससे हम धन अर्जित कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपये की चाय निर्यात की। चाय निर्यातक देशों में हम प्रथम हैं। 1985-86 के दौरान 6550 लाख किलो ग्राम चाय का उत्पादन हुआ। 1985-86 में अक्तूबर तक 1268.5 लाख किलोग्राम निर्यात की गई। इससे हमें 413.90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। चाय बागानों में छोटे उत्पादक बड़े बागान मालिकों की दया पर आश्रित हैं क्योंकि निर्यात बाजार टाटा और बिरला, लिपटन, ब्रुक बान्ड और अन्य चाय मालिकों जैसे बड़े मालिकों के हाथ में हैं। छोटे उत्पादक भारत से अन्य देशों में अपनी चाय का निर्यात नहीं कर पाते। निर्यात बाजार पर बड़े मालिकों का नियंत्रण है अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि तमिलनाडू, उडाकमनडलम अथवा ऊटी जहां 90 प्रतिशत उत्पादक छोटे हैं, को भारत से विदेश में चाय भेजने के लिए पर्याप्त अवसर अवश्य ही दिये जाने चाहिए।

कोयम्बटूर के मण्डलीय कार्यालय के कार्यकरण के संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसके मुख्य एक आई० ए० एस० अधिकारी हैं। उनका नाम श्री सुब्बा राव है वे मण्डलीय कार्यालय में उपनिदेशक है स्टाफ के बिना मण्डलीय कार्यालय कार्य कर रहा है। उचित स्टाफ के अभाव में मण्डलीय कार्यालय द्वारा ठीक ढंग से कार्य करने की आशा हम कैसे कर सकते हैं। यह मण्डलीय कार्यालय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के लिए है। गत डेढ़ वर्ष से मण्डलीय कार्यालय बिना स्टाफ के कार्य कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां केवल मण्डलीय कार्यालय है, जो कार्य नहीं कर रहा है।

श्री पी०कुलनवईवेलू : यहां तक कि वहां नाममात्र का स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाय बोर्ड स्थायी अध्यक्ष के अधीन कार्य कर रहा है हमें स्पष्ट रूप से यह पता चला है कि चाय बोर्ड किस प्रकार कार्य कर रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कोयम्बटूर के मण्डलीय कार्यालय में स्टाफ संबंधी पूरी सुविधाएं दी जाएं। बिना कार और टेली-फोन की सुविधा के मण्डलीय कार्यालय वहां कार्य कर रहा है। मैंने उपनिदेशक से संपर्क स्थापित करना चाहा लेकिन संपर्क करने में असमर्थ रहा। यह स्थिति है। इलायची बोर्ड के संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इलायची उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने की योजना प्रारंभ की जाए। 1985-86 में उत्पादन का संशोधित प्राक्कलन आपने 4200 मीट्रिक टन पर निर्धारित किया था और यहां तक कि 1985-86 में 2500 मीट्रिकटन निर्यात के आदेश थे जिनका मूल्य 50 करोड़ रु० है। हम अन्य देशों को इलायची की और किस्मों का निर्यात करके इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं जिससे हम और धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया जिसका प्रबन्ध प्रायः केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास द्वारा किया जाना था। हथकरघा और खादी वस्त्रों आदि के क्षेत्रों में और अधिक निर्यातोन्मुखी मेले लगाने को प्रोत्साहन देने के संबंध में बहुत कुछ कार्य किया जाना है।

पोटाशियम क्लोराइट के आयात ले संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मद पर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि हम केवल कृषि संबंधी कार्यों में प्रयोग के लिए पोटाशियम क्लोराइड का आयात कर रहे हैं, जबकि वास्तव में इसका प्रयोग कृषि संबंधी कार्यों में नहीं हो रहा है। केवल उद्योगपति ही अधिक मूल्य देकर के इस पोटाशियम क्लोराइड को खरीद रहे हैं। वे इसका प्रयोग औद्योगिक कार्यों में कर रहे हैं न कि कृषि कार्यों में। अत: भारत में पोटाशियम क्लोराइड के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि मद्रास और तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में मुक्त मण्डलीय व्यापारों की स्थापना करें जिससे कि तमिलनाडु के उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वाणिज्य विभाग पर बोलने का अवसर दिया।

वाणिज्य विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख विभाग है जो हमारे देश की वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करता है और इससे हमारे देश को विदेशी-मुद्रा मिलती है।

आपने हमें जो बुकलेट दी है, उसके अध्ययन से हमें मालूम हुआ है कि वर्ष 1984-85 में ट्रेड डिवेलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेड फेयर अथॉरिटी ने जो कार्य विदेशों में किया है।

1.16. म०प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

उससे कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद देखते हैं तो हरेक वस्तु में, जैसे चाय है या तम्बाकू है, या और चीजें जो बनती हैं, उसमें गिरावट आ रही है।

मैं मुरादाबाद क्षेत्र से आता हूं। वहां 1980 में लगभग 70 करोड़ रुपये की एक्सपोर्ट होती थी लेकिन उसके बाद आज तक वहां का पीतल का उद्योग बराबर घट रहा है और आज उसकी लगभग 37 करोड़ रुपये की एक्सपोर्ट रह गई है जिससे वहां का मजदूर और एक्सपोर्टर बहुत परेशान है।

हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन जब हमें एक इतना बड़ा उद्योग मिला हुआ है जो पीतल के नाम से जाना जाता है, उसके लिए न तो वहां कोई डिजाइन सैंटर है और न कोई ऐसी एजेन्सी है जो वहां के कारीगर को सही मायनों में कच्चा माल दिला सके। कच्चा माल मंहगा होने की वजह से वहां के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। जब हम देखते हैं कि हमारा यह एक्सपोर्ट दूसरे देशों के मुकाबले में क्यों फेल हो रहा है तो एक्सपोर्टर पाते हैं कि ताइवान, कोरिया और पाकिस्तान बराबर पीतल के उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुरादाबाद का यह उद्योग एक्सपोर्ट के मामले में बराबर पीछे जा रहा है।

[श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक]

मेरा सुझाव है कि मंत्र जी वहां एक टीम भेजें जिसमें कारीगर भी हों एक्पोर्ट भी हों और अधिकारी भी हों जो यह देखें कि किस तरह से ताइवान कोरिया और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं और हमारे काम में कौन-सी कमी है जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। इस तरह से हम अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकेंगे और वहां की बेकारी को दूर कर सकेंगे। इससे हमारे देश को जो हानि हो रही है और विदेशी मुद्रा में कमी हो रही है उसको दूर किया जा सकता है।

हम जो एक्सपोर्टर्स को ड्रा-बैंक और कैश एसिस्टेंस देते है उसमें मैं चाहूंगा कि इस काम को बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए हमें उसमें कुछ बढ़ावा देना चाहिये, हो सकता है कि इस तरह से वहां उद्योगी प्रयास करें कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। जिस तरह से कच्चा माल मंगाया जाता है, उसमें हमारे बहां ऐसी सहूलियत दी जाये ताकि कारीगरी को कच्चा माल सही कीमत पर मिले। हमारे वहां एम०एम०टी०सी० का एक आफिस है जो इस काम को देखता है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक जो कारीगर या छोटे-छोटे आर्टिजन्स हैं, उनको इससे लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ब्रास कारपोरेशन बनाया है। इसका मकसद यह है कि इससे छोटे आर्टिजन को लाभ पहुंचे। लेकिन अभी तक आर्टिजन को कोई लाभ नहीं मिलता है। रा-मैटीरियल सही रेट पर नहीं मिलता है जिससे वह ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता है।

जिस तरह से आपने विभाग को संभाला है, जैसे और साथियों ने भी कहा है, जहां-जहां यह ट्रेड चल रहा है, एक्सपोर्ट अच्छी थी, उन साधनों को देखें कि अब वह क्यों घट रहा है, तो मैं समझता हूं कि हम एक अच्छा रास्ता अख्तयार करेंगे जिससे हमारे यहां की बेरोजगारी दूर होगी और जो एक्सपोर्ट घट रहा है, उसके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिल सकेगी।

इन्हीं बातों के साथ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० के०जी० अदियोडी (कालीकट) : महोदय, मुझे मांगों को समर्थन करने में बेहद खुशी है। काफी के संबंध में हम संसद में शोर करते रहे हैं। गत सत्र के दौरान भी जब मसाला बोर्ड विधेयक को पुरस्थापित किया गया था, तो कॉफी पर विस्तारपूर्वक बिचार किया गया था। मेरे विचार से केरल के कॉफी उत्पादकों के बारे में यहां काफी भ्रम है। कॉफी केरल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कॉफी की फसल जलवायु पर निर्भर करती है। यदि जलवायु परिस्थितियां अनु-कूल हों, तो फसल काफी अच्छी होती है और यदि ऐसा न हो तो उत्पादकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

महोदय, लगभग 14 मदों से निर्यात शुल्क हटा दिया गया है लेकिन कॉफी पर निर्यात शुल्क अभी भी है। राष्ट्रीय बीज निगम जब बीज भेजता है तो केवल 15 प्रतिशत वसूल करता है जबकि

कॉफी बोर्ड कॉफी बीज के 35 प्रतिशत से भी अधिक वसूल करता है। हाल ही में जब कॉफी के मूल्य बढ़ रहे थे तो 14 दिसम्बर को कॉफी बोर्ड द्वारा एक सौदा किया गया था जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट पैदा हो गया हो लेकिन कॉफी की कीमत इस स्तर तक गिर गई कि 4000 टन कॉफी का निर्यात करने के बावजूद भी राजकोष तथा उत्पादकों को 1.7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। जब दस संसद सदस्यों ने वाणिज्य मंत्री के समक्ष यह मामला रखा तो ऐसा लगा कि इस मामले की ओर किसी का ध्यान नहीं है। हमें मंत्री जी से कोई पावती पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। समस्त दक्षिण भारत के समाचारपत्रों ने यह समाचार दिया कि उत्पादक आंदोलन कर रहे हैं और उत्पादकों के संघ ने गृह मंत्री को कॉफी बोर्ड के संबंधों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के लिए पत्र लिखे हैं।

ऐसी स्थिति होने के कारण हमें यह कहते हुए खेद है कि जब तक उत्पादकों की समस्याओं का सुनिश्चित, समुचित और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जाएगा और तुरन्त समुचित कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक सभी काफी उत्पादक काफी बागानों की जगह रबड़ या कोई और फसल उगाने लगेंगे। मान लीजिए, दीर्घकालीन फसल के स्थान पर कोई और फसल उगा ली जाए तथा कोई वार्षिक फसल उगा ली जाए तो पूरे क्षेत्र में काफी भारी मात्रा में भूस्खलन होगा और पर्यावरण सम्बन्धी परिवर्तन भी होंगे और समूचा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। तो यह एक काफी गंभीर समस्या है जिस पर सरकार द्वारा तुरन्त ध्यान दिया जाना जरूरी है

पहली बात निर्यात शुल्क हटाने और न्यूनतम निकासी मूल्य निश्चित करने के बारे में भी है। इसमें पांच वर्ष बीत चुके हैं। काफी बोर्ड के अधिकारी प्रतिवर्ष काफी उत्पादन सम्बन्धी खर्च का मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं हैं। फसल से पहले ही मूल्य-निर्धारण आवश्यक है। जब तक यह नहीं किया जाता है और कुछ लाभ नहीं दिया जाता और कुल राशि तत्काल अदा नहीं कर दी जाती तब तक कोई भी बागान मालिक मजदूरों को पारिश्रमिक नहीं दे सकेगा। या किसी भी तरह का आदान भी नहीं किया जा सकेगा। बैंक अन्य मामलों की तरह बागान मालिकों को प्राथमिकता भी नहीं देता है। किसी न किसी तरह की सहायता तथा ब्याज की विभेदक दर या ऐसा ही कुछ होना अत्यावश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब काफी के बीज एकत्र किए जाते हैं तो उनके संसाधन के लिए समस्त मात्रा दूर के इलाके में ले जाई जाती है। मेरी यह निश्चित राय है कि काफी के संसाधन के लिए काफी उत्पादन क्षेत्र के निकट ही कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। महोदय, इसके साथ ही हमारी सारी नकद फसलों का बोरों में बन्द कर बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। और होता यह है कि किस्म के घटिया होने के कारण विदेशी खरीददार उसे नामंजूर कर देते हैं। हाल ही में विदेशी खरीददारों ने काली मिर्च को उसकी घटिया किस्म के कारण अस्वीकार कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वर्ष के दौरान किस्म नियन्त्रण प्रणाली पूरी तरह असफल रही थी। पैक किए जाने के समय पर्यवेक्षण के लिए तथा समुचित पैकिंग और एगमार्क से चिन्हित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं थे। यही नहीं वरन् खराब किस्म नियंत्रण के अतिरिक्त बीजों का समुचित वर्गीकरण भी नहीं किया गया था, हालांकि इस क्षेत्र में बहुत सारे अभिकरण कार्यरत हैं।

[डा० के०जी० अदियोडी]

महोदय, इस वर्ष निर्यात के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में धनराशि की बाढ़ सी आई हुई है। आज के समाचार-पत्र में भी आप देखेंगे कि वित्त मन्त्रालय ने "निर्यात विकास विधि" शीर्षक के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। कल के समाचार-पत्र में भी भारत और युगोस्लाविया की संयुक्त परिषद् की बैठक के बारे में एक समाचार था जिसमें द्विपक्षीय निर्यात को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था। जिसके अन्तर्गत भारत 200 करोड़ रुपए मूल्य के सामान का निर्यात करेगा। वे इस बात से सहमत हैं कि 1990 तक वे भारत से अपने आयात को दुगुना कर देंगे।

महोदय, हम तम्बाकू, चाय, काफी अन्तिम रूप से तैयार चमड़े का सामान लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, ,आटो पुर्जों, रसायन और भेषजीय उत्पादों आदि का निर्यात कर रहे हैं। इन सभी मदों के उत्पादन करने उनकी उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने के लिए हमारे पास काफी बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन निर्यात के रास्ते में अड़चन क्या है? केवल ये अभिकरण ही निर्यात सम्वर्द्धन में बाधक हो रहे हैं। वे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और वे गरीब किसानों, खेतिहारों और छोटे उद्योग पतियों को अपेक्षित सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं। हाल ही में हमारे एक सम्मेलन में मध्यम और सीमांत स्तर के काफी उत्पादकों ने भाग लिया था और उन्होंने इस स्मानीय निकाय अर्थात् पी०सी०आर०आई० के चेयरमैन और सभी सदस्यों के संमुख अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया था। उनके अनुसार न्यूनतम निकासी मूल्य निर्धारित करने के बारे में हालांकि एक वर्ष बीत चुका है। फिर भी वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। खेतिहारों का कहना है कि जब कभी बोर्ड या चेयरमैन के पास जाते हैं तो वे यही जवाब देते हैं कि मामला सरकार के विचाराधीन है। जहां कहीं भी आप जाते हैं बोझा सरकार पर डाल दिया जाता है और फिर वे चुप रह जाते हैं।

अब जहां तक नारियल के नन्हे पौधों का प्रश्न हैं, हालांकि इसका मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है फिर भी पिछले साल 20,000 नारियल के पौधे जिन्हें एकत्र करा के नर्सरी में रखा गया था। उनमें से बडी मुश्किल से केवल 25% पौधे ही बच पाए थे। शेष 75% बरबाद या बेकार हो गए। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नारियल के एक पौधे का दस रुपया लेते हैं और इस प्रकार कुल हानि में और अधिक वृद्धि हो गई थी। ये आंकड़े हमारे अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया है उसी से मालूम हो पाए हैं। हर दिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बदतर होती जा रही है, इस क्षेत्र में कुल उपलब्धि अत्यन्त नगण्य रह गयी है। माननीय मंत्री जी से यह मेरा अनुरोध है कि वे इस बात का निश्चय करें कि उत्पादन के लिए खर्च की गयी धनराशि का एक-एक रुपया सही ढंग से खर्च किया जाय और वास्तविक परिणाम प्राप्त हो तथा निर्यात की दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने मे भी हम सफल हो सकें क्योंकि यही निर्यात देश की वित्तीय स्थिरता का मुख्य आधार है।

इन शब्दों के साथ में वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : सभापति महोदय, वाणिज्य मन्त्रालय दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार के संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । व्यापार सन्तुलन तथा साधान्यतया विदेशी मुद्रा की स्थिति से वाणिज्य मन्त्रालय की अतिकुशलता प्रतिबिम्बित होती है । यद्यपि वाणिज्य मन्त्रालय का कार्य भार एक बहुत की कार्यकुशल तथा अनुभवी मन्त्री के हाथों में है, परन्तु मैं महसूस करता हूं कि वाणिज्य मन्त्रालय में कतिपय मामलों में कमियां पाई गई हैं ।

विदेशी मुद्रा की स्थिति इसका एक उदाहरण है । वर्ष 1985 के दौरान, निर्यात से आय कम हो गयी और उसी अवधि के दौरान आयात में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई । जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के हमारे भण्डार में तेजी से गिरावट आई है । यह बहुत ही चिन्ता-जनक स्थिति है । निःसन्देह, सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को महसूस करती है और उसने निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किये हैं । साथ ही साथ, सरकार को आयात को विनियमित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आयात में किसी प्रकार की उदारता बरतने से कुछ लोग अर्थव्यवस्था की कीमत पर उसका नाजायज फायदा उठायेंगे ।

मन्त्रालय के अधीन अलग-अलग वस्तु बोर्ड हैं और इन बोर्डों से विभिन्न मसालों के, जो मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जक हैं, हितों का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है । महोदय, मैं केरल का रहने वाला हूं, जिसे मसालों की भूमि कहा जाता है । इलायची, मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल जैसे लगभग 95% मसालें केरल में उगाये जाते हैं । वस्तुतः, राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इन मसालों पर निर्भर करती है । परन्तु इस समय इन मसालों के उत्पादक संकट में हैं, क्योंकि मसालों के मूल्य कम हो गए हैं । विशेषकर इलायची के मूल्य में हुई कमी बहुत ही चिन्ताजनक है । इलायची का मूल्य जो लगभग दो वर्ष पूर्व 250 रु० प्रति किलोग्राम था, अब 100 अथवा 1 5 रु० प्रति किलोग्राम हो गया है । एक और तो कृषि लागत बहुत अधिक है, दूसरी ओर उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है ।

केरल सरकार तथा इलायची उत्पादकों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह इला-यची का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे और इसका अधिक से अधिक मात्रा में पारम्परिक खरीददार देशों से अन्यथा देशों में निर्यात करे । मुझे यह नहीं मालूम है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्तुत: क्या किया जा रहा है । इस समय जैसी कि स्थिति है, पिछले तीन दशकों के दौरान विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम हो गया है, विशेषकर इलायची के व्यापार के मामले में । इससे केवल यही पता चलता है कि हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि करने में कार्यरत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभिन्न संगठन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य मसालों जैसे लौंग, दाल-चीनी इत्यादि की भी है । मैं समझता हूं कि सरकार ने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लौंग का आयात किया है। इसके परिणामस्वरूप स्वाभावित रूप से लौंग के मूल्य में गिरावट आयी है । महोदय सभा को जानना चाहिए कि इन पौधों को तैयार करने में कई वर्षों तक कठिन श्रम करना पड़ता है । इसमें से अधिकांश पौधे कीड़ों तथा प्रतिकूल मौसम, इत्यादि के कारण बर्बाद हो जाते हैं । इन पौधों से किसी प्रकार की उपज प्राप्त करने से पूर्व किसानों को छः से सात वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । हो सकता है कि उसके पास आय के अन्य स्रोत न हों और अधि-

[श्री के० मोहनदास]

कांश उत्पादक लघु तथा मझोले उत्पादक हैं जिनकी आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मूल्यों में गिरावट आती है, कोई कल्पना कर सकता है कि उनकी क्या दशा होती होगी ?

सरकार के पास मसालों के सम्बन्ध में कोई समुचित मूल्य निर्धारण नीति नहीं है। इस वर्ष के बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार कृषि फसलों के लिए एक दीर्घकालीन मूल्य निर्धारण नीति बनाने जा रही है। यह स्वागत योग्य है । परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार मसालों के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन नीति बनाए।

इन मसालों के उत्पादन, विपणन खरीद तथा मूल्य निर्धारण की सम्पूर्ण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा केरल में मसाला उत्पादकों तथा उसके फलस्वरूप राज्य एवं देश की अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : सभापति महोदय, चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं केवल एक विषय पर अर्थात चाय पर अपना भाषण केन्द्रित करूंगा जो इस मन्त्रालय से सम्बन्धित है। असम राज्य से आने के कारण मेरा इस वस्तु से गहरा सम्बन्ध है क्योंकि इस वस्तु पर न केवल असम की अर्थव्यवस्था आधारित हैं, बल्कि इस देश की कुल अर्थव्यवस्था को भी यह बहुत हद तक प्रभावित करती है। यह एक ऐसी पारम्परिक वस्तु है जिसका हमारे देश में निर्यात से होने वाली आय में बहुत भारी योगदान रहा है। इस समय भी, इस तथ्य के बावजूद कि देश के अन्य भागों में भी चाय की फसल उगाई जा रही है, देश के कुल चाय बागान क्षेत्र में से असम में 55 प्रतिशत बागान क्षेत्र है। जहां तक चाय के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमने वर्ष 1985 के दौरान 2220 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन तथा निर्यात किया है। परन्तु सच्चाई यह है कि असम में आजादी के बाद चाय के उत्पादन तथा कुल बागान क्षेत्र में गिरावट हुई है। मेरे पास आजादी के समय के उपलब्ध एक आंकड़े के अनुसार असम में 1980 चाय बागान के और चाय उद्योग में 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी आशा की जाती है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिए जाने के कारण समय के रफ्तार के साथ इस उद्योग का भी विस्तार होगा, 1080 चाय बागान से वर्ष 1985 में घटकर 753 चाय बागान रह गए। 300 से अधिक चाय बागानों की संख्या में कमी हुई है और इस उद्योग में नियोजित कुल व्यक्तियों की संख्या भी मूल 5 लाख से घटकर लगभग 3.5 लाख रह गई है।

इसलिए वाणिज्य मन्त्रालय को, जिसका इस उद्योग से गहरा सम्बन्ध है। इस उद्योग की बीमारियों की बारीकी से छान-बीन करनी चाहिए।

इस समय असम सबसे मुख्य शिकायत यह है कि सभी चाय उद्योगों तथा महत्वपूर्ण चाय बागानों के मुख्यालय तथा पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं। मेरी समझ में यह बात तो

आती है कि जब असम में संचार प्रणाली अपेक्षातया बहुत खराब थी, आधारभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तथा निर्यात सम्बन्धी सुविधाएं वहां नहीं थी, उस समय तो ऐसे कार्यालयों तथा पंजीकृत कार्यालयों को कलकत्ता में रखने का कोई औचित्य था। परन्तु आजकल असम में संचार प्रणाली में सुधार हुआ है, आधारभूत सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं और निर्यात सम्बन्धी सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध हैं। हमारे यहां चाय नीलामी केन्द्र है तथा हाल में गुहावटी के निकट अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो आरम्भ किया गया है। अतः मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे कि यह पता चले कि मुख्यालयों तथा पंजीकृत कार्यालयों को क्यों नहीं स्थानांतरित किया जा सकता कलकत्ता में मुख्यालयों तथा पंजीकृत कार्यालयों के स्थित होने के कारण असम राज्य को आयकर तथा अन्य आय के, जिस पर अन्यथा राज्य को हक है, हिस्से की हानि उठानी पड़ती है।

अब मैं नीलामी बाजार का उल्लेख करना चाहूंगा। लम्बे आन्दोलन तथा लगातार मांग किए जाने के पश्चात नीलामी बाजार गुवाहाटी में शुरू किया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश, सच्चाई यह है कि नीलामी बाजार वांछित रीति से काम नहीं कर रहा है। कलकत्ता नीलामी बाजार का दबदबा अभी भी वहां व्याप्त है। वाणिज्य मन्त्री को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि गुवाहाटी नीलामी बाजार के समुचित कार्यकरण न होने देने की दृष्टि से गुवाहाटी नीलामी बाजार में निम्न श्रेणी की चाय को उत्तम श्रेणी की चाय के रूप में लाया जाता है और उसकी अधिक कीमत मांगी जाती है जब उसकी अधिक कीमत नहीं मिलती तो उस चाय को कलकत्ता नीलामी बाजार में भेज दिया जाता है। कभी-कभी निम्न श्रेणी की चाय को उत्तम श्रेणी की चाय में मिला दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जब यह चाय दूसरे देशों में जाती है तब हमारे देश की छवि धूमिल होती है ; और निर्यात बाजार में एक बार छवि धूमिल हो जाने पर उसे दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। यह समस्या का एक पहलू है, जिससे मैं यह आशा करता हूं कि श्री शिव शंकर इस पर विशेष ध्यान देंगे।

दूसरा पहलू, जिससे मैं चाय के घरेलू उपभोक्ता के रूप में सम्बन्धित हूं, यह है कि नीलामकर्त्ता के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1984 तथा 1985 में चाय के विद्यमान मूल्यों की तुलना में चाय के मूल्यों में प्रति किलोग्राम 6.05 रु० की कमी हुई है। मूल्य में कमी हुई है। परन्तु घरेलू बाजार में वह कमी परिलक्षित नहीं हुई है। चाय के नीलामी मूल्य में कमी होने के बावजूद घरेलू बाजार में चाय के मूल्य प्रति किलोग्राम 35 रु० अथवा 40 रुपये बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि वाणिज्य मन्त्री इस मामले को सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ उठाएं। वह आपूर्ति का भी काम देखते हैं। निर्यात बाजार मूल्य तथा घरेलू बाजार मूल्य में एक संबंध होना चाहिए। यदि चाय के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कमी होती है तो उसका असर घरेलू बाजार पर भी परिलक्षित होना चाहिए। घरेलू उपभोक्ताओं को लूटा नहीं जाना चाहिए। अतः मैं सम्बन्धित मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन पहलूओं पर विचार करें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुख्यालय तथा पंजीकृत कार्यालयों को कलकत्ता से गुवाहाटी लाया जा सके। वस्तुतः, असम सरकार ने इस मुद्दे पर विशेष चिन्ता व्यक्त की है।

[श्री दिनेश गोस्वामी]

पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा चाय बोर्ड का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः, ए०आई०ए०डी०-एम०के० के पूर्ववर्ती वक्ता ने इसका उल्लेख किया है। चाय बोर्ड का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। अधिकांश चाय बागानें या तो असम में हैं अथवा डुआर्स में हैं। अतः बोर्ड का कार्यालय गुवाहाटी में होना चाहिए। छोटी-छोटी बातों के लिए उत्पादकों को कलकत्ता जाना पड़ता है। सरकार की हमेशा ऐसी नीति रही है कि संबंधित बोर्ड का कार्यालय उस स्थान पर होना चाहिए जो उस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, अर्थात रबड़ बोर्ड का कार्यालय बंगलौर में है तथा काफी बोर्ड का कार्यालय कांट्टायम में है।

क्यों न बोर्ड का कार्यालय असम में बना दिया जाए ? इससे डूअर्स स्थित चाय बागनों को लाभ होगा, क्योंकि डुअर्स से गुवाहाटी तक केवल एक रात का रास्ता है।

चाय बोर्ड के चेयरमैन का पद नहीं भरा गया है। असम के लोगों की यह मांग काफी समय से चल रही है कि चाय बोर्ड का चेयरमैन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो चाय उद्योग से सम्बद्ध हो और वह उस क्षेत्र का हो जहां इस देश की 55% चाय पैदा होती है। मुझे खुशी है कि चेयरमैन का पद नहीं भरा गया है। मैं श्री शिवशंकर से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें की चेयरमैन के पद पर असम के ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसे चाय उद्योग के विषय में जानकारी हो। फिर भी ये छोटे मामले हैं। भारत सरकार के सन्दर्भ में हो सकता है कि ये मामले छोटे हों परन्तु इन मामलों से जनता और युवकों के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि इस रिक्त पद को किसी ऐसे व्यक्ति से भरने की कृपा करें जिसे चाय उद्योग के विषय में ज्ञान हो। मैं यह भी कहूंगा कि 1981 में, श्री जयन्त सान्याल की अध्यक्षता में लघु उत्पादकों की एक समिति गठित की गई थी। लघु चाय बागानों अथवा लघु उत्पादकों की सबसे अधिक संख्या असम में है परन्तु इसके बावजूद उस समिति में असम का कोई सदस्य नहीं रखा गया। कोई भी इन बातों को उचित नहीं ठहरा सकता। इन बातों से लोगों के मन में परायेपन की भावना पैदा होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सुनिश्चित करें की यह भेदभाव, जिसे हम भेदभाव महसूस करते है, समाप्त किया जाएं।

जहां तक चाय का सम्बन्ध है, इसके बावजूद यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्यातोन्मुख उत्पाद है, इसके साथ अन्य वस्तुओं की तुलना मे कुछ मामलों में भेदभाव किया जाता है। इस पहलू पर मैं कुछ कहूंगा। इनमें से कुछ बातें वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं परन्तु मैं वाणिज्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन्हें वित्त मंत्रालय के साथ उठाएं। उदाहरण के तौर पर, दार्जिलिंग में 40,000 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से विकास निधि दी गई है और मैदानी इलाकों में 35,000 रु० प्रति हैक्टर की दर से। परन्तु मुझे पता चला है कि दार्जिलिंग चाय के उत्पादन की वर्तमान लागत 80,000 रु० प्रति हैक्टेयर है और मैदानी क्षेत्रों में 75,000 रु० प्रति हैक्टेयर व्यय होता है। चाय उत्पादकों ने अभ्यावेदन दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा संवीक्षा के अधीन वास्तविक लागत के 50% के बराबर राशि विकास निधि के रूप के दी जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि यह

एक उचित मांग है और इस पर वाणिज्य मन्त्रालय को ध्यान देना चाहिए । वाणिज्य मन्त्री को भी ध्यान देना चाहिए कि जहां तक ऊर्जा की खपत में कमी करने वाले उपकरणों के लिए मूल्या-ह्रास की छूट दिए जाने का संबंध है, चाय को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अन्य उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है परन्तु चाय उद्योग में इस्तेमाल होने वाले, ऊर्जा खपत में कमी करने वाले किसी उपकरण को मूल्यह्रास छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि यह अनुसूची में शामिल नहीं है ।

चाय विनिर्माताओं ने वित्त मन्त्रालय को भी अभ्यावेदन भेजे हैं, और उन्होंने आपको भी भेजे हैं, कि गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के अनेक क्षेत्र हैं विद्युती जहां ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों की पर्याप्त गुंजाइश है । मैं इस बात को युक्तिसंगत नहीं मानता कि चाय को मूल्यह्रास छूट की सीमा से बाहर रखा गया है जबकि भारत सरकार की नीति ऊर्जा की बचत करने वाले सभी उपकरणों को प्रोत्साहित करने की है : मैं आशा करता हूं कि श्री शिव शंकर इस बात को नोट करेंगे ।

मुझे एक अत्यन्त गम्भीर शिकायत मिली है कि यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया, जो एक लीड बैंक है, से 1985 से पूर्व, चाय उद्योग के लिए बहुत कम कठिनाई से ऋण मिल जाता था परन्तु 1985 के बाद से चाय उत्पादक और चाय विनिर्माताओं के लिए इस बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है । सामान्यत: चाय बागान के प्रभावी कार्यकरण के लिए ऋण देने की प्रक्रिया नवम्बर-अक्तूबर तब पूरी करके जनवरी तक ऋण दे दिया जाना चाहिए । परन्तु इस बार, आज की तारीख तक ऋण नहीं दिया गया है और कुछ मामलों में तदर्थ प्रावधान किया गया है । मैं वाणिज्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें ।

मेरे विचार में, असम में भी युनाइटिड बैंक आफ इंडिया का एक चाय विभाग होना चाहिए ताकि लघु विनिर्माताओं को अपनी मामूली समस्याओं के समाधान के लिए कलकत्ता न जाना पड़े । मैं आशा करता हूं कि बहस का उत्तर देते समय माननीय मन्त्री महोदय इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगें जो मैंने अपने भाषण में उठाए हैं ।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

आयात-निर्यात में व्यापारिक घाटा जो पिछले वर्ष 5,400 करोड़ रुपये का रहा यह चिन्ता का विषय है । जिन वस्तुओं के कारण यह वृद्धि हुई है—जैसे की लुगदी तथा फालतू कागज, उर्वरक, गंधक, खाद्य तेल तथा आरगैनिक तथा इन आरगैनिक रसायनों—इनके लिए मैं मानता हूं कि इनमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे कि देश में ही इनका उत्पादन हो और इनका देश में आयात कम हो ।

[श्री शांति धारीवाल]

हमें देश के निर्यात में भी भारी वृद्धि करनी पड़ेगी। उन सारी योजनाओं को जिनसे कि हम आयात को कम कर सकें और निर्यात को बढ़ा सकें, पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करना पड़ेगा। जिससे कि हम अपने निर्यात में भारी वृद्धि कर सकें और आयात को घटा सकें इन सारी योजनाओं पर पुनर्निरीक्षण करने की जरुरत है और देखने की जरूरत है कि उनकी क्रियान्विति में क्या कसर रही है और उन योजनाओं से जिन लोगों को फायदा पहुंचना है वह फायदा उन्हें पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है।

इसी प्रकार से केस कंपेंसेटरी योजना को नये सिरे से बनाया जाना चाहिए और इसकी क्रियान्विति होनी चाहिए। सूती वस्त्रों की मदों के लिए भी दरें पुनः निश्चित की जानी चाहिएं। जो निर्यात करने वाले हैं उनको कई बार प्रक्रिया की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस सम्बन्ध में शुल्क वापसी का निपटारा जल्दी से नहीं हो पाता है। इसकी पद्धति को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि उनको आसानी से अपना शुल्क वापस मिल सके। उनको कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और काफी निराशा हो जाती है और आयन्दा निर्यात करने के लिए जो उन्होंने प्लान बनाये हैं उनको विदड्रा करने के लिए वे सोचने लगते है।

बाजार विकास सहायता योजना का क्रियान्वयन भी तेजी से किया जाना चाहिए तथा विश्व के बाजारों में हमारे निर्यात को प्रतिस्पर्धा एवं उचित स्थिति में बनाये रखने की सारी सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिन निर्यात-कर्ताओं के लिए ये सब सुविधाएं हैं, जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं अगर उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उनका मन मारा जारा है।

निर्यात के लिए वैगनों के आवंटन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैसे तो रेलवे वाले यह कहते हैं कि प्रायोरिटी पर हम वेगन उपलब्ध करवाते हैं। असल मैं यह नहीं होता है। मिल-जुल कर वेगन मिल जाए तो मिल जाए लेकिन वैसे इम्पोर्ट के लिए किराये पर वेगन नहीं मिलता है। इस बारे में भी कामर्स मिनिस्ट्री को रेलवे मिनिस्ट्री से बात करनी चाहिए ताकि निर्यात करने वालों की परेशानी दूर हो सके।

कृषि उत्पाद निर्यात का प्राधिकरण भी बना हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कृषि उत्पादक लोग हैं, जिनका प्रोड्यूस निर्यात के काम में आता है, उनको जो फेसिलिटीज गवर्नमेंट प्राधिकरण के जरिये से देना चाहती है वह उनको नहीं मिल पा रही है। इस बारे में हर जगह से शिकायत आती है। अभी राजस्थान से, अलवर के श्री राम सिंह जी यादव भी बोल रहे थे कि उन लोगों को जो भी सुविधाएं आप देना चाहते हैं वे वक्त पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसकी वजह से निर्यात की बात न सोचकर वे लोग अपने माल को लोकल मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं और उनका सही मार्गदर्शन किया जाए तो इसमें काफी गुंजाइश है और एक्सपोर्ट में काफी फायदा हो सकता है।

इसी तरह से ट्रेड डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा विदेशों में जगह-जगह मेले और प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, लेकिन इस तरह से दो-चार मेले लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल कंपीटीशन का समय है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेले और प्रदर्शनियां लगाई जानी चाहिए और जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से पूरी सुविधा देकर वहां पर ले जाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस बात के लिए, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा मेलों में भाग ले सकें। मैं खासतौर से राजस्थान की हस्तकला की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर हस्तकला, हैण्डलूम और हैंडीक्राफ्ट का बहुत सामान बनता है और इस बिजनेस में काफी लोग लगे हुए हैं जो काफी अच्छा सामान बनाते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और वह माल बाहर जाकर अच्छी तरह से नहीं बेच पाते। खासकर ज्वैलरी के मामले में और हैण्डलूम के मामले में मैं कहना चाहता हूं, कोटा का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए कोटा साड़ी की बात अवश्य करूंगा, इसके लिए कई बार उन लोगों ने कोशिश की कि एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाए या उन लोगों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। विदेशी लोग जब भी आते हैं तो सबसे पहले कोटा साड़ी खरीदना चाहते हैं। इन मामले में मैं वाणिज्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, कोटा साड़ी के मामले में मन्त्री महोदय को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में पुनर्विचार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की डिमांड्स का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 3 प्रांत ऐसे है जहां माइका पैदा होता है, एक बिहार, एक आंध्र प्रदेश और एक राजस्थान है। राजस्थान का माइका आपकी संस्था मिडको बहुत कम मात्रा में खरीदती है। इस बारे में पिछले दो-तीन साल से बराबर आपका ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं कि राजस्थान में इसकी उपेक्षा हो रही है।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : उस वक्त मैं नहीं था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप नहीं थे तो दूसरे मंत्री होंगे, लेकिन मैं बराबर ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं। राजस्थान में माइका को न खरीदने की वजह से राजस्थान के व्यापार को कितना धक्का लगा है यह आप इसी से समझ सकते हैं कि जहां इस इंडस्ट्री में 10 हजार लोग काम करते थे वहां पर आज मुश्किल से हजार-बारह सौ आदमी काम करते हैं और इससे अन-एंप्लायमेंट प्राब्लम बढ़ी है। इसके साथ-साथ इस खनिज पदार्थ के पैदा होने की वजह से लोगों की माली हालत में जो सुधार होना चाहिए था, उसको भी धक्का लगा है। पिछले साल आपके मंत्रालय ने थोड़ा-बहुत मिडको से कहकर कुछ खरीददारी कराने की कोशिश की और शायद 80 लाख रुपए का माइका वहां खरीदा गया। आप जानते हैं कि छोटे-छोटे लोग वहां पर हैं जो माइका की खदानों में काम करते हैं, कोई बड़े पूंजीपति नहीं हैं। बड़े पूंजीपति तो बिहार के अंदर

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

हैं, जिनकी मोनापली है। अगर अभ्रक मिडको नहीं खरीदता है तो इन लोगों को सस्ते दाम पर बड़े-बड़े व्यापारियों को बेचना पड़ता है। इसलिए आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप निश्चित तरीके से मिडको के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कराएं जिससे कि राजस्थान का तमाम माइका खरीदने की व्यवस्था हो सके और छोटे से छोटे आदमी का माइका बिक सके और उसको उचित पैसा मिल सके, जिससे उसकी आर्थिक हालत सुधरे। इस व्यवस्था के लिए मैं समझता हूं कि आप निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा यह खनिज पदार्थ ज्यादा से ज्यादा बिक सके और लोगों की आर्थिक हालत मजबूत हो और जो खानें बंद पड़ी हुई हैं वे फिर से चालू हों और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध हो सके।

निश्चित तरीके से आप इसको करेंगे तो इस व्यवस्था को अवश्य मजबूती मिलेगी। माइका के पेपर के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के भीलवाड़ा में माइका का पेपर मिल स्थापित होना चाहिए, जहां पर कि यह निकलता है। बिहार और आन्ध्रा को यह मिल दिया है, लेकिन राजस्थान का केस पहले रिजेक्ट कर दिया था, अब दो-तीन साल पहले से हमने इसकी पैरवी की तो आपने रिवाइव किया है। अगर यह मिल स्थापित हो जाए तो जितना भी सैंकड़ों वर्षों से वेस्ट पड़ा हुआ है, उसका उपयोग हो जायेगा। पैसे के अभाव में और माल न बिकने की वजह से जो खदानें बंद पड़ी हुई हैं, वे शुरू हो जायेंगी और रोजगार की समस्या भी हल हो जायेगी। इस मिल के स्थापित होने से नए लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। इससे फारेन एक्सचेंज भी उपलब्ध होगा। भारत सरकार की यह पालिसी है कि जिन चीजों से फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाती है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि यह मामला पिछले दो-तीन साल से आपके यहां विचाराधीन है, फिर भी इसको शुरू नहीं किया जा रहा है। इससे फारेन एक्सचेंज ज्यादा प्राप्त होगा और लोगों को भी लाभ मिल सकेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खदानें खोदने के लिए एक्सप्लोसिव उपलब्ध होना चाहिए, सरल तरीके से। हालांकि इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट से यह ताल्लुक रखता है, लेकिन व्यापार का मामला आपके विभाग से संबंधित है। माइका के ट्रेड का ताल्लुक आपसे है। यह तभी फल-फूल सकता है जब उन लोगों को ब्लैक में न खरीदना पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग मंत्रालय से बात करके ऐसी व्यवस्था कराएं जिससे लोगों को सही तरीके से एक्सप्लोसिव उपलब्ध हो सके। माकूल तरीके से इस व्यवस्था को कराएं।

काटन की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले आपने 410 रुपए का भाव तय किया था और बाद में 425 रुपए पर-क्विंटल का तय किया था। लेकिन आज 3 0 रुपए में भी काटन लेने वाला कोई उपलब्ध नहीं है। आपका काटन ट्रेड कारपोरेशन बाजार से कभी का भाग चुका है। उनकी तरफ से बिल्कुल भी खरीद नहीं हो रही है। कीमतें कम होने से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सपोर्ट प्राइस है उस पर लेने की व्यवस्था कीजिए ताकि किसानों को नुकसान न हो।

टैक्सटाइल के संबंध में भी कहना चाहता हूं। मेरा ख्याल है आपके विभाग का भी इससे ताल्लुक होगा, वैसे टैक्सटाइल के मंत्री जी तो अलग हैं। टैक्सटाइल कमीश्नर की पोस्ट के संबंध में मैं हर साल यहां पर कहता हूं। यह पोस्ट आपने ऐसा लगता है दबा ली है। आज कितनी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री सिक पड़ी हुई हैं। उनके संबंध में आज तक टैक्सटाइल कमीश्नर ने क्या किया क्योंकि वह कुछ लोगों को पैसा दिलवाने की सिफारिश करने के सिवाय और कोई काम नहीं करता है। सरकारी पैसा लेकर और असेट्स को तब्दील करके इण्डस्ट्री को सिक बनाने में उन लोगों की जो प्रवृत्ति बन गई है, उसको चैक करने में आपकी यह संस्था कोई काम नहीं करती है।

श्री पी० शिवशंकर : यह जो आप कह रहे हैं यह टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से संबंधित है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : टैक्सटाइल डिपार्टमेंट का तो कामर्स से ताल्लुक है इसलिए यह व्यवस्था माकूल होनी चाहिए। और टैक्सटाइल कमिश्नर का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री सिक हो···

श्री पी० शिवशंकर : जब इस मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। जब टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की डिमाण्डस आयें, यदि आप उस वक्त बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : पहले टैक्सटाइल कमिश्नर आपके मंत्रालय से सम्बद्ध थे और एक ही होते थे।

श्री पी० शिवशंकर : अब नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अच्छा अब इसको छोड़िये।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं जो फर्टिलाइजर, जिंक और खास-तौर से ऑयल सीड्स के सम्बन्ध में है। इन तीनों के लिए हर साल हम इम्पोर्ट पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं जब कि रॉ-मैटीरियल हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध है। हम चाहें तो न केवल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर सकते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। एस तरफ जितनी तवज्जह दी जानी चाहिए, उतनी तवज्जह नहीं दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उस तरफ व्यवस्था करने की ओर ध्यान दें क्योंकि हम फर्टिलाइजर के ऊपर हजारों करोड़ रुपया फौरेन एक्सचेंज के रूप में खर्च करके विदेशों से फर्टिलाइजर मंगा रहे हैं। हमारे राजस्थान में रौक फॉस्फेट और पायराइटस के बहुत बड़े भण्डार मौजूद हैं और उन पर आधारित फर्टिलाइजर प्लांट लगाया जाना चाहिए। उससे हम काफी मात्रा में खाद का उत्पादन अपने ही देश में कर सकेंगे और इस तरह विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है।

पायराइटस के भण्डार राजस्थान के सीकर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर हैं यदि वहां पर इस पर आधारित सुपर-फॉस्फेट का कारखाना स्थापित कर दिया जाए तो आज हम जो खादी की

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

कमी महसूस कर रहे हैं, उसको काफी हद तक पूरी कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे पास रॉ-मैटीरियल उपलब्ध है, उस स्थिति में हम उसका उपयोग करके लाभ क्यों न उठायें। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास फण्डस उपलब्ध नहीं है जिससे हम प्लांट स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन हम फर्टिलाइजर के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में तो हर साल करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उस पैसे का उपयोग यदि हम अपने ही देश में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर तैयार करने में करें तो एक साल में ही हमारी सारी प्रौब्लम हल हो जाएगी। क्योंकि हम जितना पैसा फौरेन एक्सचेंज के तौर पर खर्च करते हैं, उनने पैसे में ही यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। इस व्यवस्था को करने की नितान्त आवश्यकता है।

उसी तरह से सीसा और जस्ता भी हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध है, जबकि उसे भी हम विदेशों से मंगाते हैं और इसके लिए हमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मेरे यहां रामपुर अगूंचा का नाम आपने सुना होगा, वहां इसके बहुत बड़े डिपौजिट्स मिले है। उसका काम छठी पंच वर्षीय योजना में शुरू हो जाना चाहिए था, मगर आज तक शुरू नहीं हो सका है। उतने ज्यादा डिपौजिट्स तो शायद एशिया के किसी दूसरे देश में नहीं होंगे, जितने हमारे यहां उपलब्ध हैं। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां हमसे ज्यादा डिपौजिट्स उपलब्ध हैं। मगर आज तक न तो उसकी खदानें खोदी गई हैं और न कोई सुपर जिंक समैल्टिग प्लांट स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये गए हैं। हम हर साल 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सीसे और जस्ते के इम्पोर्ट पर खर्च करते हैं जब कि प्लांट की स्थापना के लिए भी 300 करोड़ रुपये की ही आवश्यकता होगी। उससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, मगर पता नहीं हमारे कार्यक्रम और हमारी नीतियां कि तरीके से बनती हैं कि हम जो कुछ कहते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे यहां रीजनल इम्बैलेंस है, कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और आप हमें कोई कामकाज नहीं देते हो, जिससे हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके और हम अपने रॉ-मैटीरियल का उपयोग कर सकें, और न वहां कोई कारखाना स्थापित करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। आप सिर्फ यहां कह देते हैं कि हमारे पास पसे का अभाव है और उसकी वजह से हम कोई कारखाना चालू नहीं कर सकते। यह पैसे का अभाव पता नहीं कब तक बना रहेगा और कब तक हम सैल्फ सफीशियेंट हो पायेंगे, जब कि आपकी नीति है कि हमें हर मामले में सैल्फ सफीशियेंट होना है। मगर आप कैसे सैल्फ सफीशियेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरफ पूरी तवज्जद देकर कुछ व्यवस्था करें। वैसे मुझे पता है आप सतर्क हैं, सावधान भी हैं और सब कुछ जानते और समझते हैं। आप कुछ व्यवस्था अवश्य कीजिए जिससे देश को लाभ मिल सके, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी मजबूत हो सके। इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि अपनी तकरीर के आगाज़ में मैं इस बात का एतराफ करूं कि हमारी सरकार की बड़ी मेहनत से जो सात देशों का सार्क कायम हुआ है जिसमें कि पहली बार हमसाया देशों के साथ तिजारत के रिश्ते जुड़ रहे हैं और जिससे कि हमारे आने वाले वक्त में, जो कि इस वक्त तो बड़े मुश्किल हालात से दो-चार है, लेकिन मुसतकबिल में, मैं समझता हूं कि तिजारत बढ़ेगी और हमारे सामने यह एक बड़ा चेलेंज है खास तौर से जब यूरोपियन मार्केट बनी और यूरोप के देशों ने अपने फायदे के लिए आपस की मण्डी बना दी और आपस की तिजारत करके उन्होंने एशिया के मुल्कों को खास-तौर से हिन्दुस्तान को नजर-अंदाज कर दिया।

मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा और बरवक्ते कदम है जो हमने यूरोपियन कॉमन मार्केट के मुकाबले में एक नई सूरते-हाल निकाल ली है और मैं समझता हूं कि खास-तौर से पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ हमारी तिजारत बढ़ेगी। हमारा लेन-देन हमारे इन करीब के देशों के साथ टैक्नोलोजी में, ट्रेड-कॉमर्स में, फर्टिलाइजर्स में और मैडीकल इक्विपमेंट में और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कि हमारा कारोबार हो सकता है और पाकिस्तान को भी उसमें लाभ हो सकता है, हिन्दुस्तान को भी लाभ हो सकता है और बंगलादेश को भी लाभ हो सकता है। इस तरीके से हमारे लोगों के लिए और ज्यादा फारेन एक्सचेंज हासिल हो सकती है, जिसको हम अपने देश के लाभ के लिए लगा सकते हैं। इस बची हुई फारेन एक्सचेंज को हम अपने देश के लोगों की बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए खर्च कर सकते हैं।

जनाब, इस ज़मन में, मैं यह अर्ज़ करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी इस पार्लियामेंट में यह मसला उठाया था। मैं समझता हूं कि जो बार्डर स्टेट्स हैं, अगर पाकिस्तान के साथ हमारी तिजारत बढ़ती है, खासतौर से मैं अपने जम्मू-कश्मीर में बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के अगर वे रास्ते खुल जाते हैं, जो 1947 से पहले तिजारत के रास्ते थे, तो इससे बहुत तरक्की और बेहतरी हो सकती है। जो शाह राहें, 1947 के पहले तिजारत की थीं, अगर उनको खोल दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत फायदा इससे हो सकता है। सरकार गुजरात में रास्ता फिर खोलने जा रही है, बाधा भी चल रहा है। इस जमन में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ बात कर ली जाए कि रावलपिण्डी का रोड़ खोलने के लिए वह तैयार हो जाए और सियालकोट रेलवे लाइन जो जम्मू से मिलती थी, वह भी खुले, तो पाकिस्तान के साथ न केवल बहुत तिजारत बढ़ सकती है, बल्कि जो पहाड़ी और पिछड़े इलाके हैं जिनकी ज्योग्राफी हैसियत ऐसी है कि उन रास्तों पर कारोबार शुरू हो जाए, तो बहुत फायदा हो सकता है और इस तरीके से उन लोगों के विकास के काम में बहुत मदद दी जा सकती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा खासतौर से कि रावलपिण्डी का जो रोड़ श्रीनगर से मिलता है और 1947 से पहले जिस रास्ते मुलक की तिजारत होती थी, वह रोड़, उड़ी तक तो बिलकुल ठीक है और वह हमारे काम में आ रही है, लेकिन उड़ी के बाद वह रोड़ पाकिस्तान के पास है, वह भी ठीक हालत में है, उसको खोल दिया जाए, तो रियासते जम्मू-कश्मीर के साथ पाकिस्तान की तिजारत की बहुत बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इसी प्रकार से सियालकोट की रेलवे लाइन

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

को जम्मू से मिला दिया जाए, तो उससे भी तिजारत में बहुत बढ़ोत्तरी होगी। इस सियालकोट की लाइन को बाधा की बुनियाद पर जो सपलिट बनी है सॉर्क की रोशनी में, जम्मू से मिला दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा।

मैं कॉमर्स मिनिस्टर से खासतौर से किताबों के बारे में, मैगनीज और अखबारों की तिजारत के बारे में जो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान और बंगलादेश के लोगों के बीच में तारीख की हजारों साल पीछे हैं जिन्होंने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, जो हमारा इतिहास है वह हमें बहुत करीब रखे हुए है हजारों वर्ष से, लेकिन 1947 के बाद हमारे बीच में दरार पड़ गई, हमारा पार्टीशन हो गया ताहम हमारी जुबानें, हमारा कल्चर और हमारी काफी ऐसी चीजें हैं जो दो देशों के बीच में कॉमन नहीं हैं, मुशतरका है। मैं समझता हूं कि अगर अखबारों की लेन-देन हो जाए, किताबों की आजादाना खरीद-फरोख्त हो जाए और कल्चर के जितने भी साधन हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए, तो बहुत सारी मुसीबतों का हल भी होगा और जो दूरियां हैं, वे नजदीकियों में बदल जाएंगी। जो हम एक-दूसरे के साथ बिखरे हुए हैं, दिमागों में फितूर है, एक-दूसरे के लिए बहम है, शकूक है, शुबाहात, उन पर गलबा पाया जा सकता है, अगर किताबों का लेन-देन हो जाये।

मैं कॉमर्स मिनिस्टर को कहना चाहूंगा कि हमारे यहां रोशन ख्याल राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, कलमकार हैं, लेखक हैं, पाकिस्तान में भी उनकी कमी नहीं है। फैज अहमद फैज है वैसे ही हिन्दुस्तान में भी बड़े शायर हैं, हमारे भी बहुत ही चहेते हैं, माने हुए कवि थे जैसे पाकिस्तान के थे। अलामे इकबाल, "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" नजम निगार कितने फख्र और प्यार से आज भी हमारे लोग उसको लेते हैं, लेकिन वह पाकिस्तान में भी है, और वहां भी उसको बहुत बड़ा शायर मानते हैं। इसी तरीके से और शायर भी हैं, पजाबी, उर्दू, सिन्धी बलूची और पश्तो जबान में भी हैं। यही हालत हमारे बंगलादेश में भी है जहां के नजरुल इस्लाम हमारे उतने ही प्यारे हैं जितने बंगलादेश के लिए रवीन्द्र नाथ टैगोर।

2.12 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं चाहूंगा कि हम यह रास्ता खोल दें, दिमागी रास्ते खोल दें। इस पर कॉमर्स मिनिस्टर को बहुत जोर देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बात करके कि किताबों के मामले में कोई रुकावट न पड़े। अखबार और जनरल्स के आने जाने की अहशाइस मिले और हमारे जर्नलिस्ट्स व लेखकों को पाकिस्तान जाने की आजादी हो और वहां के लेखकों, दानिश्वरों को इस मुल्क में आने के लिए आजादी हासिल हो।

दूसरी बात में जम्मू-काश्मीर के बारे में कहना चाहूंगा। हमारी बड़ी तिजारत हैंडी-क्राफ्ट्स की है। मैं कॉमर्स मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, सिर्फ इतना ही नहीं कि जम्मू-काश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा सहारा है, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए अरबों, करोड़ों रुपया फॉरेन-एक्सचेंज के तौर पर कमा रहे हैं, लेकिन हमारे आर्टिजन्स को मिडिल-मैन और एक्सप्लायटेशन की वजह से उसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं खबरदार कर रहा हूं कि यहां दिल्ली में बैठकर कुछ लोगों ने बड़ी-बड़ी कम्पनियां बना दी हैं और बड़े-बड़े इदारे बना दिये हैं और वह आर्टिजन्स का नाम लेकर, काश्मीरी आर्ट्स का नाम लेकर तिजारत करते हैं। फायदा वह उठाते हैं, लाइन शेयर वह ले जाते हैं और हमारे आर्टिजन्स को कुछ खास नहीं मिल रहा है। वहां लोकली मकामी तौर पर भी एक्सप्लायटर्स हैं और यहां दिल्ली में बैठकर भी काम करने वाली बड़ी-बड़ी तिजारती कम्पनियां हैं जो कि उनकी मेहनत पर डाका डाल रही हैं।

कॉमर्स मिनिस्टर को चाहिये कि जम्मू-काश्मीर के हैंडी-क्राफ्ट, कारपेट, पेपर मैशी, वुड कार्विंग जो कि वहां का एक बड़ा साधन है, जिससे बहुत ज्यादा फॉरेन-एक्सचेंज कमा रहे हैं और पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है तो सरकार को उस हैंडी-क्राफ्ट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को खबरदार करना चाहता हूं कि हमारा आर्टिजन और दस्तकार आज तबाह हो रहा है, उसकी सारी मेहनत जाया हो रही है, उसको उतना फायदा नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए। यह आपके सामने बहुत बड़ा चेलेन्ज है, इसका इलाज आपको ढूंढ़ना है।

मैं यह कहूंगा कि काश्मीर का जो कारपेट बनाने वाला दस्तकार है वह पाकिस्तान, ईरान और दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में अच्छा कारपेट बना सकता है लेकिन उसके लिए इन्सैंटिव चाहिए। वहां जो इजारेदारी है, केन्द्रीय सरकार के वहां पर जो अपने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, वह वहां जिस तरह से रैड-टेपिज्म कर रही है, उस तरह से वहां सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जो लोकली एस्टैब्लिश्ड कम्पनियां हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं, प्राइवेट इदारे हैं वह कालीन बनाने वालों को बहुत ही एक्सप्लायट करते हैं और कारपेट की वजह से जो लाखों लोगों को फायदा हो सकता है और काश्मीर का विकास हो सकता है, वह नहीं हो पा रहा है।

मैं यह चाहूंगा कि फारेन एक्सचेंज को बचाना चाहिए। सही ढंग से कारपेट इण्डस्ट्री को डैवलप करने के लिए जरूरी है कि हमारी मरक़जी सरकार काश्मीर के कारपेट बनाने वाले दस्त-कारों की हालत की तरफ तवज्जह दे, उनकी हालत को सुधारे और उनके एक्सप्लायटेशन को खत्म करे और इन्सैंटिव दे और को-आपरेटिव्ज में जो सामने आएं, उनकी मदद करे।

इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि करोड़ों अरबों रुपये की मांग फारेन मार्किट से आ रही है, लेकिन इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर वाले ही उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आप एक पालिसी बना दें। आप स्टेट गवर्नमेंट को कह दें कि दस्तकारों की जो को-आपरेटिव सोसायटीज काम कर रही हैं, वह उन्हीं का माल फॉरेन भेजें। उन्हीं का माल गवर्नमेंट आफ इण्डिया की

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

रहनुमाई में, आपकी सरपरस्ती में मुल्क के अन्दर और बाहर बिके। इस तरीके से उनकी हालत ठीक हो जायेगी। इससे न केवल फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, बल्कि जो हमारे दस्तकार हैं, जिनकी हालत काफी खराब है, उनकी हालत को भी सुधारा जा सकता है।

मैं एक बात दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जब से हमारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, तब से ही यह बैंक हमारे आर्टिजन की मदद नहीं कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि उन गरीबों की मदद करें, उनको ऊपर उठायें, लेकिन उनकी हालत ज्यों की त्यों है। मैंने इन दस्तकारों को ऊपर उठाने के लिए स्टेट लैजिस्लेचर में 11 वर्ष तक प्रयास किया। इन दस्तकारों के लिए को-आपरेटिव सोसायटी बनायीं जो कि काफी सक्सैसफुल भी रहीं लेकिन सरकार और इन बैंकों ने उनकी कोई मदद नहीं करी। आज बैंकों में भ्रष्टाचार है, बैंक वाले पैसा लेकर काम करते हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और साहूकार लोग पैसा खिलाकर उनसे काम करवा लेते हैं।

श्री पी० नामग्याल : क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो बैंकों से पैसा लेते हैं, क्या वह उनको वापिस करते हैं या नहीं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं कॉमर्स मिनिस्टर को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप इन दस्तकारों और हैंडीक्राफ्ट्स के विकास के लिए जो भी काम करेंगे उसमें जम्मू-कश्मीर के एम०पीज आपको पूरा सहयोग देंगे।

जैसा कि नामग्याल जी ने कहा, मेरे ख्याल में उनको कश्मीर के इन दस्तकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उनको यह मालूम है कि हमारे ये आर्टिजन लोग बैंकों के हाथों किन-किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इनका ताल्लुक लद्दाख से है, जहां इस किस्म की कोई समस्या नहीं है। हमारे आर्टिजन ईमानदार हैं, वह कर्जा वापिस करते हैं। नामग्याल जी ने इनके बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसकी जोरदार अल्फाज में निन्दा करता हूं।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

جناب چیئرمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تقریر کے آغاز میں اس بات کا اعتراف کروں کہ ہماری سرکار کی بڑی محنت سے جو سات دیشوں کا سارک قائم ہوا ہے جس میں کہ پہلی بار ہمسایہ دیشوں کے ساتھ تجارت کے رشتے جڑ رہے ہیں اور جس سے کہ ہمارے آنے والے وقت میں جو کہ اس وقت تو بڑے مشکل حالات سے دوچار ہیں لیکن مستقبل میں میں سمجھتا ہوں کہ تجارت بڑھے گی اور ہمارے سامنے یہ ایک بڑا چیلنج ہے خاص طور سے جب یوروپین مارکیٹ بنی اور یورپ کے دیشوں نے اپنے فائدے کے لئے آپس کی منڈی بنا دی اور آپس کی تجارت کر کے انہوں نے ایشیا کے ملکوں کو اور خاص طور سے ہندوستان کو نظر انداز کر دیا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اور بروقت قدم ہے جو ہم نے یوروپین کامن مارکیٹ کے مقابلے میں ایک نئی صورت نکال لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت بڑھے گی۔ ہمارا لین دین ہمارے اور قریب کے دیشوں کے ساتھ ٹیکنالوجی میں ٹریڈ کامرس میں فرٹیلائزرس میں اور میڈیکل ایکوپمینٹ میں اور بہت سارے چیپٹر ہیں جن میں کہ ہمارا کاروبار ہو سکتا ہے اور پاکستان کو بھی اس میں لابھ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کو لابھ ہو سکتا ہے اور بنگلہ دیش کو لابھ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے لوگوں کے لئے اور زیادہ ایکسچینج حاصل ہو سکتی ہے جس کو ہم اپنے دیش کے لابھ کے لئے لگا سکتے ہیں۔ اس بچی ہوئی فارن ایکسچینج کو ہم اپنے دیش کے لوگوں کی بہتری کے لئے دیش کی ترقی کے لئے ان کے وکاس کے لئے خرچ

کر سکتے ہیں۔

جناب اِس ضمن میں میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ میں نے پہلے بھی اسس پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بارڈر اسٹیٹس ہیں اگر پاکستان کے ساتھ ہماری تجارت بڑھتی ہے خاص طور سے میں اپنے جموں کشمیر کے بارے میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جموں کشمیر پنجاب گجرات اور راجستھان کے اگر وہ راستے کھل جاتے ہیں جو ۱۹۴۷ء سے پہلے تجارت کے راستے تھے تو اس سے بہت ترقی اور بہتری ہو سکتی ہے۔ جو شاہراہیں ۱۹۴۷ء کے پہلے تجارت کی تھیں اگر ان کو کھول دیا جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا اور بہت فائدہ اس سے ہو سکتا ہے۔ سرکار گجرات میں راستہ پھر کھولنے جا رہی ہے وا کا بھی چل رہا ہے۔ اسس ضمن میں میں چاہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنی جائے کہ راؤلپنڈی کا روڈ کھولنے کے لئے وہ تیار ہو جائے اور سیالکوٹ ریلوے لائن جو جموں سے ملتی تھی وہ بھی کھلے تو پاکستان کے ساتھ نہ کیول بہت تجارت بڑھ سکتی ہے بلکہ جو پہاڑی علاقے اور چھوٹے علاقے ہیں جن کی جیوگرافی حیثیت ایسی ہے کہ ان راستوں پر کاروبار شروع ہو جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے ان لوگوں کے وکاس کے کام میں بہت مدد دی جا سکتی ہے۔ اِس لئے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا خاص طور سے کہ راؤلپنڈی کا جو روڈ سری نگر سے ملتا ہے اور ۱۹۴۷ء سے پہلے جس راستے ملک کی تجارت ہوتی تھی وہ روڈ اڑی تک تو بالکل ٹھیک ہے اور وہ ہمارے کام میں آ رہی ہے لیکن اڑی کے بعد وہ روڈ پاکستان کے پاس ہے وہ بھی ٹھیک حالت میں ہے اس کو کھول دیا جائے تو ریاست

جموں کشمیر کے ساتھ ریاست پاکستان کی تجارت کی بہت بڑھوتری ہو جائے گی۔ اس پر کار سے سیالکوٹ کی ریلوے لائن کو جموں سے ملا دیا جائے تو اسے بھی تجارت میں بہت بڑھوتری ہو گی۔ اس سیالکوٹ کی لائن کو واگا کی بنیاد پر جو اسپلیبٹ بنی ہے سارک کی روشنی میں جموں سے ملا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہو گا۔

میں کامرس منسٹر سے خاص طور سے کتابوں کے بارے میں میگزین اور اخباروں کی تجارت کے بارے میں جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے بیچ میں تاریخ کی ہزاروں سال پیچھے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو ہمارا اتہاس ہے وہ ہمیں بہت قریب رکھے ہوئے ہے ہزاروں ورس سے لیکن ۱۹۴۷ء کے ہمارے بیچ میں دراڑ پڑ گئی۔ ہمارا پارٹیشن ہو گیا۔ تاہم ہماری زبانیں ہمارا کلچر اور ہماری کافی ایسی چیزیں ہیں جو دو دیشوں کے بیچ میں کامن نہیں ہیں۔ مشترکہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخباروں کی لین دین ہو جائے۔ کتابوں کی آزادانہ خرید و فروخت ہو جائے اور کلچر کے جتنے بھی سادھن ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے تو بہت ساری مصیبتوں کا حل بھی ہو گا اور جو دوریاں ہیں وہ نزدیکیوں میں بدل جائیں گی۔ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بکھرے ہوئے ہیں دماغوں میں فطور ہے۔ ایک دوسرے کے لئے وہم ہیں شکوک ہیں شبہات ہیں ان پر غلبہ پا یا جا سکتا ہے اگر کتابوں کا لین دین ہو جائے۔

میں کامرس منسٹر کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں روشن خیال رائٹرس ہیں جرنلسٹس ہیں قلم کار ہیں۔ لیکھک ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی کمی نہیں ہے۔

فیض احمد فیض ہیں ویسے ہی ہندوستان میں بھی بڑے شاعر ہیں۔ ہمارے بھی بہت چہیتے ہیں اور مانے ہوئے کوی تھے جیسے پاکستان کے تھے۔ علامہ اقبال تھے "سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا" کے نظم نگار کتنے فخر اور پیار سے ابھی ہمارے لوگ اس کو لیتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں بھی ہیں اور وہاں بھی ان کو بہت بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور شاعر بھی ہیں پنجابی اردو سندھی، بلوچی اور پشتو زبان میں بھی ہیں۔ یہی حالت ہمارے بنگلہ دیش میں بھی ہے جہاں کے نظرالاسلام ہمارے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے بنگلہ دیش کے لئے راجندر ناتھ ٹیگور ہے۔

(اپادھیکش مہودے پیٹھا سین ہوئے)

میں چاہوں گا کہ ہم یہ راستہ کھول دیں دماغی راستے کھول دیں۔ اس پر کامرس منسٹر کو بہت زور دینا چاہیئے۔ پاکستان کے ساتھ بات کر کے کہ کتابوں کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔ اخبار اور جرنلس کے آنے جانے کی آسائش ملے اور ہمارے جرنلسٹس و لیکھکوں کو پاکستان جانے کی آزادی ہو اور وہاں کے لیکھکوں اور دانشوروں کو بھی اس ملک میں آنے کے لئے آزادی حاصل ہو۔

دوسری بات میں جموں کشمیر کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ ہماری بڑی تجارت ہینڈی کرافٹس کی ہے۔ میں کامرس منسٹر سے عرض کروں گا کہ ہمارے ہینڈی کرافٹس صرف اتنا ہی نہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا بہت بڑا سہارا ہیں۔ بلکہ پورے ہندوستان کے لئے پورے دیش کے لئے اربوں کروڑوں روپیہ فارن ایکسچینج کے طور پر کما رہے ہیں لیکن

ہمارے آرٹیزنس کو مڈل مین اور ایکسپلائٹرس کی وجہ سے ان کا فائدہ نہیں
مل رہا ہے۔ میں خبردار کر رہا ہوں کہ یہاں دلی میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے
بڑی بڑی کمپنیاں بنا دی ہیں اور بڑے بڑے ادارے بنا دئے ہیں اور
یہ آرٹیزنس کا نام لے کر کشمیری آرٹس کا نام لے کر تجارت کرتے ہیں فائدہ
یہ اُٹھاتے ہیں لائن شیئر وہ لے جاتے ہیں اور ہمارے آرٹیزنس کو کچھ خاص فائدہ
نہیں مل رہا ہے۔ وہاں مقامی طور پر بھی ایکسپلائٹرس ہیں اور یہاں دلی میں بیٹھ کر
بھی کام کرنے والی بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں ہیں جو کہ ان کی محنت پر ڈاکہ ڈال
رہی ہیں۔

کامرس منسٹر کو چاہیئے کہ جموں کشمیر کے ہینڈی کرافٹ کارپیٹ
پیپر میشی وڈ کارونگ جو کہ وہاں کا ایک بڑا سادھن ہے جس سے بہت
زیادہ فارن ایکسچینج کما رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کی عزت
ہے تو سرکار کو اس ہینڈی کرافٹ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیئے۔
میں اپادھیکش مہودے آپ کے مادھیم سے سرکار کو خبردار کرنا چاہتا
ہوں کہ ہمارا آرٹیزن اور دستکاری تباہ ہو رہا ہے اس کی ساری
محنت ضائع ہو رہی ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں مل رہا ہے جتنا ملنا چاہیئے۔
یہ آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے اس کا علاج اب آپ کو ڈھونڈنا
ہے۔

میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کا جو کارپیٹ بنانے والا دستکار ہے وہ
پاکستان، ایران اور دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں اچھا کارپیٹ
بنا سکتا ہے لیکن اس کے لئے انسینٹو چاہیئے۔ وہاں جو اجارہ داری

ہے کیندر یہ سرکار کے وہاں پر جو اپنے ڈپارٹمینٹس کام کر رہے ہیں اس میں جو بیوروکریسی ہے وہ وہاں جس طرح سے ریڈٹیپزم کر رہی ہے اس طرح سے وہاں صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ جو نو کلی اسٹیبلیشڈ کمپنیاں ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں وہ قالین بنانے والوں کو بہت ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کارپیٹ کی وجہ سے جو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کشمیر کا وکاس زیادہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔

میں یہ کہوں گا کہ فارن ایکسچینج کو بچانا چاہیئے۔ صحیح ڈھنگ سے کارپیٹ انڈسٹری کو ڈولپ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری مرکزی سرکار کشمیر کے کارپیٹ بنانے والے دستکاروں کی حالت کی طرف توجہ دے ان کی حالت کو سدھارنے اور ان کے ایکسپلائٹیشن کو ختم کرے اور انسینٹیو دے اور کوآپریٹیو زیں جو سامنے آئیں ان کی مدد کریں۔

اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کروڑوں اربوں روپئے کی مانگ فارن مارکیٹ سے آرہی ہے لیکن اس کا فائدہ پرائیویٹ سیکٹر والے ہی اٹھا رہے ہیں۔ اس سمبندھ میں آپ ایک پالیسی بنا دیں۔ آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہہ دیں کہ دستکاروں کی جو کوآپریٹیو سوسائیٹیز کام کر رہی ہیں وہ ان ہی کا مال فارن بھیجیں۔ انہی کا مال گورنمنٹ آف انڈیا کی رہنمائی میں آپ کی سرپرستی میں ملک کے اندر اور باہر بکے۔ اس طریقے سے ان کی حالت

ٹھیک ہو جائیں۔ اس سے نہ کیول فارن ایکسچینج بڑھے گا۔ بلکہ جو ہمارے دست کار ہیں جن کی حالت کافی خراب ہے ان کی حالت کو بھی سدھارا جا سکتا ہے۔

میں ایک بات دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جب سے ہمارے بینکوں کا نیشنلائزیشن ہوا ہے تب سے ہی یہ بینک ہمارے آرٹیزن کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان غریبوں کی مدد کریں ان کو اوپر اٹھائیں لیکن ان کی حالت جیوں کی توں ہے۔ میں نے ان دستکاروں کو اوپر اٹھانے کے لئے اسٹیٹ لیجسلیچر میں ۱۱ برس تک پریاس کیا۔ ان دستکاروں کے لئے کوآپریٹیو سوسائٹی بنائیں جو کہ کافی سکسیسفل بھی رہیں لیکن سرکار اور ان بینکوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کری۔ آج بینکوں میں بھرشٹا چار ہے۔ بینک والے پیسہ دے کر کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے انڈسٹریلیسٹ اور ساہوکار لوگ پیسہ کو لاکر ان سے کام کروا لیتے ہیں۔

شری پی۔ نام گیال

کیا آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کہ جو بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں۔ کیا وہ ان کو واپس کرتے ہیں یا نہیں۔

شری عبدالرشید کابلی

میں کامرس منسٹر کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ان دستکاروں اور ہینڈی کرافٹس کے وکاس کے لئے جو بھی کام کریں گے اس میں جموں کشمیر کے ایم پیز آپ کو پورا سہیوگ دیں گے۔

جیسا کہ نام گیال جی نے کہا میرے خیال میں ان کو کشمیر کے ان

دست کاروں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے یہ آرٹیزن اور بینکوں کے ہاتھوں کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ ان کا تعلق اول سے ہے جہاں اس قسم کی کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ہمارے آرٹیزن ایمان دار ہیں۔ وہ قرضہ واپس کرتے ہیں۔ نام گیال جی نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں اس کی زوردار الفاظ میں نندا کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

* श्री आर०जीवरत्नम (अराकोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986-87 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

अप्रैल सितम्बर 1985 के दौरान 1984-85 में इसी अवधि के मुकाबले आयात 24.5%बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप हमें आयात पर 4124 करोड़ रु० की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी है। हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि इस अवधि में निर्यात भी घटा है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों के दौरान निर्यात किस प्रकार धीरे-धीरे कम हुआ है।

दस वर्ष पूर्व हम प्रतिवर्ष 2 लाख टन एच०पी०एस० मूंगफली का निर्यात करते थे और इससे प्रतिवर्ष 100 करोड़ रू० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। 1984-85 में एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात घटकर 23000 टन हो गया और विदेशी मुद्रा की आय प्रति घट कर 20 करोड़ रुपये हो गई। वाणिज्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार 1985-86 के पूर्वार्द्ध में केवल 10,000 टन एच० पी० एस० मूंग फली का निर्यात हुआ। मेरा सुझाव है कि सरकार एच०पी० एस० मूगफली के निर्यात में हुई इस भारी कमी के कारणों का विश्लेषण करे और इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय करे।

1985-86 में, हम परिधानों के ई०ई०सी० कोटे का केवल 46 प्रतिशत इस्तेमाल कर पाये जबकि पिछले वर्ष में लगभग 74 प्रतिशत इस्तेमाल किया गया था। यदि यही प्रवृति जारी रहती है तो मुझे भय है कि इससे मल्टि फाइबर बहु-तन्तु करार के अन्तर्गत भारत के कोटे में और कमी हो जायेगी। वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि सोवियत संघ जिसे हम मुख्यतः निर्यात करते थे आज अपनी कपड़ों की आवश्यकताओं के लिए अन्यत्र तलास कर रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि हम निश्चित क्वालिटी नहीं बनाए रख पाये और माल सुपुर्दगी में विलम्ब हुआ। दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलेंड ने कपड़ा निर्यात में भारी वृद्धि की है। भारत जो कपड़ा निर्यात के मामले में अग्रणी था आज पिछड़ गया है। मंत्रालय को परिधानों के निर्यात में हुई इस भारी कमी के कारणों का पता लगाकर कपड़ा निर्यात में वृद्धि करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए।

समुद्री उत्पादों के निर्यात से हम प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। इसे कोई भारी उपलब्धि नहीं कहा जा सकता क्योंकि जापान और ताईवान जैसे छोटे-छोटे देश प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए के समुद्री उत्पाद निर्यात कर रहे हैं, हमारे पास मछली पकड़ने के 56 मोटर चालित जहाज हैं जबकि जापान के पास 3900 और ताईवान के पास ऐसे 5200 जहाज हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी योजना है कि मछली पकड़ने के मोटर चालित 500 जहाज

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

आयात करके अधिक समुद्री उत्पाद निर्यात किए जाएं। वह पर्याप्त नहीं है। मैं मांग करता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली पकड़ने के कम से कम 2000 मोटर चालित जहाजों का आयात किया जाए। केवल तभी हम हमारे समुद्रों की क्षेत्रीय अधिकार सीमा में उपलब्ध समुद्री सम्पदा का पूर्ण उपयोग कर पायेंगे।

हमारे समुद्र तटों पर मिलने वाली विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मछलियों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। हमें समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए।

हथकरघा उत्पादों के निर्यात में कमी आने का सबसे अच्छा उदाहरण तमिलनाडु में हथकरघा कपड़े की एक ही प्रकार किस्मों का होना है कृषि के बाद हथकरघा उद्योग में ही रोजगार के सबसे ज्यादा मौके होते हैं। आज हथकरघा उद्योग समाप्ति के कागार पर है हथकरघा बुनकरों के सामने आज भुखमरी और अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम वाणिज्य मंत्रालय के आधीन नहीं हैं। महोदय आप जानते हैं कि हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी है जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन हैं। इस किस्म की विसंगति के कारण मुझे मालूम नहीं है। मेरा सुझाव है कि हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम को भी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि हथ-करघा उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। हथकरघा परिधानों के निर्यात की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब देश भर के लाखों हथकरघा बुनकरों का रोजगार समाप्त हो जायेगा।

वर्ष 1985-86 के पहले छः महीनों में हमने चमड़े और चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात से 200करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमाई है, कच्चे चमड़े और अर्धनिर्मित चमड़े के निर्यात से इससे अधिक मिलने की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। यदि हम चमड़े का तैयार शुदा माल और चमड़े के निर्मित सामान का निर्यात करें तो हमारी विदेशी मुद्रा की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होगी केन्द्र सरकार ने फुट वियर डिजाइन एण्ड डवलपमेंन्ट सैन्टर, स्थापित करने का फैसला किया है। चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु का उत्तरी अर्काट जिला महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मेरी मांग है कि इस फुटवियर डिजाइन एण्ड डवलप मेंन्ट सेन्टर को उत्तरी अर्काट जिले के अर्काट नामक स्थान में स्थापित किया जाना चाहिए।

मैं यहां पर एक अन्य महत्व पूर्ण मुद्दे का भी उल्लेख करूंगा। हम सोने के आभूशणों के निर्यात से भी कई सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यह तमिलनाडु की परमपरागत कला है और तमिलनाडु में निर्मित सोने के आभूशणों ने विश्व भर में प्रशंसा पाई है। इस मामले में भी तमिलनाडु में उत्तरी अर्काट जिले का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तरी अर्काट जिले में निर्मित सोने के

जेवरातों में किया गया दस्तकारी का काम भी भारत के प्राय सभी प्रमुख शहरों में देखा जा सकता है। मैं इस मौके पर यह सुझाव देना चाहूंगा कि उत्तरी अर्काट जिले के बैल्लोर नामक स्थान में एक ज्वेलरी डिजाइन एण्ड डवलपमेंन्ट सेन्टर स्थापित किया जाना चाहिए। इससे आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार मद्रास में गारमेंटस फैशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया गया था। मुझे पता नहीं है कि मद्रास में इस संस्थान की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं। मेरी मांग है कि मद्रास में इस गारमेन्टस फैशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चहिए ताकि हम हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सफल हो सकें।

एक तरफ जहां हमें अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चहिए विशेष रूप से यह देखते हुए कि विश्व के निर्यात में हमारी हिस्सेदारी मात्र 0.5 प्रतिशत है, हमें अनावश्यक आयात को बन्द करने का भी प्रयत्न करना चाहिए उदाहरण के लिए मैं सिन्थोटिक रबड़ के आयात का उल्लेख करूंगा। टायर कम्पनिग्रां स्वदेश में निर्मित सारे सिन्थौटिक रबड़ का उपयोग नहीं कर रहीं है। फिर भी ओ० जी० एल० सामन्य खुले लाइसेन्स के अन्तर्गत सिन्थेटिक रबड़ का आयात किया जा रहा है, टायर कम्पनियां सिंथेटिक रबड़ का आयात अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर कर रही है। परन्तु वे टायरों के दाम कम नहीं करते दूसरी ओर बार-बार टायरों के दाम बढ़ा रहे हैं वे विदेशों में टायरों के दामों में गिरावट आई है और हम सीधे वहां से टायरों का आयात कर सकते हैं, ताकि देश में टायरों के दामों में कमी लाई जा सके। यद्यपि हमारे यहां जमाखोरी निरोधक कानून है फिर भी हमारे देश में सिन्थेटिक रबड़ जैसे उत्पादों की जमाखोरी की जा रही है, हम अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को इस प्रकार के निरर्थक आयात में नष्ट कर रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि सिन्थेटिक रबड़ के आयात पर सांविधिक रोक लगाई जानी चाहिए इसी प्रकार वी०सी०आर०, वी०सी०पी० आदि जैसे विलासिता की मदों पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब तक हम आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सामन्वित प्रयास नही करेंगे, हमें व्यापार सन्तुलन में प्रतिकूल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिसका प्रभाव देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा। हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री श्री पी० शिवशंकर प्रतिभाशाली और योग्य मंत्री है। राष्ट्रीय समाचारों के प्रति जिनका दृष्टिकोण व्यावहारिक है मुझे विश्वास है कि तमिल में दिए गए मेरे भाषण में से वह कम से कम एक या दो सुझावों को लागू करने का प्रयास करेंगे, कम से कम तमिलनाडु के उत्पादों से कमाई गई विदेशी मुद्रा का एक अंश, निर्यात के समान के उत्पादन में लगे कामगारों के कल्याण के लिए तमिलनाडु में खर्च की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986-87 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदाम मांगों के सम्बंध में भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि हमारे निर्यात में कमी आई है इस कमी के कारण

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के० सी० कुप्पुस्वामी]

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आई मन्दी, कुछ देशों द्वारा अपनाये गये रक्षात्मक उपाय और अनेक देशों में आधुनिक और समुन्न उत्पादन क्षमता की स्थापना हैं जिसके कारण उनकी किस्म और मात्रा में सुधार हुआ है जिसकी वजह से वे सुपुर्दगी कार्यक्रम का पालन कर सकते है। हम पहले दो कारणों को ड़ा नहीं कर सकते है लेकिन हमें तीसरे कारणों को ड़ा करने में नहीं हिचकना चाहिए तभी हम अपने निर्यात में स्थिरता ला सकेगे और भी अपना निर्यात बढ़ा सकेंगे।

हम चाय पटसन और तम्बाकू का निर्यात कर रहे है, उनके निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। परन्तु इन वस्तुओं की यूनिट वेल्यू वसूली में कमी आई है इसका मुख्य कारण इनके स्थर में आयी गिरावट है। यदि हम इसके स्तर में सुधार लायें और समय पर निर्यात कर सकें तो हमारी निर्यात से होने वाली आमदनी में वृद्धि हो सकती है।

विदेशों में राज्य व्यापर निगम की शाखाएं हैं जो भारतीय निर्यातकों को मदद पहुंचा रहीं हैं। राज्य व्यापार निगम ने अब किन्हीं अज्ञात कारणों से अपनी इन शाखाओं को भारतीय निर्यातकों को मदद न देने की सलाह की है। एक दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले साल राज्य व्यापार निगम ने 2100 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का आयात और 700 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का निर्यात किया था। सरकार दुर्भाग्यवश सरकार राज्य व्यापार निगम जो कि इस समय तक सरकार की प्रमुख व्यापार ऐजेन्सी हो गयी होगी, के चेयरमैंन की नियुक्ति में तदर्थता की नीति अपना रही है। पिछले दस वर्षो के दौरान, नौ चेयरमैंन नियुक्त किए गए हैं। और बाकी पांच चैयरमैंन अंशकालिक थे। यहाँ तक कि आज भी वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राज्य व्यापार निगम के अंशकालिक चैयरमैन हैं आपने एक अंशकालिक चैयरमैंन से राज्य व्यापार निगम का प्रभावी कार्यकरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य व्यापार निगम के चैयरमैंन के सम्बन्ध में सरकार को एक नीति लागू करनी चाहिए। ताकि यह हमारे आयात-निर्यात व्यापार में सोद्देश्यपूर्ण ढ़ंग से योगदान दे सके।

हमें अपने देश में उत्पादित चाय की किस्म को भी सुधारना है। एक बार उधगामण्डलम की चाय की अन्तराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग थी, परन्तु आज उधगामण्डलम में छोटे–छोटे चाय बागानों के स्वामियों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें वर्ष 1968 में शुरू की गई पुनर्वृक्षारोपण राजसहायता योजना से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। पिछले 17 वर्षों के दौरान वर्ष 1985 के अन्त तक कुल 7·40 करोड़ रुपये की धनराशि इस योजना के अन्तंगत पुनर्वृक्षारोपण के प्रयोग के लिए वितारित की गई है और अब तक लगभग 2900 हेक्टेयर भूमि इसमें शामिल की गई है। यह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हमारे चाय के पौधे 100 वर्ष पुराने हैं और उन्हें युद्धस्तर पर पुनः रोपना है। तभी हम अपनी चाय की किस्म में सुधार ला सकते हैं।

चाय बोर्ड प्रत्येक चाय बागान मालिक से 8 पैसा प्रति किलोग्राम चाय की दर से उप-

कर के रूप में वसूल करता है। चाय बागान के मालिकों से वर्ष 1985-86 के दौरान उपकर के रूप में 5.18 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई। जब हम इस सारी धनराशि का उपयोग पुनर्वृक्षारोपण और पुनर्नवीकरण करने की परियोजनाओं के लिए करेंगे तभी हम अपने निर्यात को बढ़ा सकने में सफल होंगे। मैं चाहता हूँ कि चाय बोर्ड द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए।

हम बागान श्रमिकों की समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। चाय बोर्ड ने वर्ष 1985-86 में निर्यात संवर्धन के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में 3.11 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। चाय बागान श्रमिकों के कल्याण और उनकी आवास व्यवस्था पर वर्ष 1985–86 के दौरान केवल 34 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसे लाखों चाय बागान श्रमिक हैं जिनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं और जो आज भी आदिमकालीन परिस्थितियों में रह रहे हैं। आप उनसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे बेहतर किस्म की चाय का उत्पादन करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। मंत्री जी को लाखों चाय बागान श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

महोदय ! तमिलनाडु में हथकरघा कपड़े में आया अवरोध हथकरघा उद्योग को विनाश की ओर ले जा रहा है। हथकरघा कपड़े के निर्यात में आई तीव्र गिरावट का मुख्य कारण परिधानों के तेजी से बदलते हुए फैशन में है। एक समय ऐसा था कि मद्रास अन्तर्राष्ट्रीय फैशन का मुख्य केन्द्र था। आज उसे कोई नहीं चाहता है। नये-नये फैशन आ रहे है। यदि हह बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय फैशन के साथ कदम मिलाकर नहीं चले तो यह स्वभाविक है कि हमारे परिधानो के निर्यात में गिरावट आएगी। तिरूपुर विदेशों में हौजरी उत्पादों के शहर के रूप में विख्यात है। हौजरी केउत्पादों का हश्र भी विषण्ण मद्रास की तरह हो, मेरा सुझाव है कि तिरूपुर में केन्द्र द्वारा एक "फैशन रिसर्च, डिजाइन और डवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट" स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारे उत्पाद आज के समय के फैशन के अनुरूप अद्यतन बनाये जा सकें जिससे हमारी निर्यात से होने वाली आमदनी में वृद्धि हो सके।

महोदय ! दिल्ली के नजदीक नौएडा औद्योगिक केन्द्र (नौएडा इन्डस्ट्रियल इस्टेट) में निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र की स्थापना की जा रही है जो बिलकुल नए किस्म का है। मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि तिरूपुर और कोयम्बटूर से सैकड़ों करोड़ रूपए मूल्य के सामान का निर्यात होता है। औद्योगिक रूप से वे विकसित शहर हैं। विश्व के अनेक देशों में उनकी औद्योगिक संस्कृति को मान्यता मिली हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि तिरूपुर और कोयम्बटूर के बीच एक निर्यातक क्षेत्र स्थापित किया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन देता हूं कि इस प्रयोजन के लिए मैं उन्हें अपेक्षित जमीन दिलवाऊँगा। यद्यपि उठाने के लिए मेरे पास अनेक मुद्दे हैं परन्तु समयाभाव के कारण मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। परन्तु अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनावश्यक सामान के आयात में कटौती की जानी चाहिए ताकि हम

[श्री के० सी० कुप्पुस्वामी]

विदेशी मुद्रा बचा सकें। उदाहरण के लिए सिन्थेटिक रबड़ के आयत पर सांविधिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इसी प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में भी भारीं कटौती होनी चाहिए जिन पर पिछले वर्ष हमने 5500 करोड़ रूपये की राशि खर्च की है। मुझे मालूम है कि यदि हम स्थल पर जाकर कच्चा तेल खरीदें तो हम पेट्रोलियम के आयात बिल की 20 प्रतिशत राशि बचा सकते हैं। वाणिज्य मंत्री को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

* **श्री सी० जंगा रेड्डी** (हनमकोंडा) : हम वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करते समय हमें यह देखना चाहिए कि यह मंत्रालय कृषि उत्पादों और अन्य खेतिहर उत्पादो के नियति में कितनी मदद कर रहा है। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि देश में कितना फालतू अनाज पैदा हुआ है और विदेशों में इसका निर्यात करने में मदद करनी चाहिए। सरकार को हमारे यहां से खाद्यान्नों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे यहां से अण्डे और अंगूर का निर्यात किया जा सकता हैं। यह सच हो सकता है कि अण्डे और अंगूर का पहले से ही निर्यात किया जा रहा हो। तथापि इनके निर्यात में एकरूपता लायीं जानी चाहिए। महोदय, बम्बई में एक अंडे का दाम 1.00 एक रुपया है जबकि हैदराबाद में उसकी कीमत 20 पैसे से अधिक नहीं है। इसलिए देश भर में अण्डों और अन्य फार्म उत्पादों की मानक दर होनी चाहिए। यदि फार्म उत्पादों के लिए मानक दर निर्धारित नहीं की जाती है तो किसान घाटे में रहेगे। इस मामले में पहले से ही उनको नुकसान हो रहा है। और अब फार्म उत्पादों के मूल्यों में कोई स्थिरता नहीं है। मूल्यों में साल दर साल अन्तर आता रहता है। इसलिए मानक दरों का निर्धारण आवश्यक है। यही हाल अंगूर का है। इसलिए इन उत्पादों के लिए मानक दरें निर्धारित की जानी चाहिए और उनका निर्यात करने का प्रयास किया जाना चाहिए

[अनुवाद]

प्रो एन० जी रंगा (गुण्टूर) : महोदय इसका भाषान्तरण नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: हो सकता है भाषान्तरकार न हो इसलिए भाषान्तरण नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, आप लोगों के सामने आन्ध्र प्रदेश में जो एग्रीकल्चर क्रोप होती है जैसे कपास है, मिर्च है, पाल्ट्री फार्मिग है, या अंगूर है, उनके बारे में मेरा

* मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कहना यह है कि इनका व्यापार सरकार को और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन को अपने हाथ में लेना चाहिए और इन चीजों को बेचना चाहिए। होता यह है कि लोग अरब देशों में भेजने के लिए मन के माफिक चीजो के दाम देते हैं और किसानों को कम दाम मिलते हैं और उनको नुकसान होता है। आप अण्डे को ही ले लीजिए। बम्बई में अण्डा एक रूपये का बिकता है और हैदराबाद और उसके आस -पास 30 पैसे में बिकता है। यह 70 पैसे का मुनाफा कौन खा रहा है। इस पर आपको नियन्त्रण करना होगा। अगर आप इस पर नियन्त्रण करेंगे तो आपको फोरेन एक्सचेन्ज भी मिल सकता है। मुनाफा जिसको मिलना चाहिए, उसका न मिलने के कारण, मुर्गियों के जो फार्म लगाते हैं, उनका दिवाला आऊट हो जाता है और कभी-कभी वे अपने फार्म बेचकर चले जाते हैं। इस तरह से खेती-बाड़ी का जो व्यवसाय है, वह एक जुआ बाजी सा हो गया है। हम यह जानते हैं कि आप मिर्च को बाहर भेज सकते हैं। पिछले साल आपने मिर्च बाहर भेजी थी लेकिन इस साल नहीं भेजी है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट, नेशनल ट्रेडिंग कार्पोरेशन और राज्यों में ट्रेडिंग कारपोरेशन रहने पर भी किसानों की पैदावार को कोई नहीं खरीदता है और बीच में दलाल खरीद कर उसका फायदा उठा रहे हैं। पिछले अक्तूबर में मिर्च का दाम 1500 रूपए क्वींटल था लेकिन आज कोई 600 रूपए क्वींटल में भी मिर्च खरीदने को तैयार नहीं है। स्टेट लेविल पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को इस बारे में सोचना होगा और उसको खरीदना होगा। बम्बई में मिर्च का दाम 1200 रूपए क्वींटल है। इसका क्या कारण है? इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं। चाहे मिर्च हो चाहे कपास हो या कोई दूसरी चीज हो, जिस वक्त किसान के खेत से निकल कर व्यापारियों के हाथों में वह जाती है, तो उसका दाम कम होता है लेकिन दूसरे के घरों में जब वह भर जाती है, तब उसका भाव बढ़ जाता है। इसका क्या कारण है। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आज आपका कामर्स डिपार्टमेंट या राज्य स्तर पर स्टेट ट्रेडिंग कार-पोरेशन इसके बारे में क्या कर रहा है। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो किसानों की माली हालत बहुत बिगड जाएगी और वह खेती—बाड़ी छोड़ कर शहरों में रिक्शा चलाना शुरू कर देंगे और पान—डिब्बा लेकर वह काम शुरू कर देंगे। कपास हो या मिर्च हो या अन्य खेती—बाड़ी की चीजें हों, उनमें किसान को बहुत नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान से उसको बचाने के लिए कामर्स डिपार्टमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए और उनका माल खरीदना चाहिए। गुजिश्ता साल कपास बेचने के लिए नियन्त्रण था। उसके कारण इश्टरनेशनल मार्किट में इस साल कपास का कम दाम आया। जब ऐसी स्थिति है, तो आप इसको खुला क्यों नहीं कर देते और आप क्यों अपने हाथ में रखते हैं। जितने टेक्सटाइल मिल हैं और दूसरे मिल हैं, उनको जितना कपास चाहिए उसका आप अन्दाजा क्यों नहीं लगा लेते। अन्दाजा लगाकर उतना कपास आप खरीद लीजिए और बाकी कपास विदेशों में भेजने की अनुमति दे सकते हैं। लाइसेन्स देकर उनको बाहर भेज सकते हैं, मगर कभी 10 लाख बेल, कभी 5 लाख बेल और कभी 5 हजार बेल भेजने की अनुमति दी जाती है। यह सही नहीं है। इसके कारण मार्केट में भाव ऊंचे-नीचे होते रहते हैं। गुजिश्ता साल आपने पाकिस्तान से कपास मंगाया। ऐसा क्यों किया गया। यहां पर बैठ कर कुछ लोग अन्दाजा लगा लें। हम लोग अन्दाजा लगाते हैं कि हमारे पास कमी होगी, इसीलिए हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। कभी—कभी

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

किसानों को दबाने के लिए ये जो इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं,ये सरकार को कमी महसूस कराते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं दूसरे देशों से मंगाने के लिए। भारत के किसान जो भारत में उत्पादन करता है, कपास पैदा करता है, उसकी चीजों के भाव को कम करने के लिए ये लोग उन चीजों को दूसरे देशों से मंगाते हैं। इसका हमें अन्दाजा लगाना चाहिए। हमको यह जानना चाहिए कि हमारे यहां कितना पैदा होता है, कितना हमें जरूरत है। इसकाएक सोल्यूशन होना चाहिए।

पांच साल के लिए हम इन्टरनेशनल एग्रीमेंट कर सकते है, कपास के बारे में, मगर आप तैयार नहीं है। आज आपके कपास के किसान, तिल्ली के किसान, जूट के किसान, जो भी एग्रीकल्चर में केश क्राप्स पैदा करते हैं, वे परेशान हैं। आंध्र में तम्बाकू का किसान और बंगाल में जूट का किसान परेशान हैं। इनके बारे में हमको एक नीति तय करनी चाहिए। जो चीजें हम अन्य देशों को भेज सकते हैं उनके लिए हमें एक मिनिमम प्राइस फिक्स करनी चाहिए। ताकि दूसरे लोग उससे फायदा न उठा सके। इम पर आप नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं। इसी से किसान परेशान होता है। अभी इस साल काटन कम हो गया तिल्ली भी कम हो गया। इसके कारण हमको मार्केट में अभाव महसूस होता है। आपको इसका अन्दाजा लगाना चाहिए कि देश को एक साल में क्या—क्या चाहिए। उसी के माफिक आप राज्यों को, जिलों को बोलें। उसके लिए आप उनको एक साल पहले बोल दें। इससे किसान को फायदा होगा। मगर आपके ऐसा न करने से उनको फायदा नहीं हो रहा है।

एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहां चमड़े का ट्रेड होता है। अगर चमड़े पर रंग किया जाता है तो ड्यूटी है। चमड़े को काले नमक से साफ करते हैं। उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है। अगर कलर डालते हैं तो ड्यूटी लग जाती है। अगर उसका कोट बनाते हैं तो ड्यूटी नहीं है। तीन मर्तबा उस पर काम करने से, उसमें रंग डालने से वह फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। आप उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। अगर उसका कोट बनाकर भेजते है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। इसमें जो आपने अन्तर कर रखा है, इसको आप हटाएं। या तो आप बिल्कुल ड्यूटी न लगाएं, अगर लगाएं तो सब पर लगाएं। इससे अच्छा होगा।

हमारे टेक्सटाईल के मिनिस्टर साहब नहीं बैठे हैं। हमारे कामर्स डिपार्टमेंट वालों को उनको बोलना चाहिए। हमारे यहां कपास बहुत है। हम पोलियस्टर का कपड़ा इम्पोर्ट करते हैं। रेयन हमारे पास बहुत है। आप एक साल से रेयन इम्पोर्ट कर रहें हैं। हमारे पास इन्डीजिनस रेयन है। हमारे यहां 225 लाख टन इन्डीजिनस रेयन है। उसका प्लांट है। हमको पोलियस्टर चाहिए, 1.75 लाख टन। हमारे पास ज्यादा पोलियस्टर है फिर भी हम इस पर 30 परसेंट ड्यूटी कम करके इसे इम्पोर्ट कर रहे है। हमारे यहां ए० पी० रेयान पल्प फैक्ट्री है। उसका माल मार्केट में बिक्री न होने से वह सितम्बर 1985 से बन्द है। उसके तीन हजार वर्कर्स रोड पर फिर रहे हैं। उनके लिए एम्प्लायमेंट नहीं है। जो कपड़ा हम यहां पर बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं,

उसको आप इम्पोर्ट क्यों करते हैं। चाहे रामैटीरियल हो, चाहे दूसरी चीज हो उसको दूसरे देशों से मंगाने की जरूरत नहीं है।

हमारे यहां प्लास्टिक की भी इंडस्ट्री है। प्लास्टिक का सामान हमारे यहां बनता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी हमारे मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। हमारे यहां जितना भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, उसका फायदा यहां के लोगों को मिलना चाहिए। उसके बारे में हमारी एक परमानेंट पालिसी होनी चाहिए कि कितना हम उसको यहां खपा सकते हैं, कितना बाहर भेज सकते हैं। यह पालिसी पांच साल के लिए होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रोड्यूसर का नुकसान न हो।

[अनुवाद]

श्री जी० एल० डोगरा (उद्यमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अपने विदेश के दौरे के दौरान मैंने वहां अपने दूतावास तथा मिशनों को भी देखा है।

जहां तक हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों का संबंध है, सामान्तः वह बहुत छोटा है। एक वाणिज्य सचिव है जिसे कुछ अन्य काम भी करने होते हैं। उसका काम व्यापारिक सूचना एकत्र करके उसे आगे भेजना है तथा जो व्यापारी माल बेचने उस देश में जाते हैं उसकी मदद करना है। इसलिए यदि वस्तुतः हम चाहते हैं कि हमारा विदेश व्यापार बढ़े तथा हमारा निर्यात बढ़े, अपने मिशनों में उसके लिए हमें अधिक कर्मचारी रखने पड़ेंगे। ताकि जो व्यक्ति विदेशों से व्यापार करना चाहें वह उन सब की मदद कर सकें।

इस विभाग का कार्य बहुत कठिन है क्योंकि इसे नीति सम्बन्धी नाजुक मामलों से निपटना होता है। यदि सरकार आधुनिकीकरण पर अधिक बल दे तो सम्भवतः, हमारा आयात, निर्यात से अधिक होगा परन्तु यदि हम निर्यात पर अधिक बल देंगे तो कई देशों की नीतियां आड़े आएंगी। जब तक हमारे पास बाजार की पूरी जानकारी नहीं होगी तथा यह पता नहीं होगा कि किस देश को क्या चाहिए, तब तक हम जो चाहते हैं प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कोई अद्यतन सूचना प्रदान करने वाला होना चाहिए तथा हमारी जानकारी अद्यतन होनी चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है हमारे पास सूचना एकत्र करने और उसे उन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए पर्दाप्त तंत्र नहीं है। जिन्हे अपने व्यापार की योजना बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है।

यह सही है कि जिस माल में अधिक श्रम लगता है हम उसे उन देशों को निर्यात करते हैं। जहां श्रमिकों की भारी कमी है। इसलिए हम उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जो आधी निर्मित होती है जिसका प्रयोग वे अपने उत्पादों में करते हैं। परन्तु ऐसा हम कब तक कर सकते है। भारत में जीवन यापन महंगा हो रहा है तथा श्रम भी अधिक महंगा हो जाएगा। क्या, ये वस्तुएं उस समय

[श्री जी० एल० डोगरा]

भी बिक्री योग्य रहेंगी, और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देश तथा अन्य देश हमारे प्रतिद्वन्दी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं तथा प्रतियोगिता में पीछे छोड़ रहे हैं। उन्होंने कपड़े के कुछ बाजार में भी हमारे साथ मुकाबला करना आरम्भ कर दिया।

खाद्य तेलों के बारे में भी हम आत्मनिर्भरता की नीति का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम बे मतलब उसका आयात कर रहे हैं। हम इसे धीरे-धीरे कम कर सकते हैं नहीं बहुत धीरे-धीरे कम नहीं कर सकते परन्तु कुल मिलकर हम इसे पर्याप्त गति से कर सकते हैं। हम अपने देश में अधिक तिलहनों का उत्पादन करके आयात कम कर सकते हैं। जिन चीजों के बिना काम चल सकता है, या जो देश में ही पैदा की जा सकती है उनका आयात नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस बात पर बल देना चाहिए।

मेरे विचार से हमारी योजना में कुछ कमी है। इन चीजों को सही तरीके से विनियमित करना चाहिए। जहां तक तिलहनों की फसलों का संबंध है। इन्हें तीन-चार महीने में उगाया जा सकता है तथा विभिन्न मौसमों में देश के विभिन्न भागों में उगाया जा सकता है। इसलिए जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है हमें आत्म निर्भर होना चाहिए। परन्तु इस दिशा में हमने कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। दूसरी बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वह यह है कि हमारे संविधान में तीन क्षेत्र-गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र-मान्य हैं। परन्तु जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है सहकारी क्षेत्र को पूरी तरह, व्यावहारिक रूप से मान्यता नहीं मिली हुई है। यह परम्परा है कि हमारे देश की सहकारी समितियां दूसरे देश की सहकारी समितियों से वस्तुओं के विनियम के आधार पर व्यापार करती है। जिन देशों से हम आयात करते हैं। वे एक वस्तु विशेष लेकर जो वस्तु उनके पास अतिरिक्त होती है। हम दे देते हैं, यदि उनसे इस आधार पर व्यापार कर सकते हैं। तथा इस प्रकार यदि सहकारी क्षेत्र की मदद की जावे तो मेरे विचार से हम काफी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं तथा हमारा व्यापार संतुलित हमारे काफी अनुकूल रहेगा। परन्तु इस प्रकार की असावधानी अक्षम्य है। जब भी कोई इस ओर ध्यान दिलाता है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे आशा है कि वाणिज्य मंत्री सभी सहकारी संगठनों को विश्वास में लेकर एक पैनल नियुक्त करेंगे। जो यह अध्ययन करेगा कि हम वस्तु विनिमय के आधार पर किस प्रकार आयात/निर्यात कर सकते हैं। जहां तक व्यापार संतुलिन का संबंध है मुझे आशा है कि इससे प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने में मदद मिलेगी।

हमें अपना विदेश व्यापार की आयोजना इस प्रकार करनी चाहिए ताकि लघु उद्योगों को मदद मिले। आज सुबह इस सभा में यह विचार व्यक्त किया गया था कि लघु उद्योगों के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हालांकि यद्यपि उद्योग विभाग बहुत से उद्योगों की मदद कर रहा है। इन लघु उद्योगों के प्रति राजस्व विभाग का रवैया कठोर रहा है। पिछले तीन वर्षों से जो नीति अपनाई जा रही है लघु उद्योग विरोधी वह है। जहां तक उत्पाद का संबंध या उसकी सीमा

30 लाख रुपये थी इसे कम करके 20 लाख रुपयें कर दिया दिया गया और अब कम करके 7 लाख रुपये कर दिया गया है। जबकि पंजीकरण सीमा केवल 5 लाख रुपये है। यदि मूल्यों में वृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो 5 लाख रुपये की राशि पिछले तीन वर्षों के मूल्य स्तर के आधार पर 1 लाख रु० के बराबर है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि विभिन्न मंत्रालय एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार सभी जानकर कार्यकलापों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। एक विभाग यदि कुछ करता है तो दूसरा उसे बिगाड़ देता है। इसलिए इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मैं चाय और काफी के उत्पादन तथा उसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। दो वर्ष पहले तक चाय की सप्लाई कम थी। अब भी इसकी सप्लाई कम है। चाय उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। किसी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार से हमारे कृषि विश्व-विद्यालय इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। यही बात काफी पर लागू होती है। अन्य देश फलों, सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं।

जहां तक मेरे अपने राज्य का प्रश्न है। हम हस्तशिल्प तथा मुख्यत: कालीन का निर्यात करते हैं। कश्मीरी कालीनों की किस्म बेहतर होने के कारण हमारा बाजार बहुत बढ़ा है। अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति बदल गई है तथा अब थोड़ी-सी भिन्न किस्म भी बाजार में चलती है। जनता का मार्ग दर्शन करने वाला कोई नहीं है हमारा वाणिज्य मंत्रालय उत्कृष्ट कोटि के उन कालीन बनाने वालों का मार्ग दर्शन नहीं कर सका है। जिन्हें अपने कालीनों के लिए बाजार नहीं मिलेगा। इन मंत्रालयों का क्या लाभ है जब यह सही समय पर जनता को सही मार्ग दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए बाजार सर्वेक्षण, बाजार की आसूचना तथा उसकी सप्लाई करना बहुत आवश्यक है।

सरकार से यह भी आशा की जाती है कि वह विदेश में भांडागारों की सुविधायें प्रदान करेगी विदेशों में यह सुविधा दी जानी चाहिए ताकि लोग अपना सामान रख सकें तथा जब स्थिति लाभकर हो तब उसे बेच सके।

2.56 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

यह मन्त्री नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्य भी देख रहे हैं। इस समय बाजार में गेहूं तथा धान का अधिक्य है परन्तु आटा मिलों तथा चावल निकालने वाली मिलों पर वही पुराने प्रतिबन्ध हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों के पास आटे की मिल है उन्हें हम उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर बेहतर सामान सप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। गेहूं तथा धान भण्डारण सुविधाओं के अभाव में सड़ रहे हैं। यदि आप इन्हें दूरदराज के क्षेत्रों में ले जाने की अनुमती दें तो अपने आप भण्डारण का स्थान ढूंढ़ लेंगे। वहां सुविधाएं हैं परन्तु अफसर शाही द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें लाभ होता है। इसलिए उपभोक्ताओं के हितों में इन प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए। जब खाद्यान्न की कमी थी तब अलग बात थी परन्तु अब जब गेहूं और धान का बाहुल्य है तो ये

[श्री जी० एल० डोगरा]

प्रतिबन्ध हटा दिए जाने चाहिए। जितने अधिक प्रतिबन्ध होंगे उतनी ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से दोबारा अनुरोध करूंगा कि ये सभी प्रतिबन्ध हटा दिए जाएं। इससे रोजगार मिलेगा। खपत बढ़ेगी तथा गेहूं आटा और चावल सप्लाई करने के लिए भण्डारण सुविधाएं मिलेंगी।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं यद्यपि जब भी मैं बोलता हूं। हमेशा समय की पाबन्दी सामने रहती ।

* **श्री जी० एस० बसवराजू** (टुमकुर): सभापति महोदय मैं वाणिज्य, मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। हर वर्ष हमारा देश कई करोड़ रु० के सामान का निर्यात और आयात करता है। मैं निर्यात और आयात नीति का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे आयात दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस आयात की वृद्धि से हमारे किसान सबसे अधिक प्रभावित हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि पाम आयल का बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। सभापति महोदय आप नारियल वोर्ड के सदस्य हैं तथा आप यह सब जानते हैं। केवल केरल राज्य को (लगभग 15.000टन) पाम आयल दिया जा रहा है। इससे नारियल के मूल्यों में काफी कमी हुई है इस कारण नारियल का मूल्य केवल एक रुपया रह गया है। पाम आयल के आयात से व्यापारियों तथा व्यवसायिकों को लाभ हुआ है। इसलिए मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह पाम आयल का आयात रोक दें। इसके आयात से कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र के मूंगफली उत्पादकों पर प्रभाव पड़ा है। किसानों को चार सौ रु० प्रति क्विटल भी नहीं मिलता है। मुझे आशा है कि वह इसे कम करके 50% कर देंगे।

निर्यात में कपड़े की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया जाना चाहिए। कपास के उत्पादकों को लभाकारी मूल्य मिलना चाहिए। कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे सूती वस्त्रों का निर्यात बढ़ाएं।

3.00 म० प०

एक समय था जब भारतीय सिल्क अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में छाया हुआ था। किन्तु आज हमने विश्व सिल्क व्यापार में अपना वह महत्व पूर्ण स्थान खो दिया है। कर्नाटक देश में उत्पन्न सिल्क का 80% उत्पादन करता है। इसके बावजूद हम चीन तथा अन्य देशों से सिल्क का आयात कर रहे हैं मैं इस स्थिति से शर्मिंदगी महसूस करता हूं। वास्तव में यह न केवल कर्नाटक राज्य अपितु पूरे देश के लिए अपमानजनक बात है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सिल्क, इलायची, कालीमिर्च, लौंग और मसाले जो बहुतायत से मगाये जा रहे हैं, का आयात बंद करने के लिए तुरन्त

* मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपाय करें। दुर्भाग्य से राज्य व्यापार निगम मसाला उत्पादकों को सहायता बिल्कुल नहीं कर रहा है। फलतः व्यापारी तथा विचौलिए लोग स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।

हम काफी मात्रा में अयस्क तथा तैयार उत्पादों का निर्यात करते हैं। इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए हमें छर्रे तथा तैयार उत्पादों का निर्यात करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे देश में विशेषतया कर्नाटक में ग्रेनाईट पत्थर उपलब्ध हैं। हम इसे मैंगलोर पत्तन से निर्यात कर रहे हैं। इसके स्थान पर यदि हम पॉलिस किया हुआ ग्रेनाईट पत्थर निर्यात करें तो हमें बेहतर विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को विचौलियों तथा व्यापारियों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।

रत्न, मोती, रूकी तथा अन्य बहुमूल्य पत्थर मेरे चुनाव क्षेत्र के पावगंड़ा में उपलब्ध हैं। इन बहुमूल्य सामान के निर्यात के लिए निजी व्यापारियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। अन्य देशों को निर्यात करने से पहले इन बहुमूल्य पत्थरों को काटने तथा उन्हें संसोधित करने के लिए पावगंड़ा में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना की जानी चाहिए। मेरे राज्य में चन्नपट्ना हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने और उनका निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य व्यापार निगम को एक महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायी भूमिका निभानी चाहिए। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री नन्जे गौडा ने पहले कहा है आयात के सम्बन्ध में व्यापार वर्ग तथा अधिकारी तंत्र मिलकर हेराफेरी करता है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। जापान से इलेट्रानिक सामान के आयात पर भी रोक लगनी चाहिए।

हमारे देश में पर्याप्त गरम कपड़े का उत्पादन हो रहा है। गरम कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को राज सहायता देनी चाहिए।

हमारे देश का हजारों किलोमीटर लम्बा समुद्र तट है। हमारे पास समुद्री उत्पाद काफी अधिक है। इस सम्पदा के उपयोग के लिए मत्सय नावों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। रूस में नारियल पाउडर तथा इसके उत्पादों की काफी मांग है। कुछ बेईमान लोग इन उत्पादों में मिलावट कर रहे हैं। इसे रोकना होगा और केवल उत्तम किसम के उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए।

आम, अमरूद, स्पोटी, सेब और विभिन्न अन्य फल हमारे देश में उगाये जाते हैं किन्तु उन्हें संसाधित करने के लिए समुचित धन नहीं हैं। इसलिए पूरे देश में संसाधित एकक तथा शीतागारों की स्थापना की जानी चाहिए। उचित परिरक्षण तथा उत्तम संसाधित उत्पादों और पैकिंग से हमारे निर्यात को अधिक विदेशी मुद्रा हासिल करने में सहायता मिलेगी।

हमारे देश में प्लास्टिक उद्योग का भी उज्जवल भविष्य है। इसलिए सरकार को प्लास्टिक के सामान पर कर लगाते समय उदार होना चाहिए। निगमों के माध्यम से फलों संबंधी कार्य को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

[श्री जी० एस० बसवराजू]

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मूंगफली उत्पादकों को वित्तीय सहायता तथा ऋण दिए जाएं। तेल का 80%आयात तुरन्त रोक दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे कृषकों को प्रोत्साहन देने में और बढ़े हुए निर्यात के माध्यम से हमारी अर्थ व्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यकता, कार्य करेंगे महोदय मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : 1985-86 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते हुए मुझे एक प्रसिद्ध बंगला कविता की याद आयी जिसमें कहा गया है। **"नाकेर बादले नोरम पेलक ताक दमा दम दम।"** आपके लिए मैं इसका अंग्रेजी अनुवाद करूंगी—'नाफ देकर नखर्कतनी (नेलकटर) प्राप्त थी वाह, वाह (हुर्रा-हुर्रा)।

सरकार की बहुश्रुत आयात निर्यात नीति जो 21 वीं शताब्दी की ओर बढ़ने के लिए भारत का साधन है; का कुल प्रभाव ; यदि संक्षेप में कहा जाये तो तबाही वाला है।

वाशिंगटन में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ अमरीका ने अप्रैल सितम्बर 1985 में भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए जाने वाले निर्यात की तुलना में 22.6 प्रतिशत की कमी कर दी। इसी अवधि में अमरीका से किया जाने वाला आयात विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए जाने वाले आयात की तुलना में 40.1 प्रतिशत बढ़ गया।

पश्चिमी बहुदेशीय प्रौद्योगिकी के लिए विशेष आग्रह होने के कारण सरकार ने देखा कि पश्चिम यूरोपी देशों को किए जाने वाला निर्यात अप्रैल-सितम्बर 1985 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 20.8 प्रतिशत कम हो गया है। जबकि इसी अवधि के दौरान इन्हीं देशों से किया गया आयात 24.8 प्रतिशत अधिक था।

एक अन्य पूंजीवादी मित्र, जापान के मामले में भी इसी अवधि के दौरान निर्यात में थोड़ी ही कमी आई है जबकि इसी अवधि के दौरान किए जाने वाले आयात में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इन सभी 'बहुरंगी' उपलब्धियों को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अर्थात—अप्रैल सितम्बर, 1985 इस अवधि में भारत का व्यापारिक अन्तर काफी तेजी से अर्थात—पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2,290.58 करोड़ रु० की तुलना में 4,124 रु० बढ़ा। अर्थात—लगभग दुगना—वास्तव में काफी अच्छी छलांग लगाई है। अगले छह महीनों के परिणाम अभी आने शेष हैं। कुछ गैर सरकारी विवरणों के अनुसार यह 6,000 करोड़ रुपये से भी बढ़ जायेगा। वह वास्तव में एक काफी अच्छी उपलब्धि होगी।

किन्तु अन्य अर्थात समाजवादी देशों के लिए यह बहुत बुरा होता। अप्रैल सितम्बर 1985 में पूर्वी यूरोपी देशों को किया जाने वाला हमारा निर्यात, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में

21.6 प्रतिशत बढ़ गया। यद्यपि उन्हीं देशों से उसी अवधि के दौरान हमारा आयात केवल 12.9 प्रतिशत ही बढ़ा। इसी अवधि के दौरान इनमें से सोवियत संघ को हमारा निर्यात 24.9 प्रतिशत बढ़ा आयात में केवल 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह भी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपया व्यापार में यह भी स्मरणीय है कि सोवियत संघ को किए जाने वाले भारत के निर्यात में 60 प्रतिशत विनिर्मित मदे इससे क्या निर्यात किया जाता है। यह चित्र वस्तुत: विश्व को दो परस्पर विरोधी पद्धतियों आयात पूंजीवाद अथवा साम्राज्यवाद और समाजवाद में नव विकासशील देशों के प्रति रवैया को प्रतिबिम्बित करता है। जो व्यक्ति इन देशों से तथा कथित समान दूरी में विश्वास करते हैं, को इससे निष्पक्ष रूप से सबक लेना चाहिए।

अब प्रश्न उठता है कि क्या यह इतना अधिक व्यापारान्तर अपरिहार्य था ? निसन्देह विश्व पूंजीवादी प्रणाली में, निहित कमी इन देशों को हमारे निर्यात को में कमी का मूल्य है। अपने संकट को हमारे कन्धों पर डालने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, कनाड़ा, पश्चिमी, यूरोप, जापान इत्यादि ने हमारे जैसे देशों की सरकारों ने आयात, प्रतिबन्ध, आयात निषेध आदि लागू कर दिया। यह सुविदित तथ्य है यद्यपि सभी इसको सदैव याद नहीं रखते। किन्तु दूसरी बात भी सर्वविदित है कि इसी प्रयोजन के लिए वे हमारे जैसे देशों में अपनी प्रौद्योगिकी, जो हमेशा अच्छी नहीं होती, के साथ अपना सामान भी भेज देते हैं। नई आयात नीति के साथ, भारत सरकार स्वयं जाल में फंस गई है, अन्यथा यह स्थिति अपरिहार्य नहीं थी।

हमारे देश के आत्मनिर्भर विकास के लिए ये आयात कितने महत्वपूर्ण हैं ? इस मामले में हम कुछ मामलों की जांच करें, उदार लाइसेंसिग नीति के अन्तर्गत हम अब इस्पात संरचनायें, रसायन, औद्योगिक कीलक और यहां तक कि अण्डा पाउडर का भी आयात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां तक कि वे लिपस्टिक का भी आयात कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हो सकता है क्या वस्तुत: ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक थे। हम अनेक उत्पादक वस्तुओं का आयात कर हैं ? अर्थव्यवस्था हमारी सरकारी क्षेत्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ? हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन प्रतिवर्ष एक 10,000,00 टन का स्टील संयंत्र लगाने के लिए आवश्यक सभी मशीनरी तथा उपकरणों का उत्पादन करने में समर्थ हैं। जहां इसे क्रयादेश नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं भारत सरकार बर्नपुर की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का 400 करोड़ रुपए की आधुनिकरण की योजना को जापान को सौंपना चाहती है। यह कहा जाता है कि रूस रांची के पुराने उत्पादों को भी खरीद लेता है। ये वे ही हैं जो क्रयादेश देकर हैवी इंजीनियरिंग कार्पोशन को चालू रखते हैं क्योंकि वे पुरानी प्रौद्योगिकी से काम चला सकते हैं। वे इसका वहन कर सकते हैं। किन्तु महोदय क्या यह सच नहीं है कि जापान, अमरीका तथा पश्चिमी जर्मन धातु विज्ञान में बहुत-सी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के लिए सोवियत संघ के पास जाते हैं ? इसी प्रकार, बी० एच० ई० एल० का मामला लें। जो अन्य सरकारी दोमका उपक्रम है। बी० एच० ई० एल० भारत से बाहर अन्य देशों के लिए प्रभावी कार्य के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं। किन्तु हमारे अपने देश में सरकार ने रिहन्द परियोजना के लिए ब्रिटेन से दो 500 मेगावाट के नए

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

सेटों और कनाड़ा तथा आस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से 2 से 180 मेगावाट तक के 30 अन्य सेटों को प्राप्त करना आवश्यक समझा है। क्या यह आवश्यक था ? क्या यह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की स्पष्ट चेतावनी के विरूद्ध नहीं था ? मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगी। मेरा विश्वास है कि हमारी अपनी अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी उपलब्धियों को नौकरशाह महत्व नहीं देते जिसमें उन्हें मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है।

प्रो० मधु दण्डवते : निश्चय ही नौकरशाहों को दोष मत दें मन्त्री लोग भी दोषी होते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह स्पष्ट है। श्रीमान हमारे अपने वैज्ञानिकों द्वारा सिलिकन प्रौद्योगिकी में शानदार उपलब्धि के बाद भी बड़ौदा में नेशनल सिलकन पेसिलिटी की स्थापना करने के लिए अमरीकन हैमलाक कम्पनी को अनुमती देना एक गलत प्रयास है, यह मामला इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। देश में काफी शोर के कारण, मामले की जांच के लिए एक मुनरीता समिति की स्थापना की गई थी जिसे अपनी रिपोंट इस वर्ष देनी थी। हम सब समिति के अन्तिम निष्कर्ष जानना चाहेंगे। मैं समझती हूं। कि इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को ही अन्तिम निर्णय लेना होगा। श्रीमान् तथ्य अविदित है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं किन्तु समय की कमी के कारण मैं उन सभी का उल्लेख नहीं कर सकती। इसके सम्बन्ध में ढ़ेर से उदाहरण मिल सकते हैं। हमारी अपनी अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। पटसन उद्योग के सम्बन्ध में भी अब मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। रिपोंट में यह कहा गया है कि पटसन के निर्यात में गिरावट आ रही है। यह कहा गया है कि सरकार ने नकद प्रतिपूर्ति समर्थन राशि को कैसे बढ़ा दिया और उत्तरी अमरीका को कालीन के पीछे लगने वाले कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य व्यापार निगम तथा पटसन उद्योग के बीच हानि को आधे-आधे अनुपात में बांटने की कैसे व्यवस्था की। परन्तु क्या मैं यह जान सकती हूं कि जब पटसन देश का एक बड़ा निर्यात अर्जक है। (पटसन सामन्तों की सभी हरकतों के बावजूद) तब तीन बहु-राष्ट्रक कम्पनियां अर्थात् होचेस्ट आई० सी० आई० तथा यूनियन कारबाईड और एक एकाधिकारी कम्पनी मफतलाल को क्यों 18 लाख टन कृत्रिम कणिका का उत्पादन करने के लिए लाईसेंस दिया गया है। जिसमें से 2 लाख टन का उत्पादन पहले से किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप पटसन उद्योग बहुत संकट में पड़ गया है। जाहिर है कि ऐसा पटसन उद्योग को संकट में डालने के लिए किया गया है। इस में अंशमात्र भी संदेह नहीं है कि पटसन सामन्त अपने संकट को बढ़ा-चढ़ाकर बतला रहे हैं। ताकि वे कम से कम 12 अथवा 13 मिलों को बन्द करने के औचित्य को सही ठहरा सके। जिसके परिणाम स्वरूप लाखों कामगार बेकार हो जाएंगे।

लेकिन इस संकट का एक कारण इन कणिकाओं से बने एच० डी० पी० बैगों की प्रतिस्पर्धा है। चूंकि वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर इस बार गाज गिरनी है। तो मैं समझता हूं। कि पटसन उद्योग में व्याप्त गंभीर स्थिति पर किसी अन्य रीति से भी चर्चा करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। अतः मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करती हूं। उन्हें हर हालत में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि इन कणिकाओं का आयात बन्द किया जा सके। यह आयात बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे यहां ऐसा धागा उपलब्ध है। कृपया भगवान के लिए

ढ़ाई लाख पटसन मजदूरों तथा दस लाख पटसन उत्पादकों को संकट में न डालें। पटसन उत्पादकों के लिए जो समर्थन मूल्य निधारित किया गया है, वह नगण्य है। यह बहुत ही खेदजनक है। इसे अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए तथा मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपना भाषण समाप्त कर रही हूँ। मेरा अन्तिम मुद्दा यह है···

महोदय, कणिकाओं के अलावा······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य भी इनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं नहीं बोलूंगा मेरा समय इन्हें दे दिया जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके मामले पर अपनी न फेरिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कणिकाओं का बन्द करने के अलावा, भारतीय खाद्य निगम तथा सीमेंट निगम तथा अन्य सरकारी उपक्रमों से जो इस समय पटसन के बैगों के स्थान पर अधिकांशत: एच० डी० पी० बैगों का प्रयोग कर रहे है। ऐसा न करने को कहा जाए।

मैं चीनी, काफी, इलायची तथा चाय के बारे में पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। हालांकि ये सभी वस्तुएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

हमारे व्यापार घाटे को कम करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि :

(1) साम्राज्यवादी देशों को लूटने वाले व्यापारिक कार्यों के विरूद्ध दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने समेत, कई नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए एक सुनिश्चित लड़ाई लड़ी जाए।

(2) वर्तमान उदार आयात नीति को बदला जाए।

(3) समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को और अर्थिक व्यापक बनाया जाए।

(4) अन्य विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभदायक व्यापार को बढ़ाया जाए।

सरकार को इन सभी बातों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, अन्यथा देश को इससे भी अधिक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : और वर्तमान सरकार को बदलना होगा।

श्री के० एस० राव (मछली पट्टनम) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है। कि उस कच्चे माल का, जो देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, निर्यात करके तैयार माल आयात करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। और पुन: उनका किसी विकासशील देश को अथवा तीसरी दुनिया के देशों को पुन: निर्यात करने पर अधिक बल दिया गया है। परन्तु यदि हम मानव संसाधनों पर, जो कि इस देश में प्रचुरता से उपलब्ध हैं, ध्यान केन्द्रित करें। और उन्हें इस देश में अथवा उन देशों में जहाँ विशिष्ट प्रौद्योगिकी काफी विकसित है, उचित प्रशिक्षण दें तो उनके कौशल से हम कच्चे माल को तैयार माल में बदल सकते हैं और उसके बाद हम इनका या तो किसी विकासशील देश को अथवा तीसरी दुनिया के किसी देश को निर्यात कर सकते हैं। इस तरह हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। और हम व्यापार घाटे को भी कम कर सकते हैं।

सम्भवतया हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यापार घाटा शून्य स्तर तक आ जाए। हम निश्चित रूप से अपरिहार्य मदों अथवा उच्च प्रौद्योगिकी तक आयातों को परिसीमित करने की स्थिति में हैं। वास्तव में जब हम सभा में चीनी, खाद्य तेलों, उर्वरकों, गैस सिलेन्डरों, इत्यादि जैसी वस्तुओं के आयात के बारे में सुनते हैं तो मुझे सरकार की बुद्धिमता पर तरस खाना पड़ता है क्योंकि इन वस्तुओं का हम अपने देश में उद्योगपतियों अथवा संबंधित उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देकर आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। इन वस्तुओं का आयात करके हम न केवल विदेशी मुद्रा का नुकसान उठा रहे हैं बल्कि हम अपने व्यक्तियों को बेकार बना रहे हैं। जबकि इस देश में बेरोजगारी की समस्या प्रचण्ड है, तब इन मदों का आयात करने के स्थान पर, हम अपने मानव संसाधनों तथा उनके कौशल का उपयोग करके निर्मित माल का निर्यात कर सकते हैं। कच्चे माल के निर्यात से उतना लाभांश और विदेशी मुद्रा नहीं मिल सकती है जितनी कि तैयार माल के निर्यात से मिल सकती है। जिसमें मूल्य वृद्धि केवल मानव कौशल की है जो कि इस देश की सम्पदा है।

मुझे इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता हुई कि भारत सरकार ने गत वर्ष एक दीर्घकालीन आयात तथा निर्यात नीति की घोषणा की, जो कम से कम तीन वर्षों तक लागू रहेगी और जो उत्पादकों तथा व्यापारियों दोनों में ही आत्मविश्वास की भावना जगाती है। यही आत्मविश्वास की भावना उत्पादकों तथा व्यापारियों में भरने की आवश्यकता है जिससे वे दीर्घकालीन आधार पर अपना ध्यान उत्पादन पर दे सकेंगे। परन्तु आयात तथा निर्यात नीति को उदार बनाते समय, इस बात की सूक्ष्म छान बीन की जानी चाहिए कि किन-किन मदों को ओ०जी०एल० के अन्तर्गत न रखा जाना चाहिए अथवा किन-किन मदों के आयात पर प्रतिबन्ध रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय में थोड़ी अधिक समीक्षा की आवश्यकता है और मंत्रालय द्वारा किये गये संगठित प्रयास से निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा की हमारी समस्या हल होगी। मेरी यह भी राय है कि विभिन्न मदों के निर्यात की संभावना का पर्याप्त प्रचार नहीं किया जा रहा है और इन दिनों निर्यात केवल शहरी क्षत्र तथा शहरी लोगों का विशेषाधिकार बन गया है। यदि इसकी जानकारी ग्रामीणों अथवा देश के दूर-दराज कोनों में रहने वाले व्यक्तियों को भी करा दी जाए और इस मंत्रालय में सांख्यिकी संगठन को सशक्त कर दिया जाए और सांख्यिकी समर्थन के साथ नियमित अन्तरालों पर उचित मार्ग दर्शन दिया जाए तथा विभिन्न

देशों में विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की संभावना बताई जाए तो इस देश के किसान तथा उद्योग धंधे में लगे लोग इतने बुद्धिमान तथा प्रतिभा शाली हैं कि वे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तथा आयात से बचा जा सकता है एवं निर्यात में वृद्धि हो सकती है। निःसन्देह, सरकार ने निर्यात संवर्द्धन की दिशा में पर्याप्त उपाय किए हैं। इसे और अधिक किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि इस संबंध में यदि इस देश में लोगों को समुचित रूप से जागरूक किया जाए तो विकिसित प्रौद्योगिकी तथा अन्य अपरिहार्य मदों का आयात करके और इस देश से उतने मूल्य का निर्यात करके वस्तु-विनिमय प्रणाली भी लागू की जा सकती है।

चूंकि तम्बाकू, कपास, मिर्च, जैसी कुछ वस्तुएँ, जिनका व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में है, वे उत्पादकों में निराशा उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि वे इनके निर्यात से होने वाले वास्तविक लाभों को उन्हें नहीं मिलने दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण मदों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारों को अपनी निर्यात संगठन बनाने की अनुमति दी जाए, परन्तु वह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण में हो।

महोदय, आयात और निर्यात बैंक बना दिया गया है और वे निर्यात के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु इसका कार्य विस्तार किया जा सकता है तथा विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों में इसकी शाखाएं खोलकर इसके क्रिया कलाप में सुधार किया जा सकता है, ताकि स्थानीय लोगों को भी मालूम हो सके कि भारत सरकार उन्हें बैंकों के माध्यम से किस-किस प्रकार की सुविधायें प्रदान कर रही है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत सरकार क्या-क्या सुविधाएं दे रही है।

जहां तक निर्यातोन्मुखी तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योग की मंजूरी का संबंध है, तेजी से मंजूरी प्रदान करने तथा वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास तथा ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग के लिए जरूरत इस बात की है कि लाल-फीताशाही को कम किया जाए जिसके कारण 25% उत्पादन कम हो रहा है और समाज का मूल्यवान समय भी बर्बाद हो रहा है। मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा थोड़ा अधिक प्रयास करके इससे बचा जा सकता है।

जहां तक इस देश से निर्यात किये जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण का संबंध है, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य उनका कुछ भी क्यों न हो, मंत्रालय को इन वस्तुओं का मानक तथा उचित मूल्य दिलाने के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए, ताकि यह उत्पादकों एवं निर्यातकों के संकट निवारक के रूप में कार्य करें। इससे उत्पादक अपनी शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में उतार चढ़ाव के बाजार उत्पादन बढ़ाने में लगा सकेंगे। उनको प्रेरणा देने के साथ-साथ इसका दूर गामी प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, यह एक अच्छी बात है कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में मुक्त व्यापार क्षेत्र

[श्री के० एस० राव]

तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इस सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे पता चला है कि निर्यात संसाधन क्षेत्रों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों के लिए काफी धनराशि मंजूर की गई है। निर्यात के हित में ऐसा करना ठीक है परन्तु खेद के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को आन्ध्रप्रदेश का भी ध्यान रखना चाहिए। विजाग पत्तन एक ऐसा पत्तन है जिसकी बहुत भारी क्षमता है तथा यहां से अनेक वस्तुएं निर्यात की जा सकती हैं। पिछले तमाम वर्षों के दौरान इसकी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में केवल कृषक समुदाय के लोग ही रहते हैं जो कि कृषि पर आश्रित हैं, और विजाग में आरम्भ किये जाने वाले मुक्त व्यापार क्षेत्र से वे निर्यात सम्बन्धी क्रिया कलाप भी कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि होगी। समुद्र में अप्रयुक्त संपदा सहित ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में 1,000 कि० मी० तटवर्ती क्षेत्र है। आन्ध्रप्रदेश क्षेत्र में झींगा मछली तथा मछली पकड़ने की काफी गुन्जाइश है। कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अतः जिन लोगों की इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता है वे मौके का लाभ उठा सकते हैं तथा राष्ट्रनिर्माण में सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि आंन्ध्रप्रदेश में थोड़ी बहुत भी सुविधाएं दी जाए।

आन्ध्रप्रदेश में अनेक अन्य मदें भी हैं। वहाँ प्रचुर मात्रा मे कपास उपलब्ध है। यदि उचित सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया जाए तो इसे प्रत्येक वर्ष खपाया जा सकता है। कपास, तम्बाकू, मिर्च जैसी कोई भी जिन्स, जिसका दूसरे देशों में अच्छा बाजार हो, आन्ध्रप्रदेश में उगाई जा सकती है, विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों में अथवा जहाँ सुनिश्चित जल आपूर्ति उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश में मुर्गी पालन, पशु पालन, डेरी उत्पादन, मांस तथा सब्जियाँ पैदा करने के अवसर बतायत में उपलब्ध है।

अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि या तो विशाखापत्तनम पत्तन को तुरन्त मुक्त व्यापार क्षेत्र बना दिया जाए अथवा आन्ध्रप्रदेश में किसी अन्य स्थान को निर्यात संसाधन क्षेत्र बनाया जाए। विभिन्न मदों, जिनका उत्पादन किया जाना चाहिए। तथा जिनकी विश्व बाजार में अच्छी मांग होने की संभावना है, के बारे में आन्ध्रप्रदेश में काफी प्रचार किया जाना चाहिए।

मेरी कामना तथा विश्वास है कि नये मंत्री श्री पी० शिवशंकर महोदय के सुयोग्य मार्ग दर्शन में वाणिज्य मंत्रालय काफी फले फूलेगा तथा सफल रहेगा। और शीघ्र ही व्यापार घाटे को पूरा कर लेगा।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सबसे पहले मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान अपने देश की कठिन आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1984-85 के दौरान हमारे देश में विदेशी 1,000 करोड़ रुपये विदेशी पूंजी आई दूसरी ओर सरकार तथा कई अन्य लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि हमारे देश में लगभग 90,000 करोड़ रुपये का काला

धन विद्यमान है, यद्यपि विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही है। विदेशी सहयोग मांगा जाता है और यह मिलता है। और नियम काफी आसान बना दिए गए हैं।

एक कहावत है कि इतिहास स्वयं को दोहरता है प्राचीन समय में सिराजुद्दौला ने भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को लाइसेंस दिया था अब हम विदेशियों तथा बहुराष्ट्रीयों को अपने देश में व्यापार के लिए बुलाते हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हमारी सरकारी ही अपने हाथ में ले ली और हमें सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का जुआ ढोना पड़ा और हमारी पहचान तक खो गई।

अब हमारी सरकार प्रत्येक चीज के कम्प्यूटीकरण के बारे में सोच रही है। विद्यार्थियों को सब कुछ पढ़ाने के लिए कम्प्यूटर से अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थियों ने अपनी पुस्तके पढ़ना बन्द कर दिया है। वे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर चाहते हैं। हमारी सरकार कम्प्यूटर के प्रति बहुत आकर्षित हो रही है।

हमारे इतिहास में मुहम्मद तुगलक ने सोचा था कि······

श्री पी० शिवशंकर:—कम्प्यूटरों के बारे में ?

श्री पीयूष तिरकी:—यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप गलती सुधार कर दीजिए। उसने चाहा था कि इस देश की राजधानी दौलताबाद में होनी चाहिए और उन्होंने लोगो को दिल्ली से देवगिरि जाने के लिए कहा। लेकिन लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे बहुत गरीब थे। अब आपने लोगों को 21 वीं शताब्दी की ओर बढ़ने के लिए कहा है। किन्तु देश के लोग तैयार नहीं हैं। 51 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है तथा 70 प्रतिशत जनता अनपढ़ है—और आप उन्हें 21 वीं शताब्दी में चलने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार यह तो उस राज्य की बात के समान ही हुआ जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए कहा था। प्रयोग असफल रहा तो उसने कहा, हमें दिल्ली वापस चलना चाहिए क्योंकि पहले ही समस्याएं आ गई हैं। लोगों ने कहा—

"हमारे पास पैसा नहीं है।"

तब राजा ने कहा—"आप बैंक से पैसा क्यों नहीं लेते?" इस प्रकार सारा पैसा लोगों को दे दिया गया और इस प्रकार राजकोष में कोई पैसा नहीं बचा। इसी प्रकार आप भी बैंक खोलें और ऋण-मेला लगायें। चाहे लोगों को ऋण चाहिए या नहीं, आप उन्हें ऋण लेने के लिए कह रहे हैं। किन्तु वाणिज्य मंत्रालय को पैसा लेने या ऋण देने से पहले सोचना चाहिए कि पैसा वापिस आना चाहिए। जाने-अनजाने ऋण बिना किसी बात के दे दिए जाते हैं और हानि तो होती ही है। आप इन सब बातों से छुटकारा कैसे पायेंगे? आपको इस बात के बारे में विचार करना है क्योंकि आपको बहुत अच्छा जनमत प्राप्त हुआ है और लोग सोचते हैं कि आप अर्थव्यवस्था को सही रखेंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे और—लोगों का भविष्य उज्ज्वल

[श्री पीयूष तिरकी]

होगा और—वे अन्य विकासशील यहां तक कि विकसित देशों के साथ 21 वीं शताब्दी की ओर बढ़ सकेंगे।

अब मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की—

वह है जीवन रक्षक औषधि। मैं आपकी अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रक्षक औषधि देना चाहता हूं। किसी ने भी इसकी बात नहीं की है। भारत में केवल चाय उद्योग ही लाभदायक उद्योग है। और करोड़ों लोग इसमें लगे हुए हैं। जिनका 55 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह बहुत लाभ प्रद उद्योग है किन्तु चाय बागानो के श्रमिकों की स्थिति क्या हैं? उन्हें कम से मक 6000 मीट्रिक टन चावल चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त चावल है क्योंकि फसल काफी अच्छी है। किन्तु जहां तक चाय बागानों में लगे हुए लोगों का संबंध है यहां यह बताया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम उन्हें प्राप्य राशन नहीं दे रहा है।

चाय बागानों के बाद —

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पीयूष तिरकी : कृपया व्यवधान न डाले अन्यथा चाय बागान के लोग आपको चाय बिल्कुल नहीं देंगे।

श्रीमती गांधी ने भी कहा था—मैं उनके कथन को उद्धृत करना चाहूंगा:—

"14 जनवरी 1982 को स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम का लक्ष्य अन्य कामों के साथ-साथ अन्य अधिकार प्राप्त लोगों और श्रमिकों की जीवन स्थितियों को तीव्र गति से सुधारना था। ऐतिहासिक तथा परम्परागत रूप से चाय बागानों के श्रमिक अल्पाधिकार प्राप्त वर्ग में हैं।"

इस प्रकार ये अल्पाधिकार प्राप्त लोग हमें सोना दे रहे हैं, वे आपको आपकी डोलती हुई अर्थव्यवस्था के अन्धेरे से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये लोग काफी अनपढ़ हैं। चाय बागानों में कार्य करने वाले शिक्षित लोगों का प्रतिशतांक 0.2 है। वे बहुत मेहनती लोग हैं। इन लोगों के लिए कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य संम्बधी तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि वे देश की सहायता कर रहे हैं; देश को उन्हें भी सहायता पहुंचानी चाहिए। इन चाय बागानों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। क्योंकि ये चाय की कम्पनियों तथा चाय के बागानों में कार्य करने वाले देश को तथा वाणिज्य मंत्रालय को सहायता पहुंचाने के लिए विशेष रूप से आगे आये हैं। क्योंकि चाय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रक्षक औषध बन गई है। एक बार मैं फिर वाणिज्य मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे चाय उद्योगसे सम्बन्धित पूरे मामले को देखें। मैं वाणिज्य मन्त्री जी से चाय उद्योग तथा इसमें सुधार करने के लिए कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं चाय उद्योग तथा विदेशी आय के बारे में सबकुछ कहना चाहूंगा। हमारे लोग धन-धान्य पूर्ण हों। इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था सामूहिक तौर पर बहुत बुरी स्थिति में है। आपको गहराई से सोचना चाहिए। आपकी कम्प्यूटर के आंकड़ों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। कम्प्यूटर के आंकड़े सरकार को गुमराह कर सकते है।

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लोर) : महोदय, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता कोई अर्थ नही रखती। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अनेक राष्ट्रों ने आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने के कारण अपना अस्तित्व खो दिया है। किसी भी राष्ट्र का स्थायित्व उस राष्ट्र के वाणिज्यिक क्रिया-कलापों पर निर्भर करता है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद कई राष्ट्र अब विकसित देश हैं जबकि हमारा देश अब भी विकासशील है। यह सच है कि प्रत्येक राष्ट्र जापान या जर्मनी नहीं बन सकता कि जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए विध्वंसों के वावजूद भी अपने राष्ट्र को मजबूत बना लिया है। ब्राजील जैसे कुछ अन्य राष्ट्र भी हैं जो काफी आगे बढ़ चुके हैं। स्वतन्त्रता के बाद 38 वर्ष बीत चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी स्थिति क्या है? रिकार्ड बहुत खराब हैं। विश्व व्यापार में हमारा भाग घटता जा रहा है। भारत विश्व बाजार में स्थान खो रहा है। 1960 में भारत का निर्यात विश्व निर्यात का 1.1 प्रतिशत था। वर्ष 1984 तक हमारा शेयर घटकर 0.5 प्रतिशत रह गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हम विश्व बाजार में अपने स्थान खो रहे हैं। सरकार यह कह कर ढोल पीट सकती है कि हम अब इस स्थिति में हैं कि पारम्परिक मदों से आधुनिकतम इन्जीनियरिंग मदों तक विभीन्न उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं। ऐसा लगता है, सरकार हमारे प्रौद्योगिक विकास से संतुष्ट है। यदि हम अपने विशाल संसाधनों की तरफ अपनीं तकनीकी जनशक्ति अन्र्राष्ट्रीय मामलों के परिमाण और स्थिति की ओर ध्यान दे और फिर देखें कि हमारी उपलब्धि क्या रही तो हम पायेंगे कि वह संतोषजनक कत्तई नहीं रही। पिछले 25 वर्षों के दौरान हमारे विदेश व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारा आयात, वह गत कुछ वर्षों से निर्यात से काफी अधिक रहा है। आयात बढ़ रहा है जबकि निर्यात घट रहा है। 1985-86 के पहले पांच महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हमारा निर्यात 4413 करोड़ रुपये से घटकर 3763 करोड़ रुपया हो गया हैं, अर्थात 15 प्रतिशत घट गया है। इसी अवधि के दौरान आयात 6520 करोड़ रू० से बढ़कर 7366 करोड़ रुपये का हो गया। यह आयात में हुई 16 प्रतिशत की वृद्धि है। यह सरकार निर्यात की अपेक्षा आयात में अधिक रूचि रखती है।

साधारण से साधारण चीज भी जिसका देश में निर्माण हो सकता है अब आयात कीं जा रही है। अधिक से अधिक वस्तुओं को ओ० एन० जनरल लाईसेंस के अन्तर्गत लाया जा रहा है। महोदय, देश में लघु उद्योगों को वढ़ावा देने के स्थान पर सरकार वास्तव में उन्हें समाप्त कर रही है। अव्यवस्थित आयात के कारण अनेक लघु उद्योग बन्द होने को हैं। उद्यमी निराश हैं।

[श्री पी० पेंचालैया]

अतः बड़ी संख्या में होने वाली व्यापार हानि को रोकने के लिये सरकार को अव्यवस्थित आयात को रोकना चाहिए। उद्यमियों को आयात प्रतिस्थापन के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

देश में प्राकृतिक संसाधनों अकाल का नहीं है। हमें एक बहुत लम्बा तटवर्ती क्षेत्र उपलब्ध है। थोड़े से पूंजीनिवेश से समुद्री सम्पदा का पता लगाया जा सकता है। हमें अक्सर समाचार मिलता रहता है कि विदेशी मत्स्यपोत हमारे समुद्री जल क्षेत्र में चोरी से मछलियां पकड़ते हैं। समुद्री उत्पादो जैसे मछली का पता लगाने और निर्यात करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में हमारे पास बहुत लम्बा तटवर्ती क्षेत्र है। प्रोत्साहन देकर मछुआओं को प्रोत्साहित करके हम मछली और अन्य उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं और अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। ये मछुआरे आजकल कष्टप्रद जीवन बिता रहे हैं और बिचौलियों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है।

अतः सरकार को सीधे मछुआरों से ही मछली खरीदनी चाहिए और उसका निर्यात करना चाहिए। साथ ही इन मछुआरों को वित्तीय सहायता देकर सरकार हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि कर सकती है।

सभा पति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० पेंचालैया : इसी प्रकार अभ्रक जैसे खनिज के निर्यात से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। इन सभी वर्षों में हम केवल लौह अयस्क के निर्यात में ही लगे रहे। अब समय आ गया है कि हम दूसरे खनिजों का भी निर्यात करें। अभ्रक आन्ध्र प्रदेश में विशेषतः केलोर में बहु-मात्रा में उपलब्ध है। यह उन ठेकेदारों के हाथ में है जो गरीब मजदूरों' छोटे और मध्य वर्ग के व्यापारियों का शोषण करते हैं। अभ्रक व्यापार निगम बनने के बाद बहुत सी खानें पहले से ही बन्द हो चुकी हैं। बहुत सी खानें अब बन्द होने जा रही हैं। सम्पूर्ण अभ्रक व्यापार को एक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है। वास्तव में आपकी पार्टी को इतना समय नहीं मिला था। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री जी० पेंचालैया : जब व्यापारियों को विदेशों से क्रयादेश मिलते हैं तो इनमें से 50% क्रयादेश अभ्रक व्यापार निगम को दिये जाने चाहिए। अभ्रक व्यापार निगम का क्या उपयोग है? यदि अभ्रक व्यापार निगम को इस क्षेत्र से कतई निकाल दिया जाए केवल तभी अभ्रक व्यापार को बचाया जा सकता है। अतः सरकार को आगे आना चाहिए और अभ्रक व्यापार को बचाना चाहिए। इससे न केवल हजारों कामगार भुखमरी से बचेंगे अपितु अभ्रक निर्यात से सरकार बहुत अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकेगी।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री जी० पेंचालैया : श्रीमान् जी, पारम्परिक वस्तुओं के अधिक से अधिक निर्यात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे रोजगार भी मिले।

ऐसे बहुत से कारीगर, हथकरघा श्रमिक हैं जो ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं जिनके ग्राहक अन्तराष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से मिल सकते हैं।

सभापति महोदय : और कोई भी बात अब कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यदि आप अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे।

(**व्यवधान**) **

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**) आप समय बरबाद कर रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

वास्तव में आपकी पार्टी को 3 मिनट का समय दिया गया था किन्तु मैंने आपको अधिक समय दे दिए हैं। (**व्यवधान**)

कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको यह सब पढ़ने को अनुमति नहीं दे सकता जो आपने तैयार किया है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**) **

** **वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यधिक धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दिए। उनमें से अनेकों ने निसंदेह ऐसे सुझाव दिये। जिन्हें आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता। व्यापार-अन्तराल के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त्व की गई चिन्ता की मैं सराहना करता हूं।

श्रीमान् जी, विस्तार से तो अभी बता दूंगा। फिलहाल मैं और मेरा मन्त्रालय हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो व्यापार-अन्तराल से आया है इससे काफी चिन्तित हैं। देश के अन्दर और बाहर फैले हुए औद्योगिक वातावरण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा वस्तु की गुणवता जैसे तत्वों का निश्चित रूप से मेरे मन्त्रालय के निष्पादन पर असर पड़ता है और इनके अलावा अभी कुछ समय से विकसित देशों द्वारा अपनाए जा रहे संरक्षण, रवैये ने चिन्ता को और बढ़ा दिया है। जब आप वाणिज्य

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० शिव शंकर]

मंत्रालय के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको इन सभी मुद्दों का ध्यान रखना होगा। श्रीमान जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, व्यापार-अन्तराल के प्रश्न पर सदस्यों में व्याप्त असंतोष सही है। कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय आंकड़े दिए हैं, मैं उनकी ओर तत्काल ध्यान देना चाहता हूं, किन्तु मैं उन सभी बातों को शामिल नहीं करना चाहता जिन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। मैं इस अवसर पर सभी उद्यमियों और उन सभी संबद्ध व्यक्तियों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस व्यापार अन्तराल को कम करने में देश की सहायता करें। मैं उद्योगपतियों, कृषि वैज्ञानिकों, और अन्यों की देश भक्ति की भावनाओं से अपील करता हूं कि निर्यात की दशा में अपनी गतिविधियों में तेजी लाएं ताकि भविष्य में राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था पर किसी भी रूप में संकट न आए। मैं यह अपील अपनी पार्टी के विचार से अथवा अन्य ऐम ही किसी विचार के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूं। यदि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, बढ़ते हुए व्यापार अन्तराल से मैं वाकई चिन्तित हूं। बेशक कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि यह व्यापार-अन्तराल लगभग 6000 करोड़ रुपए या इससे भी कुछ अधिक होगा। मैं इससे भी खराब स्थिति की संकल्पना कर कर रहा था। मेरे अपने विचार से हम अन्तराल की सीमा ** 9000 करोड़ रुपए हो सकती है। मैं इन आंकड़ों को छिपा रह सकता। क्योंकि ये आंकड़े मेरे साथ हुई चर्चाओं पर निर्भर है और मेरे अनुमान पर आधारित हैं। इस पृष्ठ भूमि में यह भी आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्र और विशेषतः वे लोग जो व्यापार, उद्योग और कृषि से सम्बद्ध हैं। विदेशों से हमारे व्यापार को सुदृढ़ बनाने में सहायता करते है। इन्हें हमारी सहायता के लिए आगे आना चाहिए और इसमें तीव्रतर उन्नति भी होनी चाहिए। इस व्यापक दृष्टि कोण पर अपने विचार व्यक्त करके मैं सीधे ही विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए पहलुओं पर आता हूं। कुछ माननीय सदस्यों में यहां तक कहा है कि विश्व बाजार में हमारी शाख गिर रही है। मैं नहीं समझता कि उनका यह नजारिस सही है, वास्तव में मेरे विचार से यह कोई बहुत ही निराशाजनक स्थिति नहीं है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है। हमने अच्छा कार्य किया है। जहां मैं अपने व्यापार, उद्योग और कृषि विज्ञानिकों और अपने विभाग की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। वहां मैं विद्यमान प्रणाली की कमजोरियों के प्रति भी सचेत हूं। किन्तु इसके बावजूद मैं बेहतर कार्य-निष्पादन चाहता हूं। निष्पादन अच्छा रहा है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर से श्रेष्ठ और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों से भारत अपने लक्ष्य में सफल होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उदाहरणार्थ दो मानयीय सदस्यों ने, जिनमें पिछले व्यक्तव्य शामिल हैं, यह बताने की कोशिश की है कि विश्व बाजार में हमारी शाख गिर रही है।

4.00 म० प०

श्रीमान् यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि 1950 में विश्व व्यापार में हमारा भाग 2% था। 1960 में क्या यह 1.04% तक आ गया। 1970 में यह 0.65% तक और नीचे आ गया और 1980 में इससे 0.42% तक गिरावट आई। किन्तु मुद्दा यह है कि माननीय सदस्य यह

** बाद में इसे संशोधन करके 7000% करोड़ रुपए किया, देखिए

भूल गए कि इस बीच विश्व व्यापार में कितना तीव्र विस्तार हुआ है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे व्यापक दृष्टिकोण से दें? और यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि 1960 में 1,28,250 मिलियन अमेरिकन डालर का मूल्य का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ था और इस समय हमारे अंश की प्रतिशत 1.04% थी। 1970 में हमारे व्यापार की प्रतिशतता गिर गई और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि यह घटकर 0.65% रह गया। किन्तु उस समय विदेश व्यापार 31411 मिलियन डालर की राशि तक बढ़ चुका था। (व्यवधान) मैंने कहा है कि एक दशक में विश्व व्यापार में तीन गुना वृद्धि हुई। इसीलिए हमारी प्रतिशतता कम हो गई है। किन्तु 1980 में इसकी मात्रा 20,01,551 मिलियन अमेरिकन डालर हो गई, जो कि 1970 के विश्व व्यापार की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक थी। इससे हम और अधिक नीचे आने के लिए मजबूर हुए और इसमें 0.42 प्रतिशत तक गिरावट आई। अतः जब आप विश्व व्यापार में भारत का अंश निर्धारित करने के विचार से मेरे मन्त्रालय की आलोचना करते हैं तो आप विश्व व्यापार में कृपया समय-समय होने वाले व्यापक विस्तार को भी ध्यान में रखें।

4.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि 1985–86 के लिए हमारा लक्ष्य 11.736 करोड़ रुपए निश्चित किया गया था। हमारा निष्पादन इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए और मैं यह कहूगा कि जब से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कुछ मामले विशेषतः अशोधित तेल और पैट्रोलियम के निर्यात में व्यापक अन्तराल आया। यदि आप 1984-85 की स्थिति देखें तो पायेंगे कि 1500 करोड़ रुपए से अधिक का अशोधित तेल निर्यात किया गया था। इस बार ऐसी कोई सम्मावना नहीं है। किन्तु फिर भी निर्धारित लक्ष्य 11736 करोड़ रूपए था और सम्भव है कि 11525.6 करोड़ रुपए तक की ही उपलब्धि हो पाए। मुझे अन्तर यही दिखाई पड़ रहा है कि हम इस लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेगे क्योंकि उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए तक की कमी रह जाएगी। किन्तु यह कार्य-निष्पादन कोई बुरा नहीं होगा; बल्कि अच्छा ही माना जायेगा किन्तु हम इसमें काफी सुधार ला सकते हैं जैसा कि मैं कह चुका हूं।

यदि आप पिछले वर्षों पर नजर डालें, हालांकि मेरे पास बहुत पहले के आंकड़े नहीं हैं फिर भी 1980 के बाद के आंकड़े हैं। वर्ष 1979-80 से निर्यात निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

1979-80	—	6418.43 करोड़ रुपए
1980-81	—	6710.71 करोड़ रुपए
1981-82	—	7805.91 करोड़ रुपए
1982-83	—	8803.31 करोड़ रुपए
1983-84	—	9872.10 करोड़ रुपए
1984-85	—	11656.93 करोड़ रुपए

[श्री पी० शिवशंकर]

यदि आप इस दृष्टि से देखें तो पता लगेगा कि हर वर्ष थोड़ी सी प्रगति हुई है, सच बात तो यह है कि बस केवल इसी वर्ष ऐसा नहीं हुआ। इस वर्ष 11,525.6 करोड़ रुपए का ही निर्यात हुआ। जब कि पिछले वर्ष अर्थात 1984–85 में 11656.93 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। अतः इसमें कमी आई है। मैंने यह स्पष्ट करने की भी कोशिश की है कि जब हम यह महसूस करते हैं कि यह 1984-85 की तुलना में काफी कम है तो इस वर्ष जो स्पष्ट अन्तराल है वह इसीलिए है क्योंकि 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य वाले कच्चे तेल के निर्यात को 1984-85 से ही निर्यात की अन्य मदों के साथ शामिल किया गया था और इस वर्ष केवल 140 करोड़ रुपए मूल्य के कच्चे तेल का ही निर्यात किया जा सका है इससे काफी अन्तराल आ जाता है और यदि आप ईंधन की इस मद को हटा दें तो कार्य-निष्पादन काफी अच्छा सिद्ध होगा। किन्तु देश की महती आवश्कता तथा हमारी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को ध्यान में रखें, तो निश्चय ही यह कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें प्रगति तो करनी ही है। यद्यपि हमारी आर्थिक नीति काफी सुदृढ़ है फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मात्रा में तेजी से वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

मैंने इन सब ब्यौरों की व्याख्या करने के लिए जो प्रयास किया वह इसीलिए कि कार्य-निष्पादन भले ही अपेक्षानुसार न हुआ हो लेकिन अच्छा तो है ही। कार्य निष्पादन तो अच्छा है लेकिन बहुत कुछ अभी किया जाना है और इसीलिए हमने समाज के विभिन्न वर्गों की देश-भक्ति भावनाओं को देखते हुए उनसे अनुरोध किया है ताकि बाद में किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए।

अब मैं अप्रैल, सितम्बर 1985 का जिक्र करूंगा। अनेक माननीय सदस्यों ने इसका बिल्कुल सही अध्ययन किया है। उन्होंने बिल्कुल सही आंकड़े उद्धृत किए हैं। किन्तु मैं उनके कुछ कारण बताना चाहूंगा। यदि मैं इन आंकड़ों के होने की वजह को समुचित आधार नहीं दे पाऊंगा तो मैं खुले मत से अपनी गलती मान लूंगा। मैं माननीय सदस्यों के सामने वे सभी वास्तविकताएं बताना चाहता हूं कि हम किन कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं इत्यादि। आखिरकार हमें संसाधनों सम्बन्धी अड़चनों का सामना भी करना ही पड़ता है। जब बजट तैयार किया जाता है तो ऐसी विभिन्न स्कीमों पर भी ध्यान देना पड़ता है जिन पर खर्च बिल्कुल अत्यावश्यक होता है, चाहे वह रक्षा हो, ऊर्जा हो या कोई और क्षेत्र हो।

संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखें तो मेरी राय में कार्य-निस्पादन बुरा नहीं रहा है, यदि हम वर्ष 1985-86 के दौरान अप्रैल—सितम्बर 1985 पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि हम 5017 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाये थे जबकि 1984-85 की उसी अवधि में 5054 करोड़ रूपये तक के लक्ष्य तक हम पहुंच चुके थे। मैं इस कमी के कारणों के बारे में बताना चाहता हूं:—

(क) कच्चा तेल और चीनीं का निर्यात नहीं किया जा रहा है;

(ख) चाय, पटसन की वस्तुओं, अरंडी के तेल और इलायची का अपेक्षाकृत कम यूनिट मूल्य;

(ग) पश्चिमी समुद्र तट पर झींगा मछली का कम मात्रा में पकड़ा जाना;

(घ) एफ्लेटॉक्सिक मानकों के कारण मूंगफली के तेल से बने भोज्य पदार्थों के निर्यात की समस्या; तथा

(ङ) इन्जीनियरी क्षेत्र का निम्नतर कार्य-निष्पादन।

इन विभिन्न कारणों के फलस्वरूप कार्य-निष्पादन इतना अच्छा नहीं रहा जितनी आशा थी। वस्तुत: मैं पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं और पुन: फिर बता रहा हूं कि पिछले वर्ष 1500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कच्चे तेल का निर्यात किया गया जो कि मेरे विचार से काफी अधिक है। जहां तक आयात के प्रश्न का संबंध है इसी अवधि के दौरान आयात में आधे से अधिक वृद्धि उर्वरक जैसी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई है।

मशीनरी तथा उपकरणों के आयात के कारण अधिक निवेश हुआ है तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। माननीय सदस्यों ने भी यही रियल्टी की है कि आयात की आयात में वृद्धि का कारण यह है कि आयात की नीति ही उदार बनाई गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है। मैं आपका ध्यान पहले ही इस बात की ओर आकर्षित कर चुका हूं कि बल्क वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि हुई है तथा यह सत्य है कि मशीनरी तथा उपस्करों का आयात भी बढ़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने मशीनरी तथा उपस्करों के आयात के बारे में आयात को उदार बना दिया है, यदि इससे जनता की आर्थिक संभावनाएं बेहतर होती हैं अर्थात यदि मशीनरी का आयात किया जाता है तथा उससे निर्माण प्रक्रिया में तेजी आती है तो वह स्वाभाविक है कि जनता आर्थिक रूप से समृद्ध होगी। यह मामले का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि मशीनरी तथा उपस्करों के आयात के सन्दर्भ में बहुत सी रियायतें दी गई है यदि इनका उपयोग निर्यात करने वाली वस्तुओं का निर्माण करने के उद्देश्य से किया जाता है तो इस पर जोर दिया जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार की गतित्रिधियों पर जोर दिए जाने तथा इस उद्देश्य के लिए बनाई गई नीति के कारण आयात में थोड़ी वृद्धि का होना स्वाभाविक है। यदि एक मिनट के लिए हम यह मान भी लें कि हम देश में खपत अथवा निर्यात के लिए विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के उद्देश्य से मशीनों का आयात नहीं करते तो वस्तुतः इसका परिणाम यह होगा कि देश उन्नत नहीं करेगा। देश की आर्थिक संभावनाएं मन्द हो जाएंगी। इसी कारण वश यह कार्य किया गया है। मैं इस मुद्दे से पूरी तरह सहमत हूं कि हम बहुत बड़ी छलांग नहीं लगा सकते परन्तु स्थिति तो ऐसी है कि हमें यह सब करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताना चाहा है कि दुर्भाग्य से संसाधनों की कमी है। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक ही चलना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वस्तुत: कार्यनिष्पादन इससे बेहतर हो सकता था। जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने रबड़ का उल्लेख किया है। जो मैं कहना चाहता हूं उसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा।

[श्री पी० शिवशंकर]

सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्थिति यह है कि रबड़ उद्योग को 53 करोड़ रुपए की धन राशि आवंटित की गई है। इस वर्ष हम 38 करोड़ रु० का रबड़ आयात कर रहे हैं। तथा यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है तथा सन 2000 में हमें प्रति वर्ष 100 करोड़ रु० के रबड़ का आयात करना पड़ेगा। अब स्थिति यह है कि विस्तार से देखने पर हमने देखा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में यदि 100 करोड़ रु० खर्च किए जायें तो सन् 2000 के अन्त तक हम आत्म-निर्भर हो सकते हैं। इसलिए मैंने प्रधानमन्त्री से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी इसमें कुल 47 करोड़ रुपए की कमी है—यदि यह राशि इसी वर्ष उपलब्ध कराई जा सकती है, 38 करोड़ रू० के रबड़ का आयात किया जा चुका है। अगले वर्षों में यह बढ़ता ही जाएगा, और अन्ततः वर्ष 2000 में यह 100 करोड़ रु० हो जाएगा। इसलिए यदि आप यह देखें कि अगले वर्षों में रबड़ के आयात के लिए हमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी तो 47 करोड़ रु० का व्यय कुछ अधिक नहीं है यद्यपि उसका परिणाम इस शताब्दी के अन्त में ही पता चलेगा। प्रधानमन्त्री काफी प्रसन्न हुए थे उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। कुछ किया जाना चाहिए; यदि अन्तर कम होता है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करते है। परन्तु प्रश्न यह है कि संसाधनों की कमी है, तथा मेरे सहयोगी वित्तमन्त्री महोदय की अपनी कठिनाई है। जिसका उन्हें सामना करते विभिन्न विभागों को राशि का आवंटन करना पड़ता है हमारी अभिलाषा हमेशा अधिक की रहती है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी मांग हमेशा बहुत अधिक की रहती है। परन्तु उन्हें तो देश की विभिन्न आवश्यकताओं के हिसाब से राष्ट्रीय संसाधनों को वितरित करना होता है। अतः यह स्थिति है जिसे मैं माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था।

1985-86 के पूर्वार्द्ध में हमने समुद्री उत्पादों, फल तथा सब्जियों, काजू, चावल, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, हस्तनिर्मित कालीन, मशीनरी, परिवहन, उपकरणों, चमड़े तथा चमड़े के सामान, कीमती पत्थर और आभूषण आदि जैसी निर्यात मदों का काफी निर्यात हुआ है। परन्तु चाय, चीनी, खली, मसालों, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कम हुआ है। जिसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इस कारण वश भारत सरकार नीति अपना रही है जिससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हम ऐसी नीति अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसमें निर्यात की संभावना वाले क्षेत्रों में निवेश की वृद्धि हो सकेगी। हम निर्यात उत्पादों की किस्म तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार कर रहे हैं ताकि निर्यात को लाभदायी बनाया जा सके। हम आधारभूत ढांचे के कार्यकरण में सुधार का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि हमारे निर्यात प्रयत्नों की यह सबसे बड़ी समस्या है।

विदेशों में बहुपक्षीय ढंग से संवर्द्धनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। यह बराबर प्रयत्न किए जा रहे हैं कि व्यापार नीति के मामलों में भारत के हितों को बढ़ावा दिया जाए, उनकी रक्षा की जाए ताकि हमारा माल आसानी से प्राप्य हो। यह नीति के मुख्य मानदण्ड हैं। जिन्हें हम अपना रहे हैं ताकि निर्यात व्यापार में अधिकाधिक वृद्धि हो सके।

1985 के वित्त अधिनियम में यह व्यवस्था है कि निर्यात का 50 प्रतिशत लाभ व्यापार ग्रहों द्वारा रखा जाए ताकि वह निर्यात बढ़ाने के अधिक प्रयत्न करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी निर्यात वस्तुओं के लिए 12 प्रतिशत की रियायती दर यह 180 दिनों के लिए लदान पूर्व ऋण उपलब्ध कराने की मंजूरी तथा अधिसूचना दे दी है। जिससे निर्यात क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन विभिन्न उपायों की ओर दिलाने का प्रयास कर रहा हूं जो हमने किए हैं ताकि वह स्वयं मन्त्रालय के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा कर सके। जैसा कि मैंने कहा है, कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है। किन्तु हम संसाधनों की कमी एवं समस्याओं का सामना कर रहे हैं किन्तु फिर भी अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यही बात माननीय सदस्यों के समक्ष रख रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से केवल यही कहना चाहता हूं कि विभिन्न पहलुओं पर मैं जो निवेदन कर रहा हूं वे उसी के परिपेक्ष्य में हमारे कार्य की जांच करें।

सिलेसिलाए वस्त्र, चमड़े के सामान, हीरे तराशने एवं पालिस करने के औजार, समुद्री उत्पाद के उपकरणों आदि पर निदेश को प्रोत्साहन देने के लिए पैमाने पर आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी कर दी गई है। जिससे हमारे उत्पादों की किस्म, परिसज्जा तथा उत्पादकता में सुधार हो सके। लौह अयस्क तथा तम्बाकू पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया है। नकद प्रतिपूर्ति समर्थन योजना पूर्णतया पुनः बनाई जा रही है ताकि केवल अन्तिम उत्पाद पर ही नहीं वरन निर्यात सम्बन्धी निर्माण के निवेश पर अप्रत्यक्ष करों को पूरा किया जा सके। इस योजना के संचालन में कृषि क्षेत्र तथा हस्तशिल्प पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुल्क में कमी करने की प्रक्रियाओं को काफी सरल बनाया जा रहा है। सिद्धान्त रूप से यह निर्णय लिया जा चुका है कि यह कार्य भी मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात को सौंप दिया जाए जो सी० सी० एस० योजना भी चला रहा है।

मन्त्रालय ने इस वर्ष दो प्रमुख रिपोर्टें तैयार की हैं। वस्तुतः कुछ माननीय सदस्यों ने एक रिर्पोट का जिक्र भी किया है दोनों रिपोर्टें व्यापार नीति से ताल्लुक रखती हैं। एक रिपोर्ट आबिद हुसैन समिति की है। जिसमें से कुछ सदस्यों ने उद्धरण दिए हैं। दूसरी इंजीनियरी उत्पादों की निर्यात की संदर्शी योजना तथा नीतियों से सम्बद्ध है। उस समय की अध्यक्षता तत्कालीन भारी उद्योग सचिव, श्री कपूर, ने की थी। जहां तक भारत सरकार का सम्बद्ध है बहुत सी सिफारिशें मान ली गई हैं। कुछ विचाराधीन हैं। वस्तुतः जिन कुछ मदों के उपायों का जिक्र मैंने किया था वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले उपायों को दर्शाता है। वस्तुतः माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि तीन वर्षीय आयात नीति प्रस्तुत की जा चुकी है। निश्चय ही इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यदि आवश्यकता हो तो यत्र तत्र परिधीन परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। किन्तु आयात और निर्यात को स्थायित्व प्रदान करने और निर्यात देने के लिए इस नीति का प्रतिपादन किया गया था। संलग्न व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है इसी कारण तीन वर्षों के लिए दीर्घकालीन नीति निर्धारित की गई थी। ऐसा समाज के हित को देखते हुए किया गया था। यह समाज के केवल किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं हैं। किन्तु यह अनुभव किया गया था। कि

[श्री पी० शिवशंकर]

इससे निर्यात में वृद्धि होने में सहायता मिलेगी। और बाद में आर्थिक गतिविधियों की दलदल से समाज को छुटकारा दिलाने में सहायकहोगी, जिस की तरफ यदि हम शीघ्र ध्यान नहीं देते और अपने निर्यात की गति नहीं बढ़ाते तो फंस जाने की संभावना है।

किसी कार्य–क्रम आधार पर निर्यात के लिए उत्पादन के लिए आयात योग्य आदानों के निशुल्क मंगाने की सुविधा देने के लिए एक पासबुक योजना भी आरंभ की गई थी। अनुज्ञापत्रों की कुछ श्रेणियों का समापन और वस्तुगत नियन्त्रण के स्थान पर आयात शुल्क के माध्यम से विनिमय के कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया गया है ताकि हमारे इस तरीके से भी व्यापारिक गतविधियों की गति में वृद्धि हो सके। आयात के लिए सारणीबद्ध नीति के संबंध में समिनि की सिफारिशों का भी कार्यान्विन हो गया है। वास्तव में, जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना है उनके संबंध में हमने बहुत से उपाय किए हैं। ध्यानपूर्वक विचारणा के बाद ऐसी 14 मदों का चयन किया गया है। जहां सम्भवतः हम व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में विशेष प्रयास कर सकते हैं और हम इन मदों में अपने व्यापार को सुधार सकते हैं। और बेहतर बाजार प्राप्त कर सकते हैं। इसी विचार से हमने सोचा है कि इन विशिष्ट क्षेत्रों के संबन्ध में हमें कुछ और सुविधायें देनी चाहिए। ये क्षेत्र है–इंजीनिरिंग, क्षेत्र कृषि संबंधी क्षेत्र, समुद्री उत्पाद, बागान, हीरे तथा जवाहारात, रसायन, चर्म इत्यादि। हमने प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुविधायें दी हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास विस्तृत विवरण उपलब्ध है किन्तु यहां बताना अनावश्यक होगा। क्योंकि उसमें काफी समय लगेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेल कूद सामान के लिए जलन्धर में एक प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है। केन्द्र के लिए भवन का निर्माण पहले ही हो चुका है।

जापान को कुद्रमुख लौह–अयस्क निर्यात करके और चीन तथा यूगोलविया में नया बाजार प्राप्त करके लौह– अयस्क के निर्यात में हमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। काण्डला और बम्बई में शान्ताक्रूज में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों में उद्योग की प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता के पास फाल्टा और नोएडा में ऐसे ही चार अन्य क्षेत्र भी संस्थापित किए जा रहे हैं। आधारभूत संरचनात्मक कार्य इस वर्ष में समाप्त हो गया था। और फाल्टा और मद्रास के क्षेत्रों में कार्य–आरम्भ भी हो गया है। शान्ताकूज क्षेत्र का विस्तार आरंभ किया गया था। इसी प्रकार शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों के लिए सीमा शुल्क संबंधी प्रभार, देशी टैरिफ क्षेत्र में बिक्री और अस्वीकृत तथा रद्दी सामग्री के निपटान के लिए मार्ग निदेश जारी करके शर्तों में सुधार किया गया था। आन्ध्रप्रदेश से आये कुछ माननीय सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया था कि विशाखापत्तनम् को भी निर्यात प्रक्रियन क्षेत्र बना दिया जाना चाहिए। वास्तव में हम इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं कर पाये क्योंकि धन की कमी थी। और मुझे विश्वास है कि आगामीं वर्षों में हम कुछ कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी वित्तमंत्री महोदय मुझे और विशेषतया आन्ध्रप्रदेश से आये माननीय सदस्यों को, और सामान्य रूप में राष्ट्र को इस विशाखापत्तनम् में यह क्षेत्र विशेष स्थापित कर दिखाने में सहायक होंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते : और कुल मिलाकर विश्व को।

श्री पी० शिव शंकर : प्रोफेसर साहब, कुल मिलाकर विश्व आपका है मेरा नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका विश्व संकुचित हो रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क आपके हैं, मेरे नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वाणिज्य मंत्री जी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क नहीं हैं। वाणिज्य की क्या स्थिति होगी, हम यह सोच सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे देशीय निर्यात में विश्वास रखते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय माननीय सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाये हैं। नीति तथा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। जैसा कि मैंने कहा है, उनमें से कई माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए है। वास्तव में उनमें से कुछ को मैं काफी मूल्यवान समझता हूं। निश्चय ही मेरे लिए बिल्कुल अभी कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है; किन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा और हम निश्चय ही आवश्यक निर्णय लेंगे जिससे न केवल हमारे देश के आर्थिक जीवन अपितु समान रूप से निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इसलिए मैं दिए गए सुझावों के विस्तृत विवरण की ओर नहीं बढूंगा। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मैंने उन्हें नोट कर लिया है और निश्चय ही मैं उन सुझावों पर विचार करूंगा। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं प्रत्येक मामले के विस्तृत विवरण को देखूं। किन्तु कुछ विषय हैं जिनके लिए मैं सोचता हूं कि ध्यान दिलाया जाना चाहिए और वह सम्माननीय सभा के ध्यान में भी लाये जाने चाहिए ताकि यदि कुछ ऐसा हो जिस पर हम विचार कर सकते हो; तो मैं निश्चय ही उत्तरदायित्व से पलायन नहीं करूंगा।

सबसे पहले मैं श्री नन्जे गौडा द्वारा काफी जोरदार शब्दों में कही गई बात का उल्लेख करूंगा उन्होंने काफी विस्तृत विवरण दिए हैं। निश्चय ही 1979 से अब तक की पूरी स्थिति पर उनका अध्ययन काफी जानकारी प्रदान करने वाला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और आंखें खोलने वाला भी;

श्री पी० शिव शंकर : निसन्देह ऐसी ही है। मेरे लिए इस पर तुरन्त प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उन्होंने काफी विस्तृत जानकारी दी है। प्रथमा दृष्ट्या मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जो बात उन्होंने उठाई है वह सच है। अब प्रश्न यह है कि (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि प्रथमा दृष्टया ·····

श्री सोम नाथ चटर्जी : इसको छोड़कर कि उन्होंने निहित राशि को न्यूनतम कर दिया है।

श्री पी० शिव शंकर : आगे की जानकारी आपको कहां से प्राप्त हुई है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस विषय में वे कुछ हिचकिचा रहे थे।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कहूंगा कि उन्होंने उससे अधिक कहा है जितने की मैं उनसे अपेक्षा रखता था। किन्तु तथ्य यह है मुझे यह निःसंकोच स्वीकार करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में सब कुछ सही नहीं दिखता और कुछ तो करना पड़ेगा। इस विशेष मामले में मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं इसका विस्तार से अध्ययन करूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : किन्तु 'होना चाहिए' और 'नहीं होना चाहिए' के बीच हिचकिचाइए नहीं।

श्री पी० शिवशंकर : कृपया आप प्रतीक्षा करें। मैं यही बात बता रहा हूं। अन्यथा यह एक अन्तहीन बात होगी। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करूंगा। हम सत्यता की जांच करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेंगे, हम पूरे मामले की जांच के आदेश देंगे। और यदि आवश्यकता होगी तो कानूनी कार्यवाही करने तक की सीमा तक भी मैं उत्तरदायित्व से पलायन नहीं करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम केवल यही आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे।

श्री पी० शिवशंकर : इसलिए इस मामले में मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों में से एक ने यह प्रश्न उठाया था कि······

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इलायची के बारे में ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं उस विषय पर भी बात करूंगा। बंगाल इलायची में रुचि कैसे रखने लगा, मुझे यह समझ नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उनके काफी निकट संबंध हैं।

श्री पी० शिवशंकर : क्योंकि मेरे माननीय मित्र बहुत चबाते हैं······

श्री सोमनाथ चटर्जी : अदरक।

श्री पी० शिवशंकर : शायद आप बहुत पान खाते हैं। वही कारण हो सकता है।

महोदय, वाद-विवाद को आरम्भ करने वाले माननीय सदस्य ने योजना के अन्तर्गत नकद प्रतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब की ओर ध्यान दिलाया है। मैं यह कहूंगा कि सी०सी०एस० भुगतान की दो योजनाएं हैं, एक सरलीकृत योजना है और दूसरी सामान्य योजना है। सभी सी०सी०एस० दावों का 90 प्रतिशत से कुछ अधिक ही सरलीकृत योजना के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत भुगतान 24 घण्टे से लेकर 15 दिनों के अन्दर कर दिया जाता है। किसी निर्यातक को सरलीकृत योजना के अन्तर्गत ऐसा भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी

चाहिए, बशर्ते कि वह संतोषजनक दस्तावेज सीमा शुल्क प्रमाणित शिपिंग बिल, बैंक के द्वारा सत्यापित बीजक, निर्यात के पोत पर्यन्त निष्प्रभार के बैंक प्रमाण पत्र और निरीक्षक का प्रमाणीकरण जमा करे। मुख्य नियन्त्रक का संगठन प्रति वर्ष औसत लगभग तीन लाख अभ्यावेदनों का प्रक्रियन करता है और मैं यह कहूंगा कि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। जब मैं कहता हूं 'कोई शिकायत नहीं थी', मेरा मतलब होता है, वे इतनी नगण्य थीं कि उन पर वही बात लागू होती है जो मैं पहले कह चुका हूं। निर्यातकों द्वारा अपनाई गई सामान्य योजना में, जिनका निर्यात 'माना गया निर्यात' (demand export) है और देश से बाहर किया गया वास्तविक निर्यात नहीं है—'माना गया निर्यात' का साधारण-सा अर्थ यह है कि किसी परियोजना अथवा प्रयोजन, जिसे सरकार ने निर्यात विश्व बैंक परियोजना इत्यादि के बराबर मान लिया है।

सी०सी०एस० भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज बड़े जटिल हैं इन्हें बनाने तथा जांच दोनों में ही समय लगता है। जहां निर्यातक सरलीकृत योजना के अन्तर्गत अभ्यावेदन देता है किन्तु संतोषजनक दस्तावेज नहीं देता है, तो उसे सामान्य योजना को अपनाना पड़ता है। लगभग 25,000 से 35,000 के बीच प्रति वर्ष अभ्यावेदनों का निपटान इस सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

सी०सी०एस० भुगतान में विलम्ब सामान्य योजना के अन्तर्गत होता है और वह भी उन विभिन्न आवश्यकताओं के कारण, जिन्हें पूरा किया जाना है किन्तु की नहीं गई, जैसा कि मैंने कहा—यहां तक कि दस्तावेज बनाने और उनकी जांच में ही समय लग जाता है और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। मैं यह नहीं कहता कि·········

प्रो० एन०जी० रंगा : कम नहीं, बहुत ज्यादा समय।

श्री पी० शिवशंकर : नहीं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि अधिक विलम्ब का कोई विशिष्ट मामला होगा तो हम उसे देखेंगे, यह नहीं कि हम असाधारण विलम्ब होने देंगे। किन्तु योजना में ही कुछ विलम्ब होता ही है, जैसा कि मैंने कहा और मन्त्रालय इस मामले की भी जांच कर रहा है कि हम स्थिति में सर्वोत्तम सुधार कैसे कर सकते हैं। मैं बात को और अधिक विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही इस ओर ध्यान दिलाया है कि विलम्ब वास्तव में क्यों होते हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों में से एक ने काली मिर्च के उत्पादन तथा उसकी उत्पादकता की चर्चा की है, और उन्होंने हमारे देश में काली मिर्च के उत्पादन की तुलना करने का प्रयास किया है जो ब्राजील की तुलना में बहुत ही कम है।

एक माननीय सदस्य : और मलेशिया की तुलना में भी।

श्री पी० शिवशंकर : और मलेशिया की भी बेशक।

[श्री पी० शिवशंकर]

महोदय, जहां तक हमारे देश में काली मिर्च के उत्पादन का प्रश्न है, इसकी उत्पादकता कम है क्योंकि बेलें बहुत पुरानी हैं और उनकी खेती की पद्धति मिश्रित है। यह ब्राजील की तरह बागानी के आधार पर नहीं है। वास्तव में केरल में विभिन्न घरों के पिछले प्रांगणों में काली मिर्च की खेती की जाती है। इसलिए मैंने कहा है, कि यह बागानी के आधार पर इसकी खेती नहीं की जा रही है। और यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप हमारी उत्पादकता कम है। किन्तु देशज होने के कारण हमारी काली मिर्च में विदेशों की विभिन्न किस्मों की तुलना की बेलों में रोग रोधकता अधिक है। बागान संबंधी कसारगोढ़े अनुसंधान संस्थान एक नई किस्म का विकास कर रहा है जिसकी उत्पादकता सामान्य किस्म की तुलना में बहुत अधिक है। केरल कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से काली मिर्च के बागानों के 17,500 हेक्टेयर भूमि को पुन: रोपा जा रहा है। अत:, यह देखने के लिए कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ें, उपाय किए जाने चाहिए और मुझे विश्वास है कि थोड़े समय में हम इस क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन होते हुआ देखने लगेंगे।

माननीय सदस्यों ने काफी के न्यूनतम बिक्री मूल्यों के बारे में भी चर्चा की है। मुख्य तर्क यह था कि इसका संशोधन नहीं किया गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सभा को बताया था कि काफी के न्यूनतम बिक्री मूल्यों का संशोधन क्यों नहीं किया गया है। इससे पहले 1983 में संशोधन किया गया था। मैंने पहले ही कहा है कि लागत लेखा शाखा ने इस ओर ध्यान दिया था और मेरा अनुमान है कि लागत लेखा शाखा ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। किन्तु जब न्यूनतम बिक्री मूल्य का प्रश्न आता है तो उत्पादित काफी का केवल 1/3 भाग ही देशीय बाजार में बेचा जाता है। जिसे न्यूनतम बिक्री मूल्य से लाभ होगा। उत्पादित काफी का लगभग 2/3 भाग निर्यात किया जाता है। इससे लाभ काफी अधिक होता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य काफी अधिक है, यह लगभग 40,000 से 45,000 रुपये प्रति टन है। मैं इस आधार पर न्यूनतम मूल्य का संशोधन न करने को न्याय संगत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि इससे न्यूनतम बिक्री मूल्य, जो इस समय है और जो कुछ कम हैं, की क्षतिपूर्ति हो जाती है। वास्तव में, मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी पूरी योजना पर विचार करने पर हम काफी के न्यूनतम बिक्री मूल्यों के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने इलायची के बारे में ध्यान दिलाया है जिसमें सौभाग्य या दुर्भाग्य से······(व्यवधान)······

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : कई माननीय सदस्यों ने काफी बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध आक्षेप लगाये हैं। उन्होंने काफी बोर्ड के साथ परामर्श किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बेची हैं। इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? यह एक बहुत ही गम्भीर बात है।

श्री सुरेश कुरुप : उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक थे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हमने मामला माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखा है। हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। हमने इसे लिखित रूप में दिया था।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे खेद है कि यह मेरी जानकारी में नहीं आया है।

श्री थम्पन थॉमस (मवेलिकरा) : मैंने अपने भाषण में यह बात उठायी है। यह समाचार-पत्रों में भी छपी है। 14 दिसम्बर को चेयरमैन के हस्तक्षेप करने पर रोबोस्टा काफी 6,000 रु० प्रति टन की हानि पर बेची गयी थी। अगले दिन मूल्य बढ़ गये। आपने उस विशिष्ट मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दिया है जिसकी चर्चा मैंने अपने भाषण में की थी।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी एक व्यक्ति ने भी जिसने इसे बेचा है उसने भी अपना खाता अवश्य ही नहीं रखा होगा।

श्री सुरेश कुरुप : केरल में काले झंडों का प्रदर्शन किया गया था। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें अपने अच्छे मित्रों की सहायता करनी चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : श्री चटर्जी, मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता कैसे करेंगे ? क्या इसमें कोई शक है ?

[**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन खड़े हुए।**]

श्री पी० शिवशंकर : कृपया आप बैठ जायें। आप जो कुछ कहना चाहते थे आपने कह लिया है। मुझे भी एक अवसर दें। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपका स्वागत है। मैं आपकी बात सुनूंगा।

वास्तव में, मैं नहीं जानता कि यह मुद्दा मुझसे रह कैसे गया क्योंकि जिन मुद्दों को मैंने नोट किया हुआ है उनमें से यह भी है। मैं नहीं समझ सका कि······

श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी ऐसा होता है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषय को स्वीकार करता हूं जबकि कई सदस्यों ने इस विषय का उठाया है किन्तु मैं इस पर विचार करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि आवश्यकता होगी तो मैं सभा को सूचित करने के लिए वापिस आऊंगा कि इस सम्बन्ध में सही-सही क्या किया गया है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना है। इसकी जांच की जानी है।

मैं इलायची के सम्बन्ध में कह रहा था। वास्तव में, 1982-83 और 1983-84 में लगातार दो वर्ष सूखा पड़ने के कारण, जब इलायची का उत्पादन केवल क्रमश: 2,910 टन और 1,600 टन हुआ था, तो मूल्य बढ़ गये थे।

[श्री पी० शिवशंकर]

1984-85 में उत्पादन 3,900 टन था ।

1985-86 में नीलामी में औसत मूल्य 140 रु० प्रति किलोग्राम था ।

माननीय सदस्य यह कहना चाह रहे थे "खेती की लागत 140 रु० या 145 रु० है ।" वास्तव में, हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से पता लगाया है । (व्यवधान)

यह आपने तथा आपके बोर्ड ने कहा है । मुझे वह बात याद है आपके इलायची बोर्ड ने इसका अनुमान 140 रु० और 145 रु० लगाया है । मुझे अब भी याद है कि मैंने क्या कहा था । किन्तु केरल सरकार ने इसका पता लगाया और हमें जो सूचना मिली है वह यह है कि केवल केरल ही नहीं अपितु अन्य भागों में भी यह 90-125 रु० प्रति किलोग्राम है इसका यह मतलब नहीं है कि मैं 140 रु० से सन्तुष्ट हूं । यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है । किन्तु बात यह है कि जिस निराशाजनक स्थिति का वर्णन करने का प्रयास किया गया था वह सही नहीं लगती है । जो मैंने सोचा था वह इतना ही है ।

प्रो० पी०जे० कुरियन : नीलामी का औसत मूल्य 140 रु० ठीक नहीं है । मैं समझता हूं इसकी पुनः जांच करनी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय माननीय मन्त्री जी की तुलना में आप अवश्य की गलत कह रहे होंगे । इसलिए आप चुप रहें ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं रिकार्डों को देख कर बोल रहा हूं और यदि रिकार्ड गलत हैं तो मैं क्या कर सकता हूं । (व्यवधान) मैंने सरसरी तौर पर पहले रबर के बारे में भी जिक्र किया था । मैं इसकी ओर ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं । मेरे पास एक उदाहरण है । मैंने पहले ही कह दिया है कि रबर के बारे में हम क्या करना चाहेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो आप चुप हो जाइये ।

श्री पी० शिवशंकर : जब आप कहते हैं कि मुझे चुप हो जाना चाहिए, मैं इस सब को छोड़ देता हूं...

प्रो मधु दण्डवते : श्रीमती गीता मुखर्जी ने बहुत अच्छी बातों को उठाया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी सभी बातों के बारे में आपने उल्लेख भी नहीं किया है ।

श्री पी० शिवशंकर : एक माननीय सदस्य ने सीधे अफ्रीकी देशों से अपरिष्कृत रत्न मंगाने के स्थान पर एन्टीवरप से मंगाए जाने के बारे में जिक्र किया है ।

मैं यह कहूंगा कि विश्व के अपरिष्कृत हीरे का लगभग 80% व्यापार मैसर्स डी० वीर्स के केन्द्रीय विक्रम संगठन द्वारा जो लंदन में आधारित डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से काम कर रहा है, नियन्त्रित किया जा रहा है। अफ्रीकी और आस्ट्रेलियायी देशों में अधिकांश खानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डी० वीर्स द्वारा अपनायी गयी तथा संचालित है और इस प्रकार से प्राप्त अपरिष्कृत हीरों को डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी बेचती है। भारत एक वर्ष में लगभग 300 लाख कैरेट अपरिष्कृत हीरा खरीदता है। इस वर्ष अर्थात 1985-86 की कुल खरीद 320 लाख कैरेट तक होने की संभावना है। इसमें से अधिकांश, अर्थात्, इसका 93% वैयक्तिक हीरा व्यापारियों के द्वारा पेशगी लायसेंस और आपूरण लायसेंस के अनुसार प्राप्त किया जाता है और भारतीय कंपनियों और व्यापारियों द्वारा खरीदे गए अपरिष्कृत हीरे का लगभग 30% सीधे लंदन में डायमण्ड ट्रेडिंग कार्पोरेशन से निरीक्षण करके लिया जाता है और शेष लगभग 70% खुले बाजार मुख्यत: एन्टीवरप से लिया जाता है। 1985-86 में खरीदे गए अपरिष्कृत हीरे का कुल मूल्य लगभग 950 करोड़ रुपए होने की संभावना है। वस्तुत: ऐसा डी० बीर्स की एकाधिकारी वादी प्रवृत्ति के कारण है और हमारे लिए यह संभव नहीं है कि अपरिष्कृत हीरा हम सीधे अफ्रीकी देशों और आस्ट्रेलिया से खरीदें। इसी मुद्दे को मैंने माननीय सदस्यों के समक्ष लाना चाहा था।

मैं सोचता हूं कि मैं कुछ बातें छोड़ दूं क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही काफी समय ले लिया है...।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वाणिज्य मन्त्री को जांच मन्त्री बन जाना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : श्री सोमनाथ चटर्जी को उनका सहायक होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनमें से किसी एक का जांच आयुक्त होऊंगा।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कहूंगा कि जब चाय के निर्यात का प्रश्न उठता है तो मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि वह नोट करें कि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि से हमें काफी सहायता मिली है। 1984 में 190 लाख कि० ग्रा० कीमतें बढ़ी हुई चाय के निर्यात का मूल्य लगभग 73 करोड़ रु० था।

प्रो० मधु दण्डवते : बढ़ी हुई कीमत युक्त या चीनी युक्त ?

श्री पी० शिवशंकर : प्रोफेसर साहब चीनी लेपित नहीं। 1985 में 330 लाख कि०ग्रा० निर्यात की गई थी जिसका मूल्य 134 करोड़ रु० था। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी हुई थी तथा नि:सन्देह पिछले वर्षों में हमारा निर्यात काफी अच्छा था, परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि यह वर्ष अच्छा नहीं था। वस्तुत:, हम 2200 लाख कि०ग्रा० के लक्ष्य से भी आगे निकल चुके हैं, हम अब तक 2220 लाख कि०ग्रा० का निर्यात कर चुके हैं, परन्तु एकक मूल्य घट गया है। एकक का मूल्य कम हो जाने से, हमने 700 करोड़ रु० के लक्ष्य के मुकाबले 711 करोड़ रु० कमाएं हैं। मैं वास्तव में यह निवेदन करना चाहता था कि चाय-निर्यात में हमने काफी बेहतर कार्य किया है तथा यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम जोर दे सकते हैं। इस तथ्य के साथ-साथ कि एकक का मूल्य कम हो गया है हमने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कमाया है।

[श्री पी० शिवशंकर]

एक माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दों का विशेष रूप से हवाला दिया है। एक प्रमुख मुद्दा यह उठाया गया है कि चांय उद्योग से सम्बद्ध अनेक अधिकारी कलकत्ता में ही रहते हैं। श्री सोम नाथ चटर्जी इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है उन पर इसका प्रभाव पड़े। मेरा अनुरोध है कि दोनों माननीय सदस्य जो कि एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हैं, वे आपस में बातचीत करके मेरे पास आएं तथा जो सही समझेंगे मैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

(व्यवधान)

जब कोई माननीय सदस्य बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तथा इधर उधर के विचार-विमर्श में लगे रहते हैं, ऐसा तभी होता है।

(व्यवधान)

चाय बोर्ड का स्थान बदलने का भी सुझाव दिया गया था।...

(व्यवधान)

आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? कृपया बैठ जाइए। उन्हें आपस में इसका फैसला करने दें।

एक माननीय सदस्य : यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों सहमत हैं।

श्री प्रियरंजनदास मुन्शी (हावड़ा) : कलकत्ता में आर्थिक आधार बढ़ाने में आपका क्या हित है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक मात्र दुर्भाग्य यह है कि वह किसी-किसी मौके पर ही सही बात कहते हैं। मैं उनका हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कलकत्ता में चाय-बोर्ड की अवस्थिति केवल इसी कारण नहीं है कि ऐसा उस समय सुविधाजनक समझा गया था परन्तु मुद्दा यह है कि पश्चिमी बंगाल में भी चाय पैदा होती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दार्जिलिंग में कितनी चाय पैदा होती है ?

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : इसका यह अर्थ नहीं है कि...

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप असम से क्यों लड़ रहे हैं ? हम तो उनके विषय में कुछ नहीं कह रहे है ?

श्री पी० शिवशंकर : वस्तुत: मैं इस पर विचार करना चाहूंगा, यदि हम कर सकें...

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता से झगड़ा न करें।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मुझे खुशी है कि असम के माननीय सदस्य इन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। जहां तक चाय बोर्ड के सभापति की बात है...

(व्यवधान)

मैं यह मानता हूं कि यह सही है कि सभापति की नियुक्ति में विलम्ब हुआ है। इसमें काफी समय लिया जा चुका है। वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक अच्छे अधिकारी की खोज में लग रहे हैं जिससे कि वह इसे बढ़ावा दे सके। और हाल ही में हमने एक या दो अधिकारी देखे हैं, तथा मुझे यकीन है कि हम इस सम्बन्ध में बहुत कम समय में निर्णय लेने की स्थिति में होंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे आवर्ती आधार पर रहने दीजिए।

श्री पी० शिवशंकर : श्री गोस्वामी जी, इस सम्बन्ध में कोई वचन देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। मैं यह आश्वासन देता हूं कि चाय उद्योग के लिए जो भी बेहतर होगा वह किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। हम इसकी देखभाल के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे यह देखने में रूचि है कि निर्यात और भी गति पकड़े क्योंकि...

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजनदास मुन्शी : यूनियन बैंक आफ इण्डिया (यू०बी०आई०) के प्रमुख पूरे चाय उद्योग का गला घोंट रहे है, उसे तबाह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर: श्री दास मुंशी हम वाणिज्य मन्त्रालय की मांगों पर विचार-विमर्श कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजनदास मुन्शी : मैं आपका बचाव करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री पी० शिवशंकर : ऐसे अन्य कई मुद्दे भी उठाए गए थे। परन्तु मैं यह कहना बेहतर समझता हूं। माननीय सदस्यों ने समय-समय पर विभिन्न प्रश्न पूछे हैं।

5.00 म०प०

श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। चूंकि सरकार ने स्वयं कोयले तथा उर्वरक के दाम बढ़ा दिये हैं और चूंकि कृषि संबंधी व्यय भी बढ़ रहे हैं, इसलिए इस वर्ष तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि न करना घोर अन्यायपूर्ण है। यदि ऐसी स्थिति है तो क्या माननीय मंत्री मामले की जांच करेंगे तथा तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करके, आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट का संबंध है, उन्होंने इस पर विचार किया है तथा यह सुझाव दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस पर ऐसा विचार किया है। हम सामान्यतः कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट को मार्गदर्शी मानते हैं। मैं देखूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। इस समय कोई वचन देना तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें कई मुद्दों पर विचार किया जाना है तथा तब निर्णय लिया जाएगा।

जिन अन्य मुद्दों पर मैं, समय की कमी के कारण विस्तार में उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि इन मुद्दों पर सभा में मौका पड़ने पर मैं उनको स्पष्ट करूंगा ताकि माननीय सदस्य उस उत्तर के आधार पर संतुष्ट हो जाएं। माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर उनके भाषणों के दौरान दिए गए सुझावों के लिए मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं यह अपील करता हूं कि मंत्रालय की मांगे कृपया मान ली जाएं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। मैंने आयात नीति का संशोधन करने के संबंध में एक नीति संबंधी आधारभूत प्रश्न उठाया था। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या वह इसकी दोबारा जांच कर रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमती गीता मुखर्जी, मैं यह पहले ही बता चुका हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप वहां थीं या नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। आपके वक्तव्य में बड़ी सफाई से बातों को छिपाया गया था।

सभापति महोदय : अब मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान हेतु रखता हूं, यदि कोई माननीय सदस्य चाहे कि उसका कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए तो वह बता सकता है……

अब मैं सभी कटौती-प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : अब मैं वाणिज्य मन्त्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 10 से 12 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 186-87 के लिए वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	वाणिज्य मंत्रालय				
10.	वाणिज्य मंत्रालय	53,64,000	…	2,68,17,000	…
11,	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,47,25,84,000	15,06,86,000	5,51,09,22,000	77,84,28,000
12.	पूर्ति और निपटान	2,58,47,000	…	12,92,37,000	…

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

[जारी]

इस्पात और खान मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 84 और 85 पर चर्चा और मतदान होगा। इसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्ही कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गये कटौती प्रस्तावों के क्रम-संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची थोड़ी देर में सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में इस्पात और खान मन्त्रालय से सम्बन्धि मांग संख्या 84 और 85 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वालेवर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करनेके लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०	रु०	रु०
इस्पात और खान मंत्रालय					
84.	इस्पात विभाग	4,72,50.000	1,24,80,50,000	26,62,50,000	6,25,02,50,000
85.	खान विभाग	19,16,52,000	1,12,48,83,000	95,82,6[illegible],000	5,08,45,17,000

सभापति महोदय : अब श्री भट्टम श्री राममूर्ति बोलेंगे ।

5.05 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : इस्पात और खान परामर्शदात्री समिति, जिसका अभी हाल ही में पुर्नगठन हुआ है, की पहली बैठक के दौरान मैंने श्री पंत को इस महत्व-पूर्ण पदभार का दायित्व संभालने को लिए बधाई दी थी। सभा में एक बार फिर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि देश को प्रगति करनी है तो हर क्षेत्र में इस्पात की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमें यह जांच करनी चाहिए कि विकसित तथा अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में हमारी क्या स्थिति है। 1948 में जापान और भारत ने समान स्तर पर उत्पादन शुरू किया था। लौह अयस्क तथा कोकिंग कोयले आदि का आयात करने के बावजूद जापान 1000 लाख टन उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया है, जबकि 2000 ए०डी० तक भारत लगभग 200 लाख टन उत्पादन कर पाएगा। 1980 में जापान ने 930 लाख टन का तथा 1982 में 1000 लाख टन का स्तर प्राप्त किया। 1982 तक भारत का उत्पादन स्तर 60 लाख टन ही था। अब से पहले कुछ वर्षों से हमारा स्तर 90 लाख टन का रहा है। एक समय इस शताब्दी के अन्त तक हमें आशा थी कि हम 1000 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। दूसरी योजनावधि के दौरान भी 750 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने की बात थी। बाद में योजना बनाने वालों ने 310 लाख टन की बात की और अब अद्यतन स्थिति यह है कि इस शताब्दी के अंत तक हम लगभग 22 लाख टन का लक्ष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अब यह स्थिति है। जैसा कि मैंने पहले कहा है पिछले कुछ वर्षों से इस्पात का उत्पादन 90 लाख टन पर स्थिर है। भारतीय इस्पात प्रधिकरण के सब इस्पात सयंत्र मिलकर लगभग 50 लाख टन इस्पात उत्पादन कर रहे हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में वोहांग स्थित एक इस्पात संयंत्र में 90 लाख टन का उत्पादन होता है।

यदि इस देश की विकास दर 4% है तो हमें 400 लाख टन इस्पात चाहिए। यदि 5% है तो 500 लाख टन। केवल 220 लाख टन के इस्पात उत्पादन से आप देश को 21वीं शताब्दी में कैसे ले जाएंगे। इस पहलू पर गंभीरतापूर्ण विस्तार किया जाता चाहिए। .1982 में इस्पात का विश्व उत्पादन 6440 लाख टन था। कुल विश्व उत्पादन में भारत का योगदान 1.7% है जबकि जन-संख्या वार 20%। अतः विश्व के सन्दर्भ में यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है।

अब मैं इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े दूंगा। जापान की प्रति व्यक्ति खपत 629 कि०ग्रा०, प० जर्मनी की 549 कि०ग्रा०, सोवियत रूस की 570 कि०ग्रा०, अमेरिका की 508 कि०ग्रा० और भारत की 18 कि०ग्रा० है। यह स्थिति है।

इस अवस्था पर इस्पात के आवंटन को भी देखना चाहिए। दूसरी योजना के दौरान इस्पात का आवंटन लगभग 4.5% था, तीसरी योजना में इसे बढ़ा कर 5.9% कर दिया गया। चौथी

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

योजना में यह घटकर 4.5%, पांचवीं में 3.3% तथा छठी योजना में 2.36% रह गया था।

इस प्रकार इस्पात का आवंटन वर्ष-दर-वर्ष हर योजनावधि में कम होता जा रहा है। देश में इस्पात के विकास हेतु भावी योजना और नीति बनाते समय माननीय मंत्री जी को इन विभिन्न मुख्य कारणों को ध्यान में रखना होगा।

महोदय, ऐसी एक समस्या जिस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है कि विकसित देशों के मुकाबले, भारतीय इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा की खपत 50 % अधिक है। उन्हें ऊर्जा बचाने की प्रौद्योगिकी शुरू करनी चाहिए। यह वह पहला मुद्दा है जिसे मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा।

दूसरा कार्यक्रम कोकिंग, कोयले के प्रयोग को कम करने वाली नई-नई प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में है। तीसरी पूंजीगत वस्तु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बेहतर किस्म के इस्पात की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई से सम्बद्ध है।

आजकल इस्पात की विभिन्न श्रेणियों व किस्मों का आयात किया जा रहा है। उत्पाद-मिश्रण व्यापक और अलग-अलग किस्म का होना चाहिए। माननीय मन्त्री जी को ऊर्जा का प्रयोग अधिक सृजनात्मक एवं उपयोगी तरीके से करना चाहिए तथा उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको सुलझा कर अधिक उत्पादन व बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मेरे विचार से इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना मेरा कर्त्तव्य है।

महोदय, भारत में इस्पात के एक टन के उत्पादन के लिए 800 से 1000 कि०ग्रा० कोयला चाहिए, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया में 450 कि०ग्रा० से 500 कि०ग्रा०। यह एक अन्य पहलू है जिस पर सरकार को तुरन्त तत्परता से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन देखिए, हमें आंकड़े दिए जा चुके हैं।

दुर्गापुर में 1982-83 में उत्पादन 8.1 लाख टन था, 1985-86 में उत्पादन 8.2 लाख टन होगा। अर्थात यह तो वही 1982-83 के स्तर पर है। और फिर जहां तक राऊरकेला का संबंध है वर्ष 1980-81 में उत्पादन 10.9 लाख टन तथा 1986-87 में भी उत्पादन का वही स्तर चालू रहेगा। टिस्को का जहां तक सम्बन्ध है 1980-81 में उत्पादन 5.2 लाख टन था। 1986-87 में उत्पादन 5.1 लाख टन होगा। इस प्रकार जो स्तर 1980-81 में था अब भी लगभग वही रहेगा। पिछले 6 वर्षों से यही स्थिति थी।

अब, क्षमता का उपयोग भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जहां तक टिस्को का संबंध है, मैं प्रारम्भ में ही यह बताना चाहूंगा कि 1982-83 के दौरान प्रतिशतता उपयोग 70% था। 1986-87 में यह 63% होने जा रहा है। राउरकेला में 1981-82 में 83.5% था और 1986-87 में इसका

वही स्तर अर्थात 84% होगा। दुर्गापुर में यह अभी तक 62% से अधिक नहीं हो पाया है। निःसन्देह अच्छे कार्य निष्पादन की दिलासा हमें दी जाती है। जहां तक बोकारो का सम्बन्ध है, यह 62% से 65% के बीच में है और यह स्थिति है। इसलिए, महोदय उत्पादन तथा क्षमता के उपयोग की दृष्टि से, अभी काफी सुधार होना है तथा माननीय मन्त्री को इस सम्बन्ध में काफी ध्यान देना होगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, भारतीय इस्पात विश्व में सबसे सस्ता था। 984 तक यह थोड़ा मंहगा हुआ था। 1984 में जापान में इस्पात का मूल्य 4951 रु० था, प० जर्मनी में 4800 रु०, ब्रिटेन में 4854 रु० था। भारत में 1984 में सकल मूल्य 4970 रु० तथा मूल्यों में वृद्धि होने के बाद यह 5700 रु० से 6400 रु० हो गया। अतः महोदय यह दृष्टिगत होगा कि पहली तिमाही में अर्थात जनवरी-मार्च, 1984 में सकल मूल्य भी अन्य देशों के मूल्यों की तुलना में कम था। जून 1984 में, मूल्यों में संशोधन हो जाने के बाद, अधिकांश अन्य देशों के मुकाबले में सकल मूल्य अधिक हो गया है। अमेरिका के अलावा, अन्य देशों में प्रचलित मूल्यों से असल मूल्य थोड़े से अधिक हैं।

कीमतों में अनेक बार वृद्धि की गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान चौदह बार मूल्यों में वृद्धि हुई थी। 1.4.1980, 19.6.1980, 15.7.1980, 9.2 1981, 24.2.1981, 1.4.1981 और इसी प्रकार 21.2.1985 को यह वृद्धि की गई। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय इस्पात पूरे संसार में सबसे मंहगा हो गया है।

मैं अब कतिपय उन विशेष एवं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करना चाहता हूं जो इसी समय हमसे सम्बद्ध हैं? हाल ही में मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य में बताया था कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की अद्यतन अनुमानित लागत 7500 करोड़ रुपए हो जाएगी, इस बारे में मैं चाहता हूं कि वे वर्ष 1985-86 का मूल बजट तथा वर्ष 1984-85 का संशोधित बजट, खंड एक और उसकी विषय सूची देखें। उसके अनुसार एक अक्तूबर, 1984 को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संदर्भ में अनुमानित लागत 8329.73 करोड़ रुपए है। मेरे पास इन आंकड़ों का विस्तृत ब्यौरा है। लागत में कमी करने के क्या तरीके हैं। श्रम शक्ति आयोजन प्रचालन गत प्रयोजनों के लिए ही की जाती है। इससे लागत में कमी तो नहीं आ सकती, इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने 8329.73 करोड़ रुपए का उल्लेख क्यों नहीं किया? उन्होंने इन आंकड़ों में कमी कैसे की और ऐसा कब हुआ और किसके द्वारा हुआ?

अनुमानित लागत में समय-समय पर वृद्धि होती रहती है। मूल अनुमानित लागत 2256 करोड़ रु० थी जो बाद में 1981 में बढ़कर 3897 करोड़ रु० हो गई। अब जैसाकि मन्त्री महोदय ने दावा किया है यह बढ़ कर 7500 करोड़ रुपए हो गई हैं। मेरी राय में अक्तूबर, 84 के मूल्यों के अनुसार यह राशि 8329.73 करोड़ रुपए थी। केवल तीन-चार वर्षों के दौरान यह कैसे सम्भव है कि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए जबकि संयंत्र और उपस्कर दोनों ही खरीदारी वाले बाजार में एक मुश्त रियायतों के साथ उपलब्ध हैं। हम सोवियत रूस और ऐसे ही अनेक देशों के आभारी

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सभा के समक्ष एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया जाए। हमें यह बताया जाए कि लागत में वृद्धि कैसे हुई और इन उपस्करों में कतर-ब्योंत क्यों और कैसी आवश्यकता पड़ी? श्रम शक्ति में कटौती कर उसे न्यूनतम स्तर तक लाना आवश्यक और अनिवार्य कैसे हो गया? यह भी बताएं कि मन्त्री महोदय ने अद्यतन स्थिति और समीक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरह प्रस्तावित प्रौद्योगिकी को अपनाना स्वीकार किया?

इस समय मैं एक महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र भी करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय का दावा है कि यह परियोजना—अर्थात्, इस परियोजना का पहला चरण दिसम्बर, 1988 तक और दूसरा चरण जून, 1990 में पूरा हो जाएगा, मैं यह नहीं समझ पाया। मन्त्री महोदय के अनुसार अनुमानित संशोधित लागत 7500 करोड़ रुपये होगी, दिसम्बर, 1985 तथा 2037 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। सातवीं योजना के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी इस प्रकार कुल राशि 4537 करोड़ रुपये हुई। यदि हम हाल ही के संशोधित आंकड़े 7500 करोड़ रुपए मान लें और थोड़ी देर के लिए 1500 करोड़ रुपये की लागत में कमी सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मान लें तो यह राशि 6000 करोड़ रुपए हो जाती है। उपलब्ध राशि 4537 करोड़ रुपए है और अभी भी 1500 करोड़ रुपए की कमी है, फिर आप 1990 तक इस परियोजना को पूरा कैसे कर लेंगे? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। क्या मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि रक्षित विद्युत संयंत्र के काम शुरू करने की तारीख घोषित क्यों नहीं की गयी? यह उत्पादन एकक नहीं है। यह तो अनिवार्य सेवा एकक है। रक्षित विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, यही नहीं हाल ही में टर्बो ब्लोअरों के आग की लपेट में आ जाने के कारण रक्षित विद्युत संयंत्र के निर्माण-कार्य की गति और धीमी पड़ गई है। इसीलिए मन्त्री महोदय का यह दावा कि यह जून, 1989 में पूरा हो जाएगा इसे और स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे हमें दृढ़ विश्वास दिलाए, आस्था जगाएं और स्थिति को भी स्पष्ट करें।

महोदय, इससे पहले विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र नकली सांसों की मदद से जी रहा था यह जीवन और मृत्यु के बीच डोला करता था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए काफी लम्बे अरसे तक यह जिन्दगी और मौत का सवाल बना रहा। हम प्रधानमन्त्री द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप के लिए उनके आभारी हैं क्योंकि बाद में इसी की वजह से इस संयंत्र के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षित अवस्था आ गई और तब हमने यह सोचा कि यह संयंत्र एक नए मोड़ पर पहुंच पाएगा और एक नया अध्याय आरम्भ होगा तथा इस संयंत्र की प्रगति पर धन की कमी की समस्या का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अब मंत्री महोदय ने मन्त्रालय का प्रभार सम्भालने के पश्चात विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को सफेद हाथी कहना शुरू कर दिया है और किसी तारीख से उन्होंने मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है उसी दिन से वे इसमें काट-छांट और कतर-ब्योंत करने में रात-दिन एक कर रहे हैं।

यह एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमें चिन्ता हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता वे इस संयंत्र की चीर-फाड़ करने में क्यों लगे हैं जिसका कि हाल ही में काया कल्प हुआ है और अब उसमें काफी सुधार भी हो चुका है। वे यूनिवर्सल बीम का काम खत्म कराना चाहते हैं। इस इस्पात संयंत्र की अर्थ-व्यवस्था इस यूनिवर्सल बीम पर निर्भर है, यूनिवर्सल बीम की स्थापना इस विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की विशेषता है। भारत में इसका कहीं भी निर्माण नहीं होता, यूनिवर्सल बीम सेक्शन से हम निर्माण कार्य में काफी बचत कर सकते हैं। यूनिवर्सल बीम ऐसा बहु-उपयोगी ढांचा है, जिसका पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल बीम सैक्शन के इस्तेमाल से इस श्रेणी में इस्पात के उपयोग में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। इसका निर्माण-कार्य बन्द करने का अर्थ है कल्पना और दूरदर्शिता की कमी। यूनिवर्सल बीम की मांग लगभग दस लाख टन तक की है। इसीलिए इसमें कटौती करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र न केवल इस्पात का आयात ही रोकने के लिए है वरन् इस्पात की खास किस्मों के उत्पादन के लिए भी है। वर्ष 1979 में मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया था। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। इसे मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदन प्राप्त था और एक बार में दोनों चरणों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। उस समय कोई पहला और दूसरा चरण नहीं था। वर्ष 1979 में इसके लिए 2300 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी। जब यह मंत्रिमंडल का निर्णय है तो स्थानीय प्रबंध मंडल इस पर पुर्नविचार, संशोधन, पुन: जांच वह इस निर्णय को प्रतिकूल रूप कैसे दे सकता है और किस तरह इसे बिल्कुल भिन्न रूप दे सकता है ? सात वर्षों के बाद आप प्रबंध मंडल को पिछले मंत्रिमंडल के 1979 के निर्णय में संशोधन लाने के लिए कैसे अनुमति दे सकते हैं ? महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कहीं भी किसी अन्य इस्पात संयंत्र के मामले में स्थानीय परियोजना प्राधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की पुन: जांच करने तथा किसी भी उपस्कर को हटा देने के बारे में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गयी है ? यदि ऐसा नहीं किया गया, तो केवल विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के साथ ही यह प्रयोग क्यों किया जा रहा है ? ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जो वर्तमान कार्यरत संयंत्र हैं और उनमें विस्तार किया जा रहा है उसको युक्ति संगत बनाने के लिए एक प्रथा बनाई जाए ? उन्हें लगभग ढाई दशक का अनुभव है। केवल विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र पर प्रयोग कर उसे ही बरबाद करने की कोशिश क्यों की जा रही है ? वि० इ०सं० जो एक दल ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी। यदि हां, तो उसे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताया गया ? उसकी घोषणा क्यों नहीं गयी है ? वह क्यों नहीं किया गया ? इसे वि०इ०सं० पर कब लागू किया जा रहा है ?

मेरी राय में उनके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रकाशित की जाए और हमें उपलब्ध कराई जाए।

मूलत: विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के मामले में उत्पादकता आंकड़े देश के अन्य इस्पात संयंत्रों के मुकाबले तीन गुणा था। प्रति टन इस्पात के लिए ऊर्जा की खपत अन्य इस्पात संयंत्रों की

[श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति]

तुलना में दो तिहाई है। अंतिम रूप में तैयार इस्पात की तुलना में तरल इस्पात 88% है जबकि अन्य इस्पात संयंत्रों में यह 77% से 80% तक ही है। तो स्थिति यह है।

ऐसा होने के कारण यदि प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित निर्माण कार्यक्रम और परियोजना लागत के अनुसार चला जाए तो निसन्देह विशाखापत्तनम संयंत्र धन की वर्षा कर देगा। किंतु वैसा नहीं किया गया। तो निर्माण-कार्य छः वर्षों में पूरा हो जाना था उसे दस वर्षों तक खींच दिया गया। ऐसा होने के कारण अन्य अनेक अड़चनें आई हैं। इन कारणों से यह स्थिति उत्पन्न हुई। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

अब रोजगार के अवसरों की समस्या का उल्लेख करूंगा। इस संदर्भ में मैं 31 जनवरी, 1971 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित एक उद्धरण दूंगा—

> "इस संयंत्र के निर्माण-कार्य के दौरान 40,000 व्यक्तियों के, प्रचालन के दौरान 20000 को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा तथा अंतः सेवा और सहायक उद्योगों के रूप में 20000 को परोक्षतः रोजगार मिलेगा।"

उन दिनों वह समाचार प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार आशा जगाई गई थी। इस समय क्या स्थिति है ? मंत्री महोदय कहते हैं कि श्रम शक्ति आयोजना में संशोधन किया गया है। अब उसे न्यूनतम किया जा रहा है ताकि उत्पादकता बढ़े और इसलिए वे कहते हैं कि वे निरूपाय हैं। यह अनिवार्य हो गया है। इसलिए स्थिति अब इस प्रकार है।

प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 1277 कार्यकारी अधिकारी हैं गैर-कार्यकारी अधिकारी 12,393 हैं। हाल की संशोधित युक्तिसंगत अवधारणा के अनुसार कार्यकारी अधिकारियों की संख्या 1277 से बढ़कर 1577 हो गई है। गैर-कार्यकारी अधिकारियों की संख्या 12,393 से घटा कर 8180 तक कर दी गई है। पहले चरण में यह कम हो गई है। इसी प्रकार दूसरे चरण में कार्यकारी अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है और गैर-कार्यकारी अधिकारियों की संख्या घटा दी गयी है। यहां मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आंकड़ों को देखें। सामान्य प्रशासन के लिए दर्शाया गया आंकड़ा शून्य है। खानों के सम्बन्ध में आंकड़ा शून्य है। यह वि०इ० सं० के संदर्भ में ही हैं।

भिलाई में जी०ए०डी० में यह संख्या 11877 है। खानों के सम्बन्ध में भिलाई में यह संख्या 11720 थी। दुर्गापुर स्थित जी०ए०डी० में यह 7526 थी खानों में यह 2207 थी। राउरकेला में यह 6,903 थी, खानों में यह 4,385 थी बोकारो स्थित जी०ए०डी० में यह 9998 थी खानों में यह 4214 थी।

विशाखापत्तनम के संदर्भ में यह शून्य है। क्या मंत्री महोदय इस पहलू की भी जांच करेंगे और स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे।

मैं फिर से उनका ध्यान एक और पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1981-82 में 146.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उस समय 541 विस्थापितों की नियुक्ति की गयी थी। वर्ष 1982-83 में 293 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे उस समय 583 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1983-84 में 445 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। लेकिन 150 को ही नियुक्त किया गया था : वर्ष 1984-85 में 587 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे लेकिन केवल दस की ही नियुक्ति की गई थी। पिछले वर्ष 799.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे लेकिन केवल 55 की ही नियुक्ति की गई थी। ऐसा क्यों हुआ कि खर्च में वृद्धि के साथ-साथ नियुक्तियों में कमी की जाती रही ?

जहां तक ठेका मजदूरों का सम्बन्ध है, वर्ष 1983 में 4533 ठेके मजदूर नियुक्त किए गए थे। तदन्तर, वर्ष 1984 में यह संख्या घटकर 4327 हो गई। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है वर्ष 1986 में यह संख्या और आगे घटकर 3,500—4,000 हो जाएगी। यहां तक कि ठेका मजदूरों को भी रोजगार बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। यह बुनियादी स्थिति है।

लोगों को उपलब्ध रोजगार के अवसरों की दृष्टि से भी विभाग इस्पात संयंत्र लोगों को कोई संतोष प्रदान नहीं करता है। राज्य सरकार को विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र के लिए जल आपूर्ति हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि का अवश्य निवेश करना चाहिए। राज्य सरकार इस विशाल धनराशि का खर्च वहन नहीं कर सकती, क्योंकि कम से कम विस्थापित व्यक्तियों को भी रोजगार की व्यवस्था करके रोजगार के रूप में कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है। डी०आर०आर० तथा पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित इस्पात संयंत्रों की बुनियादी अवधारणा में परिवर्तन करते समय राज्य सरकार से न तो परामर्श किया गया न ही उसे सूचित किया गया। उक्त संयंत्र के आकार में कटौती करते समय तब यहां तक कि रोजगार के अवसर में कटौती करते समय तथा बाजार दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से इन्कार करते समय भी राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया जा रहा है। तब आन्ध्र प्रदेश सरकार पर जोर दिया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा पूरी जिम्मेदारी लेने और इस सम्बन्ध में अधिक धन लगाने के लिए कहना बहुत ही मुश्किल बात है। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि सम्बन्धित पक्षों का ऐच्छिक सहयोग तथा सहभागिता प्राप्त की जाए तथा सभी विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए तथा इनके साथ न्याय किया जाए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने में अत्यधिक विलम्ब।] (8)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[राष्ट्रीय इस्पात निगम का नाम बदलकर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र करने में असफलता।] (9)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विशेष इस्पात और एल्युमिनियम के अत्यधिक आयात में कमी करने की आवश्यकता।] (10)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत, जो इस समय बहुत कम है, को बढ़ाने की आवश्यकता।] (11)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड पर ब्याज का भार कम करने की आवश्यकता।] (12)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के आस-पास अनुषंगी उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता।] (13)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता।] (14)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आदिवासी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता।] (15)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिए केवल 87 लाख रुपये की थोड़ी-सी राशि का आबंटन।] (16)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने और उनके निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता।] (17)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में स्थानीय लोगों को नौकरियां देने की आवश्यकता।] (18)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[देश को इस्पात के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने की आवश्यकता।] (19)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आधुनिकीकरण के बहाने विशाखापत्तनम संयंत्र की क्षमता कम करने का प्रयास।] (20)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए तुंगभद्रा परियोजना के तटाग्र से आवश्यक पानी निकालने की व्यवहार्यता की जांच करने की आवश्यकता।] (21)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यकता।] (22)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[इस्पात संयंत्रों की उत्पादन पद्धति में सुधार लाने की आवश्यकता।] (23)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[इस्पात संयंत्रों में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता।] (24)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विभिन्न इस्पात संयंत्रों में नैमितिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता।] (25)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए विदेशी विशेषज्ञ रखने की आवश्यकता।] (26)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड उत्पादन करने के प्रयास करने की आवश्यकता।] (27)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[इस्पात उद्योग में मंदी।] (28)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[इस्पात के आयात पर कम से कम निर्भर करने की आवश्यकता।] (29)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।] (30)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में घाटे को कम करने की आवश्यकता।] (31)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विजयनगर इस्पात संयंत्र की योजना में प्रगति की समीक्षा करने की आवश्यकता।] (32)

"कि इस्पात विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[इस्पात संयंत्रों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की आवश्यकता।] (33)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[खान कार्यक्रम के लिए एक पृथक परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण नियुक्त करने की आवश्यकता।] (34)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[देश में खनन उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता।] (35)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में भूमिगत खनिजों की सम्पूर्ण मात्रा को निकालने की आवश्यकता।] (36)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।] (37)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में खानों से सोने की पूरी मात्रा निकालने हेतु अधिक धनराशि देने की आवश्यकता।] (38)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में खनिजों पर आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता ।] (39)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में खनिज सम्पदा की बेहतर निकासी के लिए उन्नत प्रौद्योगिक आवश्यकता ।] (40)

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलोर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र तुरन्त स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।] (41)

"कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[भद्रावती (कर्नाटक) में विश्वश्वरया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।] (42)

"कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कुद्रमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता। (43)

"कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[इस्पात के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता ।] (44)

"कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता। (45)

"कि इस्पात विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[देश में सभी इस्पात संयंत्रो में रक्षित जनित्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (46)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कर्नाटक में कोलार सोना-क्षेत्र में सोने की सभी खानों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।] (47)

[श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर]

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

कोलार सोना-क्षेत्र में भारत गोल्ड माइन्स के कर्मकारों की कार्य करने की दशा को सुधारने की आवश्यकता ।] (48)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कर्नाटक में खनिज सम्पदा की खोज करने की आवश्यकता ।] (49)

"कि खान विभान शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[उन राज्यों में जहां खनिज पाए जाते हैं, खनिज उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।] (50)

"कि खाव विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[खान कर्मकारों की सुरक्षा के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।] (51)

"कि खान विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[कर्नाटक में हट्टी गोल्ड माइन्स को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।] (52)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (इन्दौर) : इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । इस बजट के दौरान इस्पात तथा खान मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं । यह कहते हुए मैं कुछ विषयों को प्रकाश में लाना चाहूंगा । किसी भी देश की प्रगति और विकास की माप वहां पर ऊर्जा, इस्पात तथा सीमेंट के उपभोग से की जाती है । यह सच है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और अब श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत ने काफी प्रगति की है और अब 21वीं शताब्दी की ओर उन्मुख हो रहे हैं, किन्तु, इसी समय यह भी सत्य है, जैसा कि मुझसे पहले वक्ता ने बताया, कि भारत में इस्पात का उपयोग अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है । इस संबंध में मन्त्रालय के द्वारा दी गई पुस्तिका में दी गई सारिणी को देखते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगा । पृष्ठ 3 पर इस प्रकार का उल्लेख किया गया है :

"क्षमता उपयोग में उत्तरोत्तर सुधार आया और वर्ष 1976-77 में शिखर पर पहुंच गया । 1977-78 से क्षमता उपयोग में अवनति होनी शुरू हो गयी और 1979-80 में यह उपयोग न्यूनतम था । वर्ष 1982-83 में बिक्रीयोग्य इस्पात का 7291 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ जिससे 83.8 प्रतिशत क्षमता का उपयोग प्रदर्शित हुआ ।"

अब यह सच है कि क्षमता उपयोग उस अवधि में कम हो गया जब भारत ही नहीं पूरे विश्व में मन्दी आयी थी। इसके अतिरिक्त इस्पात के लिए मांग भी कम हो गयी और ऐसा समय आया जब सरकार को ही इस्पात संयंत्रों के उपयोग को कम करना पड़ा। और इसलिए, हम सरकार या इस्पात संयंत्रों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते।

तथ्य यह है कि यद्यपि हमारे देश में कोयले के बहुत भंडार हैं; और उसी कारण से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अब हमें लगभग 20 से 30 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारे कोकिंग कोयले में राख का तत्व काफी अधिक है और इसलिए, कोकिंग कोयले में मिलावट बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरे, कोयला धोने की क्षमता की बनाई गयी है, किन्तु यह कार्य अभीष्ट सीमा तक नहीं हो पाया। और दूसरी बात, कोयले को धोने में सुधार के स्तर जिसे अन्य देशों ने प्राप्त कर लिया है हमारे देश में अब तक उपलब्ध नहीं है। फलतः कोयले की मिलावट के कारण धमन भट्टी को नुकसान होता है और इस प्रकार यह भी एक कारण है।

उत्पादन में कमी का अन्य कारण बिजली की सप्लाई है। यह सत्य है कि बहुत से प्रान्तों में जहां बिजली की सप्लाई होती है, वर्ष-प्रति-वर्ष सूखे की स्थिति रहती है और उस कारण से बिजली की सप्लाई कम है। उदाहरणार्थ भिलाई में बिजली की सप्लाई में कमी आयी थी, इस्पात संयंत्रों के लिए बिजली की सप्लाई में कमी आयी थी जो आन्ध्र प्रदेश से उपलब्ध होती थी। किन्तु अब किसी सीमा तक, बिजली का उत्पादन बढ़ा है और उससे स्थिति में सुधार हुआ है।

> "उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति 1985-86 तक बनी रही और इस वर्ष के अन्त तक बिक्री योग्य इस्पात की मात्रा 7.76 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है। इससे 1984-85 से 10 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है।"

इसलिए उस सीमा तक, मैं मन्त्रालय तथा संयंत्रों और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निष्पादन की प्रशंसा करता हूं।

> 'मई 1985 से देशी कोकिंग कोयले की पूर्ति अपर्याप्त थी और सितम्बर-अक्तूबर, 85 के दौरान स्टाक में बहुत अधिक कमी आ गयी। अपर्याप्त प्राप्तियों के अतिरिक्त प्राइस एवं मिडियम किस्म की विषय प्राप्ति के कारण बार-बार अपरिहार्य मिलावट में परिवर्तन होता रहा जिससे धमन भट्टियों के संचालन पर प्रभाव पड़ा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों को वर्ष 1985-86 के दौरान 2.1 मिलियन टन आयातित कोयला उपलब्ध होने की आशा है जब इन्हें 1984-85 में 0.665 मिलियन टन आयातित कोयला उपलब्ध हुआ था"

मुझे विश्वास हैं, जब तक हमारे उत्पादन में सुधार नहीं होता, इस आयात को और बढ़ाना पड़ेगा।

जहां तक छठी योजनावधि की उपलब्धियों का सवाल हैं, रिपोर्ट में बताया गया है :

[श्री प्रकाश चन्द सेठी]

"छठी योजना में विचार किया गया था कि तैयार इस्पात की मांग 1979-80 के 80 लाख टन के खपत स्तर से बढ़कर। 1984-85 में 129 लाख टन और 1989-90 में 184 लाख टन हो जाएगी।"

अब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, दुर्भाग्य से स्थिति बिलकुल बदल गयी है क्योंकि संयंत्रों को चालू करने में विलम्ब होते रहे। उदाहरणार्थ, बोकारो तथा भिलाई विस्तार योजनायें जिन्हें 1982-83 में पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पायी हैं।

बोकारो 40 लाख टन विस्तार के प्रथम चरण के जनवरी 1986 में पूरा हो जाने की आशा थी। मैं आशा करता हूं कि अब तक यह पूरा हो गया होगा। और दूसरा चरण, अर्थात, शीत रोलिंग मिल परिसर, जो हमारे लिए अत्यावश्यक है, के मार्च 1987 तक पूरा हो जाने की आशा है।

इसी प्रकार, भिलाई विस्तार भी दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। आशा की जाती है कि पहला चरण जून, 1986 तक पूरा हो जायेगा और दूसरा चरण, जिसके सातवीं धमन भट्टी और नवीं कोक ओवन बैटरी है, 1987-88 तक पूरा हो जायेगा।

पहले वक्ता ने बताया कि विलम्ब के कारण निर्माण की लागत बढ़ जाती है। यह सच है कि विलम्ब के कारण निर्माण की लागत मूल्य तथा विभिन्न अन्य चीजों में वृद्धि आती है। किन्तु 8300 करोड़ रु० के आंकड़े उन्होंने ठीक नहीं दिए। मेरी जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संबंध में निर्माण कि लागत 2256 करोड़ रु० और भिलाई की 937 करोड़ रु० से बढ़कर 7467 करोड़ रु०, बोकारो विस्तार की 947 करोड़ रु० से बढ़कर 2014 करोड़ रु० से बढ़कर 2250 करोड़ रु० हो जायेगी। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जहां तक इन संयंत्रों के विस्तार का संबंध है, समस्या के इस पक्ष की ओर सही ध्यान दिया जाये।

जहां तक विशाखापत्तनम संयंत्र का संबंध है इस संयंत्र को चालू करने में हुए विलम्ब के कारण गैर-फ्लैट उत्पादों की मांग क्षमता की तुलना में बढ़ जायेगी जिससे आयात 12 लाख टन आवश्यक हो जायेगा। उत्पादों में प्लेटों गैल्वेनीकृप्लेन/नालिदार चादरों और टिन की प्लेटों के लिए मांग की तुलना में क्षमता बढ़ने की संभावना है। और हाट रोल्ड चादरें/कॉयल, स्केल्प और विद्युतीय इस्पात चादरों के मामले में उत्पादन मांग से कम होने की संभावना है, जिस कारण लगभग 0.39 मिलियन टन का आयात करना पड़ेगा। यह पक्ष भी महत्वपूर्ण है। किन्तु मैं आन्ध्रा के अपने माननीय मित्र से इस बात से सहमत नहीं हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जल सप्लाई के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया है। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे इस्पात संयंत्रों को जल सप्लाई करें। मुझे याद है, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री था, मैंने भिलाई को जल सप्लाई के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि व्यय की थी और यह कोई नई बात नही हैं। जब भी किसी राज्य में किसी बड़े उद्योग की स्थापना होती है, राज्य को बिजली और पानी की सप्लाई

की व्यवस्था करनी पड़ती है । जब उद्योग नहीं लगता है तो राज्य शोर मचाते है और कहते है, हमारे यहां उद्योग लगाइये हम जल तथा बिजली सप्लाई करेंगे । ये मुफ्त में नहीं दी जाती इनके लिए पैसे लिए जाते है और इसलिए आन्ध्र प्रदेश के मेरे मित्रों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने विशाखापत्तनम संयंत्र को जल सप्लाई करने के लिए 100 करोड़ रु० खर्च किए... **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वह यह चाहते थे कि उन्हें इसकी प्रति पूर्ति की जानी चाहिये । मैं यह कहूंगा कि यह एक गलत मांग है । यह तथ्यों का विवरण हो सकता है; मैं इससे इन्कार नहीं करता, किन्तु मांग गलत है ।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : किन्तु आपने अभी ही कहा है कि यह मुफ्त नहीं है इसकी कीमत ली जाती है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने कहा है कि यह मुफ्त नहीं है इसके लिए शुल्क लिया जाता है ।

श्री अमल दत्त : किससे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : संयंत्र से । बिजली तथा जल सप्लाई की वसूली संयंत्र से की जाती है ।

श्री अमल दत्त : जी हां । यही वे भी कह रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्होंने ऐसा नहीं कहा अतिरिक्त क्षमता को कार्य रूप देने में हुए विलम्ब के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के विद्यमान इस्पात संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में पूर्वानुमानित वृद्धि भी नहीं हुई । इसलिए उत्पादन में काफी कमी रही । वर्ष 1984-85 के लिए छठी योजना में निर्धारित विक्रय योग्य इस्पात के 115 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य के अनुपातिक वास्तविक उत्पादन केवल 880 लाख टन हुआ । उत्पादन में कमी के कारण गंभीर स्थिति आ गयी होती यदि छठी योजना अवधि के दौरान इस्पात की मांग प्रत्याशित स्तर तक पहुंच गयी होती क्योंकि इसका लाभ योजना के पहले वर्ष के बाद मिला । योजना के आरंभ में इस्पात के उपयोग में काफी अच्छी वृद्धि के बाद 1982-83 और 1983-84 के दौरान बाजार में मंदी आ गयी । इन दो वर्षों के दौरान, इस्पात संयंत्रों को इस्पात का अतिरिक्त स्टाक रखना पड़ा । तथापि, 1984-85 में स्थिति में सुधार हुआ और वर्ष 1986-87 में उपयोग के लिए अच्छी स्थिति रहने की संभावना है ।

अन्य बात जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इस्पात मिलों में कोकिंग कोयले की अभीष्ट किस्म है । कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा में आयात का सहारा लेने के बाद भी

[श्री प्रकाश चन्द सेठी]

सामान्यत: पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं होता और प्रायः इस्पात संयंत्रों को कोक ओवन चलाना बंद भी करना पड़ता है। कम उत्पादन के मुख्य कारण घरेलू कोकिंग कोल में राख की अधिक मात्रा, इसमें कोकिंग तत्वों की कमी तथा कोयले की किस्म में दिन प्रतिदिन उतार-चढ़ाव है।

जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि, चाहे युक्तिसंगत कारणों से ही हो, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से पर्याप्त बिजली प्राप्त न होना एक गंभीर समस्या है, तथापि, पूरी योजना अवधि में समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्लांटों में कमी की मात्रा भिन्न-भिन्न रही है। यह इस्पात संयंत्रों की विभिन्न यूनिटों को समन्वयात्मक ढंग से चलाने के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि मन्त्रालय की रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है कि बोकारो इस्पात कारखाने में जहां उत्पादन पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष में 1426 हजार टन था, से छठी योजना के अन्त में बढ़कर 1925 हजार टन हो गया और टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में यह 1,779 हजार टन से बढ़कर 2,160 हजार टन हो गया। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट में उत्पादन पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 2,108 हजार टन से कम होकर 1984-85 में 1,998 हजार टन हो गया, राऊरकेला इस्पात कारखाने में 1,268 हजार टन से कम होकर 1,119 हजार टन हो गया, दुर्गापुर इस्पात कारखाने में जिसकी अवस्था बहुत समय से शोचनीय है और जिसके आधुनिकीकरण का कार्य अभी भी चल रहा है, उत्पादन 882 हजार टन से कम होकर 760 हजार टन हो गया और भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी में उत्पादन 565 हजार टन से कम होकर 444 हजार टन हो गया। इन विषयों पर विचार करना चाहिए। इसलिए इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण की योजनाओं को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना होगा।

जहां तक सातवीं योजना के लक्ष्य का सम्बन्ध है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989-90 तक 13.86 मिलियन टन और वर्ष 1994-95 तक 17.76 मिलियन टन तैयार इस्पात की मांग का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक इसके 22 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1989-90 के आसपास सातवीं योजनाविधि में गिरावट आएगी। हम वर्ष 1989-90 तक उत्पादन को 12.65 मिलियन टन तक बढ़ा सकेगें और इस प्रकार 1.21 मिलियन टन का अंतर रह जाएगा। इसमें अगर कोई गलती है तो मंत्री महोदय मुझे बताएं शायद उन्होंने बताया था कि यह 1.21 नहीं बल्कि 0.97 होगा। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इस्पात एक ऐसी वस्तु है कि यदि तेजी से आर्थिक प्रगति होती है तो अनुमानित मांग बढ़ेगी। अतः 1.21 मिलियन टन का यह अन्तर और बढ़ सकता है। इसलिए समस्या के इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा केवल एक या दो विषयों का उल्लेख करूंगा।

महोदय, यह प्रस्ताव किया गया है कि एकीकृत ऑन लाइन प्रक्रिया नियन्त्रण, कच्चे माल, ऊर्जा के अधिक से अधिक प्रयोग, उन्नत उत्पादकता, बेहतर किस्म के उत्पाद तथा कीमत कम करने के लिए प्रयास किए जाएं।

महोदय, मुझे खुशी है कि भिलाई इस्पात कारखाने को माडल इस्पात कारखाने के रूप में चुना गया है जहां सबसे पहले विभाजित अंकीय नियंत्रण के लिए विस्तृत कम्पयूटरीकृत योजना क्रियान्वित की जायेगी। मुझे आशा है कि इस प्रयोग की सफलता के बाद वे इसे अन्य कारखानों में भी शुरू करेंगे।

रिर्पोट में निम्नानुसार बताया गया है :—

"धुलाई की बेहतर तकनीकों के उपयोग के माध्यम से धुले हुए कोकिंग कोल की गुणवत्ता में सुधार के लिए और लाभ के नये तरीकों के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कोयला विभाग से परामर्श करके कार्यवाही की एक निश्चित समय-बद्ध योजना बनाई गई है।"

इसलिए इसका समन्वय करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा करना चाहिए।

मुझे यह नोट करके खेद है, जैसा कि रिर्पोट में कहा गया है :

"इस योजना में कोई भी नई बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव नहीं है।"

मुझे आशा है कि वित्त मन्त्रालय योजना आयोग फिर से इस विषय पर विचार करेंगे और सातवीं योजनावधि में इस्पात मन्त्रालय के लिए अधिक धन राशि नियत करेंगे क्योंकि इस्पात संयंत्र के निर्माण का कार्य काफी लम्बा है और जब तक धन राशि उपलब्ध नहीं होती तब तक इन संयंत्रों में विकास नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त लघु इस्पात संयंत्रों का भी काफी महत्व है। हम चीन के अनुभव से देख सकते हैं कि उनका उत्पादन स्तर लघु इस्पात संयंत्रों से काफी बढ़ गया है। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान समय में इस्पात मन्त्रालय ने 60 लाख टन से अधिक क्षमता के 169 लघु इस्पात संयंत्रों को लाइसेंस दिए हैं और उत्पादन की 159 यूनिटें स्थापित की हैं। ये यूनिटें 70 से 75 प्रतिशत तक औसत क्षमता उपयोगिता दर पर कार्य कर रही है। अत: यह होना चाहिए और उन्हें न केवल नरम इस्पात बल्कि प्लेट्स और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी बनानी चाहिएं।

बेलन मिलों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। समय-समय पर बेलन मिलों की क्षमता बढ़ी है और मन्त्रालय ने, यद्यपि सीमा निश्चित की थी, अन्त में उन्हें मान्यता दी और लाइसेंस सूची में शामिल करने के लिये सहमति प्रदान कर दी। बेलन मिलें सरिया और छड़े बनाने में

[श्री प्रकाश चन्द्र सेठी]

काफी सहायक है और वे अन्य कच्चे माल से इन्हें बनाते हैं। और हम इससे काफी बचत कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं आगे यह बताना चाहूंगा कि स्पंज आयरन के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। देश के सीमित कोकिंग कोल भंडारों को संरक्षित करने के लिए ऐसा करना चाहिए। बताया गया है :—

"भारत सरकार नॉन-कोकिंग कोल को बदले हुए रूप में प्रयोग करने वाले स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दे रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में गैर कोकिंग कोयले पर आधारित लगभग 50 प्रतिशत 1.7 मिलियन टन की क्षमता की यूनिटों को लाइसेंस पहले दे दिए गए हैं। वर्ष 1985-86 में दो यूनिटों से जिनमें उत्पादन हो रहा है लगभग 60,000 टन उत्पादन होने की आशा है।"

इसलिए स्पंज आयरन उत्पादन बहुत आवश्यक है और मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में बधाई देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस उद्योग के और विस्तार के लिए सरकार ने मार्च, 1985 से स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए लाइसेंस व्यवस्था हटा दी है।

महोदय, श्री पंत स्वयं एक योग्य प्रशासक तथा इंजीनियर हैं और वे ऊर्जा मंत्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालय उनके अधीन रहे हैं उन्होंने उनमें कार्य किया है और मुझे उम्मीद है उनके नेतृत्व इस्पात मंत्रालय प्रगति करेगा।

———

5.57 म०प०

वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (सामान्य), 1986-87 पर हुई चर्चा के संबंध में पहले दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : महोदय, अपने मन्त्रालय की मांगों पर हुई चर्चा के दौरान दिये गये अपने उत्तर में मैंने गलती से व्यापार घाटा 7000 करोड़ रुपये के स्थान पर—'9000 करोड़ रुपये हो सकता है' कह दिया था। 9000 करोड़ रुपये के आंकड़ों के स्थान पर 7000 करोड़ रुपये प्रतिस्थापित किया जाये।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : ओह ! आपने इसे ज्यादा समझा !

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : नहीं, ऐसा गलती से हुआ। 9000 करोड़ रुपये गलती से कहा गया।

5.52 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87

[जारी]

इस्पात और खान मन्त्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पूर्णचन्द्र मलिक।

***श्री पूर्णचन्द्र मलिक** (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय ! मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं मंत्री महोदय द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसका समर्थन क्यों नहीं कर सकता हूं यह मेरे वक्तव्य से स्पष्ट हो जायेगा। इस्पात और खान मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मन्त्रालय है परन्तु चालू वित्त वर्ष में उनके लिए आवंटित की गई धनराशि नगण्य है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस उद्योग के लिए केवल नाममात्र की राशि आवंटित की गई थी। नयी परियोजनाओं के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण उद्योग के विकास और प्रगति के लिए स्वतन्त्रता के पश्चात बहुत कम कार्य हुआ है।

मैं सबसे पहले हमारे देश के इस्पात उद्योग की स्थिति का उल्लेख करूंगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारा इस्पात उत्पादन 1.5 मिलियन टन था। आज 39 वर्ष बाद उत्पादन बढ़कर केवल 11 मिलियन टन हुआ है। इस्पात उद्योग में हमने इतनी प्रगति की है। इस नाममात्र की प्रगति के लिए हमारी नई और दोषपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक नीति उत्तरदायी है। यदि हम अपने समेकित इस्पात संयंत्रों की दशा देखें तो हम पायेंगे कि बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए बहुत समय पहले हमने यदि कार्यवाही कर ली होती तो इन दो संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कुछ बढ़ गई होती ! परन्तु अन्य इस्पात संयंत्रों की प्रगति बहुत शोचनीय है। मैं विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उल्लेख करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं पिछली जनवरी में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का दौरा किया था, मैंने उस संयंत्र की खतरनाक दशा अपनी आंखों से देखी है। पिछले 26 वर्षों से उस मशीनरी और

---

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[उपाध्यक्ष महोदय]

संयंत्र की कार्यावधि और उत्पादन क्षमता में भारी कमी आई है। इसके अलावा वहां की प्रोद्योगिकी भी पुरानी पड़ गयी है इसलिये उस इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार होने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसका और कोई उपाय नहीं है। 1959 में जब सबसे पहले इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था, उसकी उत्पादन क्षमता 1.00 मिलियन टन थी। वर्ष 1964-65 और 1965-66 में कुछ विस्तार कार्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 1.6 मिलियन टन हो गयी थी यद्यपि आज तक यह अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है। महोदय, यह खेद का विषय है कि इस इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 688 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। चालू वित्त के दौरान लाभ 30 करोड़ रु० ही आवंटित किए गए हैं। हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री प्रणव मुखर्जी ने पिछली लोक सभा के चुनावों के समय विभिन्न जन-सभाओं में कहा था कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 1200 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस धन का क्या हुआ? मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री महोदय मुझे इसका उत्तर देंगे। महोदय माननीय मन्त्री महोदय ने उन कुछ कारणों को स्वीकार किया है जिनकी वजह से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है और उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है।

पहला कारण यह है कि गत वर्ष कोक ओवन संयत्र के गैस-भट्टी की बैटरी के नष्ट हो जाने के बाद गैस भट्टी को तेल भट्टी में परिवर्तित करना पड़ा। परन्तु तेल भट्टी को चलाने का खर्च गैस भट्टी पर होने वाले खर्च से लगभग 10 गुना अधिक है। संयंत्र का घाटे में चलने का एक मुख्य कारण खर्चों में भारी वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त, इस संयंत्र को मिलने वाले कोयले में राख और पत्थर का अंश अधिक होता है। इसके परिणामस्वरूप, भट्टी की क्षमता और शक्ति में दिन प्रति दिन गिरावट आ रही है। महोदय, बिजली की अनुपलब्धता भी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। इस इस्पात संयंत्र के संचालन के लिए प्रतिदिन कम से कम 50 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है। दामोदर घाटी निगम इस संयंत्र को बिजली सप्लाई करता है। परन्तु उसके द्वारा की जाने वाली सप्लाई आवश्यकता से बहुत कम है। उसकी सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति दामोदर घाटी निगम द्वारा नहीं की जा सकती। इस इकाई के 50 मेगावाट के रक्षित विद्युत उत्पादन संयंत्र का निर्माण कार्य काफी समय पहले 1978 में शुरू किया गया था। उस समय यह कहा गया था कि यह कार्य 1983 तक पूरा हो जाएगा। परन्तु अब यह कहा जा रहा है कि यह रक्षित विद्युत संयंत्र मार्च, 1987 तक तैयार हो जाएगा। मुझे पता चला है कि चालू मांगों में इस कार्य के लिए केवल 15 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। इस संयंत्र को पूरा करने के लिए लगभग 200 करोड़ रु० की आवश्यकता है। अत: मेरी समझ में नहीं आता कि यह रक्षित विद्युत संयंत्र मार्च, 1987 तक पूरा कैसे हो सकता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में घाटे का एक अन्य मुख्य कारण है —चोरी, भ्रष्टाचार और बर्बादी। इसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि

जब तक इस संयंत्र में चोरी, भ्रष्टाचार और बर्बादी को रोका नहीं जाता तब तक इस संयंत्र को निरन्तर घाटा होने से नहीं बचाया जा सकता। मैं आपके सामने चोरी और भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

गत वर्ष अप्रैल, 1985 में बिना आर्डरों के हार्ड कोक और नट कोक के 15 ट्रक लादे जा रहे थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सतर्कता अधिकारी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। इसके एक महीने बाद, इस्पात पिंडों से लदा हुआ अन्य एक ट्रक द्रावक कार्यशाला (समैलटिंग शाप) स्थल से पकड़ा गया था। महोदय, इसके अलावा भी इस संयंत्र के स्लैब बैंक से प्रतिदिन लाखों रुपये मूल्य के स्लैबों की चोरी हो रही है। इन चोरियों में प्रबन्ध व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारियों के एक वर्ग, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल का हाथ है। परन्तु पश्चिम बंगाल की पुलिस और राज्य सरकार इन चोरियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। वे केवल मौन दर्शक की तरह है क्योंकि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधीन है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इन चोरियों में किन लोगों का हाथ है, और इस इस्पात संयंत्र की चोरियों में पहले पकड़े गये व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया था ?

महोदय, इसके अतिरिक्त दुर्गापुर की मिश्र इस्पात परियोजना एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है। यह एक लाभ इकाई है और यहां अत्यधिक उच्च किस्म के मिश्र इस्पात का उत्पादन होता है। इस संयंत्र की विस्तार परियोजना की एक मांग के रूप में 1982 में 10 करोड़ रु० की लागत से 50 टन की एक आर्क भट्टी तैयार की गई थी। अगस्त 1985 में इस भट्टी को चालू करते समय मिश्र इस्पात परियोजना के प्रबन्धक रातों-रात दूसरे विभागों से कामगारों को लाए और इसको चालू किया। तदन्तर प्रबन्धकों ने 1000 श्रमिकों को फालतू घोषित कर दिया। इस प्रकार श्रमिकों की छंटनी करने के लिए एक सुनियोजित और चतुराईपूर्ण षडयंत्र रचा गया। प्रबन्धकों के इस षडयंत्र के विरोध में सी०आई०टी०यू०, इंटक, ए०आई०टी०सी० और अन्य केन्द्रीय मजदूर संघों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। 27 दिनों तक लगातार चलने वाली हड़ताल के बाद मिश्र इस्पात परियोजना के प्रबन्धकों को घुटने टेकने पड़े।

महोदय, जब यह भट्टी तैयार हुई थी, तो एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई थी कि भट्टी चालू करने के बाद 349 नये कार्यों का सृजन किया जायेगा। महोदय, परन्तु अब 349 नये श्रमिकों को काम देने के स्थान पर, अन्य विभागों में कार्यरत श्रमिकों को यहां पर काम करने के लिए लगाया गया। परिणामत: वे अतिरिक्त कार्य के बोझ से दब रहे हैं। छंटनी का यह षडयंत्र चतुराई से चल रहा है। प्रबन्धक वर्ग किये गये सभी समझौते को बार-बार निर्भीकता से तोड़ रहा है। यही कारण है कि, राष्ट्रीय संयुक्त समिति की अन्तिम बैठक में सभी केन्द्रीय मजदूर संघों ने एकजूट होकर प्रबन्धकों के इस रवैये के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन किया।

महोदय, सेलम इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों का भी इसी प्रकार का रवैया रहा है।

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेना चाहते हैं ? आप अपने भाषण को समाप्त कीजिये। यदि आप अपना भाषण 5 मिनट के अन्दर समाप्त कर सकते हैं तो, इसे पूरा कीजिए।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह एक बहुत ही जटिल समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 11 मिनट ले चुके हैं। आप 2 मिनट और लेकर इसे समाप्त कीजिए।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : मैं 10 मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे कल जारी रखेंगे। सभा की बैठक कल 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक-सभा बुधवार 2 अप्रैल, 1986/12 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 1 अप्रैल, 1986/11 चैत्र, 1908 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

विषय-सूची, पृष्ठ (11), पंक्ति 19, "तेजी लोने" के स्थान पर "तेजी लाने" पढ़िये तथा पंक्ति 22 में "कल्याण" के पश्चात "के" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 15, "श्री मणिक राय होडल्यागावीत" के स्थान पर "श्री माणिकराव होडल्यागावीत" पढ़िये।

पृष्ठ 72, पंक्ति 6, "श्री चित महाता" के स्थान पर "श्री चित्त महाता" पढ़िये।

पृष्ठ 102, पंक्ति 12, "राज्य" के स्थान पर "राज्य मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 136, पंक्ति 8, "डिटजेंट" के स्थान पर "डिटरजेंट" पढ़िये।

पृष्ठ 179, प्रथम पंक्ति, "भुेश्वर" के स्थान पर "भुवनेश्वर" पढ़िये।

पृष्ठ 218, पंक्ति 21, "(हिन्दी)" का लोप करिये और पंक्ति 22, "अध्यक्ष महोदय:" के नीचे बाईं ओर "(हिन्दी)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 223, पंक्ति 6, "विस्तार करने क" के स्थान पर "विस्तार करने के" पढ़िये।

पृष्ठ 272 तथा 274, पंक्ति प्रथम, "(श्री के० सी०कुप्पुस्वामी)" के स्थान
"(श्री सी०के०कुप्पुस्वामी)" पढ़िये।

पृष्ठ 277, पंक्ति 10, "(उद्यमपुर)" के स्थान पर "(उधमपुर)" पढ़िये।

पृष्ठ 294, पाद-टिप्पण, "7000% करोड़ रुपये" के स्थान पर "7000 करोड़ रुपये" पढ़िये और "देखिए" के पश्चात् "पृष्ठ 330" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 311, पंक्ति 16, "वर्ष 186-87" के स्थान पर "वर्ष 1986-87" पढ़िये